पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास
(झांसी एवं ग्वालियर जिलों का तुलनात्मक अध्ययन)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी से

वाणिज्य विषय में

पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

वर्ष 2008

मार्गदर्शक :

डॉ0 डी0सी0 अग्रवाल
रीडर, वाणिज्य संकाय,
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,
पूर्व संयोजक, वाणिज्य पाठ्यक्रम समिति
एवं पूर्व संकायाध्यक्ष - वाणिज्य संकाय
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी (उ.प्र.)

शोधार्थी :

कालीचरन
एम.कॉम

Dr. D.C. Agrawal

- Reader
  Faculty of Commerce
  Bundelkhand (P.G.) College, Jhansi
- (F) President, Bundelkhand College, Teachers Association
- Convenor,
  Board of studies and Research Degree Committee
- Academic Counsellor
- (F) Dean faculty of commerce
  Bundelkhand University, Jhansi.
- (WCOEDP) Singapore, (ICO) (NEBAA) U.S.A.

Phone : (R) 91-0510- 2442675, 2441104 (PP)
College - 2440562
Mobile : 9415187371

Residence :
'KANCHAN KUTIR'
27/2, Panchkuiyan,
JHANSI -284 002 (U.P.) INDIA

DATE : ____________
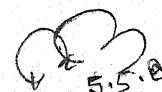
मार्गदर्शक का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, *''पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास (झांसी एवं ग्वालियर जिलों का तुलनात्मक अध्ययन)* शीर्षक के अन्तर्गत किया गया कार्य श्री कालीचरन द्वारा मेरे मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी से शोध उपाधि के लिये किया गया शोध–कार्य है । शोधार्थी ने मेरे पास 200 दिनों से अधिक उपस्थिति दर्ज कराई है ।

मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में यह शोधार्थी का स्वयं का कार्य है जिसको इसने स्वयं पूर्ण किया है। जो विश्वविद्यालय की शोध उपाधि से सम्बन्धित अध्यादेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है । विषयवस्तु तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से यह शोध–कार्य परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के स्तर का है ।

मैं इनकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं ।

दिनांक :

5.5.8

डॉ0 डी.सी. अग्रवाल

(मार्गदर्शक)

:: शोधकर्ता का घोषणा-पत्र ::

मैं, कालीचरन (शोधार्थी) यह घोषणा करता हूं कि, *"पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास" (झाँसी एवं ग्वालियर जिलों का तुलनात्मक अध्ययन)* शीर्षक के अन्तर्गत किया गया शोध कार्य, डॉ0 डी0सी0अग्रवाल के पर्यवेक्षण एवम् मार्गदर्शन में किया गया तथा शोध समिति द्वारा स्वीकृत मेरा स्वयं का शोधकार्य है । मैने निर्देशक के पास 200 दिवसों से अधिक की उपस्थिति दर्ज करवाई है।

मैं, यह भी घोषण करता हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार शोध प्रबन्ध के कार्य का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो उपाधि प्रदान करने हेतु इस विश्वद्यालय या अन्य विश्ववद्यिालय/सह विश्वविद्यालय से बिना उचित सन्दर्भ दृष्टान्त के प्रस्तुत किया गया हो ।

दिनांक : 5 May 2008

कालीचरन

कालीचरन

(शोधार्थी)

‘‘गांधी जी का पंचायत राज’’

‘‘यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाये तो भारत के सात लाख गांवों में से हर एक गांव समृद्ध प्रजातंत्र बन जाएगा । प्रजातंत्र का कोई व्यक्ति अनपढ़ न रहेगा, काम के अभाव में कोई बेकार न रहेगा, बल्कि किसी न किसी कमाऊ धन्धे में लगा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक चीजें खाने, रहने को अच्छा हवादार मकान और तन ढकने को काफी खादी मिलेगीं और प्रत्येक देहाती को सफाई एवं आरोग्य के नियम मालूम होंगे और वह उनका पालन किया करेगा । ऐसे राज्य की विभिन्न प्रकार की और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताऐं होनी चाहिए, जिन्हें वह स्वयं पूरी करेगा, अन्यथा उसकी गति रूक जायेगी । ’’

पंचायती राज से साभार

आभारिका

मानव की अपूर्णता में ही पूर्णता का रहस्य है । मानवीय प्रयत्न असफल हो जाते हैं, यदि उसे गुरूजनों एवम् शुभचिन्तकों से पर्याप्त प्रेरणा एवम् उचित मार्गदर्शन समय-समय पर प्राप्त नहीं होता है । एक महान दार्शनिक ने कहा है कि – ***" डरो मत एक कदम तो उठाओ, अगले कदम के लिये स्वतः ही मार्ग प्रशस्त हो जायेगा । "*** उसमें कपकपाहट नहीं, बल्कि दृढ़ता होगी । ऐसी दृढ़ता जो आपको उस राह पर ले जायेगी जिसकी समाप्ति पर स्थित है सफलता की मंजिल । जीवन का कोई भी ऐसा आयाम नहीं है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता हो । सतत् प्रयास, स्वाध्याय, आत्मबल ही सफलता की पूँजी है । विद्यादायिनी माँ सरस्वती के पवित्र चरणों में सादर नमन करते हुऐ अपने इस शोधप्रबन्ध को पूर्ण करने में जिन व्यक्तियों, मित्रों एवम् सहयोगियों का सहयोग एवम् आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उन सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रगट करना चाहता हूँ।

सर्वप्रथम मैं शोध प्रबन्ध के प्रेरणा स्त्रोत डॉ० डी०सी० अग्रवाल, रीडर, वाणिज्य संकाय, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,पूर्व संयोजक एवं संकायाध्यक्ष वाणिज्य, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, को नमन करता हूँ, जिनके असीम सहयोग एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही, यह शोधप्रबन्ध अपने साकार रूप में हमारे समक्ष परिलक्षित है ।

उन्होंने जटिल विषय की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए विषय के मौलिक चिन्तन की ओर मेरी कलम को निर्देशित

किया है तथा मुझे नवीन सृजनात्मक दिशा की ओर बढ़ने के लिये प्रेरित किया है ।

मैं जिला पंचायत आयुक्त झाँसी एवम् ग्वालियर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होनें मुझे शोध सामग्री समय–समय पर उपलब्ध कराई । उन्होंने जिले की विकास संबंधी जानकारी जो जिला पंचायत के द्वारा की गई उपलब्ध कराई ।

मैं पुस्तकालयाध्यक्ष बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी एवम् बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय–समय पर मुझे शोध कार्य को पूर्ण करने में आवश्यक पुस्तकें व पत्र–पत्रिकाऐं उपलब्ध कराई ।

व्यक्तिगत स्वार्थो से उपर उठकर मैं अपने श्रद्धेय पूज्यनीय माता श्रीमती राधारानी अनुरागी के सानिध्यपूर्ण स्नेह एवं पिता स्व0 श्री पंचमलाल अनुरागी के आशीर्वाद से इस शोधकार्य को करने की प्रेरणा मिली । जिन्होंने समय–समय पर आर्थिक एवम् मानसिक सहयोग प्रदान कर इस शोधकार्य को पूर्ण करने के लिये प्रोत्साहित किया । मैं अपने पूज्यनीय अग्रज डॉ0 लालचन्द अनुरागी जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होनें शोधकार्य से संबंधित सामग्री एकत्रित करने में मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया । इस शोधकार्य को पूर्ण करते समय निराशा एवम् हताशा की घड़ियों में मेरे परिजनों की मधुर मुस्कानों ने एक प्रेरक की भाँति कार्य किया है तथा अपनी अर्द्धांगिनी श्रीमती लक्ष्मीदेवी का भी

अत्यन्त आभारी हूँ , जिन्होनें मुझे पारिवारिक व्यस्तताओं से मुक्त रखते हुये इस शोधकार्य में सहयोग किया।

इसके साथ ही साथ, मैं तहे दिल से अपने मित्रों एवं सहयोगियों का भी आभारी हूँ, जिनका मुझे निरन्तर इस शोध कार्य को पूर्ण करने में प्रेम एवं स्नेहपूर्वक सहयोग प्राप्त होता रहा ।

मैं, इस शोध–प्रबन्ध को कम्प्यूटर टायपिंग द्वारा स्वच्छ एवम् त्रुटिरहित स्वरूप प्रदानकरने के लिये, श्री अनुपम रत्न व्यास का भी हृदय से आभारी हूँ ।

अंत में, मैं हर्ष एवं भय की मिश्रित भावनाओं के मध्य आशान्वित होते हुये अथक परिश्रम की अनमोल कृति, पुष्पों की प्राप्ति की आशा से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक : 5 May 2008

कालीचरन
(कालीचरन)
शोधार्थी

मानचित्र

जिला पंचायत झांसी

मानचित्र
जिला पंचायत ग्वालियर

पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास (झांसी एवं ग्वालियर जिलों का तुलनात्मक अध्ययन)

// अनुक्रमणिका //

.....

तालिका - सूची

चित्र - सूची

अध्याय-1

विषय प्रवेश -

1. ग्रामीण विकास
   (1) परम्परावादी दृष्टिकोण
   (2) आधुनिक दृष्टिकोण
2. ग्रामीण आर्थिक विकास का अर्थ
3. ग्रामीण आर्थिक विकास का स्वरूप
   (1) पंचायतों का आशय एवं परिभाषा
   (2) पंचायतों की आवश्यकता एवं महत्व
4. भारत में पंचायती राज्य की पृष्ठभूमि

अध्याय – 1

विषय प्रवेश

महात्मा गांधी, राजनीति सत्ता, उत्पादन–वितरण और संस्कृति के विकेन्द्रीकरण पर जोर देते थे। गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें स्वावलम्बन प्रधान कृषि, सिंचाई प्रणाली, हस्तशिल्प, ग्राम और कुटीर उद्योग, सफाई एवं प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को विशेष महत्व प्रदान किया गया है । दूसरी ओर उन्होंने ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये पंचायती राज की कल्पना की । पंचायती राज लोकतंत्र की मूल इकाई थी। यदि पंचायतों को अच्छे ढंग से कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये तो ग्रामीण प्रशासन की अधिकांश त्रुटियां स्वतः ही दूर हो सकती है। नवीन पंचायती राज प्रणाली में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर सीधी ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। जिससे गाँव का और अधिक विकास हो सकेगा ।

1. ग्रामीण विकास –

लम्बे समय की गुलामी से स्वतंत्र होने के पश्चात् भारत ने विकास की अवधारणा को अपनाया । पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में विकास कार्यक्रमों का निर्माण किया और उन्हें लागू करने के प्रयास हो रहे हैं । बीसवीं सदी के अंतिम क्षणों में विकास प्रशासन की उपलब्धियों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत में विकास

और विकास प्रशासन ने एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर ली है और वह इस दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। प्रशासन के द्वारा जन-सम्पर्क को महत्व दिया जा रहा है और जन-सहयोग की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जा रहे है। विकास की निरन्तर नवीन योजनाओं को लागू किया जा रहा है। विकास और जन-सहभागिता का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज के द्वारा जन-सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास हो रहे हैं, भले ही जन-सहभागिता अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सकी है। देश में क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को दूर करने के लिये क्षेत्रीय विकास परिषदों की स्थापना की है । भारत में अनेक प्रकार की विद्युत उत्पादन योजनाऐं, सिंचाई की योजनाएं, नदी घाटी व नहर परियोजनायें, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, देहातों में गृह-निर्माण, मण्डियाँ, लघु उद्योग आदि के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम लागू किये गये है। जन सामान्य को इस बात का अहसास कराया जा रहा है, कि प्रशासन आपका है, योजनाएं एवं कार्यक्रम आपके हैं और इनका लाभ आप सभी तक पहुंचाने के लिये हम प्रयत्नशील हैं । जनसम्पर्क के माध्यम से ये बातें बताकर, वस्तुतः जन सहभागिता प्राप्त करने का ही प्रयास है। देश में ग्रामीण विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है और इसलिये हमारे विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

शिखर से लेकर आम जनता तक को विकास प्रशासन के कार्यक्रमों में सहभागी बनाया गया है। जिला विकास खण्ड और ग्राम स्तर तक विकास कार्यक्रमों को अधिक

विकासोन्मुख बनाने के लिये कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है। विकास प्रशासन की दृष्टि से जिला स्तर पर अभिकरणों और अधिकारियों में जिलाधीश, जिला परिषद्, जिला सरकार (उत्तरप्रदेश एवम् मध्यप्रदेश), पंचायत समितियाँ, विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, ग्राम विकास खण्ड, ग्राम सेवक, प्रधान सरपंच आदि महत्वपूर्ण हैं।

भारत एक विकासशील देश है । स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक केन्द्र और राज्य की सरकारों ने देश की प्रशासनिक व्यवस्था में सामयिक परिवर्तनों के लिये समय-समय पर कितने ही कदम उठाये हैं । प्रबोधन और उपदेशात्मक स्तर पर पर्याप्त नियोजन देखने को मिलते हैं । विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन हुआ है जिन्होंने प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन के लिये विभिन्न सिफारिशें की हैं। पर्याप्त प्रशासनिक सुधारों के बावजूद आज प्रशासनिक व्यवस्था और समाज में प्रायः दूरी बनी हुई है। राजनीतिक विकास व्यवस्था की मांग है कि प्रशासन को आधुनिकीकरण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाये। पिछ्ले 60 वर्षो का अनुभव हमें बताता है, कि विकास और प्रशासनिक विकास की दिशा में जो कार्य किये गये हैं, उनके आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी भी विकास के कार्यक्रमों में जन-सहभागिता अपेक्षित से कम है और प्रशासन तथा जनता में दूरी व्याप्त है।

स्वतंत्रता की प्राप्ति से लेकर आज तक जो विकास हमने किये हैं, भले ही ऊपर से देखने में सन्तोषजनक लगता है, परन्तु अगर सूक्ष्मता से देखा जाये, तो भारत में

विकास की अनेक समस्याएं विद्यमान है। प्रो. रिग्स की यह मान्यता है, कि विकासशील देशों में वर्तमान प्रशासन के अनुरूप अपने को ढ़ाल नहीं पाया है। एप्टर ने अपनी पुस्तक में कहा है, कि कार्यो की अधिकता के कारण अधिक प्रशासकों की आवश्यकता है परन्तु शिक्षा,प्रशिक्षण आदि की कमी से इतनी संख्या में प्रशासक विकसित नहीं किये जा सकते इसलिये स्तर में गिरावट आयी है। ऐसी स्थिति में विकास प्रशासन की स्थापना और भी जटिल हो गयी है। जहाँ देश के समस्त कुलीन वर्ग के विचार रूढ़ीवादी और अवसरवादी रहे, जो सुधार रूढ़ियों को बनाये रखने के लिये करना चाहते हैं वहाँ विकास प्रशासन की स्थापना ही कैसे हो सकती है।

2- **ग्रामीण विकास का अर्थ**-

गांधी जी के इस कथन की कि "भारत गांवों में बसता है, यदि गांवों की कायापलट हो जाती है तो समूचे राष्ट्र का विकास सम्भव हो सकेगा" की प्रासंगिकता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी देश की तीन-चौथाई जनसंख्या साढे पांच लाख गांवों में बसती है। नियोजन के लगभग 58 वर्षो में देश में तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण की गम्भीर समस्या के कारण ग्रामीण विकास का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गाँवों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली निहित है। गांवों को उपेक्षित छोड़कर की गई उन्नति एकपक्षीय होगी और एकपक्षीय विकास हमारा कभी भी लक्ष्य नहीं रहा है। हमारा

लक्ष्य तो देश का समग्र विकास करना रहा है, सर्वांगीण विकास जो गांवों के विकास के बिना अधूरा है।

ग्रामीण विकास से तात्पर्य ऐसी नियोजन नीति से है, जिसके द्वारा ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को स्थानीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा ऊँचा उठाया जा सके एवं गांव को खुशहाल बनाया जा सके । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं का समावेश होता है। आर्थिक पहलू से तात्पर्य रोजगार, उत्पादन, आय एवं व्यावसायिक जागृति से है। अतः ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास का पर्याय मानना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत केन्द्रीय नियोजन पद्धति के तहत् भारत में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। खाद्यान्न के क्षेत्र में तो भारत आत्म-निर्भर हो चुका है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन ग्रामीण विकास के संबंध में हमारी प्रगति संतोषजनक नहीं है। आज भी गाँव की पिछड़ी हुई दशा के कारण तथा मनोरंजन, खेलकूद, शिक्षा, आवास, स्वच्छ पेयजल आदि जन-सुविधाओं के अभाव में चिकित्सक गाँव में जाना नहीं चाहते तथा आवास और शहरी सुख-सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण अध्यापक गांव में रूकना नहीं चाहते तो फिर गांवों का विकास कैसे हो ? गाँवों में अस्पताल में तो चिकित्सक नदारद रहते हैं और स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं।

भारत में आर्थिक विकास का आधार ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर आश्रित है। यहाँ की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में रहती है। देश में छः लाख के लगभग गांव है । अधिकांश ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती ही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां भारत में हरित क्रांति का युग लाने के प्रयास हुए, जिससे कृषि क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली, वहीं देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव कृषि भूमि पर बढ़ता गया है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि जोतों का उपविभाजन और अपखण्डन होने से लाभकारी खेती करने में बाधाएं खड़ी हुई हैं, जिसके कारण कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

वे क्षेत्र जो शहरी सीमा से बाहर होते हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है । ये क्षेत्र नगर निगम, नगर पालिकाओं एवं नोटिफाईड समितियों के सीमा क्षेत्र में नहीं आते है। ग्रामीण विकास से अभिप्राय है –''ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन–स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना । '' यह एक ऐसी ब्यूह रचना है, जो लोगों के एक विशिष्ट समूह निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिये बनाई गई है। इसमें विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन–यापन की तलाश में लगे निर्धनतम् लोगों तक पहुंचना हैं। इस तरह ग्रामीण विकास एक त्रिदिशायी कार्यक्रम है –

1. यह एक विधि है, जिसके द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों को शामिल किया जाता है।

2. यह एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा परम्परागत ग्रामीण संस्कृति को विज्ञान एवं तकनीक के प्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है।

3. यह एक उद्देश्य है, जिसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार किये जाते है।

इस तरह ग्रामीण विकास को गति देने तथा गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने का उपाय यहीं नजर आता है, कि कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध करवाए जाएं । यह भी जरूरी है, कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उनके निवास स्थान के आसपास ही उपलब्ध कराए जाएं। इस काम में लघु एवं कुटीर उद्योग, परिवहन आदि में असंख्य मात्रा में रोजगार के अवसरों को सृजित करने की अपार संभावनाएं हैं। इससे एक और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव होगा और वही दूसरी और गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के जीवन–स्तर को ऊपर उठाया जा सकेगा । निर्धन लोगों को उचित प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने में काफी मदद मिल सकती है।

पिछले 60 वर्षो में ग्रामीण विकास योजनाओं को नियोजन में प्रमुखता प्रदान की जाती रही है, लेकिन यह भी सच है कि नियोजन काल में शहरीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गाँव छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे है। श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग गांवों में ही निवास

करता है। राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा लगभग एक तिहाई है। निर्यातित वस्तुओं में एक चौथाई हिस्सा कृषि क्षेत्र का है और कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान 60 प्रतिशत आंका गया है । ये सब बातें ग्रामीण क्षेत्र की महत्ता को दर्शाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही पिछले 6 दशकों में नियोजन में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को शुरू किया गया। कार्यक्रम की दृष्टि से 1947–2007 की अवधि को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है । पहले चरण में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया । इस कार्यक्रम में ग्रामीण जीवन का सर्वतोन्मुखी विकास तथा ग्रामीण जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार के लक्ष्य थे। इस कार्यक्रम को आंशिक सफलता ही अर्जित हो सकी । कारण यह था, इस कार्यक्रम हेतु प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता होने के बावजूद पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं करवाएं जा सके, जिससे सीमित साधनों को अनेक क्षेत्रों में बंटने से किसी भी क्षेत्र में वांछनीय परिणाम प्रदर्शित नहीं हो सके । ऐसा अनुमान लगाया गया, कि उपलब्ध साधनों को कृषि विकास कार्यक्रमों पर ही केन्द्रित होना चाहिए था, क्योंकि कृषि ही ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत थी और दूसरे इस समय भारत को कई बार अकाल जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ता था। फलस्वरूप विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण में कृषि विकास को

प्राथमिकता दी गई। उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और अन्य कृषिगत आदानों के प्रयोग का विस्तार हुआ। इससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। देश हरित क्रांति के युग से गुजरा, किन्तु इसी के साथ यह भी अनुभव किया गया, कि कृषि उत्पादन में पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद ग्रामीण गरीब एवं बेरोज़गारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका, बल्कि कृषि विकास के साथ ही ऐसे कार्यक्रमों को अपनाने की आवश्यकता हुई, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही साथ उन्हे अपने पैरों पर खड़े होने के लिये आत्मपोषित करें। अतः ग्रामीण विकास के तीसरे चरण में अपनाये जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिससे ग्रामीण विकास का महत्व स्वतः स्पष्ट है यदि भारत को एक सशक्त देश बनाना है तो ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देनी होगी। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाता है। सामुदायिक विकास और पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिये अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किये है।

ग्रामीण विकास एक लचीली अवधारणा है, जिसका लोग अपने ढ़ंग से अर्थ लगाते हैं । वास्तव में ग्रामीण

क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना, ग्रामीण विकास है। इसके अर्न्तगत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण योजना, स्वास्थय, शिक्षा, संचार, सामाजिक–आर्थिक ढ़ाँचे में परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित हैं। अतः इसमें दो बातों पर महत्व दिया जाता हैः–

1. आर्थिक विकास दूसरे समुदायों और सेक्टर के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करके, और

2. आर्थिक उन्नति विशेष रूप से गरीब ग्रामीण लोगों के लिये।

इस प्रकार समस्त कार्यक्रमों में गरीब ग्रामीण लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना। विश्व बैंक के अनुसार, ग्रामीण विकास, गरीब ग्रामीण छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहीनों और किरायेदारों का आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाने की एक व्यूह रचना है।'' 'ग्रामीण' शब्द का अर्थ जिनका व्यावसायिक ढ़ाँचा सामाजिक संगठ्न और रहने का तरीका गैर–शहरी जीवन शैली का होता है। **'विकास'** का अर्थ होता है तकनीकी,औद्योगिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्र में विकास। परन्तु ग्रामीण लोगों के विकास का तात्पर्य उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार करना है इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वागीण विकास ही ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास शहरी क्षेत्रों से बाहर रहने वालों का जीवन स्तर ऊँचा करने का सामूहिक प्रयास है। इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र और जीवन स्तर का विकास करना ही नहीं, बल्कि

न्यूनतम आधुनिक सुविधाऐं भी प्राप्त करना है, लासे के अनुसार ग्रामीण विकास में निम्न बातों का समावेश होना चाहिये[1] :-

1. पारिस्थितिक वातावरण को सुरक्षित रखना,

2. भूमि का उचित और कुशल उपयोग,

3. रहने योग्य स्वस्थ परिस्थितियाँ,

4. एक सौन्दर्यपूर्ण वातावरण,

5. प्रभावी सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक संस्थाऐं

6. आर्थिक-सामाजिक स्तर में न्यूनतम वृद्धि और

7. सुन्दर प्राकृतिक छबि और प्राकृतिक ढ़ांचा।

इस प्रकार, ग्रामीण विकास के लिये हमारी सरकार द्वारा अनेक प्रयास निम्न दृष्टिकोणों से किये गये हैं :-

(i) **परम्परावादी दृष्टिकोंण** :-

1. बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोंण
2. न्यूनतम पैकेज दृष्टिकोंण
3. लक्ष्य समूह दृष्टिकोंण

(ii) **आधुनिक दृष्टिकोण** :-

1. क्षेत्र विकास दृष्टिकोंण
2. देश का विकास दृष्टिकोंण
3. एकीकृत ग्रामीण विकास दृष्टिकोण

(i)-1. **बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण-**

भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा का प्रांरभ बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण से प्रारंभ हुआ। सन् 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसका उदाहरण है।

इसके अन्तर्गत क्षेत्र का पूर्ण विकास जनता के सहयोग से करना था। इस दृष्टिकोण का तर्क यह था, कि ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पहलू एक दूसरे से जुड़े होते है। अतः कृषि विकास ग्रामीण लोगों के शिक्षित स्वस्थ हुये बिना संभव नहीं है। ग्रामीण विकास के अन्य क्षेत्र है सड़कों का निर्माण, सिंचाई, बिजली, संचार और ग्रामीण उद्योग। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास से संबंधित समस्त पहलू संबंधित थे। आगे चलकर यह स्पष्ट हुआ, कि बहुउद्‌देश्यीय दृष्टिकोण बहुत व्यापक हैं, और समस्त क्षेत्रों का एक साथ विकास सम्भव नहीं है, इसलिए न्यूनतम दृष्टिकोण को अपनाया गया।

(i)-2.**न्यूनतम पैकेज दृष्टिकोण** :-

इस दृष्टिकोण का उद्‌देश्य सीमित होता है। इसमें एक निश्चित क्षेत्र का एक समय में गहराई से विकास करने का प्रयास किया जाता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग उच्च कृषि उत्पादन के लिये किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि विकास के लिये कुछ क्षेत्र चिन्हित किये गये। इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में केवल सम्पन्न किसानों को मिला इसलिये इसकी उपयोगिता सीमित एवं ग्रामीण गरीबों को खुशहाली नसीब नहीं हुई और वे गरीब बने रहे।

(i)-3.**लक्ष्य समूह दृष्टिकोण** : -

लक्ष्य समूह दृष्टिकोण में एक विशेष समूह का गहन अध्ययन किया जाता है और योजनाओं की प्राथमिकताओं में तदानुसार परिवर्तन किये जाते है। यह मानकर कि छोटे किसानों, सामान्य किसानों और भूमिहीन किसानों की समस्याएं सम्पन्न किसानों से अलग प्रकार की होती हैं, इसीलिये इनके लिये अलग से कार्यक्रम प्रारंभ किये गये थे। गरीबी की अंतिम सीमा में रहने वालों के विकास के लिये जो योजनाऐं बनाई जाती हैं, वह लक्ष्य समूह दृष्टिकोण है । यह दृष्टिकोण सेवार्थी–बहुमूल्य नमूना प्रस्तुत करता है, जिसका अंतिम लक्ष्य ग्राहक वर्ग को योजना और विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तांतरण करना है।

(ii)-1.<u>क्षेत्र विकास दृष्टिकोण</u> :–

इस दृष्टिकोण के तहत पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाता जिसमें सूक्ष्म क्षेत्र को विकास के लिये चुना जाता है। ऐसे कार्यो के लिये पिछड़े इलाकों को विकास हेतु चुना जाता है। जैसे– डी0पी0ए0पी, टी0डी0पी0, सी0ए0डी0 पर्वतीय क्षेत्र आदि।

(ii)-2.<u>देश का विकास दृष्टिकोण</u> :–

ग्रामीण जनता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये योजना निर्माण और क्रियान्वयन की व्यूह रचना अधिक ग्रामीण प्रधान होनी चाहिये। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि अब

हमारे पास प्राकृतिक-भौगोलिक, तकनीक-आर्थिक, सामाजिक-राजनैतिक और प्रशासनिक संगठन की अधिक आवश्यक, निश्चित और विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। अतः मजबूत स्थानीय क्षेत्रों की विकास योजना बनानी चाहिये। अब विकास खण्ड स्तर की योजना ग्रामीण विकास के लिये श्रेष्ठ नहीं है, बशर्ते जब तक समस्त कार्यक्रम बेसिक विकास से संबंधित न हों। भारत में बेसिक योजना चतुष्पथ है। इस दिशा में उत्साहहीन प्रयास किये गये है जो अपने आप में प्रायः स्वघाती है ।

(ii)-3.**एकीकृत ग्रामीण विकास दृष्टिकोण** :-

बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण के विपरीत इस दृष्टिकोण का क्षेत्र एकीकृत है। यह क्रियात्मक योजना है, इसकी चार प्रकार की गतिविधियाँ हैं। प्रथम – कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों, जैसे- पशुपालन मछली पालन और बागवानी के उत्पादन में वृद्धि करना हैं। द्वितीय- यह ग्रामीण लधु उद्योगों को महत्व देता है। तृतीय- ग्रामीण गतिविधियों के लिये कुशल मजदूर और कलाकारों को सम्मिलित करना । अंतिम – मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा उन्हें जुटाना है। इसका आशय हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों के विधिवत् वैज्ञानिक और संश्लिष्ट प्रयोग हैं और इस प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि अपने आपको उत्पादन तथा सामाजिक दृष्टि से लाभदायक व्यवसायों में लगायें और इतनी आय प्राप्त कर लें, कि जिससे उसकी मौलिक

आवश्यकताऐं पूरी हो सके। भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है – किसी क्षेत्र तथा उसके लोगों का एकीकृत विकास स्थानीय संसाधनों– भौतिक, जैविक, मानवीय के अधिकतम विकास और उपभोग के माध्यम से और आवश्यक संस्थागत,संगठ्नात्मक और प्रवृति आत्मिक परिवर्तन करके और कुठ संगठित सेवाऐं जिनमें आर्थिक क्षेत्र कृषि और ग्रामीण उद्योग आते है, प्रदान करके इसके साथ ही साथ आवश्यक साािजक ढांचे और स्वस्थ पोष्टिक आहार, सफाई, आवास, पेजयल, साक्षरता के क्षेत्र में सेवाऐं प्रदान करके एकीकृत विकास की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्ततः इसका लक्ष्य 'ग्रामीण निर्धनों' और 'ग्रामीण कमजोर वर्ग' के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है इस प्रकार इस कार्यक्रम में स्वसेवा और समुदाय के योगदान का बहुत अधिक महत्व है। यह एक लोचशील धारणा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं और स्थितियों के साथ बदलती रहती है।

भारत में ग्रामीण विकास का इतिहासः–

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 75 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर आश्रित है। भारत में ग्रामीण विकास का इतिहास प्राचीन है। इसका अध्ययन तीन कालों में किया जा सकता है ।

1. सन् 1858 से 1919: ब्रिटिश काल

2. सन्1920से1950:राष्ट्रीय आन्दोलन का समय

3. स्वधीनता के पश्चात्

1. <u>सन् 1858 से 1919:</u>

सन् 1858 के पूर्व भी ग्रामीण विकास की प्रक्रिया विद्यमान थी। प्राचीन भारत के ग्राम सम्पन्न एवं आत्मनिर्भर थे। लम्बे गुलामी के फलस्वरूप इस दिशा में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया धीमी हुई और यह बिट्रिश शासनकाल तक बनी रही। सन् 1858 में अंग्रेजों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सत्ता अपने हाथों में ली। अंग्रेज केवल शासन करने में रूचि रखते थे, और सामाजिक–आर्थिक दिशा में नहीं के बराबर पहल थी किन्तु सन् 1899 में अकाल ने बिट्रिश सरकार को भूख से मरने वालों के प्रति ध्यान आकर्षित किया। उसके लिये राज्य शासन ने अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अनाज उपलब्ध कराया और इस प्रकार मानवता के आधार पर पहली बार ग्रामीण विकास की दिशा में पहल हुई। सन् 1866 और 1880 के अकाल आयोगों ने केन्द्र और राज्यों में कृषि विभाग स्थापित करने की अनुंशसा की थी। लॉर्ड कर्जन (1901–05) ने राज्यों में कृषि विभाग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की और उत्तर–पूर्व राज्य (उत्तरप्रदेश) में सबसे पहली बार कृषि विभाग की स्थापना हुई । सन् 1906 में भारतीय कृषि सेवा प्रारम्भ हुई इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में ग्रामीण विकास की दिशा में नहीं के बराबर प्रयास किये गये, क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखना था।

2. **सन् 1920 से 1950**

स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रवादी और सामाजिक सुधारों द्वारा भारत में अनेक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये । इन प्रयासों में मुख्य कदम थे – टैगोर का श्री निकेतन प्रयोग, 1920 का ब्रेयनी प्रयोग, 1920 का स्पेन्सर हैच की मारटेमडम परियोजना, 1921, बरोडा का ग्रामीण पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट, 1932, मद्रास की फर्क्स विकास स्कीम, 1946,नीलोखेरी प्रयोग, 1947 और इटावा सूचक परियोजना 1948।[2]

3. **स्वतंत्रता के पश्चात्** –

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में पर्याप्त प्रयास किये है। राजनीतिक निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन को सम्मिलित किया गया है और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास की दिशा में जो विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं[3] :

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम	1952
2. राष्ट्रीय प्रसार सेवा	1953
3. खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम	1957
4. ग्रामीण गृह निर्माण योजना	1957
5. गहन कृषि जिला कार्यक्रम	1957
6. ग्रामीण उद्योग प्रोजेक्ट	1962
7. वार्षिक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम	1966
8. कुआँ निर्माण कार्यक्रम	1966

9. आदिवासी विकास ब्लॉक	1968
10. ग्रामीण मानव शक्ति कार्यक्रम	1969
11. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1970
12. हिल क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1975
13. मरूस्थल विकास कार्यक्रम	1977
14. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1979
15. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1979
16. जवाहर रोजगार योजना	1989
17. प्रधानमंत्री रोजगार योजना	1993

इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है, सबका वर्णन सम्भव नहीं है । हां यह कहा जा सकता है कि, इस दिशा में सरकार के प्रयास सराहनीय रहे हैं और हमने काफी सफलता प्राप्त की है। आशा है, कि 73वे और 74वे संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्तर पर पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जन सहयोग से अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं और हम आशा करते है कि इस दिशा में सफलता अवश्य मिलेगी।

2. ग्रामीण आर्थिक विकास का अर्थ :

देश के सर्वांगीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास का स्थान प्रमुख है । देश की प्राचीन एवं नवीन व्यवस्था को देखने पर ऐसा अनुभव होता है कि, ग्रामीण के दर्शन नवीन नहीं बल्कि पौराणिक है। वेद एवं उपनिषद् काल में भी ग्रामीण प्रशासन अर्थव्यवस्था एवं

विकास के दर्शन चर्चित रहे है। मध्ययुगीन काल में स्थानीय प्रशासन, विकास एवं राजस्व संग्रह के लिए ग्रामीण प्रशासन को प्रधानता दी गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में ऐसे कार्य–कलापों में परिवर्तन एवं ह्रास का अनुभव किया गया है। लेकिन बीसवी सदी के मध्य युग में पुनः ग्रामीण विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के दो दशकों में देश के विकास में प्रमुख नेताओं की भागीदारी को अंग्रेजी शासन ने भी स्वीकार किया, परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सन् 1930 में पं0 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गयी, जिसका उद्देश्य था– "***देश के आर्थिक ढ़ाँचे का अध्ययन कर राष्ट्र–विकास के लिए योजनाएं तैयार करना***" इस समिति में देश के गणमान्य अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, एवं सरकारी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया था।[4]

स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई अग्रणी प्रयोग किये गये जिनमें मुख्य थे, श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर, द्वारा **'ग्रामश्री'** एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा **'ग्राम स्वावलम्बन'**। ग्राम विकास का बुनियादी आधार राष्ट्रपिता के अनुसार गांव का सर्वांगीण विकास कर गांव को स्वाबलम्बी बनाना था। राष्ट्रपिता के इस कार्यक्रम में कृषि विकास एवं गृह कुटीर को प्रधानता दी गई थी।

इस प्रकार देश के ग्रामीण विकास के इतिहास की ओर जब हम दृष्टि डालते है, तो ऐसा प्रतीत होता है, कि हमारे देश में ग्रामीण विकास के महत्व पर स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्तरार्द्ध में विशेष ध्यान दिया गया और अनेक विकास

कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया । मार्च 1950में **"योजना आयोग"** का गठन इसी मंशा के साथ किया गया, कि **"देश में उपलब्ध संसाधन स्त्रोतों का संतुलित उपयोग कर प्रभावी बनाया जा सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके ।"** इस आयोग का उद्देश्य यह भी था, कि विकास की प्रक्रिया में आम नागरिक की भागीदारी हो, आम लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके एवं आर्थिक के बहुआयामी अवसरों का सृजन हो सके । फलतः इन उद्देश्यों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और **"मौलिक अधिकार"** एवं **"राज्य के नीति निर्देशक तत्व"** को संविधान की महत्वपूर्ण कड़ी बनाया गया। योजना आयोग द्वारा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यरूप दिया गया । वर्ष 1951-52 से लेकर नोवीं पंचवर्षीय योजना तक के व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में गांव की मूलभूत एवं न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई विकास कार्यक्रम तैयार किये जाते है, जिनका बुनियादी उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के उपाय, आर्थिक एवं सामाजिक असामानता में कमी, विशेष अधिकार की समाप्ति एवं अन्य ग्रामीण समस्याओं का उचित समाधान करना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् 1951-52 से 1955-56 तक विकास योजनाओं का प्रारम्भिक प्रयोग समझा जाता है जिसके पीछे मनसा यह थी कि आम नागरिक विकास के सिद्धान्त से अवगत हो सके और देश में प्रशासनिक संचना को सुदृढ करते हुए विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके । प्रथम

पंचवर्षीय योजना के निर्धारित मुख्य उद्देश्य थे – कृषि एवं सिंचाई का विकास, ऊर्जा (बिजली) स्त्रोंतों का विकास, उद्योगों को उत्साहित करना एवं यातायात सुविधा का विकास करना।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की मंशा से सामुदायिक विकास प्रखंडों की स्थापना की गई और सभी कार्यक्रमों को एक विशेष प्रशासनिक तंत्र द्वारा कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956–57 से1961–62 तक की अवधि के लिए तैयारी की गई । इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अपेक्षाकृत पूर्व की योजना से अधिक विस्तृत एवं महत्वाकांक्षी बनाया गया तथा यह ध्यान में रखा गया कि आम नागरिक की आय में पर्याप्त वृद्धि हो, उनके जीवन स्तर में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि हो सके, बुनियादी एवं बृहत उद्योग का विकास हो, रोजगार के अवसरों का विस्तार हो एवं आय और सम्पत्ति की असमानता में कमी की जा सके ।

सामुदायिक विकास प्रखण्डों द्वारा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर विकास कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधि एवं ग्रामीण संस्थाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता महसूस करते हुए पंचायती राज प्रणाली लागू की गयी । दुर्भाग्यवश इस अवधि में देश को लगातार गंभीर सूखे की स्थिति से गुजरना पड़ा । परिणामतः सघन कृषि विकास कार्यक्रम एवं हरित क्रान्ति जैसी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य

उत्पादन में द्रुत एवं क्रमिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर लागू किया गया ।

भारत में ग्राम्य विकास की राजकीय प्रक्रिया 20 वीं सदी के आरंभ में हुई । स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण विकास के लिये सन् 1901 में सिंचाई आयोग, सन् 1947 में शाही कृषि आयोग एवं सन् 1932 में खाद्य उत्पादन सभा आदि एकाकी कार्यक्रम प्रारंभ किये गये। उस समय दोषपूर्ण भू-धारण पद्धतियां थी। भारतीय ग्रामोद्योग की ढुलमुल नीति के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था जर्जर हो गयी। जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि पर दबाब बढ़ता गया, आर्थिक विपन्नताएं बढ़ती गईं और भारतीय गांव पिछड़ते चले गये साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक द्वैतवाद बढ़ता गया।

ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण के लिये सन् 1921 से 1930 तक का दशक महत्वपूर्ण रहा। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सन् 1921 में श्री निकेतन इन्स्टीट्यूट आफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन स्थापित किया गया। मिस्टर एम. हर्स्ट के निर्देशन में इस संस्थान ने ग्रामीण विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये। इस संस्थान की स्थापना के मूल उद्देश्य ग्रामीणों में आत्म विश्वास, आत्म सम्मान, संस्कृति का परिज्ञान, संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग एवं भौतिक तथा आर्थिक विकास के साथ-साथ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, कृषि प्रदर्शन उत्तम बीज एवं उर्वरकों की आपूर्ति आदि रखा गया। कुटीर हस्तकला का विकास भी किया गया। ब्रह्मचारी आन्दोलन एवं शिक्षा सत्र के नाम से ग्रामीण

बालकों को शिक्षा के साथ-साथ नये साहित्य का सृजन भी किया गया[5]।

ग्रामीणों के आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये सन् 1921 में डॉ0 स्पेन्चर हैच के नेतृत्व में मारतण्डम् की स्थापना की गई एवं बड़ौदा, मैसूर और हैदराबाद में ग्रामीण पुनर्सरचना हेतु प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किये गये। मि. ब्रेने द्वारा सन् 1927 में गुड़गांव प्रयोग के तहत मेहनत, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मसंयम, पारस्परिक निर्भरता एवं समादर को गांवों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आदर्श मानकर ग्रामीण विकास की धारा प्रवाहित की । सन् 1932 में बड़ौदा में ग्रामीण पुनर्निमाण योजना ग्रामीण विकास की दृष्टि से आरम्भ की गई । इस योजना में पेयजल कूप निर्माण, आवागमन एवं संचार सुधार, मलेरिया उन्मूलन, उन्नत बीजों का वितरण, हस्तशिल्प कलाओं के ग्रामों के विद्यालयों की स्थापना एवं उनका विकास, पंचायती एवं सहकारी संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया ।[6]

गांधी जी की सेवाग्राम योजना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा । खादी उद्योग, ग्रामीण उद्योग का विकास, अस्पृश्यता, निवारण, मौलिक एवं प्रौढ़ शिक्षा ग्रामों की स्वच्छता सामुदायिक सौहार्द, नशाबन्दी, स्वास्थ्य शिक्षा, नारी उत्थान एवं राष्ट्र भाषा को प्राथमिकता, सेवाग्राम के मूलभूत उद्देश्य रहे । सेवाग्राम के तहत आत्मनिर्भरता, विशेषकर भोजन, वस्त्र पर बल दिया गया । गांवों में नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु सत्य, अहिंसा, प्रेम एवम्

संस्कार आदि को महत्व दिया गया, गांधी जी ने ही पंचायती राज एवं सहकारी समाज का आन्दोलन प्रारम्भ किया। विनोबा भावे का ग्रामदान एवं भूदान तथा जयप्रकाश नारायण की गांधीवादी परम्परा भी ग्राम विकास का ही अंग रही । यद्यपि स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण विकास के लिये किये गये प्रयास व्यक्तिगत थे, इसलिए उनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास को अंकुरित एवं प्रस्फुटित करने में निश्चित सफल रहे है। ग्रामीण क्षेत्र में लाभदायक रोजगार प्रदान करने की दृष्टिकोण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चार भागों में बांटा जा सकता है –

प्रथम भाग में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, कृषि नियोजन एवं नीति, योजनाबद्ध कृषि विकास, कृषि नीति के प्रारूप का उद्भव एवं विकास, सूखी भूमि खेती, सिंचाई (विशेषकर – लघु सिचाई योजनाऐं) बीज तकनीक, पौध सबलता, कृषि के लिये फार्म शक्ति, कीड़ों पर नियंत्रण, विस्तार तकनीक, कृषि कीमतें, कृषि पदार्थो का विपणन, बफर स्टॉक, कृषि श्रम की समस्या, कृषि पदार्थो का निर्यात, भूमि सुधार व कृषि से संबंधित पर शोध एवं अध्ययन किया जाता है।

द्वितीय भाग में, कृषि से संबद्ध क्रियाओं का रोजगार के अवसरों के सृजन तथा उनमें विनियोजित पूंजी, आधारभूत ढांचा, तकनीकी संभाव्यता व आर्थिक व्यवहार्यरता के संबंध में विशद् वर्णन होता है। इसके अंतर्गत जिन विषयों को मुख्य रूप से स्पर्श किया जाता है, उनमें श्वेत क्रान्ति, डेयरी विकास, घास, भूमि प्रबंध, भेड़ व बकरी

पालन, वन विकास एवं सामाजिक वानिकी, रेशम के कीड़े एवं मधुमक्खी पालन, बागवानी, मुर्गी-पालन आदि शामिल हैं। आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये सब लाभदायक रोजगार के अनन्य स्त्रोत माने गये है।

तृतीय भाग ग्रामीण साख से सम्बद्ध है। इसलिए ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ऋण राहत, ग्रामीण साख संस्थाओं की भूमिका, सहकारी साख संस्थाऐं, कृषि वित्त पोषण, गैर फार्म क्षेत्र को वित्त पोषण, प्रोसेसिंग व वितरण प्रक्रियाओं का वित्त पोषण, दीर्घकालीन सहकारी साख, समन्वय, पुनर्गठन, पुनर्स्थापना, प्रबंध का व्यवसायीकरण, सचिवों का प्रशिक्षण, स्थिरीकरण के प्रबंधन, अवधि पार ऋणों की वसूली, व्यापारिक बैंकों द्वारा वित्त पोषण, सहकारी समितियों द्वारा वित्त पोषण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, नाबार्ड, विभेदात्मक ब्याज दर, कृषि में उधार की तकनीक, ऋण की वसूली एवं अवधि पार ऋणों की समस्या, जिला तथा खण्ड स्तरीय नियोजन, साख एजेन्सी तथा विकास कार्य आदि इसके मुख्य भाग होंगे।

अंतिम भाग में, ग्रामीण विकास प्रक्रिया तथा रूपान्तरण पर विहंगम दृष्टिपात अपरिहार्य है। यहाँ ग्रामीण अर्थशास्त्र का सम्पूर्ण कलेवर सामने आ जाता है, इसलिए अक्टूबर 1952 के ग्रामीण विकास के प्रारंभिक चरण से अगस्त 1986 के बीस सूत्रीय कार्यक्रम तथा तत्पश्चात् अन्य यत्र-तत्र दिखाई देने वाले कार्यक्रमों की विवेचना आवश्यक है। अतः ग्रामीण विकास की धारणा के साथ साथ योजनाओं में इस हेतु सम्मिलित किये गये समस्त कार्यक्रम

विशेष रूप से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना, शहरी गरीबों के लिये रोजगार, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जल संसाधनों का प्रबंधन, लघु कृषक विकास एजेन्सी, आदिवासी क्षेत्र विकास, विश्व खाद्य कार्यक्रम, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम, बायोगैस तकनीक, फार्म यन्त्रीकरण का प्रभाव, ग्रामीण औद्योगीकरण, कृषि सेवा केन्द्र, ग्रामीण विकास में पंचायती राज का योगदान तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के मूल दर्शन से अवगत कराया गया है।

3. ग्रामीण आर्थिक विकास का स्वरूप

आधुनिक भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में युगीन, स्पन्दन तथा प्रगतिशील शिक्षा नीति के अनुरूप अर्थशास्त्र के अध्ययन में सामाजिक विकास की अन्य शाखाओं की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। विशेषकर उस स्थिति में जब हमारी श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के दबाव एवं कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र की अर्थ विकसित स्थिति परिलक्षित होती है। हमारी एक अरब दो करोड जनसंख्या 6.18 लाख गांवों में निवास करती है तथा कृषि भारतीय अर्थतंत्र का आधार है, इसलिए अनेकानेक अनुसंधानों के बाद प्रो0 राज एवं प्रो0 खुसरो जैसे शीर्ष अर्थशास्त्रियों ने भी कृषि क्षेत्र में ही रोजगार की अधिक संभावनाओं को खोजने पर बल दिया है। 1970 के दशक में आरम्भ किये गये विभिन्न गरीबी उन्मूलक एवं रोजगार कार्यक्रमों के संदर्भ में अब रोजगार उन्मुख ग्रामीण

अर्थव्यवस्था सम्यक् विषयक अध्यापन की उर्वरक पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी है।

यह सब समय-समय पर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किये गये गत्यात्मक उपायों के द्वारा संभव हुआ है। अब भारत में सरकारी प्रशासन, सहकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों, बैंक, पंचायत प्रशासन, सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिकारियों एवं कार्यपालकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के दृष्टिकोण से इस शताब्दी के चुनौतिपूर्ण नवे दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। डॉ0 मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को अत्याधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब तक ऐसे बहुत से प्रश्न थे जिनका उत्तर नहीं मिल पाया था, उनका व्यवस्थित अध्ययन करना तथा ग्रामीण साख एवं विकास की कठिन समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में ग्रामीण आर्थिक परिदृष्य में विज्ञान तथा तकनीकि के अनुप्रयोग तथा नव प्रवर्तनों की पूरकता के कारण भारी रूपान्तरण हुआ है। विकासशील देशों के अन्तर्गत भारत में न केवल सेवा व्यापार व दूसरे क्षेत्रों में प्रभावशील उपलब्धियाँ हासिल की है, अपितु अर्थव्यवस्था को प्रभावात्मक रूप से प्रबंधित करने की क्षमता भी दिखाई है। कृषि में आधुनिकीकरण तथा संरचनात्मक परिवर्तन, जिस पर हमारे ग्रामीण जीवन की आर्थिक स्वतंत्रता निर्भर करती है, स्वतंत्रता के समय बहुत

कुछ निरूत्साहित तथा निराशाजनक थी। पुरातन भू-स्वामित्व प्रथा, कृषि की पिछड़ी पद्धतियाँ तथा उत्पादकता बढाने के लिये आधारभूत ढ़ाचा कृषि आधुनिकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी। इनमें से बहुत-सी बाधाओं को कुछ हद तक दूर करना, वस्तुतः भारतीय नियोजन की बड़ी सफलता है। जमीदारी तथा दूसरी बिचौली पद्धतियां समाप्त की जा चुकी है। उन्नत किस्म के बीजों के बढ़ते प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण भू-जोत तकनीक में काफी परिवर्तन आया है, जो कि स्वतन्त्रोत्तर भारत में कृषि अनुसंधान एवं विस्तार का भव्य जाल बिछाये जाने के कारण ही संभव हुआ है इसके बाद दूसरा परिवर्तन समर्थित मूल्य, एकत्रिकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना है।

आज ग्रामीण परिवेश में न केवल मुख्य खाद्यानों के उत्पादन में बल्कि बागवानी, फसलों, पशुपालन तथा मछली पालन के तरीकों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। कृषि साख एवं विपणन में बहुत से परिवर्तन हुये है। कृषक, सट्टेबाजों के शोषणकार्ता महाजनों से मुक्त हो गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन पुनर्वित्त एवं विकास निगम के स्थान पर नाबार्ड की स्थापना से कृषि में दीर्घकालीन ऋण अपनी बदलती हुई उन्मुखता के साथ बहुत बढ़ा है । कृषि विपणन में, खाद्यान्न तथा विपणन विकास में भी भारतीय खाद्य निगम ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है तथा साधन सहकारिताओं ने किसानों तथा उपभोक्ताओं की काफी सहायता की है। दुग्ध सहकारिताओं तथा शहरी दुग्ध आपूर्ति योजनाओं ने बाजार के अधिकांश भाग पर अधिकार जमाया है। उपरोक्त उल्लेखांकित तथा साख व विपणन के

क्षेत्र में अन्य कुछ परिवर्तनों ने कृषक तथा व्यापारी के बीच की खाई को पाट दिया है, जिससे कृषि विकास को नवीन स्फूर्ति मिली है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनेक व्यापक परिवर्तनों से गुजरी है। भारत के पराधीन 200 वर्षो की अधोगति व पतन प्रक्रिया के बाद अर्थव्यवस्था ने एक नई सुध ली है पर, इसका स्वरूप अब भी आधारभूत विशेषताओं को बनाये हुये है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैः–

1. स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों पर बड़े पैमाने पर ध्यान दिया जाकर मध्यस्थों का उन्मूलन दृढ़ निश्चय के साथ किया गया। जागीरदारी, जमींदारी, महलवाड़ी तथा रैयतवाडी प्रथाओं को समाप्त करके लगभग दो करोड़ कानूनी काश्तकारों को भूमि का अधिकार प्रदान कर प्रत्यक्ष रूप से राज्य के सम्पर्क में लाया गया। तब कृषक अपनी भूमि पर अपने परीक्षण से उत्पादकता बढ़ा सकता है।

2. अब कृषि, जीवन निर्वाह का साधन मात्र न रहकर, लाभ कमाने की व्यवस्था भी हो गई है। कृषि का यह व्यावसायीकरण हरित क्रन्ति के बाद अधिक बढ़ा है तथा विकास का सूचक भी है। किसान अब सोच–समझकर उन फसलों को चुनता है, जिनके विक्रय से उसे अधिक मौद्रिक आय की प्राप्ति हो सकती है। अतः नगदी व अर्द्ध नगदी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।

3. कृषि उत्पादकता वृद्धि के लिये अनेकानेक कार्यक्रम आरम्भ किये गये। सन् 1965-66 के उपरान्त बनी नवीन कृषि व्यूहरचना इस दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुई, क्यों कि इस काल में कृषि क्षेत्र में व्यापार परिवर्तन हुए और नई तकनीक का प्रयोग संभव हुआ है। सन् 2000 में भारत सरकार द्वारा नई कृषि नीति घोषित हो जाने से कृषि क्षेत्र में और अधिक क्रान्ति आई है।

4. ग्रामीण परिवहन के विकास के साथ गाँवों से दूर स्थित शहरी बिक्री केन्द्रों में कृषि उपज को ले जाना संभव हुआ है ।

5. नियंत्रित मण्डियों और सहकारिता एवं वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के विकास के कारण ग्रामीण किसान महाजनों के चंगुल से मुक्त हो गये हैं। इस कारण अब वे अधिक बाजार आधिक्य उत्पाद कर सकते हैं।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण हेतु अनेक वित्तीय संस्थाओं ने अपनी शाखाओं का जाल बिछा दिया है। ये संस्था गाँवों में आवश्यक साधन भी जुटाती है।

7. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्र में मृत्युदर में उल्लेखनीय कमी हुई है। साथ ही साथ शिक्षा प्रसार की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन, पोलियो, हेपेटाइटस-ए-बी-सी, मलेरिया आदि के लिये टीकाकरण अभियान एवं एड्स तथा केंसर जैसी घातक बीमारियों से अपने बचाव के लिये दूरदर्शन व अन्य प्रचार माध्यमों से जनता में जागरूकता पैदा की जा रही है।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले पाँच दशकों में सहकारिता काफी लोकप्रिय हुई है। जिसके फलस्वरूप वह न केवल साख के क्षेत्र में बल्कि कृषि उपज, दूध, शक्कर, कपास आदि के प्रशोधन और विपणन में भी सफल रही है। गुजरात की दुग्ध सहकारिताऐं तथा महाराष्ट्र की चीनी सहकारिताएं विश्व में बेमिसाल हैं।

9. पिछले 60 वर्षों में भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर शहरी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा है। संयुक्त परिवार प्रणाली के विधटन तथा व्यक्तिवादी भावना के विकास के साथ-साथ शहरी तौर-तरीकों ने ग्रामीण जीवन की भावना को छू लिया है तथा धीरे-धीरे अपना रंग जमाना आरंभ कर दिया है। ग्रामीण शहरीवाद से जुड़ी हुई एक समस्या है आधुनिकता, जिसने गाँवों के सामाजिक विचार, व्यवहार, जीवनदर्शन, इच्छाओं एवं मांग के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है।

10. गाँवों में आधारित संरचना का विकास सबसे पहले उल्लेखनीय घटना मानी जा सकती है। पक्की सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, डाक सेवा, बैंक और बाजार

व्यवस्था के विकास ने ग्रामीण लोगों को शहरी संसार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

11. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकासगत नियोजन के अन्तर्गत संस्थागत वित्त ने गाँवों की काया पलट दी है। अनेक ग्रामीण विकास तथा रोजगार प्रदायक कार्यक्रमों के माध्यम से 'गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार किया गया है।

12. ग्रामीण एवं महिला उद्यमशीलता का उल्लेख कम महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों ने बैंक ऋणों की सहायता से उद्योग लगाये हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान दिया है।

जब तक इस तरह के ग्रामीण उद्योग गाँव में विकसित नहीं हो जाते तब तक गाँव के स्वस्थ व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिये और वह भी उसके गांव या नजदीक के गाँव में। उन्हे यह उपलब्ध कराना संभव है और महाराष्ट्र की ग्रामीण रोजगार योजना का लक्ष्य भी यही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों के पास ऐसे निर्माण कार्यों की सूची होना चाहिये, जो गांव के लिये आवश्यक है और जिनका काम सभी हाथ से लिया जा सके, जब खेतों में काम नहीं होता। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत काम दैनिक मजदूरी के आधार पर चलाया जाना चहिये तथा इस मजदूरी की दर दैनिक मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिये। जिससे कृषि मजदूर अपना काम छोड़कर इस ओर आकर्षित नहीं होगा। इस योजना का लक्ष्य यह है, कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति केवल इसलिये भूखा न

रह जाए कि उसके करने के लिये कोई काम नहीं है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये प्रत्येक स्तर पर अनुकूल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएं। ग्रामों के आर्थिक विकास के लिये यह अनिवार्य है, कि विकास के कार्यक्रमों के पीछे ग्राम के भिन्न-भिन्न वर्गों और व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त हो और उनमें एकता है । लेकिन ऊँची जातियाँ और भूख, भूमिहीन धनी और गरीब वर्गो में विभाजित ग्राम समाज में स्वार्थो की एकता और विकास लक्ष्य का समर्थन और मतैक्य कठिन है। भारत के प्राचीन ग्राम समाज में भी सहयोग और एकता की परम्परा विद्यमान थी। लेकिन यह परम्परा ऊँची जातियों की श्रेष्टता और आर्थिक समानता और छोटी जातियों की हीनता और दरिद्रता की निर्विरोध स्वीकृति पर आधारित थी। वर्तमान जन-तांत्रिक और जन-समानता की राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा ने इस निर्विरोध स्वीकृति को छिन्न-भिन्न कर दिया है । आर्थिक और सामजिक समानता के प्रति विरोध और असंतोष को जन्म दिया है। ऐसी परिस्थिति में विकासोन्मुख प्राचीन सहयोग और एकता की परम्परा पर नए विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास नहीं किया जा सकता। अतः भारतीय ग्राम के वृहत जनसमुदाय को विकासोन्मुख करने के लिये नई स्थितियाँ, नई विचारधारा और नई समाज प्रणाली का निर्माण राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। जनतांत्रिक राज्य ऊँची जातियों और सम्पतिशाली वर्गो को लेकर ही ग्राम विकास के कार्यक्रम को नहीं चलाया सकता, साथ ही

साथ छोटी जातियों को निकृष्ट मानकार और गरीब वर्गों की उपेक्षा न कर जनतांत्रिक राज्य प्रणाली ही स्थायी रह सकती है, न ही विकास कार्यक्रम को ही समर्थन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार वर्तमान जटिल परिस्थितियों में विकास के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य पर है। इस कार्य को पूरा करने के लिये राज्य को निहित स्वार्थों वाले, सम्पत्तिशाली तत्वों के प्रभुत्व को नियंत्रित कर अधिकाधिक सामूहिक सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होना पड़ेगा।

पंचायतों ने जहाँ एक ओर न्यूनतम बुनियादी जरूरतों से सम्बन्धित सेवाओं को पूरा करने में अपनी कुशलता दिखाई है, वहीं अभी भी वे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। देश भर में फैली हमारी लाखों ग्रामीण पंचायतों के जरिए ऐसा आर्थिक सशक्तिकरण पूरी तरह संभव है बशर्ते वे स्थानीय साधनों के बंदोवस्त पर आधारित स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाये। इन्हे निचले स्तरों की विलयन क्षमता के हिसाब से तैयार किया जाये। पंचायती राज्य संस्थाओं के अलावा ऐसी कोई भी अकेली संस्था नहीं है, जो स्थानीय जरूरतों, स्थानीय उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय क्षमता को पहचानने में अधिक सक्षम हो। इसीलिये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को सीधे अथवा राज्य सरकारों के पंचायती राज्य विभागों के माध्यम से अपने को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने की जरूरत है, ताकि व्यापारिक संभावनाओं का पता लगाने के लिये आवश्यक सम्पर्क स्थापित किये जा सकें। ऐसे समाधानों

के लिये समुदाय के स्वतंत्र रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा कोई भी बेहतर एवं दक्ष माध्यम नहीं हो सकता, क्यों कि ये समुदाय भी एक समग्र सामाजिक तस्वीर दर्शाते हैं।

ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने की दिशा में यह पहला प्रयास नहीं है। विगत् वर्षों में हमारे प्रयत्न यदि अनियमित रहे और वर्तमान संभावनाएं अधिक आशाजनक दिखाई दे रही हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है, कि आजादी के बाद पहली बार नई दिल्ली में एक पंचायती राज मंत्रालय है, जो एक ओर पंचायतों के पारस्परिक सम्पर्कों में तालमेल के लिये काम कर रहा है,तो दूसरी ओर निजी तथा सार्वजनिक उद्यमों और पंचायतों के बीच समन्वय का काम भी कर रहा है । इसके अलावा सी.आई.आई. भी निजी उद्यमियों को प्रेरित कर रही है, कि वे पंचायतों को अपने भागीदार के रूप में देखें। ग्रामीण औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में पंचायती राज मंत्रालय के साथ भागीदारी निभाने के लिये लघु उद्योग और ग्रामीण कृषि उद्योग मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है।

3 (i) <u>पंचायतों का आशय एवं परिभाषा</u>

पंच परमेश्वर की अवधारणा भारत वर्ष में पंचायत की प्राचीनतम जड़ों को दर्शाती है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। सिन्धु घाटी की सभ्यता से जनप्रतिनिधियों द्वारा शासकीय कार्य सम्पादन के प्रमाण मिलते हैं। वैदिक काल में भी पंचायत व्यवस्था

प्रचलित थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार समस्त प्रजा के सामने समिति राजा का निर्वाचन करती थी, अथर्ववेद की विभिन्न ऋचाओं में भी सभा का उल्लेख मिलता है। प्राचीनकाल में ग्राम व्यवस्था एवं संगठन के लिये ग्राम पंचायत का विकास हुआ । मनुस्मृति में दर्शाया गया है कि राष्ट्र के अन्तर्गत कई देश और जनपद होते थे, ग्राम पंचायत सबसे छोटी किन्तु महत्वपूर्ण इकाई होती थी। गांधीजी का ग्राम स्वराज पंचायत राज का ही स्वरूप है **"माई पिक्च्चर आफ फ्री इंडिया"** में इस संबंध में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि "पंचायतों की शक्ति जितनी ज्यादा होगी, लोगों के लिये उतना ही बेहतर होगा। पंचायती राज स्थापित होने पर जनमत वह कार्य कर सकेगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। जमींदारों, पूंजीपतियों और राजाओं की मौजूद ताकत तब तक कायम रह सकती है, जब तक आम आदमी अपनी ताकत को नहीं पहचानता पंचायती राज में केवल पंचायत का हुक्म माना जाएगा।"[7]

प्राचीन यूनानी लेखक **'मेगस्थनीज'** ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में ऐसे संघों का वर्णन किया है – "जिसमें व्यक्ति की प्रधानता की जगह बहुमत की प्रधानता थी। " प्राचीन काल में ही पंचायत और पांच प्रमुख जैसी समान सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप प्रचलित रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम एक स्वावलम्बी,स्वयंपूर्ण और स्वशक्ति इकाई के रूप में विकसित हो सके । पांच जन प्रतिनिधियों की योग्यता के आधार पर नियुक्ति से जो संस्था गठित होती थी वहीं पंचायत कहलाती थी।[8]

भारतीय साहित्य में पंचायत शब्द को संस्कृत भाषा के पंचायतन से परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है, पांच आध्यात्मिक व्यक्तियों का समूह/स्वभाविक रूप से पांच शब्द विषम होने से निर्णय का मत एक पक्ष की ओर निश्चित हो पाएगा, भारतीय संस्कृति में पांच अंक का विशेष महत्व है । जैसे – पांच यज्ञ, पांच ऋण , पंच तत्व, पंच महाभूत, पंचमेवा आदि से स्पष्ट है। रामायण एवं महाभारत काल में भी पंचायत के भिन्न भिन्न स्वरूप प्रचलित थे । बौद्धकाल में ग्राम परिषदें होती थी, बौद्धकालीन साहित्य से स्पष्ट होता है, कि ग्राम परिषदों का प्रमुख काम ग्राम भूमि की व्यवस्था करना एवं शांति, सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना था। गुप्तकालीन युग में भी ग्राम का अपना स्वतंत्र संगठन था, जो ग्राम का संगठन, व्यवस्था व नियंत्रण करता था।

सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिये स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अनिवार्य है। लोकतंत्र का वास्तविक परिणाम स्थानीय शासन के द्वारा ही जनता के लिए प्राप्त हो सकते है। स्थानीय स्वशासन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई होती है, जिसमें जिला नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिये करते है।[9]

हैरॉल्ड जे0 लास्की के अनुसार, "हम लोकतंत्रीय शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब

तक कि हम यह न मान लें, कि सभी समस्याएं केन्द्रीय समस्यायें नहीं है और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए, जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते है।"[10] डी० टाक्विले ने भी स्थानीय स्वशासन के सन्दर्भ में लिखा है, "स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति स्थानीय संस्थाएं होती हैं। एक राष्ट्र स्वतंत्र शासन की स्थापना कर सकता है, किन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना स्वतंत्रता की भावना नहीं रह सकती है।" [11]

परिभाषाएंः–

संसद द्वारा संविधान में 73वां संशोधन 20 अप्रैल 1993 को किया गया जिसमें पंचायती राज अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या की गयी है –

1. **'खण्ड'** के अभिप्रेत है, किसी जिले का ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य सरकार धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन खण्ड घोषित करें।

2. **"सहकारी सोसायटी"** का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960(क्रमांक 17सन् 1961 में दिया गया है।)

3. **"जिला"** से अभिप्रेत है कोई राजस्व प्रशासन के लिये कलेक्टर के अधीन है।

4. **"निर्वाचन"** से अभिप्रेत है, पंचायत के पदाधिकारियों का निर्वाचन और उसके अन्तर्गत पदाधिकारियों का सहयोजन।

5. **''निर्वाचन कार्यवाहियों''** से अभिप्रेत है, किसी अभ्यर्थी के यथास्थिति निर्वाचन के सहयोजन के लिये उसके नाम निर्देशन से प्रारम्भ होकर ऐसे निर्वाचन या सहयोजन के परिणाम घोषित किये जाने तक की कार्यवाहियाँ।

6. **''कारखाना''** का वही अर्थ होगा जो उसे कारखाना अधिनियम 1948(1948 का संख्या 63) में दिया गया है।

7. **''ग्राम पंचायत''** से अभिप्रेत है, कि धारा 10की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई ग्राम पंचायत ।

8. **''ग्रामसभा''** से अभिप्रेत है, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र से भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक ग्रामवासियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय।

9. **''जनपद पंचायत''** से अभिप्रेत है, धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित जनपद पंचायत ।

10. **''स्थानीय पदाधिकारियों''** का वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1957(क्रमांक 3 सन् 1958) में दिया गया है।

11. **''सदस्य''** से अभिप्रेत है, यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत का कोई पंच किसी जनपद पंचायत का कोई सदस्य या किसी जिला पंचायत का कोई सदस्य ।

12. **"घृणोत्पादक पदार्थ"** के अन्तर्गत है पशुओं के शव, गोबर, कचरा मलमूत्रादि या सड़े हुए पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी ।

13. **"पदाधारी"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत का कोई पंच, सरपंच, या उपसरपंच किसी जनपद पंचायत का कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी जिला पंचायत का कोई सदस्य या उपाध्यक्ष ।

14. **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का प्रवर्ग ।

15. **"स्वामी"** जब उसका प्रयोग किसी भूमि या भवन के प्रति निर्देश से किया गया है, अन्तर्गत वह व्यक्ति है उस भूमि या भवन के किसी भाग का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लेखे या किसी व्यक्ति, सोसायटी के अभिकर्ता या न्यासों के रूप में अथवा व्यापक रूप में अथवा प्रापक के रूप में प्राप्त करता है।

16. **"पंच"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति कोई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत पंच।

17. **"पंचायत"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति कोई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत ।

18. **"पंचायत क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन किसी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र।

19. **"जनसंख्या"** से अभिप्रेत है, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किये जा चुके है।

20. **"अध्यक्ष और उपाध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति किसी जनपद पंचायत, जिला पंचायत या क्रमशः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ।

21. इस अधिनियम के उपबन्ध में **"विहित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है। ऐसा अधिकारों या प्राधिकारों जिले राज्य सूचना द्वारा उस उपबंध के अधीन विहित प्राधिकारों के कृत्यों का निर्वहन करने का निर्देश दें ।

22. **"सार्वजनिक व्यापार"** या सार्वजनिक मेला से अभिप्रेत है, धारा 58 के परन्तु के अधीन अधिसूचित यथास्थिति कोई बाजार या मेला ।

23. **"सार्वजनिक स्थान"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा स्थान, भवन या संरचना जो निजी संपत्ति नहीं है और जो जनता के उपयोग के लिए खुली है, चाहे ऐसा स्थान, भवन या संरचना पंचायत में निहित है अथवा नहीं है।

24. **"सार्वजनिक सड़क"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा सड़क, पगडंडी मार्ग, चौक, पटरी, या रास्ता जो

जनता द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग में लाया जाता है।

25. **''सरपंच''** और **''उपसरपंच''** से अभिप्रेत है, किसी ग्राम पंचायत का क्रमशः सरपंच और उपसरपंच।

26. **''स्थायी समिति''** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित यथास्थिति किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थायी समिति ।

27. **''राज्य निर्वाचन आयोग''** से अभिप्रेत है, राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 24 ट(1) के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग ।

28. **''कर''** के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई कर, उपकर, रेट या फीस।

29. **''ग्राम''** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा ग्राम जिसे राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए ग्राम के रूप में विर्निदिष्ट किया गया है और उसके अन्तर्गत है, इस प्रकार विर्निदिष्ट किये गये ग्रामों का समूह।

30. **''जिला पंचायत''** से अभिप्रेत है, धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन स्थापित जिला पंचायत ।

3(ii) **पंचायतों की आवश्यकता एवं महत्व**

भारतीय के संविधान की धारा 40 के अन्तर्गत राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिये प्रावधान करने और उन्हें ऐसे अधिकार व शक्तियां प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनसे वे स्वशासन की इकाईयों के रूप में काम करने योग्य हो सकें । निःसंदेह राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर लोकतंत्र का स्वरूप मजबूत भी हुआ है और इसकी महत्ता भी बढ़ी है, परन्तु यह बात ग्रामीण, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों के बारे में नहीं कही जा सकती । इसलिये वर्तमान संविधान संशोधन अधिनियम, इस उद्देश्य को पूरा करने का एक प्रयास है तथा यह विभिन्न समितियों द्वारा पहले की गई सिफारिशों और विभिन्न स्तरों पर हुई व्यापक चर्चाओं पर आधारित है।

जब तक गाँवों में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो सकेगा । पिछले वर्षों में दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर एक व्यापक आम सहमति उभरी है, तथा यह माना गया, कि ग्रामीण इलाकों का वास्तविक विकास केवल विकेन्द्रित नियोजन और क्रियान्वयन के जरिए ही हो सकता है तथा इसके लिये स्थानीय जनता का पूरा-पूरा सहयोग जरूरी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हम पंचायती राज संस्थानों को अधिकार प्रदान करने व वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिये वचनबद्ध हैं, ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास में लोगों की अधिकतम भागीदारी संभव हो सके।

स्थानीय निकायों का मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा इसीलिए हमने संविधान संशोधन करते समय अपने को केवल इन निकायों के थोड़े से, परंतु बुनियादी पहलुओं तक ही सीमित रखा। राज्यों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों में दखलंदाजी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने तो इस दिशा में शुरूआत भर की है, प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का ही है। उन्हें ही निर्णय करना होगा, कि ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को और क्या अधिकार प्रदान किए जाएं। विाभिन्नताओं वाले अपने इस देश में हम कोई कड़ी या समान पद्धति थोपना नहीं चाहते हैं।

निश्चित ही, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ प्राथमिक नियम तय किये गये हैं, जो स्थानीय शासन का आधारभूत ढ़ांचा या केन्द्रीय विशेषताएं बनेंगे। इस नियमों में एक स्पष्ट अवधि, लम्बी अवधि तक बर्खास्तगी के रूप में बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा, नियमित चुनावों का प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों व महिलाओं के उचित और सार्थक प्रतिनिधित्व तथा अधिकार, शक्तियां व पर्याप्त वित्तीय साधन प्रदान करने को शामिल किया गया है। बाकी काम पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के विकास में आने वाली एक प्रमुख रूकावट एक निश्चित अवधि के भीतर नियमित और नियतकालिक चुनावों का न होना रही है। इसलिये इन संस्थाओं का कार्यकाल अनिश्चित रहा है। इसीलिए पांच वर्ष की समान अवधि का प्रावधान किया है तथा इस अवधि की

समाप्ति से पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य होगा। किसी भी कारण से ऐसी संस्थाओं के भंग हो जाने की दशा में, राज्यों के लिए आवश्यक कर दिया गया है कि नई संस्था के गठन के लिये छह महीनों के भीतर चुनाव करवाएं । इससे इन संस्थाओं को स्थायित्व और बल मिलेगा तथा ये प्रभावशाली व मजबूत जन संस्थाओं के रूप में अपने आपको स्थापित कर पायेंगी। अधिनियम में वर्तमान में लागू किसी भी कानून में संशोधन करके पंचायतों को कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही भंग किए जाने पर रोक लगा दी गयी है। इस प्रकार ये संस्थाएं सामान्य रूप से पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर पायेंगी ।

समाज के कमजोर वर्गो की वास्तविक एवं सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अधिनियम में इन संस्थाओं में सभी तीनों स्तरों पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केवल सदस्य बने रहना कोई अर्थ नहीं रखता। इसीलिए इस अधिनियम में अध्यक्ष पद के लिये भी इन वर्गो के लिये राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। यह एक अनूठा प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर पर निर्णय करने में इन कमजोर वर्गो को उचित प्रतिनिधित्व देने में यह प्रावधान अत्यन्त ही प्रभावशाली सिद्ध होगा ।

हमारी आधी जनसंख्या महिलाओं की है । स्थानीय मामलों में उन्हें भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्षों के कम से कम एक तिहाई पद उनके लिए

आरक्षित रखे गये है। इन प्रावधानों से स्थानीय निकायों की संरचना में गुणात्मक परिवर्तन आयेगा तथा साथ ही साथ ये महिलाओं व कमजोर वर्गों को प्रगति व विकास में बराबर का हिस्सेदार बना पायेंगे ।

पंचायती राज संस्थानों का महत्व तब ही बढ़ सकता है जब उनके पास एक मजबूत वित्तीय आधार हो, जो उनको प्रदत्त अधिकारों व शक्तियों से मेल खाता है और फिर ये वित्तीय संसाधन इस संस्थाओं को अधिकार के रूप में मिलने चाहिए । इसी उद्देश्य से इस अधिनियम में अनिवार्य रूप से वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। एक वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग गठित करना होगा । तत्पश्चात् हर पांच साल की अवधि में इनका पुनर्गठन किया जायेगा । इन आयोगों का काम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इन संस्थाओं के संसाधन आधार को मजबूत बनाने के लिये सिफारिशें करना होगा ।

लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी समस्या के प्रति लोगों में विश्वास व सम्मान पैदा करने का एक महत्वपूर्ण कदम हुआ करते हैं । इसलिये राज्यों में एक निर्वाचन आयुक्त होगा, जो निर्वाचन संबंधी कार्यों की देखरेख, निर्देशन व नियंत्रण करेगा और मतदाता सूंचियाँ तैयार कराएगा तथा सभी पंचायत चुनाव कराएगा । चूंकि कई राज्य अपने अधिनियमों को संशोधित करने के बाद, अगले वर्ष पंचायत चुनाव कराएंगे, इसलिये शीघ्र ही राज्य

निर्वाचन आयोग के गठन के लिये आवश्यक कदम उठाना उचित होगा ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मानना था, कि आत्मनिर्भर गाँवों के द्वारा ही वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति संभव है । उनके अनुसार, **"स्वतंत्रता स्थानीय** स्तर से **प्रारंभ होना चाहिए।"** इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा । प्रत्येक के पास पूर्ण सत्ता एवं शक्ति होगी। इसका अर्थ यह है, कि प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना होगा,ताकि वह सम्पूर्ण प्रबन्ध स्वयं चला सके।[12] पंचायत राज के महत्व के संबंध में पं. नेहरू ने भी कहा था कि, **"पंचायत सरकारी इमारत की नींव है। यदि यह नीवं मजबूत नहीं होगी तो उस पर खड़ी हुई इमारत कमजोर होगी ।"**

भारत जैसे देश में जहाँ 75 प्रतिशत से भी अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो वहाँ पंचायत राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वतः सिद्ध एवं सर्वथा असंदिग्ध है। भारत का अति विस्तृत एवं ग्रामीण परिवेश आधारित भू-भाग, कल्याणकारी सरकार के अति विस्तृत कार्य एवं दायित्व, स्थानीय शासन के प्रति प्रतिबद्धता एवं कटिबद्धता आदि वे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो पंचायत राज को एक अति महत्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। पंचायत राज संस्थाएं राजनीतिक वैधता की प्रक्रिया में मौलिक भूमिका निभाती हैं तथा लोगों में भागीदारी एवं

सहयोग की भावना विकसित करने के अवसर प्रदान करती है।

4- भारत में पंचायती राज की पृष्ठभूमि

पंचायती राज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है । शासन की ऊपरी सतहों पर (केन्द्रीय तथा राज्य) कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता,जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएं एवं मूल्य शक्तिशाली नहीं हो । लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है, जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक पहुंचाता है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यों में अनवरत रूचि बनी रहती है, क्योंकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय पद्धति से समाधान कर सकते है। वे लोग अपने स्थानीय स्तर पर नियामकीय एवं वैकासिक कार्यों का सम्पादन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अतः इस अर्थ में पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय जनसामान्य को शासन कार्य में भागीदारी एवं हिस्सेदार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और इसी भागीदारिता की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ये स्थानीय जनप्रतिनिधि ही कालान्तर में विधानसभा एवं संसद का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते है। अतः पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्र को नेतृत्व उपलब्ध कराने में भी महती भूमिका निभाती है।

किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र का उन्नयन तभी संभव है जब स्थानीय स्तर से लेकर चोटी तक के शासन में सामान्य जन की सक्रिय भागीदारी हो। यह भागीदारी ही लोकतंत्र का मापदण्ड निश्चित करती है। यह सब पंचायती राज के सफल कार्य सम्पादन एवं क्रियान्वयन से ही संभव है।

स्थानीय स्वशासन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई होती है, जिसमें जिला, नगर या गाँव की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने अधिकार–क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक–कल्याण के लिये करते है।

वस्तुतः सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अनिवार्य हैं। **हैराल्ड लास्की** का मत है कि **"हम लोकतंत्रीय शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते, जब तक कि हम यह न मान लें, कि सभी समस्याएं केन्दीय समस्याएं नही है और उन समस्याओं को उन्ही स्थानों पर उन्ही लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिये, जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।"** [13]

भारत जैसे देश में जहाँ 75 प्रतिशत से भी अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो वहां पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वतः सिद्ध और सर्वथा असंदिग्ध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधुनिक भारत में ग्राम स्वराज के लिए ग्राम पंचायत के सबसे बड़े पक्षधर थे उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुऐ लिखा है, कि

"स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा । प्रत्येक के पास पूर्ण सत्ता और शक्ति होगी । इसका अर्थ यह है, कि प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना चाहिए, ताकि वह संपूर्ण प्रबंध स्वयं चला सके।"

अनेक विद्वानों द्वारा विचारित अध्ययन स्त्रोत यह स्पष्ट करते हैं, कि भारत में पंचायती राज की अति–प्राचीन पृष्ठ भूमि रही है, यद्यपि उसका स्वरूप पृथक–पृथक रहा है। भारत में पंचायत राज संस्थाओं के विकास की कहानी को सुविधाजनक ढ़ंग से समझने के लिये मुख्यतः निम्न कालांशो में विभाजित किया जा सकता है।–[14]

अ. प्राचीन भारत

ब. मध्ययुगीन भारत–सन्1882के रिपन प्रस्ताव से पूर्व तक

स. सन् 1882 से सन् 1919 तक ।

द. सन् 1919 से सन् 1947 तक ।

य. सन् 1947 से सन् 1959 तक ।

र. 2 अक्टूबर सन् 1959 से सन् 1993 तक तथा

ल. सन् 1994 से आज तक ।

अ– प्राचीन भारत

भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की परम्परा के लक्षणों को सुदूर अतीत में अन्वेषण किया जा सकता है।

वैदिक साहित्य, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, कौटिल्यीय अर्थशास्त्र, शुक्रनीतिसार जैसी अमर एवं विश्वश्रुत कृतियां विदित कराती हैं, कि प्राचीन भारत में किसी न किसी रूप में स्थानीय शासन विद्यमान रहा है।

वैदिक साहित्य में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संगठित व्यवस्था के कुछ संदर्भ यत्र–तत्र मिलते हैं। यद्यपि एकीकृत रूप में यह बताना कठिन है, कि वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन जैसे कार्यरत था। ग्राम संस्थाओं का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी स्पष्ट मिलता है। स्मृति ग्रंथों में भी स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का **'अर्थशास्त्र'** मौर्यकाल में प्रचलित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक ग्राम का शासक पृथक–पृथक होता है। ग्राम के शासन प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक ग्राम के अन्य निवासियों के साथ मिलकर अपराधियों को दण्ड देता था और किसी व्यक्ति को ग्राम से बहिष्कृत भी कर सकता था। कौटिल्य का मत था, कि 10 ग्रामों के मध्य **'संग्रहण'**, 200 ग्रामों के मध्य **'खार्वटिक'**, 400 ग्रामों के मध्य द्रोणमुख तथा 800 ग्रामों के मध्य 'स्थानीय' नामक स्थापनों की स्थापना की जाना चाहिए ।

ब. **मध्ययुगीन भारत :**

मध्यकाल में भी प्रत्येक ग्राम की एक सभा होती थी, जो अपने क्षेत्र में शासन का संपूर्ण कार्य संभालती थी। मुगलकालीन शासन व्यवस्था में भी पंचायतों का कार्य पूर्व की भांति चलता रहा। ग्रामों की स्वायत्तता तथा स्थानीय

प्रशासनिक संस्थाओं की अजस्त्र धारा 18वीं शताब्दी के मध्य में आते-आते प्रायः समाप्त हो गई थी। इस संदर्भ में प्रमुख कारण प्रारंभ में अंग्रेज शासकों का पंचायतों को नकारना रहा, क्योंकि उनको इन संस्थाओं के महत्व का ज्ञान नहीं था । किन्तु कालान्तर में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व की अनुभूति होने पर उन्होंने स्वयं इन संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए । अंग्रेज शासकों ने ग्रामीण स्वशासन के स्थान पर अधिकारी तंत्र को प्रोत्साहित किया ताकि भारतीय जनता का अधिकाधिक शोषण किया जा सके । वस्तुतः ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत गांवों की आत्मनिर्भरता की व्यवस्था नष्ट हो गई थी और इसलिये पंचायत व्यवस्था भी पूर्णतः शिथिल हो गई थी।

स. **सन् 1882 से 1919 तक :**

कालान्तर में अंग्रेज शासकों ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के प्रयास किए । इन प्रयासों में **वायसराय लार्ड रिपन** का सन् 1882 का प्रस्ताव उल्लेखनीय है, जिसके द्वारा ब्रिटिश शासन के अधीन समस्त गांवों तक कानूनी रूप से स्थानीय स्वशासन का विस्तार किया गया । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में नये अधिनियम पारित किये गये। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में नये अधिनियम पारित किये गये, किन्तु शक्तिशाली नौकरशाही ने इस प्रस्ताव को विफल कर दिया ।

द. **सन् 1919 - 1947 तक :**

इसके पश्चात् सन् 1907 में नियुक्त शाही विकेन्द्रीकरण आयोग ने भी पंचायतों को ग्रामीण प्रशासन एवं प्रबन्ध के लिये आवश्यक बताया, किन्तु आयोग के प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो सके । इसी श्रृंखला में भारत सरकार अधिनियम, 1919 निर्मित हुआ किन्तु धनाभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि विभिन्न कारणों से स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी । तत्पश्चात् सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के पश्चात् प्रान्तीय स्वायत्तता का श्री गणेश हुआ । देश में स्वतंत्रता की दिशा में एक शक्तिशाली पहल हुई जिसका स्थानीय संस्थाओं पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा जिला बोर्डो के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया तथा जिलाधीश को जिला बोर्ड का प्रमुख कार्याधिकारी नियुक्त किया गया । ऐसा कर दिये जाने से जिला बोर्ड परामर्शदात्री संस्था न रहकर एक प्रमुख प्रशासकीय संस्था बन गई।

य. **सन् 1947 से 1959 तक :**

स्वतंत्रता प्राप्ति के प्श्चात् भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक नये अध्याय का शुभारम्भ हुआ। 26 जनवरी, 1950को नवनिर्मित संविधान प्रवर्तित हुआ । संविधान ने स्थानीय स्वशासन को राज्यों की कार्यसूची के अन्तर्गत रखा और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कहा गया कि – **"राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का इस ढंग से संगठन करें, कि वे स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य कर सकें ।"**

सामुदायिक विकास कार्यक्रम :-

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिये भारत सरकार ने 2अक्टूबर, 1952 को **'सामुदायिक विकास योजना'** कार्यक्रम का शुभारम्भ किया । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य **'अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण'** करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यक्रम में जो कार्य निर्धारित किये गये थे, उनमें प्रमुख थे – अनजुती तथा उजाड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना, उन्नत कृषि उपकरणों की व्यवस्था करना, कृषकों तथा कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षण प्रदान करना, कुटीर उद्योगों जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देना, आवास प्रबन्ध करना, शिक्षा प्रबन्ध करना तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था करना आदि।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ–साथ उनके एक वर्ष के उपरान्त ग्रामीण पुनर्निमाण का एक अन्य कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसे **'राष्ट्रीय प्रसार सेवा'** का नाम दिया गया था। यद्यपि यह सामुदायिक कार्यक्रम की तुलना में कम लम्बा–चौड़ा था किन्तु दोनों के उद्देश्य लगभग समान ही थे ।

बलवन्तराय मेहता समिति :-

सामुदायिक विकास योजना एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा के कार्यक्रमों के अध्ययन हेतु बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में सन् 1953 में एक समिति गठित की गई। दिसम्बर, 1957 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में समिति ने सामुदायिक

विकास कार्यक्रम में असफलता का प्रमुख कारण लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव बताया । समिति का मत था कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए तथा विकास सम्बन्धी कार्यों को इन संस्थाओं को प्रदत्त कर देना चाहिए । मेहता समिति ने ग्रामीण स्थानीय सरकार के निर्माण के लिए एक श्रेणीबद्ध–स्तरीय व्यवस्था की अनुशंसा की, जो पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानी गई। ये त्रिस्तरीय है– ग्राम स्तर पर **'ग्राम पंचायत'**, मध्य स्तर पर **'पंचायत समिति'** तथा शीर्ष स्तर पर **'जिला परिषद'**।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जनवरी, 1959 में जिला तथा विकासखण्ड स्तर पर पंचायती राज की स्थापना का अनुमोदन किया, किन्तु साथ ही साथ उसने यह सुझाव भी दिया, कि प्रत्येक राज्य को ऐसी पंचायती राज व्यवस्था का विकास करना चाहिए, जो राज्य में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप हो।

2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया गया । इसी दिन आन्ध्रप्रदेश में भी पंचायती राज का शुभारंभ किया गया । अगले 3–4वर्षों में देश के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गयी ।

र. **सन् 1959 से 1993 तक :-**

सन् 1959 के पश्चात् लगभग एक दशक तक पंचायती राज की प्रगति की दिशा में भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों द्वारा कदम उठाये जाते रहे, किन्तु इसके पश्चात् पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रणाली के प्रति जो प्रारंभिक उत्साह था, वह ठंडा-सा पड़ता दिखाई देने लगा । केन्द्र में तत्कालीन नेतृत्व के अधीन राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिये प्रयास किए । फिर भी इस कार्य के प्रति उत्साह मंद पड़ गया। इसके बाद ठहराव का चरण (1965-69) आया। इस काल के दौरान हस्तान्तरित योजनाओं और कार्यक्रमों के संदर्भ में भी पर्याप्त वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया गया । वैसे स्वयं इन संस्थाओं ने भी अपने संसाधनों में वृद्धि के लिये उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। प्रशासकीय और राजनीतिक स्तरों पर भी इन संस्थाओं के कार्यकरण के प्रति उदासीनता दिखाई देने लगी। यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण ढांचा अस्तित्व में लाया गया, किन्तु व्यवहार में इसकी प्रभावशीलता सीमित रही । अंततः ये संस्थाएं मरणासन्न हो गई । इस प्रकार सन् 1969-77 का काल पंचायती राज संस्थाओं के लिये पतन का काल रहा ।

अशोक मेहता समिति -

सन् 1977 में कांग्रेस (आई) के स्थान पर केन्द्र में पदारूढ़ जनता सरकार स्थानीय स्तर के निकायों की शक्तियों एवं कार्यो को विकेन्द्रित करने की इच्छा कम थी । फलतः

उसने पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए सुझाव देने हेतु दिसम्बर, 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ।

समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी, कि पंचायती राज की द्वि-स्तरीय पद्धति का निर्माण किया जाए। राज्य स्तर से नीचे विकेन्द्रीकरण का पहला बिन्दु जिला है, जहां ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक उच्च कोटि का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है। जिला परिषद् के नीचे एक मण्डल पंचायत बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिसे कई गाँवों को मिलाकर बनाना था।

अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के आवश्यक अधिकार दिये जाने की सिफारिश की । समिति ने सुझाव दिया, कि इन संस्थाओं के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होना चाहिए । इस समिति ने देश में पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के आवश्यक अधिकार दिये जाने की सिफारिश की । समिति ने सुझाव दिया कि इन संस्थाओं के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होने पर चाहिए । अशोक मेहता समिति ने देश में पंचायती राज के आकार एवं स्थायित्व के निमित्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रकृति की अनेक सिफारिशें प्रस्तुत कीं, किन्तु रिपोर्ट के क्रियान्वयन के पूर्व ही जनता सरकार पतन हो गया । सन् 1980 में कांग्रेस (आई) सत्तारूढ़ हुई । उसको जनता सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं थी।

डॉ० जी.वी.के. राव समिति –

सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिन बातों पर विशेष जोर दिया गया, उसमें विकास और गरीबी निवारण की समेकित कल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि प्रभावी विकेन्द्रीयकरण के महत्व को इसने भी स्वीकार किया और इसे समर्थन देते हुए ग्रामीण स्थानीय सरकार के पुनर्गठन के तरीकों को सुझाने के लिये मार्च, 1985 में डॉ० जी.वी. के. राव की अध्यक्षता में एक अन्य समिति गठित की गयी। राव समिति की रिपोर्ट में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक साहसी योजना की सिफारिश की गई। इस योजना में जिला स्तर का निकाय केन्द्रीय महत्व का बनाया गया । समिति की सिफारिश थी कि नीति निर्धारण तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिये जिले को बुनियादी इकाई होना चाहिए । समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिये नियमित रूप से चुनाव कराने का भी सुझाव दिया ।

डॉ० एल० एम० सिंघवी समिति –

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलाप की समीक्षा करने और उनमें फिर से नवजीवन का संचार करने के सुझाव देने के लिये सन् 1987 में डॉ० लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी । प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की वृद्धि और विकास पर दृष्टिपात करने के पश्चात् सिंघवी समिति ने लगभग विस्मृत ग्रामसभा को पुनर्जीवित किया जिसमें गाँव के सभी निवासियों को सम्मिलित किया तथा इसे **'प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अवतार'** की संज्ञा की गयी । इस समिति ने ग्राम पंचायतों को अधिक

जीवंत और समर्थ –सक्षम बनाने के लिये गांवों के पुनर्गठन की सिफराशि की और इन संस्थाओं को अधिक वित्तीय संसाधन सुलभ कराने का सुझाव दिया ।

वस्तुतः अशोक मेहता समिति एवं अन्य समितियों की सिफारिशें मात्र कागजी बनकर रह गयीं, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, आंध्रप्रदेश व कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से नहीं कराये गये। पंचायती राज प्रणाली के अग्रवर्ती राज्य राजस्थान में भी सन् 1981–82, 1984–85 व 1988 में पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये गये ।

सरकारिया आयोग –

केन्द्र–राज्य सरकारों पर विचार करने के लिये नियुक्त सरकारिया आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की, कि बहुत सी स्थानीय स्वशासी संस्थाएं मुख्य रूप से इसलिये प्रभावी रीति से कार्य नहीं कर रही हैं, कि इन संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से नहीं कराये जाते हैं और उन्हें बहुत मामूली कारणों से निरस्त कर दिया जाता है। सरकारिया आयोग की राय थी, कि राज्यों में नियमित चुनाव कराने, निरस्त किये जाने की घटनाओं से बचने एवं समान कानून बनाने की आवश्यकता है।

उप समिति –

सन् 1988 में **श्री पी.के थुंगन** की अध्यक्षता में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय

सलाहकार समिति की उप समिति की नियुक्ति की गयी और उसे जिला स्तर की आयोजना के लिये जिले में किसी प्रकार राजनैतिक और प्रशासन व्यवस्था स्थापित की जाये, इस पर विचार करने का दायित्व सौंपा गया । समिति की यह राय बनी की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलना चाहिये। इस उपसमिति ने इन संस्थाओं के नियमित और समयानुसार चुनाव करने के लिये संवैधानिक व्यवस्था की भी सिफारिश की और कहा कि इनका कार्यकाल पाँच वर्ष होना चाहिए । समिति का विचार था कि जिला परिषद् को केवल आयोजना और विकास से ही सम्बन्धित होना चाहिए ।

अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में ग्रामीण विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य तथा विकेन्द्रीयकृत आयोजन के प्रसंग में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व पुनः अनुभव किया गया । तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा जिलाधीशों की कार्यशालाओं तथा पंचायती राज सम्मेलनों में ग्रामीण विकास तथा विकेन्द्रित आयोजन विषयों पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया और इसका सार रूप से निष्कर्ष रहा, कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को अधिक गतिशील बनाने तथा विकेन्द्रित आयोजन की सफलता के लिये पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है।

इस दिशा में गहन विचार–विमर्श करने से यह स्पष्ट होता है कि अभी तक पंचायती राज एक अनाथ बालक की भांति रहा है। यह केवल राज्य सरकारों की दया पर निर्भर रहा है। वस्तुतः पंचायती राज को यदि सशक्त बनाना है तो

सर्वप्रथम उसे संवैधानिक स्तर प्रदान करना होगा। उसके नियमित एवं अनिवार्य निर्वाचन की व्यवस्था करना होगी । संपूर्ण राष्ट्र में उसके स्वरूप की आधारभूत एकरूपता स्थापित कर उसके कार्यक्षेत्र को निश्चित करना होगा। इन सबके अतिरिक्त पंचायती राज के समुचित कार्यकरण एवं विकास सम्बन्धी कार्यों के समुचित सम्पादनार्थ उसे पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे ।

संविधान (64वां संशोधन) विधेयक 1989 –

इन सभी दिशाओं में सकारात्मक प्रयास करने हेतु सन् 1989 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 64वां संवैधानिक संशोधन संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया । इस विधेयक में प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गयी । इसका अपवाद सिर्फ 20लाख या उससे कम आबादी वाले राज्य थे, जिनमें मध्यवर्ती स्तर की पंचायत कायम करने को जरूरी नहीं माना गया था । उसमें यह प्रस्ताव भी था, कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को ऐसे अधिकार और सत्ता प्रदान करें, जिससे वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम कर सकें । विधेयक में उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये एक वित्त आयोग की नियुक्ति की भी व्यवस्था थी और पंचायतों के चुनावों के देख–रेख, उनके निर्देशन तथा नियंत्रण का दायित्व निर्वाचन आयोग को सौंपने की सिफारिश की गयी । लोकसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया ।

73वां संविधान संशोधन –

तत्कालीन पी.वी. नरसिंहराव सरकार ने राजीव गांधी **सरकार द्वारा तैयार पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित विधेयक संशोधित कर दिसम्बर,** 1992 में संसद से पारित करवा लिया। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 से लागू हो गया है। इस संविधान संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा है, जिसका शीर्षक **'पंचायत'** है। इसके द्वारा अनु.243 में पंचायतों से सम्बन्धित प्रावधान किये गये हैं, जिसमें 15 उप–अनुच्छेद हैं । इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

1. **'ग्राम सभा'** एक ऐसा निकाय होगा, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे । ग्रामसभा राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों को सम्पन्न करेगी ।

2. प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा।

3. राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों का गठन किया जायेगा।

4. प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति (एस.सी.) व अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के लिए सीटें आरक्षित होंगी । ये सीटें पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जायेंगी । ये सीटें एक पंचायत में चक्रानुक्रम (रोटेशन) से विभिन्न निर्वाचित

क्षेत्रों में आरक्षित की जायेंगी । एस.सी. व एस.टी. के लिये आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 एस. सी. या एस.टी. से सम्बन्धित महिलाओं के लिये आरक्षित होंगी । सभी स्तरों की पंचायतों के प्रमुखों के पद राज्य विधानमंण्डल द्वारा एस.सी./एस.टी. व महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेंगे । एस.सी. /एस.टी. के लिये आरक्षण अनुच्छेद 334 के साथ ही समाप्त हो जायेगा किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षण बना रहेगा ।

5. प्रत्येक पंचायत की कार्यावधि 5 वर्ष की होगी । इसकी कार्यावधि की समाप्त के पूर्व ही नये चुनाव कराये जायेंगे । यदि पंचायत को 5 वर्ष से पूर्व ही भंग कर दिया जाता है तो 6माह की अविधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराये जायेंगे ।

6. राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे जो कि उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्यरत बना सकें तथा जिनमें पंचायतें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाएं तैयार कर सकें तथा 11वी अनुसूची में समाहित विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें।

7. राज्य विधानमंडल पंचायतों को विनिर्दिष्ट कर, शुल्क, चुंगी एवं फीस लगाने एवं संग्रहित करने के लिये अधिकृत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार राज्य की

आकस्मिक निधि से पंचायत को पर्याप्त सहायता एवं अनुदान देगी ।

8. राज्यों के राज्यपाल इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर तथा इसके प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनें और समुचित सिफारिशें करने के लिये वित्त आयोग का गठन करेंगे । ये सिफारिशें राज्यों और पंचायतों के बीच राजस्व के वितरण एवं पंचायतों को राज्यों की संचित निधि से सहायता अनुदान आदि से सम्बन्धित होंगी । राज्यपाल इन सिफारिशों को इस व्याख्या के साथ कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये, राज्य विधान मण्डल में पेश करेगा ।

9. राज्य विधान मण्डल कानून के जरिये पंचायतों द्वारा खातों के लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का निर्माण करेगा।

10. राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त से संरचित राज्य चुनाव आयोग ही मतदाता सूचियों को तैयार करने में अधीक्षणा, निर्देशन एवं नियंत्रण रखेगा तथा वही पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करवायेगा ।

11. यह अधिनियम संविधान के अनु. 243(जी) द्वारा एक नयी 11वीं सूची जोड़ता है जिसमें निम्नलिखित 29 विषय सम्मिलित हैं –

(1) कृषि प्रसार सहित कृषि (2) भू-सुधार एवं मृदा संरक्षण (3) लघु सिंचाई, जल प्रबंध एवं जल संभर विकास (4) पशुपालन, दुग्धशाला एवं मुर्गीपालन(5) मत्स्य पालन (6)सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी (7) लघु वन उत्पाद(8) खाद्य संसाधन उपयोगों सहित लघु उद्योग (9) खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग (10) ग्रामीण आवास (11) पेयजल (12)ईंधन (13) सड़कें, पुलिया, सेतु, घाट, जलमार्ग एवं संचार के अन्य साधन (14) विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण (15) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत (16) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (17) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा (18) तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा (19) प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा (20) पुस्तकालय (21) बाजार एवं मेला (22) सांस्कृतिक क्रियाकलाप (23) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र तथा उपचार केन्द्रों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (24) परिवार कल्याण (25) महिला एवं बाल विकास (26) सामाजिक कल्याण विशेषकर अनुसूचितजाति का कल्याण (27)सामाजिक कल्याण, विशेषकर अनुसूचित जाति का कल्याण (28) जल वितरण व्यवस्था (29) सामुदायिक सम्पत्ति का अनुरक्षण।

73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का विवेचन करने पर ज्ञात होता है, कि यह संविधान संशोधन पंचायती राज संसथाओं के विकास में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं -

(1) अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान करने अनौपचारिक रूप से पंचायती राज को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता प्रदान की है। फलतः पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण इकाई बन गई है। अब कालान्तर में पंचायती राज संस्थायें राज्य सरकारों की शक्ति में महत्वपूर्ण भागीदार होंगी ।

(2) वस्तुतः पंचायती राज संस्थाओं का स्वस्थ विकास न होने का एक मुख्य कारण नियमित चुनाव न होना तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिये उनको निलम्बित करना रहा है। इस अधिनियम द्वारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव की बाध्यता तथा बीच में भंग होने पर 6 माह के अन्दर चुनाव कराने की व्यवस्था से आशा की जा सकती है कि, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की भावना को बल मिलेगा और वे लालफीताशाही के चंगुल से मुक्त होकर जन समस्याओं को समाधान कर सकेंगी ।

(3) इस अधिनियम ने पंचायतों के सम्बन्ध में पूरे भारत में एकरूपता ला दी है।

(4) इस अधिनियम द्वारा सार्वजनिक वित्त का दुरूपयोग रोकने के लिये राज्यों को अधिकृत किया गया है कि, वे पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण की व्यवस्था करें, क्योंकि पिछले वर्षो से चल रही जवाहर रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम सभाओं द्वारा धन के दुरूपयोग की गंभीर शिकायतें मिल रही है।

(5) इस अधिनियम में वित्त आयोग सम्बन्धी प्रावधान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों में निश्चितंता आयेगी और इन संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले वित्तीय संसाधन राज्य सरकार के प्रशासनिक निर्णय पर आधारित न होकर निश्चित सिद्धांतों से शामिल होंगे।

(6) इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है, कि इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और समाज के शोषित वर्ग के प्रतिनिधित्व को आरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया गया है। वस्तुतः एस. सी. एवं एस.टी. के लोगों के लिये तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थीं, किन्तु महिलाओं के संदर्भ में आरक्षण भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रथम बार किया गया है।

(7) इस अधिनियम में राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं । इसके द्वारा पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष रूप से एवं निश्चित समय पर कराये जा सकेंगे और पंचायती राज संस्थाएं क्रियाशील एवं जीवन्त रह सकेंगी ।

(8) संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा के अस्तित्व को वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है । फलस्वरूप ग्राम सभा, ग्राम-विधान मण्डल की तरह कार्य कर सकेगी।

(9) पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची द्वारा 29 विषय प्रदान कर तथा इनको कार्य करने के निश्चित विषय सौंपकर इन्हें अपने निचले स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने के अवसर प्रदान किये जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

उपर्युक्त सकारात्मक लक्षणों से युक्त होने पर भी इस संविधान संशोधन में निम्नलिखित न्यूनताएं परिलक्षित होती हैः–

1. संविधान संशोधन के तमाम प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों की स्वायत्तता पर विश्वास करते हुए उन्हें अधिकृत किया गया है, कि वे पंचायतों को शक्ति, धन तथा उत्तरदायित्व प्रदान करें । अतः संविधान संशोधन की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है, कि कहाँ तक केन्द्र तथा राज्य सरकारें संशोधन की भावना के अनुरूप जनचेतना से प्रेरित होकर उसे ईमानदारी–पूर्वक लागू करेंगी ।

2. महिलाओं के लिये पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर एक –तिहाई स्थान सुरक्षित किये गये हैं। यह व्यवस्था आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों वर्गों पर लागू होगी । किन्तु संशोधन मात्र से यह आशा करना भूल होगी, कि वास्तविक रूप से उपेक्षित महिलाओं को स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल पाएगा और उनमें नेतृत्व का विकास होगा। वस्तुतः महिलाओं में अल्प शिक्षा तथा सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से

इस प्रावधान के दुरूपयोग की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3. वित्त आयोग के गठन तथा राज्य के समेकित कोष से पंचायतों को धन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, किन्तु राज्यों के सीमित संसाधनों को देखते हुए यह कहना कठिन है, कि वे पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे पायेंगे ।

4. इस संविधान संसोधन में न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्य के स्थानीय समुदाय के अनुसार विभिन्नताओं की छूट देते हुए इस संविधान संशोधन में ग्रामीण न्यायालयों की संरचना और क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कर देना चाहिए था।

5. पंचायती राज संस्थाएं आर्थिक विकास की संवाहक तब तक नहीं बन सकतीं, जब तक कि योजना का निर्माण केन्द्र व राज्य सरकारों के स्तर पर ही होता रहेगा । अतः आवश्यकता इस बात की है कि, योजनाओं के निर्माण का प्रारम्भ स्थानीय स्तर से हो, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

6. कुछ आलोचकों का मत है, कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर राज्यों की शक्तियों में ही कटौती होगी न कि केन्द्र की शक्तियों में । अतः राज्य सरकार किसी भी रूप में अपने अधिकारों को

पंचायती राज संस्थाओं के साथ विभाजित नहीं होने देगी ।

ल. **सन् 1994 से वर्तमान तक –**

73वे संविधान संशोधन के अंतर्गत मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि अनेक राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं और इस नवीन व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं में नव जीवन का संचार भी हुआ है और ग्रामीण जन सामान्य में एक जोश भी दिखाई दे रहा है अधिनियम में किये गये प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे । सदियों से पुरूष प्रधान समाज में दबी हुई महिलाओं को आगे लाने में पंचायती राज संस्थाऐं महत्वपूर्ण कदम उठायेंगी, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है । इसके अतिरिक्त देश में संधात्मक शासन के द्वि–स्तरीय ढ़ांचे के स्थान पर एक त्रि–स्तरीय ढांचा भी स्थापित हो सकता है। जिला प्रशासन के स्थान पर जिला सरकार की राजनीति एवं लोक प्रशासन विशारदों की कल्पना वास्तव में साकार हो सकती है।

पंचायती राज संस्थाएं देश में सही मायने में लोकतंत्र के सार विकेन्द्रीकरण की स्थापना कर सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, राष्ट्र निर्माण, राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं । लेकिन यह सब तभी संभव

है, जब पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों का सकारात्मक सहयोग मिले । इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों एवं सामाजिक शक्तियों में आम सहमति भी पंचायती राज संस्थाओं के सफल कार्यकरण हेतु एक आवश्यक शर्त है।

संदर्भ–

1. ग्रामीण विकास धीमा क्यों,कुरुक्षेत्र–अक्टूबर –1991पृ.26
2. कृषि अर्थशास्त्र, बी.पी. त्यागी, जे.पी. प्रकाशन, मेरठ । पृ.428
3. भारत प्रगति की ओर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार । पृ.31
4. पंचायती राज, डॉ0 महिपाल । पृ.54
5. महात्मा गांधी, पंचायती राज दि थोट्स 1948 ।
6. बी.पी. त्यागी एवं हरसरन दास, रामा प्रकाशन, बड़ौत। पृ.138
7. डॉ0 मीनाक्षी पंवार, ग्रामीण विकास की विकेन्द्रित व्यवस्था । पृ.22
8. डॉ0 मीनाक्षी पंवार, ग्रामीण विकास की विकेन्द्रित व्यवस्था पृ.3
9. डे.एस.के. पंचायती राज–ए सिन्थीसिस, 1961, पृ 91
10. आशीर्वादम, एड्डी, राजनीति विज्ञान, एस. चाँद कम्पनी लि. नई दिल्ली, 1989 पृ.664

11. आशीर्वादम, एड्डी, राजनीति विज्ञान, एस. चाँद कम्पनी लि. नई दिल्ली, 1989 पृ.664

12. गांधी, एम.के., हरिजन, 29 जुलाई, 1946

13. हैराण्ड लास्की, स्थानीय स्वशासन । पृ.4

14. ग्राम विकास ज्योति, हैदराबाद । पृ.24

===============

===========

=======

===

अध्याय-2

शोध प्राविधि –

1. समस्या का चयन
2. अध्ययन का उद्देश्य
3. शोध प्रक्रिया
4. अध्ययन का क्षेत्र
5. अध्ययन की प्राविधि
6. समंको का संग्रहण
7. समंको का वर्गीकरण एवं सारणीयन
8. समंको का निर्वचन
9. अध्ययन की सीमाऐं

अध्याय - 2

शोध प्राविधि

जिज्ञासा मनुष्य का मूल स्वभाव है। अतः विलक्षण प्राकृतिक घटनाओं के प्रति उसकी उत्सुकता सदैव अतृप्त एवं लालायीत रही है। प्रारम्भ से ही मनुष्य इसके स्वरूप को जानने एवं समझने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा है, और अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के क्रम के अन्तर्गत ही उसके प्रारम्भिक ज्ञान में क्रमशः वृद्धि हुई है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शोध कार्य की उपयोगिता निरन्तर बढती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि असीम और आश्चर्य जनक प्रकृति एवं नवीन तकनीकि यंत्रों के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक क्षेत्र में भी एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। जहाँ वैज्ञानिक सिद्धान्तों को चुनौतियां दी जा रही है, और इनकी शाश्वतता खण्डित होती नज़र आ रही है । वहाँ सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सिद्धान्तो सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं में गहन परिवर्तन आना स्वभविक है। शोध कार्य का प्रायोजन वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों की खोज है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ-साथ संस्कृति एवं सभ्यता का निर्माता एवं पालनकर्ता भी है। आज मनुष्य के पास ज्ञान का विपुल भण्डार एवं विज्ञान का सहारा भी उपलब्ध है। इसी कारण

से वह विश्व के रहस्यों को ज्ञात करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। मानव अपने जीवन तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में घटित होने वाली अनेक घटनाओं को न केवल देखता है, बल्कि उनके घटित होने के कारणों को भी ज्ञात करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। मानव यह जानना चाहता हैं, कि ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार मानव प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। किसी समस्या के उचित समाधान के लिए आवश्यक है कि उसके विषय में गहन अध्ययन किया जाए। आधुनिक युग मे प्रायः सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याऐं उपलब्धता के आधार पर व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं । शोध प्रंबध का सम्पूर्ण कार्य उसके शोध अभिकल्प पर आधारित होता है। यह निश्चित करना की शोध कार्य हेतु किन प्रविधियों एवं पद्धतियों को अपनाया जाए। यह शोध की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, धन की उपलब्धता, समय एवं शोधार्थी की योग्यता पर आधारित होता है। सामान्यताः शोध कार्य के अध्ययन के लिए ऐसी प्राविधियों को उपयोग में लाया जाता है। जिससे कम से कम समय में कम प्रयासों द्वारा मितव्ययिता पूर्वक पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित किया जा सके। शोध के लिए संकलित कि जाने वाली सूचनाओं की शुद्धता, निष्पक्षता, और विश्वसनीयता पर भी शोध अभिकल्प के चयन के समय ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है। क्योंकि विभिन्न स्त्रोतों पर भी प्राप्त सूचनाओं पर भी शोध कार्य की व्यहारिकता एवं विश्वसनीयता आधारित होती है।

अनुसंधान को अंग्रेजी में **"रिसर्च"** कहा जाता है। रिसर्च के **'रि'** शब्द आवृति और गहनता का परिचायक है। जब कि **'सर्च'** शब्द खोज का सामानार्थी है इस प्रकार रिसर्च का आशय प्रदत्तों की तह मे बैठकर कुछ निष्कर्ष निकालना, नए सिद्धान्तों की खोज करना और उन प्रदत्तों का स्पष्टीकरण करना, अनुसंधान की प्रक्रिया के अर्न्तगत सम्मिलित किए जाते है।

"अनुसंधान" शब्द का उपयोग ज्ञान की प्रत्येक शाखा में गहन अध्ययन के लिए किया जाने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में **"शोध"** शब्द व्यक्तियों के लिए आज अपरिचित नहीं है। शोध – शब्द एक प्रकार से 'शुद्धि' अथवा 'संशोधन' का अर्थ प्रदान करता है। शोध का आशय ऐसे सत्य से है, जिनकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसी सत्य को बार–बार खोजने का भाव इसमें समाहित है। खोज का आशय ऐसी घटना से है। जो आकस्मिक नवीन ज्ञान उपलब्ध करती है जो मानव के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होता है।

मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। अपनी इसी प्रवृति के कारण मानव बहुत लम्बे समय से जगत् और समाज में छुपे, विभिन्न रहस्यों को ज्ञात करने का प्रयास करता रहा है। ऐसी बात नहीं है, कि मानव ने अपने प्रयासों से समस्त प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में सब कुछ ज्ञात कर लिया हो। अपने सम्पूर्ण प्रयासों के बाद भी मानव की खोज–मूलक प्रवृति आज भी जारी है, सच तो यह है कि अपने जीवन के चारों ओर की घटनाओं को समझने का जितना अधिक प्रयास करते हैं। हमारी जिज्ञासाएं

उतनी अधिक बढ़ती जाती है। मानव केवल एक जिज्ञासु प्राणी ही नहीं है, जो अपने चारों ओर विद्यमान घटनाओं का कारण जानने का प्रयास करता है, और उन नियमों की खोज करने में व्यस्त रहता है। जो हमारी सभी प्रेरणाओं एवं मनोवृत्तियों का वास्तविक आधार है। मानव की जिज्ञासा का आधार चाहे प्राकृतिक दशाएँ हो अथवा सामाजिक जटिलताऐं, इनसे सम्बधित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना तथा प्राप्त ज्ञान का सत्यापन करना ही शोध है।

रेड़मैन एवं मौरी के अनुसार ***"नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिये व्यवस्थित प्रयास को हम अनुसंधान कहते है।"*** [1]

जी.एम.फिशर के अनुसार ***" किसी समस्या को हल करने अथवा एक परिकल्पना की परीक्षा करने अथवा नवीन सम्बधों को खोजने के उद्‌देश्य से सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त कार्यविधि करना ही सामाजिक शोध है।"*** [2]

दि.न्यु.सेन्चुरी डिक्शनरी में अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि – ***"किसी वस्तु अथवा किसी विषय की सावधानीपूर्वक जाँच करना और साथ ही तथ्यों अथवा सिद्धान्तों का पता लगाने के लिये क़िसी विषय में लगातार सावधानी पूर्वक जाँच अथवा खोज करना।"*** [3]

श्रीमती पी.व्ही. यंग के अनुसार ***"सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है। जिसका उद्‌देश्य तार्किक तथा कमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों,***

अन्तः सम्बन्धों, कारक सहित व्याख्याओं तथा उन्हे संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। ” [4]

समाज विज्ञानों के विश्वकोष में **डोनाल्ड स्लेसिंगर** और **मेरी स्टीफेन्सन** ने अनुसंधान की व्याख्या करते हुये लिखा है कि – *“अनुसंधान ज्ञान के विस्तार, संशोधन अथवा सत्यापन के प्रयोजन के लिये वस्तुओं, प्रत्यायों और प्रतीकों का प्रहस्तन है। भले ही ज्ञान किसी सिद्धान्त की रचना करने में अथवा किसी कला के व्यवहार में लाभदायक हो। अस्तु कारीगर अथवा चिकित्सक यदि समस्त स्वतः चालित वाहनों अथवा किसी वर्ग के समस्त रोगियों के विषय में सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है, तो वह एक अनुसंधान कार्य करता है। ”* [5]

इसी प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान की स्पष्ट व्याख्या करते हुए **एफ.एन. कारलिंगर** ने कहा है कि, *“वैज्ञानिक अनुसंधान एक व्यवस्थित, नियमित, आनुवांशिक तथा सूक्ष्म अन्वेषण है। जिससे प्राकृतिक घटनाओं में व्याप्त अनुमानित सम्बन्धों का अध्ययन परिकल्पनात्मक तर्क वाक्यों के द्वारा किया जाता है।”* [6]

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है, कि – **“सामाजिक शोध”** *एक ऐसा प्रयास है, जिसके द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को सामने रखकर नये सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है। अथवा वर्तमान दशाओं के अर्न्तगत पुराने सिद्धान्तों की सत्यता को समझने का प्रयास किया जाता है।* इस प्रकार सामाजिक शोध एक जटिल प्रकिया है शोध कार्य की सफलता के लिये यह

आवश्यक है, कि एक शोधार्थी व्यवस्थित रूप से शोध की प्रमुख चरणों को ध्यान मे रखते हुये अपना शोध कार्य प्रारंम्भ करें ।

1 – <u>समस्या का चयन</u> :–

मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिये अनेक साधनों को अपनाता है। यदि किसी आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा ही समस्या है । ज्यों ही साधन उपलब्ध हो जाते है, बाधा दूर हो जाती है। और आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ ही समस्या का अन्त हो जाता है। इसे हम इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकते है।

<u>आवश्यकता – साधन–समस्या</u>

टाउन सेण्ड ने समस्या की परिभाषा देते हुऐ कहा है कि ***"समस्या तो समाधान के लिये प्रस्तावित एक प्रश्न है। वास्तव में जब किसी प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो समस्या उपस्थित हो जाती है वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य अनुसंधानकर्ता जिनकी अनुसंधान विधियाँ बहुत अधिक वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक है, तो चल राशियों के संबंध क्या है? इसी को समस्या मानते है।"*** [7]

एफ.एन. करलिंगर के अनुसार – ***"समस्या एक प्रश्न वाचक वाक्य अथवा विचरण है, जिसमें तो चल राशियों में संबंध ज्ञात किया जाता है ।"*** [8]

आर0 एल0 एकॉफ ने किसी समस्या के लिये निम्नलिखित पाँच तत्वों की उपस्थिति आवश्यक मानी है।

(1) अनुसंधान– उपभोक्ता तथा अन्य सहभागी

(2) उदेद्श्य

(3) उद्देश्य प्राप्ति के लिये अन्य साधन

(4) उपभोक्ता के अन्य साधन की उपयुक्तता के प्रति संदेह।

(5) समस्या से संबधित वातावरण।

समस्या या विषय के चयन में **एफ.एस.सी. नारथ्राप** का विचार है कि – **"शोध कार्य एक ऐसे जाहज की तरह है, जो किसी बन्दरगाह से दूर अन्त तक जाने के लिये अपनी यात्रा प्रारंम्भ करता है। यदि आरंम्भ में ही गन्तव्य की दिशा का निर्धारण करने में साधारण सी भूल हो जाये तो उसके भटक जाने की पूरी सम्भावना रहती है, चाहे वह जहाज कितना ही अच्छा क्यों न हो तथा उसका कप्तान कितना ही अच्छा नाविक क्यों न हो?"**[9]

विषय चयन के संबध में **आर.एल.एकॉफ** ने यहाँ तक कहा है, कि किसी समस्या का टीक से निर्धारण करना इसका आधा समाधान है। अर्थात विषय का चयन बहुत सोच–विचार कर, शोधकर्ता की स्वयं की कार्य क्षमता, समयावधि, प्रविधि आदि बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये।

ए.आइन्सटीन तथा **एन. इनफैल्ड** ने ठीक ही कहा है कि ***"समस्या का प्रतिपादन प्रायः इसके समाधान से अधिक***

आवश्यक है। भारत जैसे देश में जहाँ लगभग 70 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों मे रहती है। वहाँ पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वतः सिद्ध एवं सर्वथा असंदिग्ध है।"[10] भारत का अति विस्तृत एवं ग्रामीण परिवेश आधारित भू-भाग कल्याणकारी सरकार के अति विस्तृत कार्य एवं दायित्व, स्थानीय शासन के प्रति प्रतिबद्धता तथा कटिबद्धता आदि वे महत्वपूर्ण पहलू है, जो पंचायत राज का एक अति महत्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रतिस्थापित करते है। पंचायती राज संस्थाऐं राजनीतिक वैधता की प्रकिया में मौलिक भूमिका निभाती है। लोगों में भागीदारी तथा सहयोग की भावना विकसित करने के अवसर प्रदान करती है।

ग्रामीण जनता का शासन से अधिकाधिक प्रत्यक्ष और सजीव सम्पर्क स्थापित करने की दृष्टि से पंचायती राज एक उपयुक्त योजना है । ग्रामों की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो उनकी विकास की योजनाऐ ग्रामों में रहने वाले विवेकी एवं सामाजिक न्याय की मशाल थामने वाले पंचों एवं सरपंचों द्वारा बनाई जावे । स्थानीय प्रशासन द्वारा यर्थाथ बोध से ग्राम स्वराज लोकशक्ति जागृत हो लोकतन्त्र सम्प्रभुता सम्पन्न भारत के आधार भूत ग्रामों की ईकाई में लोकतन्त्र का स्वस्थ्य विकास हो, किसानों की झोपड़ियां जगमगाने लगे, आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो । गृह उद्योग फलने फूलने लगें । ग्रामों में शिल्पकारों, कर्मचारियों का शहर की ओर पलायन रूके । किसानों के श्रम का शोषण नहीं हो । स्थानीय प्रशासन के लिये ग्रामवासियों, पंचायती क्षेत्र के बीच से नेतृत्व उत्पन्न

हो और दायित्व सम्हालनें के योग्य बने तथा लोकतन्त्र कागज से निकलकर अपनी किरणों से दीनदुखी गरीबों को आलौकित करे। इस ग्रामीण विकास का आधार ग्रामीण आर्थिक विकास पर पूर्णतः निर्भर है । इसी को आधार मानकर शोघार्थी ने **"ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका (झाँसी एवम् ग्वालियर जिलो का तुलनात्मक अध्ययन)"** नामक समस्या का शोध हेतु चयन किया ।

2 अध्ययन का उद्देश्य :-

किसी भी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य अथवा प्रयास उद्देश्य पूर्ण ही होते है। इसीलिये स्वाभाविक रूप से शोध कार्य भी निरूद्देश्य नहीं हो सकता है। उद्देश्य विहीन किये गये किसी अध्ययन की कोई उपयोगिता नहीं होती है। सामान्यतया प्रत्येक शोध कार्य का उद्देश्य नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना, अज्ञात तथ्यों का पता लगाना और विशेष जानकारी हासिल करना इत्यादि होते हैं। कोई भी शोधार्थी शोध कार्य करने के लिये इस कारण से प्रभावित होता है, कि वह समाजिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक प्रकार से समझ सके। इसके अतिरिक्त शोध कार्य के दौरान नये सिद्धान्तों की खोज करना तथा उन्हे पुराने सिद्धान्तों के साथ समायोजित करना भी आवश्यक होता है। शोध कार्य के उद्देश्यों के संबंध में विभिन्न विद्धानों ने अपने मत व्यक्त किये हैं।

इस संबंध में डब्लू.पी. नीस्वैंगर ने लिखा है कि, **"उद्देश्यों का स्पष्ट विवरण आधारभूत महत्व रखता है, क्यों**

कि उससे यह निश्चित किया जा सकता है, कि कौन से समंक एकत्रित करने हैं, सम्बद्ध समंकों की क्या–क्या विशेषतायें है? किन संबंधों की खोज करनी है, किन प्रविधियों द्वारा अनुसंधान करना है, और अंतिम रिपोर्ट की विषय सामग्री की रूपरेखा क्या होगी।" [11]

टर्नी एवं रोब ने अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं–

भूत एवं वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना। चुनी गयी घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना। कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना। कुछ घटनाओं अथवा चरों में कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना। [12]

इसी प्रकार **राबर्ट बैसेल** एवं **एडवर्ड विलेट** लिखते हैं, कि ***"शोध कार्य का उद्देश्य यथा सम्भव शुद्ध रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए, इससे उचित सूचना का संग्रह सुनिश्चित हो जायेगा, और प्रसंगहीन आंकड़ों के संकलन एवं निर्वचन के व्यय और कष्ट से छुटकारा मिल जायेगा।"*** [13] इसलिये यह आवश्यक होता है, कि पहले से ही उद्देश्य निश्चित कर लिये जायें, जिसके बाद में उपस्थिति होने वाली अनेक समस्याओं से बचा जा सके, केवल आवश्यक समंक ही संकलित किये जा सकें तथा धन, श्रम एवं समय का सदुपयोग किया जा सके। इससे स्पष्ट है, कि शोध कार्य प्रारम्भ करते समय ही शोधार्थी के समक्ष उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये तथा उसके पश्चात् ही शोध कार्य को

आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये। प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1- शोधार्थी का एक उद्देश्य यह है, कि ग्राम पंचायतों को सौंपे गये उपर्युक्त कार्यो को झांसी एवम् ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायतें किस सीमा तक पूरा कर सकीं हैं ? यदि कार्यो को पूरा नहीं किया जा सका तो उनमें किसी स्तर पर कठिनाई आती है और उन्हे कैसे दूर किया जाता है ?

2- पंचायतों द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास हेतु किये गये विभिन्न कार्यो पर जिले की ग्रामीण जनता की क्या प्रतिक्रया रही है ?

3- पंचायत राज के फलस्वरूप ग्रमीण जनता में अपने आर्थिक विकास के लिये कितना उत्साह तथा विकास कार्यो में सहयोग देने की भावना कहाँ तक जागृत हुई है ?

4- शोधार्थी का उद्देश्य पंचायती राज प्रशासन के क्रियाकलापों का अध्ययन कर इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करना होगा, कि नये पंचायती राज अधिनियम द्वारा गठित त्रिस्तरीय पंचायतों के क्रियाकलापों द्वारा ग्रामीण जनता को पहले की अपेक्षा कितनी राहत मिली है।

5- झांसी एवम् ग्वालियर जिले में नये पंचायती राज अधिनियम द्वारा गठित पंचायतों का क्रियाकलाप कैसा चल रहा है, तथा पचांयती राज प्रशासन के समक्ष

अभी भी कौन–कौन सी समस्याए विद्यमान है, उनका पता लगाना है।

6– लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिल सकी है पंचायती राज प्रशासन को इस आदर्श की प्राप्ति में कौन–कौन सी प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन सभी बातों का अध्ययन करना शोघ का उद्देश्य है ।

7– ग्रामीण विकास में उभरते प्रतिमानों का विभाजन करना।

8– ग्रामीण विकास के निर्धारक कारकों की समीक्षा करना।

9– ग्रामीण विकास की अभिनव प्रवृतियाँ का पता लगाना।

10– ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीण अंचल के व्यक्तियों के ज्ञान दृष्टिकोण तथा व्यवहार का विश्लेषण करना। ग्रामीण विकास में उनके सकारात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना।

3. **<u>शोध परिकल्पना</u>** :–

'परिकल्पना' का शाब्दिक अर्थ है पूर्व–चिन्तन। यह अनुसंधान की प्रकिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण हैं। इसका आशय यह है, कि किसी समस्या के विश्लेषण और पारिभाषीकरण के पश्चात् उसमें कार्य–कारण के संबंध में पूर्व–चिन्तन कर लिया गया है, अर्थात् इस समस्या का यह कारण हो सकता है। यह निश्चय करने के पश्चात् इसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। अनुसंधान–कार्य इस परिकल्पना

के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। **फ्रांसिस बेकन** आदि का विश्वास था कि ज्यों ही समस्या की जानकारी हो जाती है, उसके लिये परिकल्पना का निर्माण हो जाना चाहिये, किन्तु बिना पूर्णरूप से विचार किये शीघ्रता में बताई गई परिकल्पना व्यर्थ होती है, तथा समय और श्रम नष्ट होता है। अतः सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि समस्या का उचित रूप से विश्लेषण किया जाये, सावधानी से उसे परिभाषित किया जाये। और तब परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाये।

शोध परिकल्पना का निर्माण और उसकी जाँच करना शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो शोध के प्रारंभिक चरण में यदि शोधार्थी एक सुदृढ़ परिकल्पना को निश्चित कर चुका है, तो यह शोधकार्य के लिये मील का पत्थर साबित होगी। एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है, जिसके सहयोग से सत्य की खोज में आगे कदम बढाया जा सकता है । शोध परिकल्पनाओं का कार्य उन दशाओं को स्पष्ट करना, साथ–साथ उन क्रियाओं को ज्ञात करना है,। जिनका उपयोग करते हुए शोधार्थी शोध से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों का उत्तर दे सके। शोध परिकल्पना एक ऐसा पूर्वानुमान है, जिसे एक पूर्व निष्कर्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु यह अनिवार्य नहीं है, कि यह पूर्वानुमान सत्य हो। इस प्रकार परिकल्पना का एक सामायिक तथा कामचलाऊ निष्कर्ष है, जिसका परीक्षण करना शेष रहता है।

गुड्डे एवं हॉट के अनुसार "शोध परिकल्पना सिद्धान्त और शोध के मध्य एक आवश्यक कड़ी है, जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज करने में सहायक होती है" [14]

बोगार्डस के अनुसार " शोध परिकल्पना परीक्षण के लिये प्रस्तुत की गई एक मान्यता है" [15]

सी.वी. गोड एण्ड **डी.ई. स्केट्स** के अनुसार – "परिकल्पना एक अनुमान है, जिसे अंतिम अथवा अस्थाई रूप में किसी निरीक्षक तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जिसके अन्वेषण को आगे मार्ग दर्शन प्राप्त होता है।" [16]

प्रस्तुत शोध प्रबंध में आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुये शोधार्थी ने अपना शोध कार्य किया है। शोधार्थीी द्वारा निम्नलिखित शोध परिकल्पना अपने अध्ययन में अपनाई गयी हैं–

1– ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो की सूची उपलब्ध रहती हैं इस सूची में से गरीब व्यक्तियों को चुनकर विशेष रूप से निर्धनता के सबसे निचले स्तर पर स्थित व्यक्तियों की आय में वृद्धि करना।

2– पंचायतों के द्वारा सभी के लिये शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अवधारणा को सार्थक बनाना।

3– ग्राम पंचायतो विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था

करना तथा शिक्षा का व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है।

4– ग्राम पंचायत कम पूंजी से प्रारंभ होने वाले व्यवसायों के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती हैं।

5– पंचायतों के द्वारा भेजी गयी सूची के अनुसार चुने गयें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये संसाधन उपलब्ध कराना।

6– पंचायतों द्वारा भेजी गयी सूची अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा कर शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकना।

ग्राम पंचायतो के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि कोण से शक्तिशाली बनाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा करना।

4. <u>अध्ययन का क्षेत्र</u> :–

शोध विषय के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना भी आवश्यक हैं। सामाजिक शोध में शोधार्थी के लिये अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करतें समय शोधार्थी को विषय की उपयोगिता तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्णय लेना होता है, असीमित, त्रृटिपूर्ण एवं अस्पष्ट अवधारणायें शोध

कार्य को जटिल और अनिश्चित बना देती है, जिससे न तो विषय का पूर्ण अध्ययन ही किया जा सकता है तथा निकाले गये परिणाम वास्तविकता से दूर होतें है इसके लिये ये आवश्यक होता है कि वह अपने शोध विषय का अध्ययन का क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित कर ले।

अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कर लेने से संकलन में सुविधा ही नही, बल्कि शोध कार्य एक निश्चित समय में पूरा कर लेने में सहायता प्राप्त होती है। शोध कार्य का क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, तो एक निश्चित समय के अंदर शोध कार्य को पूर्ण कर पाना दुष्कर हो जायेगा, और अध्ययन क्षेत्र अत्यंत छोटा एवं संकुचित होगा, तो निकाले गये निष्कर्षो की सत्यता संदेह के घेरे में आ जायेगी। इसलिए शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र ऐसा होना चाहिये, जिससे शोधार्थी अपने पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता से शोधकार्यो को एक निश्चित समय के अन्दर पूर्ण कर सके। इस सम्बन्ध में **कार्ल पियर्सन** का कथन है, कि ''शोध का क्षेत्र वास्तव में असीमित है, तथा इससे सम्बन्धित विषय सामग्री भी अनन्त है इसका तात्पर्य यह है,कि प्रत्यक घटना, जीवन का प्रत्येक पक्ष, अतीत एवं वर्तमान का प्रत्येक स्तर शोध कार्य के लिये जीवित विषय सामग्री प्रस्तुत करता है'' [17]

श्रीमती पी.व्ही.यंग ने सामाजिक शोध के अध्ययन क्षेत्र को कुछ प्रमुख भागो में विभाजित करके स्पष्ट किया है। यह प्रमुख भाग निम्नलिखित है–

1– सामाजिक जीवन की संरचना तथा प्रकार्यो से सम्बन्धित शोध एवं नये सिद्धान्तों के प्रतिपादन से संबंधित शोध

2– पुराने सिद्धान्तों के सत्यापन से सम्बन्धित शोध ।

3– द्वितीयक तथ्यों पर आधारित शोध ।

4– प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित शोध ।[18]

प्रस्तुत शोध का विषय, ''ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका (झाँसी एवम् ग्वालियर जिले का तुलनात्मक अध्ययन)'' पंचायत राज का विश्लेषण ही मुख्य रूप से शोधार्थी के अध्ययन का क्षेत्र है । 4 तहसीलों से मिलकर ग्वालियर जिले का निर्माण हुआ है एवं 5 तहसीलों (झांसी, मौठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरोली) से मिलकर झांसी जिला का निर्माण हुआ है । स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के कार्यक्रमांक के माध्यम से झांसी एवम् ग्वालियर जिले में ग्रामीण विकास कार्य सम्पन्न हुए । पंचायतों के द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए कार्यो को सम्पन्न करने में ग्रामीण जनता का वांछित सहयोग न मिलने के कारण वांछित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ । इस हेतु ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आर्थिक विकास के कार्यक्रमांक के सफल क्रियान्वयन में सामुदायिक विकास प्रशासन की भूमिका का अध्ययन किया गया है। पंचायती राज प्रशासन के द्वारा आर्थिक विकास कार्यकमों के कियान्वंयन में कौन–कौन सी बाधाएं आई जिनके कारण उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसका भी अध्ययन किया गया है। मध्यप्रदेश एवं

उत्तरप्रदेश के पुर्नगठन के बाद मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पारित विभिन्न पंचायती राज प्रशासन द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास के लिये विभिन्न ग्रामीण विकास से संबंधित विभागों द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं, उनसे ग्रामीण जनता को लाभ हो रहा है या नहीं ? इसका भी अध्ययन किया गया है, झांसी एवम् ग्वालियर जिले में नये पंचायती राज अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं तथा उन्हे दूर करने के उपायों पर विचार किया गया है।

5 **अध्ययन की प्राविधि** :-

शोध प्रक्रिया समस्या के स्वरूप पर आश्रित होती है। सामन्यतया हम शोध कार्य के माध्यम से ही समस्या की गहराई तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा समस्या का उचित निर्वाचन करने के उद्देश्य से आवश्यक समंकों के वैज्ञानिक संकलन की क्रिया को ही शोध प्रक्रिया कह सकते हैं अथवा शोध पद्धति केवल उन समस्याओं से संबंधित होती है,जिनका संख्यात्मक विश्लेषण किया जाना संभव हो सके।

शोध पद्धति एक व्यापक एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, शोध पद्धति के अन्तर्गत आयोजन से लेकर अंतिम प्रतिवेदन तैयार करने तक उसके विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे शोध का कार्यक्षेत्र, शोधकार्य का उद्देश्य, समंकों का संकलन, सारणीयन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन तथा वास्तविकता के स्तर को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य की एक स्पष्ट रूपरेखा बना ली

जाती है। इसके पश्चात् शोध कार्य से संबंधित समंकों को उपयुक्त विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है। यदि समंकों के संकलन में कुछ अशुद्धियाँ हों, तो इन अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है, इसके पश्चात् समंकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। संकलित समंकों का उचित विश्लेषण करने के लिये उन्हें सारणी में प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात् विभिन्न गणितीय मापों के माध्यम से उनका विश्लेषण किया जाता है और इस विश्लेषण के आधार पर संकलित समंकों से उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसके पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं। शोध प्रक्रिया की सफलता इस बात पर आश्रित होती है कि शोधार्थी समस्या के प्रति कितना गम्भीर है तथा उसके प्रति कितनी रूचि प्रदर्शित करता है ।

जब कोई शोध कार्य प्रारम्भ करता है, तो उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होता हैं, और इन उद्देश्यों को उसी दशा में प्राप्त किया जाता है, जबकि शोध कार्य योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित ढ़ंग से शुरू किया जाये। इस नियोजित तथा योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गयी रूपरेखा ही शोध प्रक्रिया कहलाती है। शोधकार्य एक शैक्षणिक गतिविधि है, यह अज्ञात से ज्ञात की ओर एक खोज यात्रा है। इस प्रकार शोध कार्य एक उद्देश्यपूर्ण क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में समस्याओं का उचित समाधान किया जाता है।

सामाजिक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सर्वप्रथम किसी घटना अथवा समस्या से संबंधित मूलभूत तथ्यों का

अवलोकन करते हैं,इस अवलोकन के आधार पर किसी घटना विशेषज्ञ के कार्य परिणाम सम्बन्धों को स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रयत्नों के लिये एक पूर्व लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तथा इसी लक्ष्य के आधार पर नवीन सिद्धांतों की खोज की जाती है, अथवा विद्यमान परिस्थितियों के अन्तर्गत परम्परागत सिद्धान्तों के औचित्य का परीक्षण किया जाता है। सामाजिक शोध की प्रकृति चाहे जो भी रही हो, परन्तु उसके लिये जब तक वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक प्राप्त निष्कर्षों को शोध का दर्जा नहीं मिलता है । इस प्रकार सामाजिक शोध एक जटिल प्रक्रिया हैं।

शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह निश्चित कर लिया जाता है कि शोध पद्धति क्या रहेगी ? चयनित विषय "ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका (झांसी एवम् ग्वालियर जिले का तुलनात्मक अध्ययन)" मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित रहेगा। शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, जानकारी एवं समंक आदि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से संग्रहित किये जावेंगे। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इसमें दार्शनिक पद्धति का उतना महत्व नहीं है, जितना कि ठोस वैज्ञानिक तथ्यों एवं तर्को पर आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों का है। यद्यपि वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग की अपनी सीमाऐं हैं परन्तु आधुनिक युग में वस्तुपरकता लाने के लिये जितनी मात्रा में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है, उतना किया जा रहा है। इस विशलेषण में शोधार्थी का यह प्रयास रहेगा, कि समान सांख्यिकी

सूचनाओं को एक ही स्थान पर रखकर परिणाम निकाले जावें। जिससे यह भ्रम उत्पन्न न हो कि परिणामों की पुष्टि करने हेतु ही सूचनाओं को आधार बनाया गया है। विभिन्न अधिनियम, नियम, प्रतिवेदन, कार्यालय पत्राचार आदि तथा पंचायती राज के ऐतिहासिक विकास से संबंधित लिखित संबंधित लिखित सामग्री तथा इसके अलावा बड़ी संख्या में विभिन्न समाचार–पत्र, पत्रिकाओं, प्रकाशित, अप्रकाशित, विभिन्न शोध एवं विभिन्न लेखों को भी अध्ययन सामग्री में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र के ग्वालियर जिले में 299 ग्राम पंचायतें हैं उसका 20 प्रतिशत प्रतिदर्श के लिये चुना गया है और उनके पंचों से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की जायेगी। इस प्रकार पांच जनपद पंचायत अध्यक्षों से सम्पर्क स्थापित कर जानकारी एकत्रित की गई और बाद में ग्वालियर जिले के जिला पंचायत से सम्पर्क स्थापित कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान लिये सुझाव एकत्रित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर पदस्थ शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित कर जानकारी एकत्रित की गई हैं।

अध्ययन क्षेत्र के झांसी जिले में इन पंचायतों को क्षेत्र पंचायत के नाम से जानते हैं। उनके पदाधिकारियों एवं अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर जानकारी एकत्रित की गई है। साथ ही साथ प्रश्नावली, साक्षात्कार, विधि आदि को अपनाया गया है। पंचायती राज सस्थाओं के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के

माध्यम से सामग्री एकत्रित की गई है। यद्यपि शोध कार्यो में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है परन्तु शोधार्थी का यह प्रयास रहेगा कि प्रमाणित जानकारी के आधार पर सार्थक, विश्वसनीय, तथा सत्य निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकें।

समंक संकलन शोध संरचना का सबसे महत्वपूर्ण चरण शोध प्रबंध संबंधी व्यापक कार्य योजना बना लेने के पश्चात उचित विधि द्वारा समंको को एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। समंको के संकलन के अन्तर्गत विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता से शोधार्थी अपने विषय से संबंधित समंकों को एकत्रित करता है शोधार्थी को अध्ययन विषय से संबंधित समंको का संकलन करने में अत्यन्त सावधानी वरतना आवश्यक है, क्यों कि इन्ही संकलित समंकों के आधार पर शोध कार्य के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वास्तविक समकों के आभाव में सामजिक शोध वास्तव में एक अपंग प्राणी की भांति है शोध कार्य की सफलता इस बात पर आधारित है कि शोधार्थी अपने अध्ययन विषय के संबंध में कितनी वास्तविक सूचनाओं और समंको को संकलित करने में सफल होता है। यह सफलता सूचना प्राप्ति के स्त्रोतों पर आधारित है।

समंक संकलन से अभिप्राय उन समस्त समंकों सूचनाओं को एकत्रित करने से है, जो विभिन्न विधियों के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से संकलित किये जाते हैं। समंकों का संकलन शोध की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य तथा धन समय पर आधारित रहता है। शोध प्रकिया के इस

प्रथम सोपान पर आवश्यक तथ्यों तथा समंकों का संकलन साक्षात्कार, व्यक्तिगत निरीक्षण, अनुसूची एवं प्रश्नावली आदि विभिन्न विधियों से किया जाता है। शोधार्थी को निष्पक्ष, वास्तविक तथा सही सूचनाऐं प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाना भी आवश्यक होता है, जिससे उत्तरदाता बिना किसी संकोच के निष्पक्ष एवं सही जानकारी प्रदान क़रने के लिये तत्पर हो जाये। उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी शुद्ध एवं निष्पक्ष है अथवा नहीं यह ज्ञात करने के लिये समय–समय पर प्राप्त जानकारी तथा सूचनाओं की विश्वसनीयता का परीक्षण करना आवश्यक है, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी तथा संस्थागत एवं अप्रकाशित अभिलेखों, पुस्तकों एवं कार्यालयीन अभिलेखों से भी सूचनाऐं एकत्रित करना आवश्यक है ।

जे0 गाल्टन के अनुसार " सामाजिक अध्ययनों में सामग्री संकलन का तात्पर्य केवल उन्ही तथ्यों के एकत्रित करने से है, जिन्हे अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सके, ये तथ्य चाहे दृश्य हो अथवा निहित। " इसका तात्पर्य यह है, कि सामाजिक विज्ञानों में अन्य सभी विज्ञानों के समान आकड़े तथा सामग्री हमारी अवलोकन करने की चेतना पर निर्भर होते हैं। [19]

सामान्य व्यक्ति के लिये समंक संख्याएं मात्र होती है, किन्तु कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त संख्याओं को ही समंक कहा जाता है। समंक शोध के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है, जिन्हे एक–दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

हॉरेस सेक्राइस्ट के अनुसार, "समंक से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से है, जो अनगिनित कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किये जाते है, एक उचित मात्रा के अनुसार गिने अथवा अनुविभागीय किये जाते है, किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिये व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किये जाते हैं।"[20]

वेवस्टर ने अपने शब्दकोष में लिखा है, कि "समंक किसी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है, विशेष रूप से वे तथ्य जिन्हे संख्याओं में सारणीकृत या वर्गीकृत अवस्था में प्रस्तुत किया जा सके।"[21]

शोधार्थी द्वारा संग्रहित सामग्री जितनी अधिक विश्वसनीय होती है। अध्ययन के द्वारा उतने ही अधिक वैज्ञानिक और उपयोगी निष्कर्ष निकालना संभव हो जाता है। इसलिये आवश्यक है, कि समंक संकलन में पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुये बगैर सावधानी से समंक एकत्रित किये जाये। समंक प्रायः दो प्रकार के होते है :-

(अ) प्राथमिक समंक (ब) द्वितीयक समंक

(अ) **प्राथमिक समंक** :-

प्राथमिक समंक से आशय, जो शोधकर्ता द्वारा पहली बार निश्चित योजना के अनुसार आरंभ से अंत तक एकत्रित किये जाते हैं। प्राथमिक समंक वे हैं जिन्हे शोधार्थी अपने उपयोग में लाने के लिये प्रथम बार एकत्रित करता है। प्राथमिक समंकों के अभाव में किसी भी शोध कार्य के

विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जिसका आशय यह नहीं, कि द्वितीयक समंक किसी शोध कार्य को सम्पादित कराने में सहायक नहीं होते हैं।

प्राथमिक समंकों को परिभाषित करते हुये **ग्रेगरी** ने लिखा है, कि"प्राथमिक समंक वे है, जिन्हे प्रथम बार एक विशेषज्ञ सांख्यिकीय अनुसंधान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संग्रहित किया जाता है। "

प्राथमिक समंकों के बारे में **श्रीमती पी.व्ही.यंग** ने राय व्यक्त की है, कि "प्राथमिक समंक प्रथम स्तर पर एकत्रित किये जाते हैं, तथा इनके संकलन एवं प्रकाशन का उत्तरदायित्व इसके प्रारंभिक अधिकारी के अधीन होता है।"[22]

पीटर एच.मैन के अनुसार " प्राथमिक स्त्रोत हमें प्रथम स्तर पर संकलित की गई तथ्य सामग्री प्रदान करते है, अर्थात जिन व्यक्तियों ने उनको एकत्रित किया है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के मौलिक स्वरूप हैं। "[23]

प्रस्तुत शोध प्रबंध के लिये एक निश्चित सीमा तक प्राथमिक समंकों का उपयोग किया गया है, जिससे **"ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका (झांसी एवम् ग्वालियर जिलों का तुलनात्मक अध्ययन)"** विषय से संबंधित परिशुद्ध एवं विश्वसनीय समंक प्राप्त हो सके। मौलिक, शुद्ध एवं विश्वसनीय समंकों के आधार पर ही विषय से संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है।

(ब) <u>द्वितीयक समंक</u> :-

द्वितीयक समंक से आशय उन समंकों से होता है, जो पूर्व में ही अन्य संस्थाओं अथवा व्यक्तियों द्वारा संग्रहित एवं प्रकाशित किये जा चुके हैं।

द्वितीयक समंकों के संबंध में **रॉबर्टसन एवं राईट** ने कहा है, कि "वे समंक जिनका किसी अन्य उद्देश्य हेतु पहले से ही लेखन कर लिया गया हो, परन्तु उनको अब किसी अनुसंधान कार्यक्रम में प्रयुक्त किया जा रहा है, उन्हे द्वितीयक समंक कहते हैं।"[24]

जी.ए.लुण्डबर्ग के अनुसार "द्वितीयक स्त्रोत शोध के लिये मूल्यवान महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामग्री प्रदान करते है तथा उसके अनुसंधान के घटे हुये अथवा अधूरे कार्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। द्वितीयक स्त्रोत वे स्त्रोत है, जिनमें प्रकाशित अथवा अप्रकाशित लेखा अथवा समस्त लिखित सामग्री सम्मिलित हैं।"[25]

किसी भी शोध कार्य में द्वितीयक समंकों के उपयोग से मौलिक संकलन के समस्या उदय नहीं होती है। द्वितीयक समंकों को प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्त्रोतों से संग्रहित किया जाता है। प्रस्तुत शोध में आवयकतानुसार द्वितियक समंकों का उपयोग किया जाता है।

6. <u>**समंकों का संग्रहण**</u> :-

सामाजिक शोध के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता अध्ययन विषय से संबंधित समंकों का संकलन करना है। समंकों का संकलन शोध प्रकिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्यों कि इन्ही से एकत्रित तथ्यों के आधार पर विभिन्न

घटनाओं के मध्य सह–संबंध को समझना आवश्यक होता है। सामान्य व्यक्ति के लिये संख्याओं को ही समंक कहा जाता है। समंक शोध के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं, जिन्हे एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विशेष रूप से वे तथ्य जिन्हे संख्याओं में अथवा सारणीकृत या वर्गीकृत अवस्था में प्रस्तुत किया जा सके।

सामाजिक शोध के अन्तर्गत शोधार्थी विभिन्न उपकरणों तथा प्रविधियों की सहायता से अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, बल्कि उन स्त्रोतों को भी ज्ञात करने का प्रयास करता है, जिनके द्वारा उपयोगी तथ्यों को एकत्रित किया जा सके। शोधार्थी द्वारा संग्रहित सामग्री जितनी अधिक विश्वसनीय होती है। अध्ययन के द्वारा उतनी ही अधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी निष्कर्ष निकालना संभव हो जाता है। [26]

इस प्रकार स्पष्ट है, कि तथ्य संकलन का तात्पर्य अध्ययन विषय से संबंधित ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री तथा आंकड़ों को एकत्रित करने से है जो क्षेत्र कार्य तथा द्वितीय बोध एवं प्रलेखों से होता है। तथ्य संकलन के अन्तर्गत केवल अवलोकन द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों तथा उत्तरदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं का ही समावेश नहीं होता, बल्कि इसके अन्तर्गत अध्ययनकर्ता के वस्तुनिष्ठ अनुभवों का भी स्थान होता है।

7– समंको का वर्गीकरण एवं सारणीयन

संकलित समंकों का वर्गीकरण करने के पश्चात् उसे अधिक स्पष्ट तुलनीय एवं बोधगम्य बनाने के लिये समंकों सारणीयन करना अत्यन्त आवश्यक होता है। सारणीयन संख्यात्मक समंकों को संक्षिप्त तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्रिया है। जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वचन सरलतापूर्वक किया जा सके।

सारणीयन के संबंध में **प्रो. एल.आर. कौनर** के विचार महत्वपूर्ण हैं कि, "सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला संख्यात्मक तथ्यों का कमवद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण है।"[27]

होरेस सेकाइस्ट के अनुसार "सारणियों में वर्गीकरण द्वारा किये गये विश्लेषण को स्थायी रूप से लेखबद्ध किया जाता है, तथा उनके द्वारा समान और तुलनीय वस्तुओं को परस्पर निकटता की उचित स्थिति में रखा जाता है।" [28]

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शोधार्थी ने महत्वपूर्ण समंकों को, सम्बंधित अध्यायों में, सारणियों के रूप में प्रस्तुत कर इस अध्ययन को संक्षिप्त एवं पूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया है, समंकों को आकर्षक एवं स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सारणियों को आवश्यकतानुसार चित्रों एवं बिन्दु रेखा के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है। शोध अध्ययन का विषय संख्यात्मक होने के कारण सारणियों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक ही है, इसलिये अध्ययन को पूर्ण बनाने की दृष्टि से सम्बन्धित अध्यायों के समंकों को सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

8– **समंकों का निर्वचनः–**

अध्ययन से सम्बन्धित समस्त समंकों को संग्रहित करने के पश्चात् उन्हें विश्लेषण योग्य बनाने के लिये उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन करना होता है। समंकों के विश्लेषण में विभिन्न तथ्यों की तुलना एवं उनमें पाये जाने वाले आपसी सम्बन्धों को आधार माना जाता है। अध्ययन से सम्बन्धित समंक कच्चे माल की भाँति होते हैं। विश्लेषण के द्वारा उन्हें पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। इसी विश्लेषण के आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अर्थात् समस्या से सम्बन्धित परिणाम ज्ञात किये जाते हैं। तथ्यों के विश्लेषण तथा व्याख्या का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। प्रमुख रूप से अनुसंधानकर्ता को स्वयं विशेष सावधान रहना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को यह कार्य अत्यधिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए। समंकों का विश्लेषण करने के लिये कुछ नियमों का पूर्व निर्धारण कर लेना चाहिए। इन नियमों के अनुसार ही विश्लेषण कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता का अपना सामान्य ज्ञान, अनुभव तथा बौद्धिक ईमानदारी भी विश्लेषण कार्य में विशेष सहायक होते हैं। विश्लेषणकर्ता को अपने कार्य में अपनी आलोचनात्मक एवं अनुशासित कल्पना शक्ति से भी काम लेना चाहिए। इस कल्पना शक्ति से तथ्यों में उपस्थित अंतर्सम्बन्धों को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। कल्पनाशक्ति द्वारा ही कुछ संभावित परिणामों की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके पश्चात् उसी रूपरेखा के अनुसार

परिणामों का वैज्ञानिक निश्चयन किया जाता है। परंतु इन सबके दौरान कल्पना के साथ–साथ बौद्धिक अतंर्दृष्टि को भी पर्याप्त जागरूक रखना चाहिये। वैज्ञानिक विश्लेषण एवं व्याख्या के समय अनुसंधानकर्ता को पक्षपातों एवं मिथ्या झुकावों को अपने कार्य में स्थान नहीं देना चाहिये। वास्तविक और वैज्ञानिक विश्लेषण के लिये अनुसंधानकर्ता को पूर्ण वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

जे.एच.प्वाइनकर के अनुसार ,"जिस प्रकार एक मकान का निर्माण पत्थरों से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण भी तथ्यों से ही होता है, परन्तु जिस प्रकार पत्थरों के ढ़ेर को भी मकान नहीं कहा जा सकता, ठीक उसी प्रकार केवल समंकों के संकलन से ही विज्ञान का निर्माण नहीं हो जाता।"[29]

गुडे एवं हाट का विचार हैं कि,"जो शोधार्थी अपने शोध अधिकल्प से पूर्णरूपेण परिचित है, उसे अपने समंकों के विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण में कोई कठिनाई नहीं होगी।"[30]

श्रीमती पी.व्ही.यंग का कथन है, कि "एक सामाजिक अध्ययनकर्ता यह मानकर चलता है, कि संकलित तथ्यों के पीछे तथ्यों और आकडों से बढ़कर भी कोई ऐसी वस्तु है, जो अधिक महत्वपूर्ण स्थिति एवं प्रकाश डालने वाली होती है। यदि सुविचारित तथा सुव्यस्थित तथ्यों को आकंड़ों के सम्पूर्ण भाग से संबंधित कर दिया जाये, तो उनके महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ को समझकर उनके आधार पर वैध सामान्यीकरण को प्राप्त किया जा सकता है "[31]

वास्तव में समंकों का विश्लेषण एवं उनका समुचित प्रस्तुतीकरण शोध अभिकल्प की महत्वपूर्ण अवस्था है, यदि शोधार्थी इन दोनों तथ्यों पर ध्यान नहीं देता है, तो शोध अध्ययन से संबंधित समंक कच्चे माल की तरह ही बने रहते हैं। विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उन्हे संसकारित करके शोध निष्कर्षो के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है, कि समंकों का विश्लेषण शोध कार्य की सम्पूर्णता तथा व्यवहारिकता के लिये अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य है।

समंकों के विभिन्न दृष्टिकोणों एवं शैलियों से तथ्यों का विश्लेषण करने से नियमों एवं सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने में सहायता प्राप्त होती है। विश्लेषण द्वारा ही विभिन्न घटनाओं के मध्य सह–संबंध को ज्ञात किया जा सकता है, एवं शोध के स्तर पर ही शोध परिकल्पना की सत्यता एवं असत्यता की जांच की जाती है, तथा शोध से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते है। इस प्रकार इन सामान्य निष्कर्षो के आधार पर न केवल विषय के संबंध में नवीन ज्ञान ही प्राप्त होता है, बल्कि शोध कार्य के आर्थिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में उच्च स्तरीय सांख्यिकीय उपकरण के उपयोग की आवश्यकता नहीं थी। प्राथमिक समंकों का विश्लेषण अन्य कारणों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण झुका हुआ है। द्वितीयक समंक जो प्राथमिक समंक के सहायक के रूप में प्रयुक्त किये गये हैं, का विश्लेषण, अनुपात, प्रतिशत, तालिकाओं, रेखाचित्रों की सहायता से किया गया

है। अध्ययन के दौरान जहां बहुअर्थिय सूचनाऐं प्राप्त हुई है उनका यथा संभव निर्वचन भी किया गया है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में संबंधित समस्त सूचनाओं, समंकों एवं सारणीयों के निष्कर्ष भी निकाले गये हैं, तथा अंतिम अध्याय में विभिन्न समस्याओं एवं उनके निदान के लिये सुझाव भी दिये गये हैं।

9. अध्ययन की सीमाऐं :-

सामाजिक शोध की उपादेयता तभी होती है, जब शोध विषय का चयन सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया हो। शोधार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य की सहायता से देश एवं समाज को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचे तभी शोध कार्य सार्थक एवं लाभप्रद हो सकेगा। शोधार्थी द्वारा चयनित विषय "ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका (झांसी एवम् ग्वालियर जिलों का तुलनात्मक अध्ययन)" ग्रमीण आर्थिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

भारत गाँवों का देश है इसलिये भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कहते है। **महात्मा गांधी** ने कहा था, कि "भारत गाँव में बसता है तथा गाँव इसकी आत्मा है।" यदि इन गाँवों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भारत की प्रगति नहीं हो सकती है। अतः गाँव में सर्वांगीण विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। भारत सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि,

उद्योग तथा ग्रामीण एवं सामाजिक विकास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।[32]

यदि हमें वास्तव में कमजोर वर्ग का विकास करना है और उन्हे सामाजिक न्याय दिलाना है, तो समुचित आर्थिक परिस्थितियों और रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने होंगे। गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकता पूरी करनी होगी। जिससे निर्धन परिवारों का जीवन-स्तर उठ सके। इस दिशा में वर्तमान तक की परियोजना और कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में प्राप्त हुई उपलब्धियाँ हमारे सपनों को साकार करती हुई ग्रामीण परिवेश में संभावनाओं एवं परिवर्तन के नये द्वार खोलती दिखाई देती है ।

भारत को कृषि एवं उद्योगों की परंपरा विरासत में प्राप्त हुई है। ग्रामीण अंचलों में कृषि एवं उद्योगों के अभाव में यह देश वास्तविक अर्थों में प्रगति की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण आर्थिक विकास भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर सकता है । प्रस्तुत शोध प्रबंध ग्रामीण आर्थिक विकास में शोधार्थी का लधु प्रयास अल्प सहायता कर सकेगा, तो यह उसके इस प्रयास की सार्थकता सिद्ध करेगा। शोधार्थी को पूर्ण विश्वास है कि उसका अध्ययन केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिये कुछ उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करेगा, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास से संबंधित संस्थाओं के योगदान को अधिक प्रभावी, सार्थक एवं उपयोगी बनाया जा सके। प्रस्तुत शोध प्रबंध केन्द्र एवं राज्य सरकार को ग्रामीण आर्थिक विकास से

सबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेगा तथा ग्रामीण आर्थिक विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण जनता जागरूक होकर अधिक लाभ उठा सकती है, इसके साथ ही साथ विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक सुझाव भी प्रदान करेगा। प्रस्तुत शोध प्रबंध भावी शोधार्थियों के लिये एक सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करेगा, जो इस क्षेत्र में शोध कार्य करना चाहते है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में "ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज की भूमिका (झांसी एवम् ग्वालियर जिलों का तुलनात्मक अध्ययन)" किसी भी विषय का अध्ययन कितनी ही गहनता से क्यों न करें, शोधार्थी को शोध कार्य की सीमाओं का निर्धारण करना आवश्यक है। इसका प्रमुख कारण यह है कि किसी भी विषय के अनेक पहलू हो सकते है, और इनमें से कुछ पहलुओं का ही अध्ययन किया जा सकता है, जैसा कि शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन में किया है जिससे स्पष्ट है कि शोध विषय के अन्तर्गत पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास की प्रकिया को गतितीव्र करने में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू किया गया है तथा ग्रामीण आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं याजनाओं से हितग्राही कितना लाभ उठा पाये हैं।

शोध के दौरान शोध की गरिमा को कायम रखते हुये शोध अध्ययन के लिये प्रयोग किये गये समंकों के संकलन

में सतर्कता एवं परिशुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। शोधार्थी व्यक्तिगत विश्लेषक होने के कारण शोध कार्य से संबंधित अनेक परेशानियों एवं कठिनाईयों का शोधार्थी को सामना करना पड़ा, जिसमें ग्रामीण विकास की इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पंचायत एवं समाज सेवा विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कृषि विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा असहयोगात्मक रूख अपनाया गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाऐं कृषि, उद्योग एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायत एवं समाज सेवा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं से सम्बघित जानकारी प्रदान करने में परियोजना अधिकारियों द्वारा असमर्थता प्रकट की गयी, जिससे शोधार्थी को अनेक बार इन विभागों से संबंधित कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ा। प्रस्तुत शोध प्रबंध में ग्रामीण आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न पूछने पर परियोजना अधिकारी अपने कार्यो में अनावश्यक हस्तक्षेप मानते थे और इसके साथ ही साथ शोध से संबंधित जानकारी प्रदान करने में अरूचि दिखलाई।

शोधार्थी के समक्ष द्वितीयक समंकों को एकत्रित करने का प्रश्न था क्योंकि शोध विषय के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों को प्रयुक्त किया गया है। शोधार्थी ने ग्रामीण विकास एवं रोजगार, कृषि विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार मूलक योजनाऐं, अद्योसरंचनात्मक विकास योजना से संबंधित सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रदत्त सुविधाओं तथा अन्य संस्थाऐं जो कृषि ग्रामीण विकास से संबंधित है,

अपने अध्ययन के दौरान उन पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। शोधार्थी ने अध्ययन की सीमाओं को केवल कृषि, उद्योग एवं ग्रामीण विकास में सरकार की भूमिका तथा अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा वित्त के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को भी अध्ययन की सीमाओं में रखा है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के झांसी एवम् ग्वालियर के ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका के अन्तर्गत झांसी एवम् ग्वालियर जिलों के समस्त पंचायतों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। विषय की व्यापकता को देखते हुये अध्ययन सूक्ष्म स्तरीय है । अतएव हमारे निष्कर्ष सार्वभौमिक नहीं हो सकते, फिर भी समान सामाजिक परिवेश में वे उपयोगी सिद्ध होंगे।

समस्या की प्रवृति को ध्यान में रखते हुये ग्रामों का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन के द्वारा किया गया है । प्रतिदर्श का आकार भी अपेक्षाकृत छोटा है। समय एवं साधनों की कमी के कारण ऐसा करना आवश्यक था। प्रस्तुत अध्ययन के लिये ग्रामीण आर्थिक विकास में ग्रामों की पहचान के लिये लोकमत आधारित विधि का प्रयोग करते हुये साक्षात्कार हेतु केवल परिवार के मुखिया ही चुने गये और उन्ही का साक्षत्कार लिया गया। उत्तरदाताओं ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया जिससे शोध प्रबंध अपने साकार रूप में परिणित हो सका है।

सन्दर्भ–

1– पारसनाथ राय, अनुसंधान परिचय, पृष्ठ 18

2- डॉ0 डी0एस0 बघेल, सामाजिक अनुसंधान,पृष्ठ 15

3- डॉ0 रामनाथ शर्मा एवम् डॉ0 राजेन्द्रकुमार शर्मा, सामाजिक सर्वेक्षण एवम सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ और प्रविधियाँ, पृष्ठ 100-101

4- श्रीमती पी0व्ही0 यंग,साइण्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च, पृष्ठ 44

5- डॉ0 रामनाथ शर्मा एवम डॉ0 राजन्द्र कुमार शर्मा, सामाजिक सर्वेक्षण एवम् सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ और प्रविधियॉ,पृष्ठ 100

6- एफ.एन. करलिंगर फाउण्डेशन ऑफ विहेविरयल रिसर्च (हाल्ट) एज्यूकेशन, पृष्ठ 13

7- पारसनाथ राय, अनुसंधान परिचय पृष्ठ 39

8- पारसनाथ राय, अनुसंधान परिचय पृष्ठ 40

9- ऑगबर्न, कन्सीउरेशन इन चूजिंग प्रोब्लम ऑफ रिसर्च इन्स्टीट्यूट कमेटी ऑन ट्रेडिंगऑ सिट, पृष्ठ 120

10- एफ0एस0सी0 नारथ्राप, दि लॉजिक ऑफ दि साइन्स एण्ड ह्यूमिनिटीज, पृष्ठ 26

11- अग्रवाल एवं पाण्डेय, सामाजिक शोघ, पृष्ठ 32

12- पारसनाथराय, अनुसंधान परिचय,पृष्ठ 13

13- डॉ0 विजय जरारे, शोघ प्रणाली, पृष्ठ 19

14- अग्रवाल एवं पाण्डेय, सामाजिक शोघ, पृष्ठ 176

15- अग्रवाल एवं पाण्डेय, सामाजिक शोघ, पृष्ठ 176

16- सी0वी0गुड एवम डी0ई0 सकेट्स, मेथ्ड्स ऑफ रिसर्च एप्लीकेशन ।

सेन्चुरी क्रॉफ्ट । पृष्ठ 90 ।

17- अग्रवाल एवं पाण्डेय, सामाजिक शोघ, पृष्ठ 10

18- अग्रवाल एवं पाण्डेय, सामाजिक शोघ, पृष्ठ 10
19- अग्रवाल एवं पाण्डेय, सामाजिक शोघ, पृष्ठ 226-227
20- डॉ0 कैलशनाथ नागर, सांख्यिकी के मूल तत्व, पृष्ठ 3
21- डॉ0 आर0एल0कटारिया, सांख्यिकी । पृष्ठ 47
22- डॉ0 बी0एम0जैन, शोध प्रविधि एवम् क्षेत्रीय तकनीक, पृष्ठ 126
23- डॉ0 बी0एम0जैन, शोध प्रविधि एवम् क्षेत्रीय तकनीक, पृष्ठ 128
24- डॉ0 आर0एल0 कटारिया, सांख्यिकी । पृष्ठ 48
25- जी0ए0 लुण्डबर्ग, सोशल रिसर्च । पृष्ठ 122
26- कैलाशनाथ नागर, सांख्यिकी के मूल तत्व । पृष्ठ 3
27- डॉ0 विजय जरारे, शोध प्रणाली, पृष्ठ 219
28- डॉ0 रामनाथ शर्मा एवम् डॉ0 राजेन्द्रकुमार शर्मा, सामाजिक सर्वेक्षण एवम् सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ और प्रविधियाँ, पृष्ठ 380 ।
29- अग्रवाल एवं पाण्डेय, सामाजिक शोघ, पृष्ठ 450
30- डॉ0 सुरेन्द्रसिंह, सामाजिक विज्ञानों में शोध पद्धतियाँ, पृष्ठ 18
31- श्रीमती पी0व्ही0 यंग, साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च,पृष्ठ 472 ।
32- डॉ0 आर0पी0सिंह, कृषि अर्थशास्त्र, पृष्ठ 437 ।

==============

==========

======

===

अध्याय-3

उ.प्र.के झांसी जिले में पंचायती राज

1. झांसी जिला एक परिचय
2. झांसी जिले में पंचायतीराज का शुभारम्भ
3. झांसी जिले में पंचायती राज का संगठन
4. झांसी जिले में पंचायती राज व्यवस्था

अध्याय – 3

उ0प्र0 के झाँसी जिले में पंचायती राज

1– झाँसी जिला एक परिचय :

उत्तरप्रदेश का पुनर्गठ्न 31 अक्टूबर 2000 को किया गया था। पुनर्गठ्न के पश्चात् उत्तरप्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग किलोमीटर है । उत्तरप्रदेश में 70 जिले सम्मिलित है । सन् 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश की कुल जनसंख्या 16,60,52,859 हैं जिस मे 8,74,66,301 पुरूष एवम् 7,85,86,558 महिलाऐं हैं । देश के सभी 28 राज्यों एवम 60 केन्द्र–शासित प्रदेशों में से उत्तरप्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जहाँ देश की 16.2 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है । इस 16. 61 करोड जनसंख्या में से लगभग 12.5 करोड़ जनसंख्या प्रदेश में फैले 97134 ग्रामों में निवास करती है । सन् 2001 की जनगणना अनुसार उत्तरप्रदेश की कुल साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत है । उत्तरप्रदेश में पुरूष साक्षरता दर 70.23 प्रतिशत एवम् महिला साक्षरता दर 42.98 प्रतिशत है । उत्तरप्रदेश का जनघनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । जनघनत्व में उत्तप्रदेश का देश मे चतुर्थ स्थान है ।[1]

देश में 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और उन्हें मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है । उत्तरप्रदेश में सन् 1990–2000 को विकेन्द्रीकरण एवम् जन–सहभागिता

वर्ष का नारा देकर राज्य सरकार ने स्थानीय संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाकर ग्राम राज्य की स्थापना की तरफ द्रुतगामी कदम बढ़ाया है । पंचायतों को स्वावलम्बी, स्वायत्त एवम् सुदृढ बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों को उन्हें हस्तान्तरित करके गाँधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया गया है । स्वशासन की ओर बढ़ते हुए कदम यह इंगित करते हैं कि ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के बीच समन्वय स्थापित कर एक विकास परत योजना प्रक्रिया की ओर अग्रसर रहेगी । विकास की प्रमुख इकाई गाँव होगा इस प्रकार अब स्थानीय व्यक्तियों द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जावेगा । सरकार का कार्य केवल उपलब्ध संसाधनों के अन्दर धन आवंटित करने का होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्राथमिक एवम् मिडिल स्कूल, पंचायती राज विभाग के चयनित कार्य, खाद्यविभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवम् विकास का कार्य अब पंचायतों द्वारा ही संचालित होगा । इस प्रकार उत्तरप्रदेश सरकार ने अब तक प्रचलित राज्यस्तरीय विकास प्रक्रिया को ग्राम स्तरीय विकास प्रक्रिया की ओर मोड़ दिया हैं।

विकेन्द्रीकरण की इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत विकास की इकाई को गाँव को मानते हुए स्थानीय विकास स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा । गाँव को धुरी के रूप में रखकर विकास की गति तीव्र की जावेगी। ग्रामीण स्थानीय निकायों को सच्चे मायने में सत्ता का हस्तान्तरण होगा और इसी से नियोजन में विकास कार्यो में उनके प्रबन्धन एवम्

नियंत्रण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होगी । नियोजन की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की होगी । देश में स्वतन्त्रता के पश्चात् पहली बार विकेन्द्रीकरण का यह क्रांतिकारी कदम ग्रामवासियों के जीवन मे आमूल-चूल परिवर्तन करेगा और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये नये युग का सूत्रपात करेगा ।

स्थानीय स्तर पर कार्य के हस्तान्तरण से सही मायने में सत्ता के साथ विकास कार्यो का हस्तान्तरण किया जायेगा जिससे स्थानीय स्तर पर कार्य का प्रभावी परीक्षण हो सकेगा, कार्यो एवम सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा । स्थानीय विकास,स्थानीय जनता द्वारा यह विकेन्द्रकरण का आधार बिन्दु होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध परिसंपतियों के रख रखाव के लिये ग्रामीण जनता को जिले अथवा प्रदेश मुख्यालय पर नहीं भटकना पड़ेगा ।

उत्तरप्रदेश में सन् 1947 में पंचायती राज अधिनियम बनाया गया । सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम विकास की दिशा में सहकारी प्रयास से क्रियान्वित किये गये । समुचित विकेन्द्रित व्यवस्था के लिये भारत सरकार ने सन् 1957 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सामुदायिक विकास योजनाओं को अधिक कारगर बनाने के लिये पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढाँचे की सिफारिश की गई । त्रिस्तरीय ढाँचे में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद् की व्यवस्था की गई ।

सन् 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने बलवन्तराय मेहता समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया ।

इसके पश्चात् सन 1977 में अशोक मेहता तथा सन् 1985 में जी0बी0के0 राव समिति का गठन किया गया । इन समितियों ने देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के बारे में सिफारिश की । सन् 1986 में गठित डॉ0 एम0एल0सिंधवी समिति ने पंचायती राज को स्वशासित करने की सिफारिश की । जिसके आधार पर तत्कालीन राजीव गाँधी सरकार ने 64वाँ संविधान संशोधन संसद में पेश किया, इस विधेयक के आधार पर उत्तरप्रदेश पंचायती राज विधेयक पारित किया गया । जिसे 22 अप्रैल 1994 से उत्तरप्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया ।

झाँसी जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम में मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है । जोकि तीन तरफ से मध्यप्रदेश की सीमाओं से जुडा हुआ है । झाँसी की कुल जनसंख्या सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 17.5 लाख थी, जिसमें 932.82 हजार पुरूष एवम् 812.11 हजार महिलाऐं थी । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या 1033.17 हजार और नगरीय क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या 711.76 हजार थी । जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 489.76 हजार और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 489.76 हजार थी । साक्षरता की दृष्टि से जिले में 9,58,770 पुरूष एवम् 6,17,510 महिलाऐं शिक्षित थी । जिले में 52 हजार व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे । जिले में 6 नगर पालिका परिषद् 2

छावनी क्षेत्र 7 नगर पंचायत हैं । झाँसी जिले में मोठ, चिरगाँव, बमौर, गुरसराय, बंगरा, मऊरानीपुर, बबीना एवं बड़ागाँव विकास खण्ड हैं ।

जलवायु :-

झाँसी जिले की जलवायु उष्ण कटिबन्धीय एवम् मानसूनी है । प्रदेश में धरातलीय विषमताओं, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊँचाई एवम् स्थल खण्ड की विशालता के कारण जलवायु में अन्तर आ जाता है । जिले में सामान्यतः शीत ऋतु में अति ठण्डे और ग्रीष्म ऋतु में अति नम ओर अस्वास्थ्यकर मौसम पाया जाता है । सामान्यतः जिले में तीन ऋतुऐं होती हैं ।[2]

1- शीत ऋतु (नवम्बर से फरवरी तक)

2- ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक)

3- वर्षा ऋतु (मध्य जून से अक्टूबर तक)

शीतऋतु में अधिकतम औसतन तापमान 28.30 सेग्रे0 और औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेण्टीग्रेड तक रहता है । जनवरी सर्वाधिक ठण्डा मास है । जिले में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारम्भ होकर मध्य जून तक रहती है । मई में तापमान सर्वाधिक हो जाता है। मार्च में झुलसा देने वाली भयंकर लू चलती है एवम् असहनीय गर्मी पड़ती है । इस ऋतु में जिले को औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेण्टीग्रेड से

46 डिग्री सेण्टीग्रेड तक रहता है । जिले में वर्षा ऋतु का प्रारम्भ जून के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह से होता है। जुलाई तथा अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। [3]

खनिज सम्पदा :-

जिले में ग्रेनाईट पत्थर अधिकतम् पाया जाता है । झांसी के मुडारी वाला बहेट में कांच, बालू के भण्डार पाये गये हैं। झांसी जिले में सायरोफ्लाईट नामक खनिज पाया जाता है। जिससे कीट नाशकों का निर्माण होता है तथा इस खनिज का उपयोग तापसः और सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। झांसी जिले में शेलखडी का भी उत्पादन होता है।[4]

कृषि :-

जिले के मुख्य पैदावार चावल, गेहूं, जो, ज्वार, बाजरा, मक्का, महुवा,सांबां, कोदो, काकुन एवं कुटकी का है। इसके अलावा कुछ मात्रा में दलहनों का भी उत्पादन किया जाता है जिसमें उड़द,मूंग, मसूर, चना, अरहर एवं मोठ मुख्य है।[5]

उद्योग :-

जिले में बड़े उद्योगों का अभाव पाया जाता है। जिले का एकमात्र मुख्य उद्योग सूती वस्त्र का जिले में स्थित है। इसके अलावा लघु स्तर पर फर्नीचर, दवाऐं

एवं कृषि उपकरण निर्माण करने के कारखाने प्रस्तुत है। केन्द्र सरकार द्वारा झांसी जिले में ट्रांसफार्मर फेक्ट्री लगाई गई है। विकास की दृष्टि से झांसी प्रमुख शहर है जहां बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय स्थित है। जिसके कारण जिला ओद्योगिक केन्द्र के साथ शिक्षा केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहा है।[6]

2-झांसी जिले में पंचायती राज का शुभारंभ

भारत में ग्राम पंचायतों की परंपरा बहुत पुरानी है । प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतें समस्त स्थानीय मामलों को चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक, नैतिक हो या न्यायिक, शासन प्रबंध करती थी। वे केवल कर देने और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार पर आश्रित थी। यद्यपि बिट्रिश सरकार ने केन्द्रीकरण की नीति ने ग्राम पंचायतों के ऊपर घातक प्रहार किया पर शीध्र ही उसे भी यह अनुभव हो गया कि देहाती स्वशासन का अधःपतन देश के नागरिक जीवन के लिये अत्यन्त हानिकर है। सन् 1908 में पहली बार ब्रिट्रिश सरकार ने विकेन्द्रीकरण आयोग की नियुक्ति कर भारत में ग्राम पंचायतों को पुर्नः जीवित करने की ओर निश्चित कदम उठाया। विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने अपने यहां ग्राम पंचायत अधिनियम 15 अगस्त 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति पर ग्राम पंचायतों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। उत्तर प्रदेश में सन् 1945 में पंचायत राज अधिनियम बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का गौरव

उत्तर प्रदेश राज को प्राप्त है। सन् 1951-52 देश में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। जिसका मूलभूत उद्देश भी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और आर्थिक विकास के लिये मार्ग प्रशस्त करना था। इस प्रकार पंचवर्षिय योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा न्यायपंचायत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किये गये और भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रदेशों के पंचायत मंत्रियों को विकास समितियों का मंत्री मनोनित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर गठित जिला योजना समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक ग्राम पंचायत प्रधान को मनोनीत किया गया। वर्ष 1952-53 जमीदारी प्रथा का उन्मूलन किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक गाँव में "गाँव समाज" की स्थापना की गई और इसके साथ-साथ गाँव सभाओं के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। इससे ग्राम पंचायातों को ग्राम और ग्रामवासियों को विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिये मार्ग प्रशस्त किया गया। इस प्रकार वर्ष 1947-52 तक के काल को पंचायती राज व्यवस्था के विकास के प्रथम चरण की संज्ञा दी जा सकती है। वर्ष 1953 से 1960 तक का काल पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा चरण कहा जा सकता है। इस अवधि में पंचायतों के दूसरे आम चुनाव कराये गये तथा पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों विशेष रूप से कृषि विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्ष 1953-54 में पंचायतों का विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने और पंचायतों को अधिक सक्रिय रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन करने हेतु सुझाव देने हेतु विधानसभा के सदस्यों की

एक समिति बनाई गई इस समिति के सुझावों के आधार पर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया और पंचायती राज अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये। इस संशोधनों को पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायती अदालतों का नाम बदल कर 'न्याय पंचायत' कर दिया गया। वर्ष 1959-69 में पंचायतों द्वारा कृषि विकास के लिये विशेष प्रयास किये गये और अधिकांश गांव में कृषि समितियों की स्थापना की गई । इस वर्ष पंचायतों में खाद्यान की उपज बढ़ाने के लिये चलाये गये रवी एवं खरीफ आन्दोलनों में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया और इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली।

वर्ष 1961 से 1971 तक के 10 वर्षों को पंचायतों के विकास का तीसरा चरण कर सकते है। इस अवधि के प्रारंभिक वर्ष 1960-61 में ही ग्राम पंचायतों में काफी प्रगति संभव हो सकी। इस वर्ष गांव को आत्म-निर्भर तथा सम्पन्न बनाने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि उत्पादन तथा कल्याण उपसमितियों का गठन किया गया। इसी वर्ष पंचायतराज अधिनियम में भी संशोधन किया गया। इसके अनुसार ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया और ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव 'गुप्त मतदान प्रणाली' द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया। इसी अवधि में भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों के अनुरूप प्रदेश में **'उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961'** पारित हुआ और क्रियान्वित किया गया। इस

अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् की ईकाईयों को एकसूत्र में बांधा गया। और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ हुई। इसके अनुसार झांसी जिले में 7 फरवरी 1962 तक तृतीय सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराया गया।

वर्ष 1972 से 1982 तक की अवधि को पंचायतों के विकास का चतुर्थ चरण कहा जा सकता है। इस अवधि में पंचायतों की कार्य पद्धति में काफी गुणात्मक परिवर्तन संभव हुआ। वर्ष 1972-73 में जिले में पंचायत के चतुर्थ आम चुनाव सम्पन्न हुये। चुनाव के बाद पंचायतों की गतिविधियों में काफी सुधार हुआ और इसके बाद बड़ी तीव्र गति से ग्राम पंचायतों की जड़े गहरी होने लगी।

पंचायतों के विकास का पाँचवा चरण 1983 से 1993 के मध्य माना जा सकता है । इस अवधि में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पुर्नगठन एवं पुनर्जीवीकरण का कार्य सम्पादित किया गया। वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का छटवा सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराया गया। वर्ष 1988 में ही पंचायतराज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों के पदों पर 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिये। साथ ही इसमें यह प्रावधान भी किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति की कम से कम एक महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले ग्रामीणों के लिये लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर

रोजगार योजना के नाम से अति महत्वपूर्ण योजना जिले में प्रारंभ की गई। इस योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व ग्राम पंचायत को सोंपा गया। योजना के लिये निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि भी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को शीध्र ही उपलब्ध कराई गई।

वर्ष 1993 से पंचायत के विकास का छटवा चरण प्रारंभ होता है जब सम्पूर्ण देश में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के उद्‌देश्य से उनके पुर्नगठन हेतु 73वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन में किये गये प्रावधानों को लागू करने हेतु सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने पंचायतीराज अधिनियमों में एक वर्ष के अन्दर इसके सभी प्रावधानों को सम्मिलित करने की व्यवस्था निर्धारित की गई। उत्तर प्रदेश में 73वें संविधान के अनुक्रम में 'उत्तरप्रदेश पंचायत विधि (संशोधन)विधेयक 1994' पारित किया गया जो प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ।

3- <u>झांसी जिले में पंचायतीराज का संगठन</u> :-

भारत में प्राचीनकाल से पंचायत राज प्रणाली विधमान रही है। सभी राजा-महाराजा और नबाव ग्राम पंचायतों का आदर करते थे। पंचायती राज प्रणाली में ग्रामों के प्रशासन की और न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के हाथों में रहती थी। गांव के सभी लोग मिलकर कुछ बुर्जुग और समझदार लोगों को पंच बनाते थे। ये पंच मिल कर गांव की विभिन्न समस्याओं को सुलझाते थे । ये सच्चा न्याय भी करते थे। इन पंचों को पंच परमेश्वर कहा जाता

था। लोग मानते थे कि पंचों में ईश्वर का वास होता है। पंचों के मुख से ईश्वर ही बोलता है। पंच गाँव की भलाई के और ग्राम विकास के कार्य करते थे। पंचों का गाँव के सभी लोग बहुत आदर करते थे। उनके निर्णय को सभी लोग मानते थे। बाद में अंग्रेजों के शासन काल में देश में पंचायत व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त होती चली गई क्यों कि अंग्रेजों का उद्देश्य देश में अपना राज्य स्थापित करना था। ग्रामों में विकास करने या सही न्याय करने में उनकी कोई रूचि नहीं थी इसलिये उन्होने पंचायत राज व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया।

देश के आजाद होने के बाद फिर से ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। भारत के संविधान में पंचायती राज का महत्व स्वीकार किया गया और उसमें कहा गया कि राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायातों का गठन करने के लिये कदम उठाये जायेंगे। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगी। जिससे वे स्वतन्त्र रूप से ग्राम विकास के कार्य कर सके। भारत सरकार द्वारा गठित की गई बलबन्त राय मेहता समिति ने वर्ष 1957में त्रिस्तरीय पंचायत राज की स्थापना की सिफरिश की थी । ये तीन स्तर पंचायतें इस प्रकार थीं :-

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
2. विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत
3. जिला स्तर पर जिला पंचायत

इसी के अनुसार झांसी जिले में पंचायती राज की स्थापना के लिये कदम बढ़ायेंगे।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि लोक अधिसूचना द्वारा वे किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में अधिसूचित करेंगे। ऐसे ग्राम के लिये ग्राम पंचायत का गठन पांच वर्ष के लिये किया जावेगा। ग्राम पंचायत के पंचों एवं सरपंचों का चुनाव ग्राम के मतदाताओं द्वारा किया जायेगा। यह चुनाव सीधी वयस्क मतदान प्रणाली से होगा। पांच वर्षों की अवधि पूरी होने के पहले ही अगला आम चुनाव करवा लिया जावेगा।

इस अधिनियम के तहत ग्राम के लिये ग्राम पंचायत, विकास खण्ड के लिये जनपद पंचायत एवं जिले के लिये जिला पंचायत का गठन किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत की समयावधि पांच वर्ष होगी। किन्तु समय पूर्व पंचायत का विधटन होने पर 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन अवश्य होगा एवं इस प्रकार गठित पंचायत शेष समयावधि के लिये होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 वार्डो में विभाजित किया जायेगा, किन्तु 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर वार्डो की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। इसी प्रकार जनपद पंचायत क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 50000 तक है, 10 निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा किन्तु 50000 से अधिक जनसंख्या होने पर अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जावेगा।

प्रत्येक जिला पंचायत को जिसकी जनसंख्या 5लाख से कम है, कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों में एवं जनसंख्या अधिक होने पर अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकेगा। [6]

ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्येक निर्वाचन द्वारा होगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन क्रमशः जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होंगे। यदि किसी स्थान पर किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं किया जाता है तो उस स्थान को भरने के लिये नई निर्वाचन की कार्यवाही 6 माह के भीतर प्रारंभ की जायेगी। किसी स्थान पर निर्वाचन लंबित होने के कारण इन संस्थाओं के गठन की कार्यवाही रोकी नहीं जायेगी।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का पंचायतों में आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। यदि इन वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत या इससे कम है तो कुल स्थानों के 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थानों सहित सभी स्थानों के लिये 1/3 स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थानों पर निर्धारण लॉटरी निकाल कर चक्रानुक्रम में होगा। ऐसी स्थिति में जहां किसी पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की जनसँख्या नहीं है उसे आरक्षण से वंछित रखा जायेगा। उपसरपंच का निर्वाचन निर्वाचित पंचों तथा सरपंच द्वारा पंचों में से होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछडे वर्ग के लिये आरक्षण का इस पद हेतु वही अनुपात रहेगा

जो सरपंच हेतु किया गया है परन्तु सरपंच का स्थान जहां आरक्षित है उन स्थानों को छोड़कर उप सरपंच का स्थान आरक्षित रहेगा। यदि सरपंच या उप सरपंच संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो उसके संबंध में यही समझा जायेगा कि सरपंच, उप सरपंच के रूप में वह अपना पद रिक्त कर चुका है।

ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन जनपद एवं जिला पचांयत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होंगे। ग्राम पंचायत के उपसरपंच का निर्वाचन, निर्वाचित पंचों तथा सरपंच द्वारा पंचों में से होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का इस पद हेतु आरक्षण का वही अनुपात रहेगा जो सरपंच हेतु किया गया है। परन्तु सरपंच का स्थान जहां आरक्षित है, उन स्थानों को छोड़कर उप सरपंच का स्थान आरक्षित रहेगा।

यदि किसी जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं है तो उपाध्यक्ष का पद आरक्षित वर्गो में से निर्वाचित किया जायेगा। प्रत्येक जिला पंचायत जिला का गठन जिला पंचायत हेतु क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, जिला सहकारी एवं जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्षों, क्षेत्र के लोकसभा सदस्य,क्षेत्र के समस्त विधानसभा सदस्य एवं राज्यसभा के ऐसे सदस्य जिसका नाम उस क्षेत्र के मतदाता सूची में है, से मिलकर होगा । यदि निर्वाचित सदस्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई सदस्य नहीं है तो जिला

पंचायत ऐसी जाति के किसी व्यक्ति को सहयोजित करेगी जो अन्यथा इस सदस्यता हेतु पात्र है ।

प्रत्येक जिला पंचायत का गठन निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों, जिला सहकारी बैंक, तथा जिला सहकारी एवं विकास बैंक के अध्यक्ष, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो पूर्णतः या अंशतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जिले का भाग है। यदि निर्वाचित सदस्यों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है तो जिला पंचायत ऐसी जाति के किसी व्यक्ति को सहयोजित करेगी परन्तु कोई व्यक्ति जिले के भीतर किसीग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता नहीं है और किसी ग्रामपंचायत का पंच बनने की पात्रता नहीं रखता है तो उसके अधीन सहयोजित नहीं किया जायेगा । जनपद पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरपंचों में से 5 प्रतिशत को चक्रानुक्रम में एक वर्ष की कालावधि के लिये जनपद पंचायत का सदस्य बनाया जायेगा । इसी तरह जिले की समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य होगें । राज विधानसभा का कोई ऐसा सदस्य अथवा कोई ऐसा सांसद जो जनपद/जिला पंचायत का सदस्य है यदि वह रूग्णता या किसी अन्य कारण से बैंठक में अनुपस्थित हो तो जनपद /जिला पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने ऐसे प्रतिनिधि का नाम निर्देशित कर सकेगा, जिसके पास निर्धारित की गई अर्हताऐं हों।

4- <u>झाँसी जिले में पंचायती राज व्यवस्था</u> :-

73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई है । जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था को गतिशील बनाने एवम् सत्ता के विकेन्द्रकरण को महत्व प्रदान किया गया है । इस विधेयक से ग्रामपंचायतों को ओर अधिक अधिकार प्रदान किये गये । जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपनी अधिकांश समस्याओं का निराकरण अपने ही गाँवो के पंचों एवम् सरपंचों द्वारा करा सकें । यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है । जो ग्रामीण विकास में लाभकारी सिद्ध होगा । उत्तरप्रदेश, जहाँ 73वें संविधान संशोधन का पालन करते हुए नया पंचायती राज अधिनियम प्रभावशील कर दिया गया है । जिसके अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम प्रभावशील कर दिया गया है । झाँसी जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू कर दी गई है :-[8]

1- जिला पंचायत - जिला में एक जिला पंचायत का गठन किया गया है । जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा । जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा । आरक्षित पद पर उसी वर्ग के व्यक्ति निर्वाचित किये जायेंगें । जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा । झाँसी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है ।

2- जनपद पंचायत :-पंचायती राज स्तर पर जनपद पंचायत के गठनका प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत

में अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा। आरक्षित पद पर आरक्षित व्यक्ति का ही निर्वाचन किया जायेगा। प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिये मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं ।

3- ग्राम पंचायत –गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की प्रशासनिक इकाई हैं । ग्राम पंचायत का गठन पाँच वर्ष के लिये किया जायेगा । यग निर्वाचन प्रत्येक वयस्क मतदान प्रणाली से होगा। पाँच वर्ष की कालावधि पूरी होने पर अगला चुनाव कराया जायेगा । झाँसी जिले में 444 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं एवम् 8 विकास खण्ड हैं ।

झाँसी जिले में ग्राम पंचायतों को सौंपे गये कार्य निम्नप्रकार हैं :–

शिक्षाः–

झाँसी जिले की ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्य हस्तान्तरित किये गये है। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन अब ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होंगे तथा इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक ग्राम–पंचायतों के नियंत्रण में कार्य करते हैं । नये विद्यालय या विद्यमान विद्यालय के भवन निर्माण, विद्यालयों के रख–रखाव, पठन–पाठन सामग्री तथा अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि शासन द्वारा अब सीधे ग्राम–पंचायतों को दी जाती है ।[10]

राजकीय नलकूपः-

झाँसी जिले के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों को ग्राम-पंचायतों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय नलकूप अब ग्राम पंचायत के स्वामित्व में रहेगें । राजकीय नलकूपों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए अब ग्राम-पंचायतों को धनराशि दी जायेगी किन्तु प्रथम वर्ष के लिए यह धनराशि ''रख-रखाव अनुबन्ध'' के अन्तर्गत सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी गयी है । राजकीय नलकूपों के समुचित रख-रखाव हेतु ग्राम-पंचायत स्तर पर सम्पूर्ण तैयारी एवं प्रबन्ध व्यवस्था विकसित करने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। एक वर्ष के पश्चात् ग्राम-पंचायतें ही राजकीय नलकूपों की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य करेंगी और इसके लिए ग्राम-पंचायतों को शासन द्वारा अलग से धनराशि दी जाती है । राजकीय नलकूपों के बिजली बिल का भुगतान शासन द्वारा सीधे राज्य विद्युत परिषद् को किया जाता है ।[11]

हैण्ड पम्पः-

झाँसी जिले के सभी विद्यमान और नये हैण्ड्र पम्प ग्राम-पंचायत की सम्पत्ति रखे गये हैं । हैण्डपम्पों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार धनराशि शासन द्वारा सीधे ग्राम-पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है । ग्राम पंचायतों द्वारा मरम्मत हेतु तैयारी एवं प्रबन्ध कर लिया जाये, इस दृष्टि से सितम्बर, 1999 तक जल निगम को ही मरम्मत कार्य के लिए निर्देशित किया गया है । अक्टूबर, 1999 से हैण्डपम्प की

मरम्मत का कार्य ग्राम–पंचायतों द्वारा सम्पादित किया जाता है ।

युवा कल्याणः–

झाँसी जिले के अन्तर्गत युवा कल्याण, अखाड़ा, व्यायामशाला, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल तथा खेलकूद सम्बन्धी कार्यों का संचालन ग्राम–पंचायतों द्वारा किया जाता है और इनके लिए नियत धनराशि तथा सामग्री शासन द्वारा सीधे ग्राम–पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

चिकित्सा एवम स्वास्थ्यः–

झाँसी जिले में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित ग्राम स्तरीय सभी कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण से सम्पादित किये जाते हैं । ग्राम स्तर पर स्थित ''मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र'' ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं । स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला तथा दाई भी ग्राम–पंचायत के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती हैं । चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित ग्राम स्तरीय कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि तथा दवाईयां एवं अन्य सामग्री सीधे ग्राम–पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है ।

महिला एवम बाल विकासः–

महिला एवं बाल विकास के समस्त ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम–पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जाते हैं । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है तथा उन्हें मानदेय भी ग्राम–पंचायतों द्वारा दिया जाता है जिसके लिए धनराशि शासन द्वारा सीधे ग्राम–पंचायतों को दी जायेगी ।

पशुधन विभागः–

पशुधन विभाग के ''पशु सेवा केन्द्र'' तथा 'द' श्रेणी के पशु चिकित्सालय एवं इनमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है तथा पशु सेवा केन्द्र एवं पशु चिकित्सालय के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि एवं अन्य सामग्री शासन द्वारा सीधे ग्राम–पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी।

राशन की दुकानें :–

सार्वजनिक वितरण–प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब राशन की दुकानों के आवंटन और निरस्तीकरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है।

कृषि कार्य :-

कृषि से संबंधित समसत ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम-पंचायतों द्वारा किये जाते हैं और उसके लिए आवश्यक धनराशि एवं सामग्री ग्राम पंचायतों को सीधे दी जाती है ।

ग्राम्य विकासः-

ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित समस्त ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम-पंचायतों द्वारा किये जायेंगे और उसके लिए आवश्यक धनराशि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे दी जाती है ।

पंचायती राज विभाग :-

पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य अब ग्राम पंचायतों द्वारा किये जायेंगे और उसके लिए आवश्यक धनराशि शासन द्वारा ग्राम-पंचायतों को सीधे दी जाती है ।

झाँसी जिले में उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत ग्रामपंचायतो द्वारा कियान्वित की जाने वाली योजनाऐं :-

शिक्षा मित्र योजना :-

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को ओर अधिक अधिकार देने के लिये शिक्षा मित्र

योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में अपेक्षित साक्षरता दर प्राप्त करने के लिये अध्यापकों की कमी को दूर करने की दशा में ''शिक्षा मित्र योजना'' ग्राम पंचायतों की देखरेख में संचालित की गई। झाँसी जिले में इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित व्यक्तियों को 2250-00 रूपये के नियत मानदेय पर शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर रखा गया है । यह व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाता है । संविदा पर नियुक्त होने वाले ऐसे व्यक्ति को ''शिक्षा मित्र'' कहा जाता है । शिक्षा मित्र का चयन ग्राम शिक्षा समिति करती है । शिक्षामित्र की न्यूनतम् योग्यता इण्टरमीडिएट रखी गई है । इस योजना में 50 प्रतिशत शिक्षा मित्र महिलायें रहेगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अपेक्षित अध्यापक व छात्र का अनुपात सुनिश्चित किया जा सकेगा ।[12]

<u>शिक्षा गारण्टी योजना</u>

उत्तरप्रदेश के झाँसी जिले की ग्राम-पंचायत के ऐसे अशिक्षित क्षेत्र जहां हैं, वहां पर भी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक अभिनव योजना ''शिक्षा गारन्टी योजना'' के नाम से प्रारम्भ की गयी है। शिक्षा गारंटी योजना, ऐसे प्रत्येक गांव अथवा मजरे में चलायी जायेगी, जहां एक किलोमीटर की दूरी तक कोई विद्यालय नहीं है तथा जहां 6 से 11 वर्ष आयु के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध है पर्वतीय क्षेत्र में यह योजना केवल 20 बच्चों की उपलब्धता पर ही चलायी जाती है। इस योजना का संचालन पूर्ण रूप से ग्राम-पंचायतों द्वारा किया

जाता है। ग्राम पंचायते इस योजना के लिये स्थल-चयन करती है । अध्यापन कार्य हेतु 1000 रूपये प्रतिमाह मानदेय पर अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है । यह व्यय-भार शासन द्वारा वहन किया जाता है । चयनित व्यक्ति को "आचार्य जी" कहलाते है जो शिक्षक अंशकालीन होते है। "आचार्य जी" के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है ।

इस योजना में संचालित वैकल्पिक विद्यालय को "विद्या केन्द्र" कहते है। विद्या केन्द्रों में पीने के पानी व शौचालय की व्यवस्था यथा सम्भव ग्राम-पंचायतें करती है तथा इस योजना के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क दी जाती है तथा इन विद्यालयों के कक्षा 1 से 2 तक शिक्षा प्राप्त बच्चों को नियमित विद्यालयों की कक्षा 3 में प्रवेश अनुमान्य है ।[13]

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

झाँसी जिले में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरम्भ 1 अप्रैल 1999 में हुआ । इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बहुतायत गरीब परिवारों, बैंक ऋण एवम् शासकीय अनुदान के माध्यम से छोटे उद्यमों के रूप में तथा आय सृजक सम्पत्ति उपलब्ध कराकर उन्हे तीन वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्वरोजगारी परिवारों को 2000 रूपये आय सृजन हेतु सक्षमता प्रदान करना है । इस हेतु केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत एवम् राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंशदान होगा।

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को स्व सहायता समूहों में 10 से 20 व्यक्तियों को संगठित कर उनको सशक्त बनाने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण व सुविधाऐ देकर रोजगार प्रदान करना है । प्रत्येक विकास खण्ड के लिये व्यावसायिक क्षमताओं एवम विपणन सुविधाओं पर आधारित 4-5 मुख्य्य क्रियाकलापों को चिन्हित करके तथा मुख्य्य क्रियाकलाप के लिये परियोजना पद्धति का अनुसरण कराया जाता है । बैंकर्स एवं कार्यदायी विभागों का विशेष योगदान रहता है । इन गठित समूहों में 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के होगें । व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन तीन सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता है । इसमें अनुदान की अधिकतम सीमा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिये सामान्य परिवार 7.5 हजार तथा अ0जा0/ज0जा0 10000 तथा समूह के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशित अधिकतम् 1.25 लाख रूपये रखी गई है । ग्रामीण गरीबों का कौशल सम्वर्द्धन एवम् प्रशिक्षण इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है । इसमें समाजसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रखी गई है । स्वरोजगार समूहों को गठन के 6 माह पश्चात् क्षेत्रीयकरण करके कार्यशील समूहों को रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराना तथा 6 माह पश्चात् पुनः श्रेणीकरण कर कार्यशील एवम् अच्छे समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है ।[14]

सुनिश्चित रोजगार योजना :-

झाँसी जिले के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया । इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले

ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा सामुदायिक, सामाजिक एवम् आर्थिक परिसम्पत्तियों को सृजित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है । जिसमें केन्द्रांश 75 प्रतिशत तथा राज्यांश 25 प्रतिशत रखा गया है । सुनिश्चित रोजगार योजना में गरीबीरेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति तथा जोखिम भरे खतरनाक कार्यो से निकाले गये श्रमिकों के अभिभावकों को इसके अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाती है । कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला पंचायत के माध्यम से किया गया है । इस योजना के लिये 70 प्रतिशत धनराशि का अंश क्षेत्र पंचायत द्वारा 30 प्रतिशत अंश जिला पंचायतों को बाँटा जाता है । इसी अनुपात में वार्षिक कार्ययोजना क्षेत्र पंचायतों तथा जिलापंचायतों द्वारा बनायी जाती है । कार्यदायी संस्थाओं में संबंधित विभाग तथा पंचायतीराज की तीनों स्तरों की संस्थाऐं हो सकती है और मजदूरी का भुगतान नकद किया जाता है । [15]

इन्दिरा आवास योजना :-

झाँसी जिले के अन्तर्गत इन्दिराआवास योजना का आरम्भ वर्ष 1985 में हुआ जिसमे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास मुहैया कराना है । इस योजना में केन्द व राज्य का अंश 75:25 का रखा जाकर वहन करने का प्रावधान किया गया है । इन्दिरा आवास योजना में नये आवासों हेतु पहाड़ी एवम् कठिनाई वाले क्षेत्रों में 22000 रूपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 20000 रूपये प्रति आवास तथा कच्चे आवासों के सुधार हेतु 10 हजार रूप्या प्रति

आवास इकाई लागत निर्धारित की गई है । इन आवासों का निर्माण लाभार्थियों के स्वयं के भूखण्ड या क्लस्टर में एक जगह बनाये जायेगें । इनका कोई डिजायन निर्धारित नहीं होता है । आवास कुर्सी क्षेत्र कम से कम 20 वर्गमीटर का हो । लाभार्थियों को इसकी राशि बैंक के माध्यम से दो किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है । जिसे प्राप्त कर लाभार्थी स्वयं इन आवासों का निर्माण कराता है। लाभार्थियों के चयन में गरीबीरेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 60 प्रतिशत 3 प्रतिशत विकलांग तथा शेष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है । इस आवास में स्वच्छ शौचालय तथा धूम्ररहित चूल्हा योजना का अभिन्न अंग होगा ।[16]

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :-

झाँसी जिले के अन्तर्गत जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरम्भ वर्ष 1 अप्रैल, 1999 में हुआ जिसमे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बेरोजगारों के लिये पूरक रोजगार का सृजन करना तथा निरन्तर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली परिसम्पत्तियों का निर्माण कराना है। इस योजना में केन्द व राज्य का अंश 75:25 का रखा जाकर वहन करने का प्रावधान किया गया है । इसके अन्तर्गत नियमित मजदूरी राशि निर्धारित कर कार्यो में मजदूरों को लगाकर उसका नियमित दैनिक भुगतान किया जाता है ।[17]

ग्रामीण पेयजल योजना :-

झाँसी जिले के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजना का शुभारम्भ 1981–82 में हुआ । जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना तथा ग्रामीणक्षेत्रों की प्राथमिक शालाओं में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करना है । इस कार्यक्रम का संचालन राज्य एवम् केन्द्र सरकार द्वारा प्रथक किया जाता है ।[18]

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम :–

झांसी जिले के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 में इस योजना आरम्भ हुई । इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सहयोग संसाधन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से विकासखण्डों द्वारा संचालित कर राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम में निम्न प्रकार के चूल्हों का वितरण किया गया है :–

चिमनी सहित स्थाई चूल्हा, उठाऊ चूल्हा, हाईएल्टीट्यूड चूल्हा शामिल है इस योजना का उद्देश्य वन सम्पदा एवं जलाऊ लकड़ी की बचत, धुएं से बचाव, वायु प्रदूषण की रोकथाम, र्महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, खाना पकाने के समय में कटौती करना है ।[19]

राष्ट्रीय बायो गैस कार्यक्रम :–

झांसी जिले में राष्ट्रीय बायो गैस योजना का शुभारम्भ वर्ष 1981–82 में हुआ । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपारम्परिक उर्जा की व्यवस्था करना, उत्कृष्ट जैविक खाद प्राप्त करना , गृहणियों के स्वास्थ्य में

सुधार करना , पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करना । इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सहयोग संसाधन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से विकासखण्डों द्वारा संचालित कर राष्ट्रीय बायो गैस कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है इसके लाभार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मॉडल के बायो गैस संयंत्र बनाए जाते है जिसमें अनुदान के रूप में एक बड़ी राशि लाभार्थी को देने का प्रावधान है जिससे वह इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हो सके।[20]

सन्दर्भ :-

1- लाल एवम् जैन उत्तरप्रदेश सामान्य ज्ञान पृष्ठ 2.

2- लाल एवम् जैन उत्तरप्रदेश सामान्य ज्ञान पृष्ठ 2.

3- उत्तरप्रदेश एक परिचय जनसम्पर्क विभाग उ0 प्र0 शासन लखनऊ पृ04

4- उत्तरप्रदेश एक परिचय जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0शासन लखनऊ पृ05

5- उत्तरप्रदेश के विकास संकेतक जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0शासन प्र018

6- उत्तरप्रदेश के विकास संकेतक जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0शासन प्र019

7- विकेन्द्रीकरण एक नई दिशा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 पृष्ठ 4

8- उत्तरप्रदेश एक परिचय जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0शासन लखनऊ पृ07

9- डॉ0के0के0शर्मा–भारत में पंचायतीराज–कालेज बुकडिपो जयपुरपृ07–10

10 प्रतियोगितादर्पण, नवम्बर 2006 उत्तरप्रदेश एक परिचय

11- पंचायतीराज एकपरिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ - 34

12- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -36

13- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -37
14- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -36
15- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -33
16- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -39
17- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -38
18- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -41
18- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -33
19- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -98
20- पंचायतीराज एक परिचय उ0प्र0शासन पृष्ठ -103

===============

===========

अध्याय-4

म.प्र. के ग्वालियर जिले में पंचायती राज

1. ग्वालियर जिला एक परिचय
2. ग्वालियर जिले में पंचायतीराज की स्थापना
3. ग्वालियर जिले में पंचायती राज का संगठन
4. ग्वालियर जिले में पंचायतीराज व्यवस्था

अध्याय - 4

म0प्र0 के ग्वालियर जिले में पंचायती राज

1-ग्वालियर जिला एक परिचय :-

गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है । पुरा सम्पदा से परिपूर्ण ग्वालियर जिले के संबंध में उपलब्ध साहित्य के अनुसार ईसापूर्व छटवीं शताब्दी में यह क्षेत्र पाटिलपुत्र की नन्द वंश में सम्मिलित था वर्तमान् पवाया तत्कालीन पद्मावती नगरी इसको राजधानी थी । कुशार्णों ने इस क्षेत्र में विशाल साम्राज्य की स्थापना की । नागवंश में यह क्षेत्र समृद्धशाली बना । इसके बाद परिहार वंश, दसवीं शताब्दी में चन्देल वंश ने आधिपत्य स्थापित किया ग्वालियर जिला मौहम्मद गौरी तैमूरलंग के आक्रमणों का प्रत्यक्षदर्शी है । कालान्तर में तोमर वंश के राजा मानसिंह का राज्य स्थापित हुआ । तोमर वंश के राजा मानसिंह के राज्यकाल में स्थापित एवम संगीत कला का विकास हुआ । मानसिंह के वंशज राजा विक्रम की मृत्यु 1526 में पानीपत के युद्ध में होने के बाद मुगल राजा बाबर का आधिपत्य हुआ । मुगल शासन के उपरांत सिंधिया तथा उनके बाद अंग्रेजों के आधिपत्य का गवाह ग्वालियर जिला झाँसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की कुर्बानी की कहानी कहता है । [1]

ग्वालियर जिले के बेहट की माटी के सपूत तानसेन सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण ग्वालियर जिले का शासकीय महत्व भी अधिक है ।

विहंगावलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ग्वालियर सम्भाग में घनत्व के आधार पर ग्वालियर जिले का घनत्व ही सबसे अधिक है। चूँकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मुरैना जिले के पश्चात् ही आता है। परन्तु ऐतिहासिक व अपनी औद्योगिक पृष्ठभूमि के कारण यह एक विस्तृत जिला है । ग्वालियर जिले की कुल जनसंख्या 16,29,881 है जिनमें पुरूष 8,52,258 एवम् महिलाऐ 7,47,623 हैं । जनसंख्या की वृद्धि दर देखें तो यह प्रतिशत वृद्धि दर लगभग 26 है ।

जिला साक्षरता की दृष्टि से 58.36 प्रतिशत है । जिनमें पुरूषों का 70.86 प्रतिशत है जबकि महिलाओं का 43.08 प्रतिशत है । ग्रामीण साक्षरता 35.85 प्रतिशत है ।

ग्वालियर जिले में क्षेत्रफल की सीमा में 776 गाँव हैं जो कि बीच जिले से जुड़े हुऐ हैं । जिनमें से 598 ग्राम आबाद हैं ।

जिले में कुल भूमि का 1306 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित है साथ ही 298 हजार हेक्टर भूमि कृषि योग्य है । ग्वालियर जिले में लगभग 2,70,500 मीट्रिक टन गेहूँ, 25,554 मीट्रिक टन चना, 7,487 मीट्रिक टन ज्वार व 2,520 मीट्रिक टन मूंगफली की फसल पैदा की जाती है

। ग्वालियर जिले का कुल सिंचित क्षेत्र 1,23,940 हैक्टेयर है । [2]

मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है । कृषि के साथ साथ अब उद्योग भी बड़ी संख्या में स्थापित किये गये है । कृषि के साथ उद्योगों में भी श्रम शक्ति का उपयोग बढ़ा है । राज्य में श्रम हिस्सेदारी वर्ष 2000-01 में 52.36 प्रतिशत थी जिसमें से 25 से 35 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले औद्योगिक क्षेत्रों में और शेष कृषि क्षेत्रों में थी । ग्वालियर जिले में पुरुष श्रम हिस्सेदारी 52.74 प्रतिशत है जबकि महिला श्रम भागीदारी 40.06 प्रतिशत है । [3]

ग्वालियर जिले में कुशल एवम् अकुशल श्रमिकों के लिये पृथक-पृथक मजदूरी की दर लागू की गई है । ग्वालियर जिले में आय.आर.डी. ट्रायसेम ड्वाकस, सिटीगंगा कल्याण तथा जीवन धारा रोजगार योजना के अंतर्गत अधिक ग्रामीणो व विशेषकर मजदूरों को स्व-रोजगार योजनाएं लागू की गई है।

ग्वालियर ज़िले की जलवायु उष्ण होने के कारण चूना, मिट्टी, सीमेण्ट आदि से संबंधित उद्योगों की अधिकता है । ग्वालियर जिले की प्रमुख नदियों में स्वर्ण रेखा,सांक, वैशाली, सिंध, आसन, लून आदि प्रमुख हैं । यहाँ पर गर्मियों के दिनों में भीषण गर्मी एवम् सर्दियों में कड़ाके की ठण्ड पड़ती है । जिले की औसत वर्षा 751.2 मिलीमीटर से 1023 मिलीमीटर है । जिले में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूँ, चावल, ज्वार, चना, एवम् गन्ना प्रमुख है । इसके अतिरिक्त कुछ नगद फसलें जैसे दालें

आदि भी उगाई जाती है। ग्वालियर जिले में सिंचाई के प्रमुख साधन तालाब और बांघ है जिनमें हरसी, तिधरा, रमौआ आदि प्रमुख है । इसके अतिरिक्त कई छोटी व बड़ी नदियां भी जल संसाधन के प्रमुख स्त्रोत है । ग्वालियर शहर मुख्यतः आगरा–बम्बई राजमार्ग पर स्थित है जिसमें 69 किलोमीटर की दूरी यह राजमार्ग इस जिलें में तय करता है ।

शिक्षा की दृष्टि से ग्वालियर जिले की स्थिति मध्यप्रदेश में इन्दौर के बाद आती है । यहाँ सभी प्रकार के व्यावसायिक एवम् तकनीकी शिक्षण संस्थाऐं स्थापित हैं । ग्वालियर जिले की जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा का प्रतिशत काफी कम है । जबकि इन्दौर, भोपाल एवम् जबलपुर का शिक्षा का प्रतिशत अधिक है । जनसंख्या के शिक्षित होने से जनसंख्या वृद्धि की संख्या भी प्रभावित होती है । शिक्षा जगत् में सभी प्रकार की सुविधायें भी रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराती हैं । आर्थिक व औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी शैक्षणिक सुविधायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । वर्तमान् शिक्षा की दृष्टि से निजी क्षेत्र के आगमन के कारण शैक्षणिक संस्थान व औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बड़ी संख्या में स्थापित किये गये हैं जिसके कारण शिक्षा का स्तर ग्वालियर जिले में निरन्तर वृद्धि की ओर है ।

ग्वालियर के औद्योगिक विकास में मालनपुर, बामौर ओर रायरू प्रमुख स्थान रखते हैं जिनमें से मालनपुर भिण्ड जिले में है लेकिन ग्वालियर के नजदीक होने के कारण यह

ग्वालियर में ही समाहित है । यहाँ पर सीमेण्ट, चूना, ईट, चीनी मिट्‌टी के बर्तन, टॉफी एवम् बिस्कुट वनस्पति घी, शुद्ध घी, लोहा उद्योग एवम् चमड़ा उद्योगों की प्रमुखता है । कपड़ा उद्योग भी प्रमुख था परन्तु किन्हीं कारणों से यह समाप्त हो गया है ।

ग्वालियर में कई परिवारों की आय तो उद्योग क्षेत्रों और कुटीर उद्योगों से प्रेरित है । इन उद्योगों में कालीन निर्माण, चीनी मिट्‌टी के बर्तन, घरेलू उपकरण एवम् तेल उद्योग प्रमुख हैं । ग्वालियर की कुल जनसंख्या का लगभग 53 प्रतिशत भाग इन्हीं उद्योगों में कार्यरत है । आर्थिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भी हमारे जिले का आर्थिक विकास हुआ है ।

2- <u>ग्वालियर जिले में पंचायती राज की स्थापना</u> :-

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पर चर्चा करते समय ऐसी संस्थाओं के इतिहास का वर्णन औपचारिक है, जिससे विभिन्न ऐतिहासिक पहलुओं के महत्व को समझा जा सके । मध्यप्रदेश में स्थानीय स्वशासन की जानकारी पुराने मध्यप्रदेश में प्रचलित स्थानीय स्वशासन के अध्ययन के बिना अपूर्ण है । बिट्रिश शासनकाल में मध्य प्रान्त में स्थानीय स्वशासन के विकास का अध्ययन निम्न तीन चरणों में किया जा सकता है । [4]

1- <u>सन् 1983 से पूर्व</u> :-

ग्राम समुदाय जो प्राचीन भारत में फला फूला क्रमशः मुगलकाल में दुर्बल हुआ अन्ततः बिट्रिश शासनकाल में

पूर्णतः नष्ट तथा लुप्त हो गया लार्ड कार्नवालिस द्वारा प्रारम्भ की गई नवीन भूमि नीति, प्रशासनिक केन्द्रीकरण, प्राचीन भारतीय नागरिक संस्थाओं के स्थान पर विदेशी आयात की गई संस्थाओं की स्थापना आदि ने स्थानीय स्वशासन सरकार के नींव पर आधात पहुँचाया । कार्नवालिस के समय से एक के बाद एक पंचायतों के कार्यो को सरकारी अधिकारियों को प्रदत्त किये जाने के परिणामस्वरूप पंचायतों के प्राचीन स्वरूप नष्ट हो गये । ग्राम समुदाय की भावनाओं एवम् व्यवस्था लोगों के हृदय में इतने गहरे रूप से स्थापित थी कि वह देश के विभिन्न भागों में चलती रही और ग्राम मूलतः प्रशासन की मूल इकाई बने रहे । ब्रिट्रिश शासकों ने भी ग्राम समुदायों के सुशासन की प्रसंशा की है।

कुछ समय पश्चात् सरकार ने अनुभव किया कि केन्द्रीकरण प्रयोग के कारण बढ़ता हुआ प्रशासनिक एवम वित्तीय बोझ असहनीय बन गया है । इस जानकारी से नवीन स्थानीय स्वशासन नीति का सूत्रपात हुआ । यद्यपि नवीन नीति का आशय प्राचीन पंचायत व्यवस्था की स्थापना नहीं था बल्कि उनके स्थान पर पर नवीन स्थानीय्र क्षेत्रों नगर पालिकाओं एवम् ग्रामीण बोर्डो की स्थापना करना था । इसलिये प्राचीन स्थानीय संस्थाओं और नवीन स्थापित स्थानीय संस्थाओं में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है और वे प्राचीन भारत के एतिहासिक विकास के अंग नहीं माने जा सकते । इस प्रकार वर्तमान् में जो स्थानीय संस्थाऐं विद्यमान है ब्रिट्रिश काल में धीमी गति से हुआ । काफी समय बाद सन् 1883 में जिला बोर्ड तथा स्थानीय बोर्ड

स्थापित किये गये। ग्रामीण पंचायतों की स्थापना तो काफी समय बाद वर्ष 1920 में की गई ।

ब्रिट्रिश शासनकाल में भारत स्थानीय सरकार के स्थापना के तीन प्रमुख कारण वित्तीय, प्रशासनिक और राजनैतिक थे । इन सबमें वित्तीय कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण था । स्थानीय सरकार की संस्थाओं का विकास करने का एक तात्कालिक कारण प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद सरकार की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था थी । काफी समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी संकटपूर्ण स्थिति में रही । ऐसी स्थिति में सरकार के लिये राष्ट्रीय महत्व की सेवाऐं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् सडकों आदि के विकास के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराना संभव नहीं था । बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के कारण यह विचार किया जाने लगा कि स्थानीय संस्थाओं का विकास किया जाये । जिसके फलस्वरूप वित्तीय विकेन्द्रीकरण जैसा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया इस कदम के द्वारा सडकों, शिक्षा एवम् अन्य सार्वजनिक कार्यो का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कर दिया गया । साथ ही यह प्रयास किया गया । लोगों की इस आदत को तोड़ना है कि प्रत्येक बात के लिये केन्द्र पर निर्भर न रहा जाय और जिनको वे स्वयं ही कर सकते हैं । दूसरा कारण स्थानीय सरकार प्रारम्भ करने की प्रशासनिक व्यवस्था थी । भारत के शासक वर्ग में यह भावना तीव्र थी कि प्राचीन संस्थाओं में जो अच्छाईयां है उनका भरपूर उपयोग किया जाये और प्राचीन ग्राम व्यवस्था को पुनः सक्रिय किया जाये । स्थानीय सरकार का

प्रशासनिक दृष्टि से न केवल महत्व था बल्कि उससे महत्वपूर्ण राजनैतिक ध्येय की पूर्ति भी हुई ।[5]

लार्ड रिपन का यह मत था कि स्थानीय सरकार का यन्त्र केवल प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति न करें बल्कि उससे राजीनितिक शिक्षा एवम् प्रशासनिक कार्य कुशलता भी प्राप्त करनी चाहिये । इस प्रकार राजनैतिक प्रशिक्षण स्थानीय सरकार का मुख्य कार्य है । जो प्रशासनिक कार्य कुशलता से अधिक महत्वपूर्ण है ।[6]

लार्ड रिपन के प्रस्ताव द्वारा ब्रिट्रिश राज्य के इतिहास में भारत के स्थानीय क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं को स्वयत्तता देने का गंभीर और सार्थक प्रयास किया गया । जिसके अन्तर्गत ग्वालियर मे नगर पालिका और देहातों में जिला बोर्ड और स्थानीय बोर्ड स्थापित किये गये ।

2- **सन् 1883 से 1922** :-

लार्ड रिपन के सन् 1882 के महत्वपूर्ण प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रान्त स्थानीय स्वसरकार अधिनियम, 1883 पारित हुआ । दुर्भाग्यवश लार्ड रिपन प्रस्ताव पर राज्य सरकारों द्वारा गंभीरता पूर्वक अमल नहीं किया गया और कुल मिलाकर प्रस्ताव के सिद्धांतों की अवहेलना ही अधिक हुई । मध्यप्रान्त की सरकार ने सन् 1883 के अधिनियम में सुधार के प्रयास सन् 1908 से ही प्रारम्भ कर दिये थे।

बी0राबर्सन के मुख्य आयुक्त बनने के पश्चात् सुधारों के प्रयासों में और अधिक गति आई और उन्होने 1883 के अधिनियम में सुधार हेतु पर्याप्त चर्चा के पश्चात् एक

प्रस्ताव तैयार किया । यह प्रस्ताव सन् 1917 में प्रान्त की विधानसभा में एक स्थानीय स्वसरकार विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया । इसके पूर्व यह विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर पाता स्थानीय संस्थाओं के विकास के दिशा में भारत सरकार की ओर से सन् 1918 में एक महत्वपूर्ण धोषणा की गई । इस घोषणा की पृष्ठभूमि में मुख्य आयुक्त ने प्रस्तावित विधेयक में यथोचित परिवर्तन करते हुए सन् 1920 में विधेयक को पुनः विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया । यह विधेयक सन् 1920 में पारित होकर 1 मई 1922 में प्रभावशील हुआ ।[7]

3- <u>सन् 1922 से 1947</u> :-

आगामी वर्षो में स्थानीय संस्थाओं में सुधार हेतु अनेक प्रयास किये गये । सन् 1935 में स्थानीय स्वशासन समिति गठित की समिति को इन संस्थाओं के संबंध में विशेषकर चुनाव, कर्मचारी, शासकीय नियंत्रण, कर और लेखांकन के संबंध में विशेष रूप से सुझाव देने को कहा गया । इसके पूर्व की समिति सुझावों को अमल में लाया जाता । सन् 1935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । इस परिवर्तन के अन्तर्गत स्थानीय स्वशासन को पूर्ण रूप से राज्य का विषय बना दिया गया और द्वेध शासन को समाप्त करके प्रान्तीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया । स्थानीय संस्थाऐं अब केवल प्रायोगिक संस्थाऐ नहीं रही, बल्कि उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयां बनाने की दिशा में विभिन्न प्रान्तों में सुधार हेतु प्रयास प्रारम्भ हुआ।

जनपद योजना :-

सन् 1935 के अधिनियम के आधार पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रथम पहल करने वाले प्रान्तों में मध्य प्रान्त का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है । मध्य प्रान्त में सन् 1948 में "जनपद योजना" का श्रीगणेश हुआ । इस योजना का आधार विकेन्द्रीकरण करना था । इस योजना के निर्माणकर्ता पं0 द्वारका प्रसाद मिश्र थे जो सन् 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत कांग्रेस सरकार में स्थानीय स्वशासन मंत्री थे । जनपद योजना के नाम से प्रसिद्ध यह एक प्रथम श्रेणी की नवीन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की कार्यवधि थी । भावनात्मक दृष्टि से हमेंउसमें ग्रामीण संस्थाओं की बलवन्तराय मेहता योजना की झलक देखने को मिलती है । वस्तुतः जनपद योजना समय पूर्व एक नवीन साहसिक कदम था ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् :-

सन् 1946 में जब कांग्रेस सरकार सत्तारूढ हुई तब स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में सुधार की दिशा में प्रयास आरम्भ किये गये । अधूरकार्य को पुनः हाथ में लिया गया।

नगरीय स्थानीय संस्थाओं का विकास :-

1 नवम्बर 1956 को नवीन मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ । नगरीय स्वायत्त प्रशासन के कार्यो में एकरूपता लाने के लिये और उनका एकीकरण करने के लिये जुलाई

1957 में मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय स्वायत्त स्वशासन समिति का गठन किया । इस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 पारित हुआ । यह अधिनियम मध्यप्रदेश में 1 फरवरी 1962 में लागू हुआ । जिसे मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के नाम से संबोधित किया गया ।[8]

इस प्रकार नवीन मध्यप्रदेश में सम्मिलित पाँच घटकों में पंचायत विधानों को एकीकृत करके एक नया अधिनियम तैयार किया गया । विधानसभा द्वारा पारित हो जाने पर विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया । प्रस्तावित अधिनियम में जनपद पंचायतों में प्रतिनिधित्व हेतु निर्वाचन के साथ विशेष परिस्थिति में मनोनीत का भी प्रावधान रखा गया था । 11 जुलाई सन् 1962 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के साधारण गजट में 20 जुलाई 1962 को हिन्द व अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित किया जाकर राज्य में पंचायती राज्य की स्थापना की गई ।

इस प्रकार हम देखते है कि मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा पंचायत राज खण्डशः लागू किये जाने का प्रावधान रखा गया था । जिस अधिकार का राज्य शासन द्वारा पूर्ण रूपेण प्रयोग किया गया। यद्यपि राज्य में पंचायत अधिनियम लागू किया जा चुका था । फिर भी राज्य में पूर्ण पंचायत लागू किया जाना शेष रह गया था । ग्वालियर जिले में पंचायत राज की स्थापना के अन्तर्गत सन् 1962 में 1500 से 2500 तक की जनसंख्या वाले ग्राम अथवा

ग्राम समूह के लिये एक ग्रामसभा के गठन का प्रावधान रखा गया था । जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचन में ग्रामसभा क्षेत्र के निवास करने वाले सभी वयस्क मतदाताओं को भाग ले सकने हेतु योग्य माना गया । सन् 1970 में जिले में पंचायत के द्वितीय निर्वाचन कराये गये ।

मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 के उपबन्धों के अनुसार यह व्यवस्था रखी गई थी कि यदि ग्राम पंचायत निर्वाचन में किसी भी ग्रामपंचायत में निर्वाचित पंचों में दो से कम महिलायें निर्वाचित हुई हों तो ग्राम पंचायत इतनी महिलाओं को सहयोजित कर सकती है जिससे उनकी संख्या कम से कम दो हो जाये । सहयोजित होने की पात्रता उन्हीं महिलाओं को प्राप्त होती थी जो उस ग्रामसभा की सदस्या हों और ग्रामपंचायत के पंच चुने जाने की योग्यता रखती हों। इसी प्रकार ग्रामसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का इन जातियों एवम् जनजातियों की संख्या के बराबर पद आरक्षित किये जाने का प्रावधान रखा गया था ।

जिले के तृतीय पंचायत सामान्य चुनाव सन् 1977 मई जून में सम्पन्न हुए । हरिजन और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिये पंचायतों में उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई । ग्राम पंचायतों में सरपंच का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सत्ता के विकेन्द्रीकरण को वास्तविक बनाने एवं ग्राम पंचायतों को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक ईकाई के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से

ग्रामीण सचिवालय योजना लागू की गई। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सरलीकृत पंचायत अधिनियम पारित होने तक के लिये मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 को निरस्त करके मध्यप्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 को पूरे राज्य में लागू किया गया था। सन् 1990 में एक नवीन पंचायत अधिनियम बनाया गया । ग्वालियर जिले में सन् 1994 से विधिवत् तीनों पंचायत राज संस्थाओं के पंचायत राज का श्री गणेश हुआ । उसके पूर्व पंचायत राज खण्डशः रूप में लागू होता रहा है । यह खेद का विषय है कि प्रदेश में पंचायत राज विलम्ब और धीमी गति से लागू होता रहा, जिसका प्रभाव ग्वालियर जिले की पंचायत राज व्यवस्था में भी देखने को मिलता है । इसलिये 26अप्रैल 1993 को पारित 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों के सन्दर्भ में जिले की पंचायत राज संस्थाओं के गठन, कार्यो, शक्तियो और कार्य व्यवहार संबंधी प्रावधानों में आवश्यक करने की दृष्टि से पहल की गई। पंचायत राज के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था कायम की गई जो ग्राम सभा, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के रूप में होगी ।[9]

इस प्रकार से प्रत्येक ग्रामसभा में सभी मतदाता इसके सदस्य होगें। प्रत्येक ग्रामसभा के लिये एक पंचायत होगी, जिसमें जनसंख्या कि अनुसार न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकेंगे । जनपद पंचायत विकास खण्ड स्तर पर होगी, जिसमें केवल कम से कम 10 और जनसंख्या अधिक होने पर 25 सदस्य होगें । जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी, जिसमें जनसंख्या के आधार पर 10 से 35 तक सदस्य हो सकेंगे । इन संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष हों

इसके लिये राज्य में एक स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है । पंच,सरपंच, और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा सीधे ही मतदान प्रकिया द्वारा किया जाता है ।

जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत के उपसरपंच का चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा । जिले में अनुसूचित जाति , जनजाति और पिछडा वर्ग से नहीं वहाँ उपाध्यक्ष का पद इन्हीं वर्गो के लिये होगा । सरकार ने व्यवस्था दी है कि सभी स्तर की पंचायतों में एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत से भी कम है तो वहाँ कुल स्थानों का 25 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित होगा । इनका कार्यकाल पाँच वर्ष के लिये होगा।

मध्यप्रदेश में कुल 47 जिला पंचायतें हैं – जिनमें से 7 पद अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति, 13 पद अनुसूचित जनजाति और 11 पद पिछड़े वर्ग में से आरक्षित हैं । सभी वर्गो में कुल 15 पद महिलाओं के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित हैं ।

पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवम् जिला पंचायत सदस्य के लिये सीधी मतदान निश्चित ग्राम पंचायतों के उप सरपंच एवम जनपद एवम् जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित सदस्यों में तथा उन्हीं के द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन होगा । इन संस्थाओं के सभी चुनाव गैर–दलीय आधार पर कराये जाते हैं ।

इस प्रकार नवगठित जिला पंचायत में समाज के प्रत्येक वर्ग को हिस्सेदारी दी गई है । इन्हें पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के अलावा सही रुप से कार्यकारी इकाई बनाने की दृष्टि से अधिकार सम्पन्न भी बनाया जा रहा है । अब पंचायत ऐसी सक्रिय व सजीव संस्थाऐं होगी जो विकास नियमन और सामान्य प्रशासन के कार्य करेगी।

जिला पंचायत के अधिकार एवम् कर्त्तव्य :-

ग्राम पंचायत -

ग्राम पंचायते अपने क्षेत्र के सर्वान्गीण विकास हेतु जिम्मेदार रहेंगी। ग्रामीण रोजगार की सभी योजनाओं के कियान्वयन पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व भी ग्राम पंचायतों का है । कृषि एवम् बागवानी के विकास की योजनाओं के दौरान अपने क्षेत्र की उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पंचायतों को सौंपी गई है । निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता, आंगनवाड़ियों का संचालन, साक्षरता अभियान का प्रचार प्रसार आदि का कार्य भी ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था, नल जल योजनाओं का संधारण, सार्वजनिक मार्गो से अतिक्रमण हटाने, भवनों के निर्माण पर नियंत्रण रखने, मार्गो के नामकरण करनें एवम् बाजार व मेलों के विनियमन के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं ।[10]

जनपद पंचायत -

जनपद पंचायतें अपने क्षेत्र के सर्वान्गीण विकास हेतु संबंधित योजनाऐं ग्राम पंचायतों के माध्यम से बनाकर

उसका क्रियान्वयन करायेगी। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ट्रायसेम तथा ग्रामीण रोजगार की योजनाओं पर निगरानी की जिम्मेदारी भी जनपद पंचायतों को सौंपी गई है । स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा समेकित बालविकास कार्यक्रम एवम् सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी जनपद पंचायतों को निभानी है । अपनी क्षेत्र की शालाओं का प्रबन्धन एवम् निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व भी जनपद पंचायतों को दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना का क्रियान्वयन भी जनपद पंचायतें करेंगी। जनपद पंचायतें अपने क्षेत्र में आने वाली ग्रामपंचायतों के बीच समन्वयक और मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगी।

जिला पंचायत –

जिला पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाया गया है । वर्तमान् में जिला पंचायतें जिला स्तर पर शासन की इकाई के रूप में कार्य करेंगी । जिला पंचायतों को सौंपे गये उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु जिले के शासकीय तन्त्र पर कार्यकारी नियंत्रण के अधिकार भी जिला पंचायतों को प्रदान किये गये हैं । ग्वालियर जिला पंचायत राज में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिलाधीश को बनाया गया है । जिला योजना मण्डलों के स्थान पर जिला योजना समितियां, जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिनस्थ रहकर कार्य करेंगी ।

3– ग्वालियर जिले में पंचायती राज का संगठन :–

संगठन में संरचना और मानव संगठन दोनों सन्निहित हैं । संगठन प्रशासन का प्रमुख अंग हैं । किसी भी

संस्थान के उद्देश्य की सफल प्राप्ति अथवा प्रयोजन की पूर्ति के लियं जिन संसाधनों को हम निश्चित सिद्धांतों के अनुसार एकत्रित करना चाहते हैं वह संगठन है । संगठन उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किये जा रहे कार्य की एक ऐसी योजना की ओर निर्देशित करता है । जिसे सफल अनाने का व्यक्तियों के एक समूह ने निश्चिय कर लिया हो और जिसकी प्राप्ति के लिये वह सामूहिक रूप से प्रयत्नशील हों।

तकनीकी दृष्टि से संगठन समस्त सहकारी प्रयत्नों के लिये एक विचार धारा है । प्रबन्धकीय शस्त्रागार में संगठन एक ऐसा गतिशील शस्त्र है, जो व्यवसाय के प्रबन्धकों को योजनाबद्ध विधि से चार महत्वपूर्ण 'म' मनुष्य ,मशीन, मुद्रा तथा माल के नियंत्रित प्रयोग एवम् क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है । संगठन का उद्देश्य मानवीय प्रयासों का समन्वय करना है । एक अच्छा संगठन स्वस्थ मानव की भाँति कार्य करता है । वास्तव में संगठन वह प्रक्रिया है जो उत्पादन संबंधी विभिन्न कड़ियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है । न्यूनतम संसाधनो से अधिकतम लाभ प्राप्त करना उसी दशा में संभव है, जबकि उचित संगठन का प्रयोग किया जये । समस्त विभागों में सहयोग एवम् मिलजुलकर कार्य करने पर संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है ।[11]

संगठन सम्पूर्ण प्रबन्ध प्रक्रिया के संचालन का केन्द्र-बिन्दु है, जिसके द्वारा मानवीय प्रयासों को समन्वित करके उन्हें क्रियाशील बनाया जाता है। संगठन कार्यो,

संसाधनो एवम् संबंधों की एक औपचारिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से प्रबन्ध अपना कार्य सम्पन्न करता है ।

संगठन के संबंध में अमेरिका के उद्योग-पति **एण्ड्रयू कार्निगी ने अपनी विशाल सम्पत्ति को अमरीकी इस्पात निगम को बेचते समय कहा था, " हमारी समस्त मुद्रा, हमारे बड़े कारखाने, खानें तथा कोयले की भट्टियां , हमारा सर्वस्व ले जाइये, किन्तु हमारे संगठन को हमारे पास छोड़ दीजिए और कुछ वर्षो में मैं अपने आपको पुनः स्थापित कर लूंगा।"**[12]

ई0एन0 ग्लैडन के अनुसार – " संगठन से आशय किसी उद्यम में संलग्न व्यक्तियों के परस्पर संबंध का एक ढाँचा जो उद्यममें संलग्न व्यक्तियों के परस्पर संबंध का एक ढांचा जो उद्यम के कार्यो को पूरा कर सके ।"[12]

उर्विक के अनुसार – " किसी कार्य को संपादित करने के लिये कि किन क्रियाओं को किया जाए ?" इसका निर्धारण करना एवम् व्यक्तियों के बीच उन क्रियाओं के वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन है। "[13]

पिकनर के अनुसार – " संगठन का आशय व्यक्ति व्यक्ति के बीच तथा वर्ग-वर्ग के बीच उन संबंधों की स्थापना करने से है, जो इस प्रकार आयोजित किये जायें, कि व्यवस्थित श्रम विभाजन किया जा सके। । "[14]

जे.डी.मूने ने कहा है कि, "सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मानव सहयोग का नाम ही संगठन है।"[15]

लूथर गुलिक के अनुसार, "संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्यो को विभाजित और निर्धारित किंया जाता है तथा उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है।"[16]

उपर्युक्त विभिन्न परिभाषाओं से संगठन शब्द का प्रयोग मुख्यतः इन तथ्यों को प्रकट करना है– उस क्रिया का रूप जो प्रशासकीय ढ़ांचों का रूप निर्धारित करती है, ढ़ाचे के निर्माण और डिजाइन के लिये अर्थात् ढ़ांचें के कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करना, स्वयं प्रशासकीय ढ़ांचा तथा संगठन सिद्धान्त का बुनियादी तौर पर मानवीय होना। कुछ परिभाषाएं संगठन के अर्थ में मानव संबंध के विचार का संकेत नहीं देतीं, जबकि संगठन शब्द में दो बुनियादी शर्तें अन्तर्निहित हैं । प्रथम, किसी कार्य का किया जाना तथा द्वितीय, कार्य को पूरा करने में एक मानव समूह लगा हो, तो उसका कार्य–विभाजन होना। संगठन का कार्य है, कि वह उन लोगों के साधनों तथा अवसरों की संख्या में अभिवृद्धि करें, जिनके लिये संगठन की स्थापना की गई है। किसी भी संगठन को परिवर्तनशील और संशोधनशील होना चाहिये अन्यथा वह विकासशील नहीं रह सकेगा। इसलिये ग्लैडन ने लिखा है, "कोई भी संगठन जिसका परिवर्तन रूक गया है मृतप्राय है।" संगठन मानव आवश्यकताओं के साथ उत्पन्न होते हैं। अतः उनमें आवश्यकतानुसार बदलते हुये मूल्यों के अनुरूप ढ़लने की लचक होनी ही चाहिये ।

प्रशासन से आशय किसी संस्था में नीतियों एवं लक्ष्य को निर्धारित करने तथा संस्था के समस्त कार्यो पर नियंत्रण रखने से है। इस प्रकार प्रशासन के प्रमुख कार्य तीन है ।

1. नीति व लक्ष्य निर्धारित करना
2. समन्वय स्थापित करना तथा
3. नियंत्रण रखना।

विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रशासन की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गयी है।

जी0ई0 मिलवर्ड के अनुसार – " प्रशासन से आशय उस प्रक्रिया एवं उसके कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिये किया जाता है।" [17]

ई0एफ0एल0ब्रेच के शब्दो में – " प्रशासन संस्था का वह महत्वपूर्ण कार्य है,जो नीतियो के निर्धारण तथा उसके क्रियान्वयन से सम्बन्धित है, जिसके द्वारा कार्यक्रम निश्चित किया जाता है एवं नियोजन के अनुरूप उसकी क्रियाओ की प्रगति का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। [18]

जे0एन0शुल्जे के अनुसार ,– " प्रशासन किसी संस्था के उन उद्देश्यों को निर्धारित करने वाली शक्ति है, जिनकी पूर्ति के लिये संगठन एवं प्रबन्ध प्रयत्न करते है। तथा जिनके अनुसार ही उन्हे कार्य करना पडता है। [19]

डॉ0 विलियम आर0 स्प्रीगल के अनुसार – " प्रशासन किसी संस्था का वह पहलू है, जो संस्था के उद्दश्यों के व्यापक निर्धारण तथा उन उद्दश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी जाने वाली आवश्यक नीतियों के निर्माण से सम्बन्ध रखता है । यह विशिष्ट लक्ष्यों को पहले से ही निश्चित कर देता है । तथा उन सीमाओं को भी इंगित करता है जिनके भीतर लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाना चाहिए ।" [20]

विलियम एच0न्यूमैन के अनुसार – " प्रशासन व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किये जा रहे प्रयासों का आवश्यक मार्गदशर्न, नेतृत्व एवं नियंत्रण करना है ।" [21]

प्रशासन की उपर्युक्त वर्णित परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रशासन किसी संस्था का वह पक्ष है, जिसका संबंध संस्था के उद्देष्य निश्चित करने एवम् उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये नीति निर्माण करने से हैं । प्रशासन नीतियां निर्धारित करता है एवम वही उनमें आवश्यक सुधार भी करता है । श्रेष्ठ प्रशासन ही श्रेष्ठ प्रबन्ध एवम् संगठन को जन्म देता है ।

मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार त्रिस्तरीय की पंचायत राज प्रणाली लागू की गई है । इसके अनुसार ग्राम पंचायत – गाँव स्तर की, जनपद पंचायत माध्यमिक स्तर की तथा जिला पंचायत शीर्ष स्तर की प्रजातांत्रिक इकाई है ।

तीनों स्तर की पंचायतों को पूरी स्वायत्तता (स्वतंत्रता) प्रदान की गई है जिसके अनुसार वे –

- पंचायते स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगी। वे निगमित निकाय हैं ।
- पंचायतों का शाश्वत उत्तराधिकार होगा ।
- पंचायतों की स्वतन्त्र मुद्रा (सील) होगी ।
- पंचायतें अपने नाम से मुकद्मा दायर कर सकेंगी या उनके विरूद्ध उस नाम से मुकद्मा दायर किया जा सकेगा ।
- पंचायतों को अचल या चल सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने ओर हस्तान्तरित करने का नियमानुसार अधिकार होगा ।
- पंचायतों को संविदा करने और उसके अधीन अन्य आवश्यक कार्य करने के अधिकार होगें ।
- पंचायतों को सौपें गये कर्तव्यों एवम् अधिकारों का पालन करने के लिये उन्हें अपनी कार्यप्रणाली नियमानुसार निश्चित करने का अधिकार होगा । इन संस्थाओं के कर्मचारी उनके अधीन कार्य करेंगे।
- तीनों स्तरों की पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में स्वराज, स्वावलम्बन (आत्म निर्भरता) और स्वप्रशासन लाने के लिये स्थापित की गई है ।

जिला पंचायत,पंचायती राज की सबसे प्रमुख संस्था होने के नाते जनपद एवम् ग्राम पंचायत के लिये निम्नलिखित कार्य करेगी :– ,

- मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगी ।
- पंचायतें जिले की सभी ग्राम, जनपद पंचायतों में प्रशासकीय अमलों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करेंगी ।
- पंचायतें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के क्षेत्र में संचालित विकास कार्यक्रमों के सतत् मानिटरिंग एवं पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगी ।

जिला पंचायत के सहयोग से जनपद पंचायत निम्नलिखित कार्य करेंगी–

- जनपद पंचायत अपने कार्यक्षेत्र में विकास एवम् निर्माण कार्य करेगी,
- सार्वजनिक बाजारों, मेले, नौका–घाटों तथा प्रदर्शनियों की व्यवस्था तथा प्रबन्ध करेगी और इन कार्यो को करने में ग्राम पंचायत का सहयोग लेगी और उन्हें मार्गदर्शन्न देंगी ।

जिलापंचायत और जनपद पंचायत के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य करेंगी –

- ग्राम पंचायत गाँव की आधार भूत प्रशासनिक इकाई होने के कारण अपने क्षेत्र में विकास एवम् निर्माण की

योजनाओं, परियोजनाओं एवम् कार्यक्रमों को संचालित करगी ।

- ग्राम पंचायत कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के लिये जनपद एवम् जिला पंचायत से मार्गदर्शज प्राप्त करेगी ।

- हितग्राही लक्षित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगी और उस पर प्रशासकीय नियंत्रण करेगी ।

- ग्राम में सड़क, तालाब, स्कूल पहुँचमार्ग के लिये मार्ग का विकास और निर्माण करेगी ।

- जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम एवम् पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गये कार्य को वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत के मार्गदर्शन में पूरा करेगी ।

- ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की वार्षिक प्रतिवेदन एवं आय-व्यय का लेखा-जोखा जनपद, जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगी ।

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवम् जिला पंचायत जहाँ एक ओर स्वतन्त्र इकाई के रूप में अपने क्षेत्र में सौंपे गये कार्य को कर सकेंगी वहीं साथ ही साथ इन स्तर की पंचायतों में ऐसे आपसी संबंधी भी रहेंगे कि वे एक दूसरे की कठिनाईयों को समझकर ही योजनाऐं बनायेंगी । योजना बनाकर उनके क्रियान्वयन के लिये आर्थिक सहायता जुटायेंगी। इसके पश्चात् निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर

उसकी जानकारी एक दूसरे को प्रदान करेगी । प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर ही वे भविष्य के लिये विकास की योजनाऐं बनायेंगी।

धीरे-धीरे पंचायती राज के तीनों स्तरों के आपसी संबंध और अधिक मजबूत होगें और वे एक दूसरे की पूरक व मार्गदर्शक बन सकेंगी। इस तरह मिलकर काम करने की श्रृंखला सतत् बनी रहेगी। अब वह दिन दूर नहीं है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सपनों का ग्राम स्वराज लाया जा सकेगा । तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 राजीवगाँधी के सपनों को साकार करते हुए पंचायतों के विकास की उपयोगिता को गाँव तक पहुँचाया जा सकेगा । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिये उनके उत्थान, विकास और प्रशासन में हिस्सेदारी के नए अवसर के द्वार खुल गये हैं ।

पंचायतें एक ऐसी क्रांति है, जो विकास की ज्योति को हमारे लाखों गाँव तक पहुॅचायेगी । यह ऐसी क्रांति है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाखों लोगों और हमारे देश की आधी जनसंख्या अर्थात् भारतीय महिलाओं के लिये नये अवसर के द्वार खोल देगी । यह क्रांति मनमौजी ढ़ंग के प्रशासन को समाप्त कर देगी । तथा प्रशासन को प्रतिनिधित्व पूर्ण उत्तरदायी व संवेदनशील बनायेगी । हम कंधे से कंधा मिलाकर सबसे निचले स्तर पर लोकतन्त्र और विकास की एक महान साहस पूर्ण यात्रा पर निकलें हैं । हमारी इस यात्रा की सफलता इस बात पर

निर्भर करती है, कि आप और आपके पंचों के कंधोंपर जो जिम्मदारी डाली गई हैं वे किस तरह पूरी हो रही है ।

4– **ग्वालियर जिले में पंचायती राज व्यवस्था** :–

पंचायतीराज स्थापना के 14वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है । ग्वालियर जिले में पंचायती राज के अन्तर्गत पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाकर ग्रामीण विकास में पर्याप्त उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं ।

भू–अभिलेख एवम् बन्दोवस्त :–

ग्वालियर जिले में भू अभिलेख का पूर्ण रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा सामान्य नामान्तरण के अधिकार पंचायतों को प्रदान किये गये हैं । जिससे कृषकों को भी काफी सुविधाये उपलब्ध हुई हैं । सभी कृषकों को अपने स्वामित्व की भूमि उपलब्ध कराई गई है । [22]

सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण :–

ग्वालियर जिले में बाढ़ का प्रकोप नगण्य है । सिंचाई की सुविधाओं हेतु स्टाप डेमों का निर्माण कराया जाकर सिंचाई क्षमता एवम् सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है । इससे कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

विद्युत –

यद्यपि माँग के हिसाब से बिजली की आपूर्ति में प्रदेश में वर्षा कम होने से गिरावट आई है । फिर भी कृषि हेतु पर्याप्त विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है । वर्ष

2002–03 में विद्युत पम्प तथा एक बत्ती कनेक्शन की मुफ्त सुविधा दी जाकर ग्रामीणो को लाभांवित किया गया है।

उद्योग –

ग्वालियर जिले में लघु उद्योगों को स्थापित करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण दिया जाकर शहरी क्षेत्र में रोजगार स्थापित कराया गया है । जिले में उपलब्ध कच्चेमाल पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्रयास किये गये हैं जिससे लोगों को रोजगार के सुअवसर प्राप्त हुए हैं । ग्वालियर जिले में जिला उद्योग केन्द्र की भी स्थापना की गई है । जो जिले में उद्योग स्थापित करने की सम्भानाऐ खोजता है और नये उद्योग खोलने हेतु उद्यमियों को मार्गदर्शन देता है ।

सड़क –

ग्वालियर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरने से क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है । जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को भी सड़क मार्ग से जोड़ा गया है जिसमें बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाकर ग्रामीणों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है साथ ही साथ यातायात की सुविधा उत्पन्न होने से ग्रामीण अंचल के लोग अपने उत्पादन शहर में लाकर अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त कर रहें हैं जिससे ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार हुआ है । जिले में सड़क मार्ग की सुविधा भी लम्बी लम्बी दूरी की परिवहन सुविधाऐं भी जनता को प्राप्त हैं । जैसे– इन्दौर,

भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, कोटा, अजमेर, दिल्ली, हरिद्वार, इलाहाबाद आदि को बस सेवा से जोड़ा गया है । साथ ही ग्वालियर जिले में प्रत्येक जनपद पंचायत क्षेत्र में यातायात की सुविधाये उपलब्ध है। जिले में रेल परिवहन की सुविधायें भी पर्याप्त हैं । ग्वालियर जिले को रेल्वे के माध्यम से पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण चारों दिशाओं से जोड़ दिया गया है ।

जिला योजना समितियां :-

शासन की योजनान्तर्गत जिले के विकास हेतु योजना मण्डल के माध्यम से सांसद एवम् विधायक निधि से राशि प्रदाय की जाकर विकास कार्य कराये गये हैं । ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में जिला पंचायत ग्वालियर में कुलराशि रूपये 235.84 लाख उपलब्ध थी,जिसमें से 898.69 लाख रूपये का व्यय करने के उपरान्त 140.15 लाख रूपये वर्ष के अन्त में शेष रहे ।

शिक्षा :-

ग्वालियर जिले में वर्ष 2005-06 में 3733 प्राथमिक शालाऐ, 1038 माध्यमिक शालाऐं, 135 हाई स्कूल तथा 68 (10+2) शालाऐं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्वालियर जिले में 4 केन्द्रीय विद्यालय, 2 जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्र शासन द्वारा 21 आश्रम शालाऐं, आदिमजाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा चलाई जा रही हैं । ग्वालियर जिलें में 11 स्नातकोत्तर महाविद्यालय (शासकीय

एवम् निजी) 27 महाविद्यालय, 3 पॉलीटेक्निक संस्था, 3 औद्योगिक सप्रशिक्षण शालाऐं, एक बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, एक चिकित्सा महाविद्यालय 29 शिक्षा महाविद्यालय, 17 तकनीकी महाविद्यालय भी कार्यरत है । शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में छात्र छात्राओं को शिक्षा अध्ययन करने की सुविधा उत्पन्न होने से बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है ।

साक्षरता :-

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को अध्ययन की ओर आकर्षित करने के लिये साईकिल, पुस्तकें एवम् गणवेश निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं । यदि ग्रामीण क्षेत्र की कोई लड़क प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उच्चशिक्षा अध्ययन के लिये जाती है तो उसे गाँव की बेटी योजना के अन्तर्गत 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है । इस कार्यक्रम में आशातीत सफलता जिले को प्राप्त हुई है ।

ग्रामीण जल प्रबन्धन योजना :-

ग्वालियर जिले के प्रत्येक ग्राम में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में नलकूप खनन का कार्य किया गया है ।

समाज कल्याण :-

जिले में अपंग व्यक्तियों को ट्रायसिकल एवम् बैसाखी वितरण की गई है । बूढ़े निराश्रितों को पेन्शन द्वारा

लाभान्वित किया गया है। विकलांग छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जा रही है ।

महिला एवम् बाल विकास पोषण कार्यक्रम :–

ग्वालियर जिले में बाल विकास योजनान्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई है । इसके अन्तर्गत बच्चों को पोषण आहारवितरणके द्वारा लाभान्वित किया गया है। आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा महिलाओं एवम् बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण गर्भवती महिलाओं की देख–रेख तथा बच्चों एवम् महिलाऐं जो अशिक्षित हैं उनके शिक्षा एवम् प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है ।

वास्तविक विकास तभी माना जा सकता है जब ग्राम विकास के साथ हो। ग्वालियर जिले में इस दिशा में काफी ध्यान दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में सड़के, आवास हीनों को इन्दिरा आवास, सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी, रोजगार के अवसर, युवाओं को रोजगार–परक प्रशिक्षण,गरीबों को स्वावलम्बी बनाने के लिये ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गई है । ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी का समावेश एक महत्वपूर्ण कदम रहा है ।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

आज का बच्चा देश का भविष्य है। हमारे देश की करीब 26 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है जिन्हें दो वक्त का खाना कठिनाइ से नसीब होता है । वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजना ज्यादा योग्य समझतें हैं अतः विशेषकर इन बच्चों की

स्कूल में उपस्थिति नियमित करने व कुपोषण से बचाने व देश को एक उज्जवल भविष्य प्रदान करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा 15 जनवरी 2000 से बरई विकास खण्ड की उम्मेदगढ़ प्राथमिक शाला में,1 फरवरी 2004 से बरई विकास खण्ड एवम् नगरीय निकाय की एक-एक शाला में एवम् 1जुलाई 2004 से जिले के समस्त शासकीय एवम् शासन से अनुदान प्राथमिक शालाओं में रूचिकर मध्यान्ह भोजन व्यवस्था प्रारम्भ की गई । इसके तहत जिले में दाल रोटी / सब्जी रोटी प्रदाय करने का प्रावधान है ताकि बच्चों को प्रतिदिन 300 कैलोरी, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा प्रदान की जा सके । जिले में 1,80,716 दर्ज छात्रों को लाभान्वित किया गया है । मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रूचिकर भोजन तैयार करने हेतु शहरी क्षेत्र में 2 रूपये एवम् ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में दालरोटी / सब्जीरोटी 2 रूपये प्रतिदिन प्रति छात्र के हिसाब से निर्धारित किया गया है । सभी शासकीय शालाओं में भोजन पकाने हेतु बर्तन ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को ग्राम पंचायत एवम् शहरी क्षेत्र की शालाओं को नगरी निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गयें हैं तथा बच्चों को खाना खाने के बर्तन जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदाय राशि से क्रय कर विद्यालयों को दिये गये हैं । भोजन पकाने हेतु 100 छात्रों पर दो रसोईये नियुक्त किये गये हैं जिससे ग्वालियर जिले में लगभग 3 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । जिसमें आदिवासी हरिजन, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है । भोजन पकाने हेतु 38,292.27

क्विंटल अनाज का आवण्टन भारत शासन द्वारा प्रदाय किया गया था । वर्ष 2006-2007 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से 32,666.53 क्विंटल अनाज का उठाव किया गया । शिक्षा गारण्टी केन्द्र जिनकी संख्या 376 है मध्यान्ह भोजन में सम्मिलित किये गये हैं । इस प्रकार जिले में 1,462 शालाओं को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना :-

प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें रहकर वह अपने नियमित क्रियाकलाप एवम् सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सके, एक आम आदमी के लिये 'घर' उसके महत्वपूर्ण आर्थिक एवम सामाजिक सुरक्षा एवम समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है । आम आदमी के इसी सपने को साकार करती हुई आवासहीनों के लिये "इन्दिरा आवास योजना" है । शासन द्वारा इन्दिरा आवास योजना में केन्द्र शासन से 75 प्रतिशत व राज्य शासन की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है । जिसमें आवासहीनों को सरकार की ओर से उपलब्ध राशि में से 90प्रतिशत राशि से नवीन आवास एवम् 10 प्रतिशत राशि से आवास उन्नयन हेतु ग्वालियर जिले के आवासहीनों को राशि उपलब्ध कराई जाने की योजना लागू की गई है ।

इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाला आवासहीन व्यक्तियों को आवास सुविधा प्रदाय की गई है । इसके अन्तर्गत प्राथमिकता

क्रमानुसार लक्षित समूहों का तयन लक्ष्यानुपात में किया है –

1– कुल उपलब्धराशि का 3 प्रतिशत व्यय शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है ।

2– कुल उपलब्ध राशि में से नियमानुसार 60 प्रतिशत राशि अजा/अजजा के लाभार्थियों के लिये व्यय की गई है ।

इस योजना के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया में हितग्राहियों का चयन बी0पी0एल सर्वे सूची अनुसार ग्राम सभाओं के द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना में से क्रमानुसार किया गया है तदनुसार लक्ष्यानुपात में आवासों की स्वीकृति दी गई है ।

आवासहीन लोगों के अन्तर्गत आवासों का आवण्टन परिवार की महिला , पति एवम् पत्नी संयुक्त नाम से, विधवा परित्यकता महिला के नाम से आवास आवंटित किये जायेंगे ।

इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है । जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत वार लक्ष्य निर्धारण पश्चात् लक्ष्य अनुपात में राशि नवीन कुटीर (आवासगृह) की सम्पूर्ण लागत राशि रूपये 25,000/– की आधी राशि रूपये 12,500/– एवम् कच्चे आवासों को पक्के आवासों में परिवर्तित की सम्पूर्ण लागत राशि रूपये 10,000/– दस हजार रूपये की आधी राशि रूपये 5,000/– प्रथम किश्त के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों के खातों में नियमानुसार सीधे जमा कराई जाती

है। शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशानुसार तथा नियमित आयोजित समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी मॉनीटरिंग कराई जा रही है

ग्वालियर जिले के उपलब्धि वर्ष 2006-07 नवीन आवास योजनार्न्तगत कुल उपलब्ध राशि रू0 115.62 लाख के विरूद्ध रूपये 115.50 लाख का व्यय किया इस प्रकार वार्षिक वित्तीय प्रगति 99.89 प्रतिशत रही । योजनार्न्तगत 436 नवीन आवास के विरूद्ध 417 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया । इस प्रकार लक्ष्य के विरूद्ध वार्षिक भौतिक प्रगति 96 प्रतिशत रही तथा शेष 19 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(जिला सांख्यिकी, वर्ष 2007)

प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना :-

वर्ष 2006-07 में ग्वालियर जिले के लिये लक्ष्य एवं राशि प्राप्त नहीं हुई है । यह योजना पूर्णतः केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, इस योजना में शत प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है । ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण आवासहीनों को नवीन निर्माण हेतु लक्ष्यानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इस योजना का क्रियान्वयन इन्दिरा आवास योजना के तहत ही किया जाता है तथा चयन प्रक्रिया भी नियमानुसार ही की जाती है । इसके अर्न्तगत उन ग्रामीण परिवारों को ही आवास निर्माण

हेतु सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

योजनार्न्तगत लक्ष्य इन्दिरा आवास के साथ ही उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है । लक्ष्य प्राप्तिं के साथ ही निर्धारित राशि भी समयावधि में उपलब्ध कराई जाना प्रस्तावित है । जिससे वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व अधिकतम लक्ष्य को पूर्ण कराये जा सके ।

योजनार्न्तगत लक्ष्य बढ़ाया जाना प्रस्तावित है जिससे अधिकतम हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिया जा सके ।

आवास निर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री मंहगी होने के फलस्वरूप निर्माण लागत बढ़ रही है । अतएव राशि बढ़ाई जाना प्रस्तावित है ।

<u>गोकुल ग्राम प्रकल्प :-</u>

गोकुल ग्राम प्रकल्प का प्रमुख उद्‌देश्य चयनित ग्रामों में स्वच्छ और निर्मल परिवेश में आधारभूत अद्योसंरचना व्यवस्थाओं तथा ससुविधाओं की समुचित और परिणाममूलक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस उद्‌देश्य की पूर्ति के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, ऊर्जा व पर्यावरण, कृषि पशुधन तथा प्रशासन के क्षेत्र में चिन्हित गतिविधियों का क्रियान्वयन व इन्हें प्रोत्साहित किया जाना है। गोकुल ग्राम प्रकल्प के अर्न्तगत विविध गतिविधियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यह ग्राम ऐसे आदर्श के रूप में

विकसित होंगे जो अन्य ग्रामों के लिये प्रेरणास्त्रोंत बन सकेंगे ।

दिनांक 01-04-2006 से जिन चयनित ग्रामों का चयन किया गया,उनके सार्वांगींण विकास हेतु शासन निर्देशानुसार दिनांक 01-04-2004 से 31-03-2008 तक की अवधि निर्धारित की गई । बेस लाइन सर्वेक्षण करवाया गया । प्रकल्प अर्न्तगत जिले के विभिन्न विभागों की विभिन्न गतिविधियों के अर्न्तगत अनुमानित राशि रूपये 963.90 लाख के 1,462 कार्यो का चयन किया गया जिसमें से राशि रूपये 21.34 लाख के 33 कार्य पूर्ण किये जा चुके है ।

गोकुल ग्राम के कार्यो के संपादन हेतु ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम प्रभारी एवं क्षेत्र के सहायक विकस विस्तार अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के खण्ड स्तरीय 17 अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया व ग्वालियर जिले के समस्त जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परियोजना दल प्रभारी बनाया गया । नोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सोमवार को गोकुल ग्राम में सार्वांगींण विकास हेतु कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई । भ्रमण के साथ-साथ प्रति मंगलवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सभी परियोजना दल प्रभारी एवं सहायक नोडल अधिकारी की साप्ताहिक समीक्षा कर कठिनाईयों एवं समस्याओं का निराकरण किया गया ।

गोकुल ग्राम प्रकल्प की अवधारणा से ग्रामीणों की मानसिकता में परिवर्तन आया है, ग्रामीण जन विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागृत हुये । इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविरों, एवं शिक्षा विभाग द्वारा कई प्रकार के आयोजन जैसे स्कूल चलो अभियान, खेल में आदि जैसे कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । ग्रामीणों को स्वच्छता अपनाने एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया । जिसमें ग्रामों के सड़कों एवं नालियों, घूरों की साफ-सफाई की गई । नालियों, शौचालय, स्कूल शौचालय, जन प्रतिनिधियों के यहाँ शौचालय का निर्माण करार्य गये एवं निर्मित की परिसंपत्तियों की पुताई एवं सफाई की गई । इसके साथ-साथ कृषि, उद्यान, पंचायत एवं समाज सेवा, ग्रामीण विकास, पशु विभाग आदि विभागों द्वारा शिविर, चेतना जागृति शिविर व प्रशिक्षण आयोजित किये गये । उपलब्धता के आधार पर स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड, दीनदयाल अन्योदय स्वास्थ्य कार्ड, क्रेडिट कार्ड, खसरा एवं खतौनी ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप वितरित करवाये गये । इस प्रकार चयनित गोकुल ग्रामों की प्रकृति अनुरूप एवं ग्रामीणों की सहमति के आधार पर कार्यो का चयन किया गया एवं कार्य करवाये गये । शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की गई ।

<u>स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की हाईटेक आंवला विशेष परियोजना</u> :-

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय) के अर्न्तगत मध्यप्रदेश में उच्च तकनीकी आंवला खेती, वैज्ञानिक विदोहन, मूल संर्वद्धन के माध्यम से संवहनीय (सतत्) रोजगार की विशेष परियोजना भारत शासन द्वारा ग्वालियर जिले की उष्ण जलवायु एवं मृदा प्रकृति एवं वन विभाग की गतिविधियों में ग्रामीणों की अभिरूचि व मानसिकता को देखते हुये वर्ष 2005–06 में की स्वीकृति की गई । भारत शासन के निर्देशानुसार योजना की अवधि 5 वर्ष है ।

आंवला पौधरोपण, कौशल उन्नयन एवं आंवला उत्पाद प्रशिक्षण से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सतत् रोजगार उपलब्ध कराया जाना जिससे उन्हें ग्रामीण अंचल में सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति मिल सके । लाभान्वित किय जाने वाल स्वरोजगारियों में से 75 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीच जीवन यापन करने वाले परिवार होंगे ।

जिला ग्वालियर हेतु भारत शासन द्वारा इस परियोजना के माध्यम से 1,889 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किये जाने हेतु राशि रूपये 233.05 लाख का लक्ष्य रखा गया है । जिले को प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रूपये 69. 915 लाख एवं राज्यांश रूपये 23.305 लाख कुल राशि रूपये 93.22 लाख प्राप्त हो चुकी है ।

दो जीन बैंकों की वन अनुसंधान एवं विस्तार ''तपोवन'' केन्द्र ग्वालियर एवं उद्यान विभाग की नर्सरी संजय निकुंज घाटमपुर भितरवार में स्थापित की जा चुकी

है । 10 विकेन्द्रीकृत नर्सरी की स्थापना संबंधी कार्य प्रगति पर हैं ।

वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र ग्वालियर, वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर एवं उप संचालक उद्यान, ग्वालियर के समय-समय की मॉग पर आधारित विभिन्न मदों जैसे जीन बैंक की स्थापना, प्रशिक्षण कार्य, पौध उत्पादन, प्रचार-प्रसार आदि राशि रूपये 88.88 लाख प्रदाय की जा चुकी है । इसके विरूद्ध राशि रूपये 71.29 लाख का व्यय हुआ है जो कि उपलब्ध राशि का 38.25 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष में जीन बैंक स्थापना, पौधोरोपण एवं विकेन्द्रीकृत नर्सरी की स्थापना एवं आंवला उत्पाद हेतु चयनित 22 समूह के 210 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :-

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत दिनांक 01-04-2007 को अवशेष राशि एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्राप्त नकद राशि एवं खाद्यान्न की स्थिति निम्नानुसार है :- [23]

नगद राशि :-

नकद राशि 1-4-2007	वर्ष 2006-2007 में प्राप्त आवण्टन		अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध आवण्टन
	केन्द्रांश	राज्यांश		
2.07	333.21	111.07	1.99	448.34

खाद्यान्न :-

वर्ष 2006-07 में प्राप्त आवण्टन		कुल उपलब्ध आवण्टन
खाद्यान्न मात्रा एम0टी0	कीमत राशि लाख में	
1648	75.225	75.225

योजनार्न्तगत प्राप्त आवंटन नकद एवं खाद्यान्न का 50 प्रतिशत ग्राम पंचायातों को शासन द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं कुल जनसंख्या आधार पर विभाजित किया जाकर आवंटन प्राप्त होने के 15 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में सीधे अन्तरित की गई । वित्तीय वर्ष में जिले की 299 ग्राम पंचायतों को कुल नकद राशि रूपये 222.14 लाख प्रदाय की गई थी । खाद्यान्न मात्रा 749 एम0टी0 ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया गया ।

प्रत्येक स्तर की पंचायत द्वारा प्राप्त आवंटन के रोजगार मूलक कार्यो की कार्ययोजना तैयार की गई थी ।

योजनार्न्तगत कार्यरत मजदूरों को प्रति मजदूर दिवस, कम से कम 5 एवं 3 किलोग्राम खाद्यान्न तथा शेष नकद राशि का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया गया है ।

ग्राम पंचयतों को प्राप्त आवंटन का 79.76 प्रतिशत अनुसूचित जति / जनजाति बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्यो पर व्यय किया गया है ।

जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को प्राप्त आवंटन में 2205 प्रतिशत राशि शासन नियमानुसार गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को आय मूलक गतिविधियों पर शासन निर्देशानुसार व्यय की गई है ।

योजनार्न्तगत निर्मित परिसम्पत्तियों की पंजी ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर निर्धारित की गई है । निर्मित परिसम्पत्तियों को राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने हेतु योग्य निर्देश दिये गये हैं ।

निर्मित/निर्माणाधीन कार्यो का सतत पर्यवेक्षण/ निरीक्षण जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया गया है ।

योजनार्न्तगत वित्तीय दो वर्ष से अधिक समय का कोई कार्य लम्बित नहीं है ।

सन्दर्भ :-

1. ग्वालियर एक परिचय -नईम कुरैशी पृ0 3-4

2. जिला सांख्यिकी सूचना विभाग ग्वालियर

3. जिला सांख्यिकी सूचना विभाग ग्वालियर

4. मध्यप्रदेश में पंचायती राज

5. मध्यप्रदेश का भूगोल - म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

6. नवभारत भोपाल 1 जुलाई 2005

7- शशिकिरण नायक म0प्र0 का आर्थिक विकास पृष्ठ 67

8- रिपोर्ट आफ लोकल गर्वनमेण्ट कमेटी 1935 पृष्ठ 1

9- राज्य शासन म0प्र0 पंचायत अधिनियम (7)1962

10- म0प्र0 पंचायत अधिनियम (7)1962 धारा उपधारा (2)खण्ड (3व5)

11- ग्वालियर विकास का एक दशक म0प्र0शासन जनसम्पर्क विभाग भोपाल

12- शर्मा डी0सी0 सेविवर्गीय प्रबन्ध के सिद्धान्त पृ0 174

13- ग्लेडन ई0एन0 :लोकप्रशासन सिद्धान्त एवम व्यवहार पृ061

14- अग्रवाल एवम् पोरवाल :सेवीवर्गीय प्रबन्ध पृ032

15- अग्रवाल एवम् पोरवाल :सेवीवर्गीय प्रबन्ध पृ032

16- डॉ0एस0सी0सक्सेना व्यवसाय प्रशासज के प्रारम्भिक सिद्धांत पृ05

17– शर्मा एउम सुराना : प्रबन्ध के सिद्धान्त एवम व्यवहार पृ0 11

18– डॉ0एस0सी0सक्सेना : व्यवसाय प्रशासन के प्रारम्भिक सिंद्धांत पृ0 5

19– डॉ0एस0सी0सक्सेना : व्यवसाय प्रशासन के प्रारम्भिक सिंद्धांत पृ0 5

20– ओ0पी0 अग्रवाल : आधुनिक व्यवसाय प्रबन्ध पृ0 26

21– ओ0पी0 अग्रवाल : आधुनिक व्यवसाय प्रबन्ध पृ0 26

22– जिला पंचायत अभिलेख 2006 सूचना एवम प्रसारण विभाग ग्वालियर

===============

===========

======

===

अध्याय-5

पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन एवं ग्रामीण अर्थिक विकास में योगदान

झांसी जिले एवं ग्वालियर जिले का तुलनात्मक अध्ययन

अध्याय – 5

पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान

(झांसी जिले एवं ग्वालियर जिले का तुलनात्मक अध्ययन)

'प्रशासन' अंग्रेजी शब्द 'Administration' का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसका अर्थ काम करवाना है। प्रत्येक प्रशासक स्वयं तो कार्य करता ही है, परन्तु उसे प्रशासक इसलिये कहा जाता है, कि वह अन्य व्यक्तियों से भी कार्य करवाता है।

प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केन्द्र–बिन्दु है। विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों के लिये सुनियोजित और सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था अनिवार्य है। ***"वर्तमान समय में प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन एवं कार्यों पर छा चुका है तथा वह हमारी सभ्यता का मूल आधार बन गया है। प्रशासन आधुनिक समाज का अंग है"*** जटिल समाज की चुनौतियाँ जैसे–जैसे प्रशासन पर नवीन उत्तरदायित्व डालता है, वैसे–वैसे ही यह एक अध्ययन विज्ञान के रूप में वयस्क होता हुआ, प्रबंध विज्ञान की ओर उन्मुख हो रहा है। प्रशासन वर्तमान समाज में एक गत्यात्मक शक्ति है, जिसमें व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होने का लचीलापन एवं नेतृत्व करने की क्षमता भी है। प्रशासन को समाज की अत्याधिक स्थाई शक्ति कहा जा सकता है। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि एक देश का जीवन उसके प्रशासन के गुणों के अनुरूप निर्मित हो जाता

है और कोई भी कल्याणकारी राज्य जिसकी आर्थिक व्यवस्था योजनावद्ध है, विस्तृत तथा एकीकृत ढ़ाचें वाले प्रशासन के अभाव में संचालित नहीं हो सकता है।

डिमॉक एवं कोइनिंग के अनुसार, " *अध्ययन के रूप में प्रशासन उन सरकारी प्रयासों के प्रत्येक पहलू का परीक्षण करता है जो कानून और लोक नीति को लागू करने के लिये किये जाते हैं। एक प्रकिया के रूप में इसमें वे सभी चरण सम्मिलित है जो कोई संस्थान अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने से अपनी अंतिम ईंट रखी जाने तक निर्धारित करता है एवं व्यवसाय के रूप में यह किसी सार्वजनिक संस्थान में दूसरों के कार्यों का संगठन और संचालन करता है।*"[1]

साइमन के अनुसार प्रशासन का आशय– "*सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये निर्मित सहयोग करते हुये समूहों की गतिविधियॉं संचालित करना है।*[2]

मॉर्स्टीन मार्क्स के शब्दों में, "*जानकारी अपनाये हुये प्रयोजन की प्राप्ति के लिये निश्चित की गई कार्यवाही प्रशासन है। यह विभिन्न मामलों का क्रम निर्धारण करना और साधनों को निश्चित योजना के अनुसार उपयोग में लाना है, जिससे कि वे ही बाते गटित हों जिनकों हम क्रियान्वित होते देखना चाहते हैं*"[3]

उपर्युक्त दोनों परिभाषाऐं प्रशासन एवं दो मुख्य तत्वों की ओर संकेत करती है–(1) सहकारी प्रशासन एवं (2) एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति ।

आर्डवे टीड ने भी इस बात पर बल देते हुये कहा है, *"प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिये मानव प्रयासों के एकीकरण की सम्मिलित क्रिया है।"*[4]

ब्रुक एडम्स के अनुसार, *"प्रशासन वह क्षमता है, जिसके द्वारा अनेक और बहुधा परस्पर विरोधी सामाजिक शक्तियाँ एक समय में ऐसी कुशलता से समन्वित की जा सकें, कि वह एक ईकाई के रूप में कार्य कर सकें।"*[5]

प्रशासन के संबंध में **डिमॉक** ने कहा है कि ***"प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या का अर्थ विषय-वस्तु से है, अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी 'ज्ञान' जो प्रशासकों को कार्य करने की सामर्थ प्रदान करता है। 'कैसे' प्रबंध की तकनीक है, अर्थात वे सिद्धांत जिनके अनुसार सहकारी योजनायें सफल बनायी जाती है। दोनों ही अपरिहार्य हैं, और दोनों के मिलने से ही प्रशासन की स्थापना होती है।"***[6]

इस प्रकार हम कह सकते है, कि प्रशासन का संबंध उद्देश्य प्राप्ति के लिये कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन से होता है। प्रशासन कार्य विधियों के निर्धारण एवं संचालन से संबंध रखता है, जिसके द्वारा कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है, क्रियाओं की प्रगति की योजनाओं के संदर्भ में पाया जाता है।

झांसी एवं ग्वालियर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था करना वाले इस अधिकारी को जिलाधीश

कहा जाता है। जिलाधीश शासन द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों के अंतर्गत कार्य करता है । जिलाधीश जिले के विकास के लिये वे सभी आवश्यक कार्य करता है जो सामाजिक सीमा के अंतर्गत सम्मिलित किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आर्थिक विकास का प्रशासनिक ढांचा

झांसी जिले के प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा की जाती है जो सामाजिक सीमा के अन्तर्गत है। वे सभी आवश्यक कार्य करता हैं जो ग्रामीण विकास एवं क्षेत्रीय विकास के लिएं आवश्यक होते है। जिले के विभिन्न प्रशासनों से संबंधित कार्यालय विभाग एवं संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1. **विकासखण्ड :-**

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने, ग्रामीण विकास में वृद्धि करने के लिए प्रशासनिक इकाई के रूप में विकासखण्ड की स्थापना की गई है। झांसी जिले में 8 विकासखण्ड है, जिसमें मोठ, चिरगांव, बमौरा, गुरसराय, बंगरा, मऊरानीपुर, बबीना एवं बड़ागांव सम्मिलित है।

2. **तहसील :-**

तहसीलों का प्रमुख कार्य भू-राजस्व की वसूली एवं प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखना है। झांसी जिले में 5 तहसीलें झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा, एवं टहरौली सम्मिलित है। तहसील का प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसील स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप

से संचालित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर के पद की स्थापना की गई है।

3. **नगर पालिका :-**

प्रशासनिक व्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। झांसी जिले में 6 नगर पालिकाऐं झांसी, मोठ, चिरगांव, मऊरानीपुर, गरौठा, एवं टहरौली सम्मिलित है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् एक दुर्बल जर्जर एवं समस्याग्रस्त देश विदेशी साम्राज्य से विरासत में हमें प्राप्त हुआ है। इस दुर्बल देश का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र शैक्षिक,राजनैतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ा और कमजोर था। देश के पुनर्निर्माण की कोई भी नीति इस विस्तृत ग्रामीण भारत के उत्थान के बिना पूर्ण नहीं हो सकती थी । इसलिये नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ किये गये हैं । सामुदायिक विकास कार्यकम एवं पंचायती राज ग्रामीण भारत के पुनर्गठन के प्रारंभिक आधारभूत उपाय थे। आगे चलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम , ग्रामीण युवकों के लिये रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवम् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकम प्रारम्भ किये गये । इन कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन के लिये बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्त की गई। इस ग्रामीण विकास से सम्बद्ध कार्मिक एवं अधिशासी तंत्र का विकास हो चुका है । इस अधिशासी तंत्र की अनेक समस्याऐं एवं कमियां हैं क्योंकि कार्मिक एवम् अधिशासी तंत्र ही किसी उपक्रम प्रतिष्ठान अथवा परियोजना

की सफलता का आधार होता है । योग्य, कुशल, ईमानदार, समर्पित एवम् संतुष्ट कार्मिक एवम् अधिशासी तंत्र निवेशित पूँजी से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकता है ।

ग्रामीण आर्थिक विकास का प्रशासनिक ढ़ाँचा देश के प्रत्येक राज्य में मामूली सी भिन्नता के साथ लगभग एक समान है । उत्तरप्रदेश में ग्राम विकास का शीर्ष से आधार स्तर तक प्रशासकीय ढ़ाँचा इस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है :-

(स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका झाँसी)

इस ढ़ाँचे में प्रत्यक्ष रूप से ग्राम विकास के प्रशासनिक तंत्र को रेखांकित किया गया है। यहाँ प्रत्येक स्तर पर ग्राम विकास से जुड़े अन्य विभाग का पृथक ढ़ाँचा है। उदाहरण के लिये जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी, जिला सहायक प्रबंधक (सहकारिता) जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला हरिजन कल्याण अधिकारी आदि ग्राम विकास के सहायक विभाग हैं। उपर्युक्त रेखांकित ढ़ाँचे से स्पष्ट है, कि उच्च प्रशासनिक स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। ग्राम विकास से जुड़े सहायक विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय का प्रयास किया जाता है परंतु व्यवहार में यह समन्वय बनाये रखना कठिन हो जाता है और इस दोहरी प्रणाली के कारण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। प्रशासनिक ढ़ाँचे की कमियों की ओर संकेत करते हुऐ ग्राम विकास के अनेक अधिकारियों ने वर्तमान प्रशासनिक तंत्र के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुऐ कहा है, कि विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से नियुक्त किया जाता है। इसके लिये ग्राम विकास सेवा का पृथक केडर बनाने और सर्वोच्च तथा अन्य अधिकारियों को ग्राम विकास सेवा के अधिकारियों में नियुक्त करना चाहिये। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मानसिकता एवं कार्य शैली प्रसार कार्य के अनुरूप नहीं होती है। पृथक कैडर निर्माण से विभाग की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप अधिकारी कुशलता से कार्य करने में समर्थ होंगे। ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों की इस मांग पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसका प्रमुख कारण यह है, कि ग्राम

विकास कार्यो का संचालन और प्रशासन करना स्वभाविक पृथक कार्य है। इस सम्बंध में **गजेन्द्र गड़कर आयोग** ने कहा है कि, सचिवालय का काम चलाना एक बात है और कल कारखानों का संचालन करना दूसरी बात है। यह कार्य कमरे में बैठकर फाइलों पर केवल निर्देश देने का नाम नहीं वरन् व्यक्तिगत निरीक्षण और पर्यवेक्षण का है। अतः आईएएस सभी रोगों की दवा नहीं हो सकते। अतः इसके लिये अलग से विशेषज्ञ तैयार करने होंगे। गड़कर आयोग के इस कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, ग्राम विकास विभाग के लिये भी विशेष अभिरूचि के अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। ग्राम स्तर पर एक से अधिक कार्यकर्ता, विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हैं, जैसे ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, सहकारिता कर्मचारी आदि। स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रकार का कार्य करने के लिये चार–पाँच कर्मचारियों से सम्पर्क करना होता है और अनावश्यक दौड़–धूप और परेशानी उठानी पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिये **"एक कार्यकर्ता एक गाँव का"** सिद्धान्त अपनाने पर विचार किया जा सकता है।

जिला स्तरीय अधिकारियों का जिला पंचायत को हस्तान्तरण–

ग्रामीण विकास निकायों को जिन कार्यो के लिये अधिकारियों को हस्तान्तरित किया गया है। उन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे। निम्नलिखित विभागों के अधिकारी जिला पंचायत के अधीन कार्य करेंगे[8] –

1. मुख्य अधिकारी

2. जिला विकास अधिकारी

3. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी

4. जिला विद्यालय निरीक्षक

5. बेसिक शिक्षा अधिकारी

6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,
   जिला युवा कल्याण अधिकारी

7. जिला समाज कल्याण अधिकारी

8. कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना

9. जिला कृषि एवं पशुधन अधिकारी

10. सहायक पंजीयक सहकारिता

11. जिला भूमि संरक्षण एवं उद्यान अधिकारी

12. जिला गन्ना विकास अधिकारी

13. जिला दुग्ध विकास अधिकारी

14. जिला पंचायती राज अधिकारी

<u>ग्राम एवं पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था</u> –

क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गये कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत को सौंपे गये कार्य को क्रियान्वित करने के लिये पांच समितियां गठित की गयी हैं, जो निम्नलिखित हैं[9] –

नियोजन एवं विकास समिति

शिक्षा समिति

निर्माण कार्य समिति

स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति

प्रशासनिक समिति

क्षेत्र पंचायतों के कार्यों को संपादित करने के लिये किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी को अधिकार प्रदान करने के स्थान पर समितियों को अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिससे निर्णय सामूहिक विचार–विमर्श के आधार पर पारदर्शी रूप में लिये जा सकें।

केन्द्र, राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर के प्रशासनिक ढ़ाँचे के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करना समय लगने वाला और जटिल है। अतः एक एकीकृत प्रशासनिक ढ़ाँचे की आवश्यकता है। यह एक विचार हैं, जिसे बहस और आम सहमति की आवश्यकता है। जिला स्तर विकास का केन्द्र होना चाहिये और इसके प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । उसका पद जिला प्रशासन अधिकारी के समकक्ष होना चाहिये। विकास कार्यो को नियामक कार्यो से पृथक रखना चाहिये । अतः जिले से गाँव स्तर तक पूर्ण विकसित प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता है । राज्य स्तर पर एक ग्रामीण विकास विभाग होना चाहिए, जो राज्य स्तर पर अन्य इकाइयों में समन्वय स्थापित करके विकास कार्यक्रमों को नवीन दिशा प्रदान कर सके । इस संबंध में स्वयं सेवी संस्थाओं को विकास कार्यक्रमों में सहभागी बनाने के प्रयास किये जाने चाहिऐ । विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा प्रशिक्षित और विशिष्ट कार्यक्रमों की कमी का होना है । इस समस्या के समाधान के लिये अलग से ग्रामीण विकाससेवा की व्यवस्था की जाना चाहिये । भारत के विकास के लिये अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को प्रारम्भ

किया गया है । जिस प्रकार का कार्य है, उसके अनुकूल कार्मिक आवश्यकता है। भारत गाँव प्रधान देश है और अधिकाँश विकास कार्यक्रम गाँव से संबंधित हैं । अतः ग्रामीण विकास का होना कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये । वास्तविक विकास के लिये नवीन सोच, हिम्मत और संकल्प की आवश्यकता है।

73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में शुरूआत है, जिससे विकेन्द्रीकरण और ग्राम स्वराज की धारणा को ओर आगे बढ़ाया जा सकेगा। विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्थानीय कार्य, स्थानीय जनता द्वारा सम्पादित करने से स्थानीय समस्याओं का समाधान उचित प्रकार से हो सकता है। विकेन्द्रीकरण से विकासकार्यो का प्रभावी पर्यवेक्षक स्थानीय स्तर पर अधिक अच्छी तरह से हो सकेगा । इसके कार्यों और सेवा की गुणवत्ता में सुधार आयेगा । विकास के लिये उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग हो सकेगा एवं भ्रष्टाचार पर कुछ सीमा तक अंकुश लगेगा । विकेन्द्रीकरण की नयी व्यवस्था जहाँ ग्रामीण स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र का स्वयं विकास करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है । वहीं दूसरी ओर यह एक बड़ी चुनौती भी है। जहाँ एक ओर स्थानीय निकायों को अनेक अधिकार प्राप्त हो रहे है, वहीं दूसरी ओर अब उनके दायित्व में भी वृद्धि होगी। इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करके ग्रामीण स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देंगे । एक ऐसे वातावरण का सृजन करेंगी, जिससे सबकी सहभागिता से

गाँवों का तेजी से विकास हो सकेगा और इस प्रकार उ0प्र0 पूर्ण विकसित होने में सफलता प्राप्त कर सकेगा।

विकेन्द्रीकरण की इस नई व्यवस्था में विकास की इकाई गाँव होगी। स्थानीय विकास स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा । जिससे सबकी सहभागिता प्राप्त कर सकेगा। गाँव को धुरी के रूप में रखकर विकास की गति तेज की जायेगी । ग्राम स्वराज की स्थापना के लिये यह एक सार्थक कदम होगा। ग्रामीण स्थानीय निकायों को सही मायने में सत्ता का हस्तान्तरण होगा और इसी से नियोजन में, विकास कार्यो में उनके प्रबंधन एवं नियंत्रण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होगी । नियोजन की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर होगी । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार विकेन्द्रीकरण का यह क्रांतिकारी कदम गाँववासियों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लायेगा और ग्रामीण विकास क्षेत्र के सर्वागीण विकास के एक नये युग का सूत्रपात करेगा ।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास का प्रशासनिक ढांचा

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के विभिन्न प्रशासनों से संबंधित कार्यालय विभाग एवम् संस्थाओं का वर्णन निम्न प्रकार है :-

1- **विकास खण्ड:-**

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित करने के लिये तथा ग्रामीण विकास में वृद्धि करने के लिये प्रशासनिक इकाई के रूप में विकासखण्ड की

स्थापना की गई । ग्वालियर जिले में तीन विकास खण्ड हैं जिनमें ग्वालियर गिर्द, मुरार एवम् धाटी गांव (बरई) शामिल है ।

2- **तहसीलः-**

तहसीलों का प्रमुख कार्य भू-राजस्व की वसूली एवम् प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखना है । ग्वालियर जिले में तीन तहसीले सम्मिलित है जिनमें ग्वालियर (गिर्द), डबरा एवम् भितरवार सम्मिलित है। तहसील का प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसील स्तर पर प्रशानिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिये उप जिलाधीश के पद की स्थापना की गई है।

3- **नगर पालिकाः-**

ग्वालियर जिले के अन्तर्गत डबरा में नगर पालिका स्थापित की गई है ।

73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज्य की स्थापना की गई है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था को गतिशील बनाने एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण को महत्व प्रदान किया गया है । इस विधेयक से ग्राम पंचायत को और अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं । जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपनी अधिकांश समस्याओं का निराकरण अपने ही गाँव के पंचों एवं सरपंचों द्वारा करा सकें । यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण कदम है जो ग्रामीण विकास में लाभकारी सिद्ध होगा । मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है जहाँ 73 वें संविधान संशोधन का पालन

करते हुए नया पंचायती राज अधिनियम प्रभावशील कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। ग्वालियर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है ।

1- **जिला पंचायतः-**

ग्वालियर जिले में एक जिला पंचायत का गठन किया गया है जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष होगा । जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा आरक्षित पद पर उसी वर्ग के व्यक्ति निर्वाचित किये जायेगें । जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी राज्य प्रशासनिकसेवा का अधिकारी होगा । ग्वालियर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है ।

2- **जनपद पंचायत** :-

पंचायती राज स्तर पर जनपद पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है । जनपद पंचायत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जावेगा । आरक्षित पद पर आरक्षित व्यक्ति का ही निर्वाचन किया जावेगा । प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिये मुख्य कार्यपालिक अधिकारी की नियुक्ति की गई है । ग्वालियर जिले में चार जनपद पंचायतें कार्यरत हैं । जिनके नाम - मुरार, बरई, डबरा, एवम् भितरवार हैं ।

3- **ग्राम पंचायत :-**

ग्रामस्तर पर ग्रामपंचायत पंचायती राज प्रणाली की प्रशासनिक इकाई है । ग्राम पंचायत का गठन पाँच वर्ष के लिये किया जायेगा । ग्राम पंचायत के पंचों एवं सरपंचों का चुनाव ग्राम के मतदाताओं द्वारा किया जायेगा । यह निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मतदान प्रणाली से होगा । पॉच वर्ष की कालावधि पूरी होने पर अगला चुनाव कराया जायेगा । ग्वालियर जिले में 300ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं । जिनके अन्तर्गत 598 ग्राम आते हैं।

उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद कई स्थानों पर पंचायत प्रतिनिधियों एवं नौकरशाहों के बीच टकराव एवम विरोधाभास की स्थितियां उत्पन्न होती रही है । आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से कार्य करवाने में कई बार स्वयं को असहाय अनुभव करते रहे हैं । ऐसी स्थितियां निर्मित होने के पीछे सर्वाधिक बड़ा कारण प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता में अपेक्षित बदलाव का अभाव रहा है । अधिकारी वर्ग जिन कार्यों को वर्षो से कर रहे थे वे कार्य उनसे लेकर जन प्रतिनिधियों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं एवं उनका मातहत बना दिया गया, जिससे कुछ सीमा तक असहयोग अपेक्षित भी था, यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ज्यादा महत्वपूर्ण होतें हैं लेकिन कानूनी दॉव-पेचों की समझ का अभाव एवं कार्यो को करने में यथेष्ट अनुभव की कमी

जन प्रतिनिधियों के बेहतर कार्य निर्वहन की सबसे बड़ी बाधा रही है। स्थितियों में बदलाव आ रहा है। प्रारंभिक दौर से वर्तमान् तक कुछ स्तरों पर सुधार स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । पंचायत प्रतिनिधियों एवम् पंचायत में पदस्थ कर्मचारियों के संबंध सामान्य एवम् सहयोगपूर्ण ही रहे हैं ।

जनपद पंचायत के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी उप जिलाधीश स्तर का अधिकारी होता है । जनपद पंचायत स्तर के ग्रामीण विकास से संबंधित विभागों में कई कार्य पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने से इस स्तर पर अधिकारियों को भी जनपद पंचायत के सम्पर्क में रहना पड़ता है । इस स्तर पर जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के संबंध पर प्रकाश डाला जाये तो यह स्पष्ट है कि संबंध सहज नहीं है । विशेष रूप से आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जानकारी के अभाव एवं स्वतन्त्र कार्य निर्वहन की दक्षता के न होने से अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है । ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को सघन प्रशिक्षण प्रदान कर आवश्यक जानकारियां दी जायें एवं कार्य करने हेतु आवश्यक नेतृत्व क्षमता एवं मनोबल के संबंध में प्रशिक्षित किया जाये । इसी के साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संबंधित अधिकारियों हेतु भी अभिविन्यास एवम् पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किये जायें तथा इनके माध्यम से उनको नई भूमिका के संबंध में प्रशिक्षित किया जाये ।

ग्राम पंचायत के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में नवीन पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन से ठीक पूर्व ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया, जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या में एकाएक वृद्धि हुई । ऐसी नई पंचायतों के गठन के पश्चात् पंचायत भवन तथा ग्राम सचिव एवं नये कार्यालय हेतु आवश्यक सामग्री को लेकर कई समस्याऐं उत्पन्न हुई । जहाँ ग्राम सचिव का पद रिक्त था, वहाँ पंचायत कर्मी हेतु योग्य उम्मीदवारों को चयनित किया गया। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पढाई को बहुत पहले पूरा कर लिया था तथा ऐसे सभी चयनित उम्मीद्वारों को किसी तरह का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में पंचायत की बैठकों की कार्यवाही लिखना, बैठक की सूचना देना, वरिष्ठ पंचायतों से पत्र व्यवहार करना, कैशबुक लिखना जैसे कार्यो को करने में पंचायत कर्मियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है । विशेष रूप से उन पंचायतों में जहाँ सरपंच भी अशिक्षित हैं, वहाँ स्थिति बड़ी दयनीय है। सन् 1970 के दशक में ग्रामीण भारत के त्वरित एवं सम्यक विकास के लिये विकास की पृथक रणनीति एवम् अन्य सम्बद्ध पहलुओं के व्यापक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण अंचल में परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, भौतिक साधन, सघनता, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, आधारित संरचना, कार्यक्रमों के प्रबन्ध एवम् पुनर्निवेश पर अभिवृद्धि तथा ध्यान केन्द्रित करने के प्रयास कम किये गये परन्तु इस दशक से ही विभिन्न गरीबी उन्मूलक तथा रोजगार सृजक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों पर मूल्यांकन एवम् समीक्षात्मक

साहित्य की विपुलता में प्रतिबिम्बित होते ग्रामीण प्रगति के समानान्तर ग्रामीण साहित्य की गरीबी इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि इन सरकारी कार्यक्रमों में संलग्न अधिकारियों एवं व्यक्तियों की जबावदेहिता पर प्रकाश नहीं डाला गया । हमें इन कार्यक्रमों की विफलता की खोज, जबावदेहिता के ढाँचे में करना होगा। वर्तमान प्रशासकीय ढ़ांचे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इन लोगों के कार्यो का समुचित मूल्यांकन किया जा सके । अतः अभी तक इनकी जबावदेहिता निर्धारित नहीं हो सकी है । तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि योजनाओं के कुल मूल्य का केवल 15 प्रतिशत ही लाभार्थियों तक पहुँच पाता है और शेष राशि लाल फीताशाही के कारण बर्बाद हो जाती है।

ग्रामीण आर्थिक विकास का प्रशासनिक ढाँचा (उत्तरप्रदेश एवम् मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में)

देश में एक ऐसा प्रशासकीय प्रारूप विद्यमान है, जिसमें क्षेत्र अभिकरण तथा जिला मुख्यालयों के इकाईयों के मध्य निकट कार्यमूलक संबंध है तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी सभी महत्वपूर्ण पहल केन्द्र से होती है और इसके पश्चात् कियान्वयन के लिये नीचे के स्तरों पर निर्देशित कर दी जाती हैं तो भी कार्यो को विकेन्द्रित करने के प्रयास किये गये हैं । पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अभिकरण अपने स्तर पर कार्यक्रम बना सकते हैं । यद्यपि राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास का व्यापक ढाँचा है । परन्तु हमारे विवेचना की विषय वस्तु के रूप में जिला एवम् विकास खण्ड स्तरीय

ग्रामीण विकास प्रशासन अधिक प्रासंगिक है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विधिवत् शुरूआत के पश्चात् प्रत्येक जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना की गई, जिनका अध्यक्ष जिलाधीश होता है, उन जिलों में जहाँ जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिलाधीश के समकक्ष पद का होता है । वहाँ वही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष होगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की जाती है । इसके शासकीय निकाय में जिला कलेक्टर/उपायुक्त उस जिले के सांसद एवम् विधायक, केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रमुख, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष, जिला परिषद् का अध्यक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि, अग्रणी बैंक का प्रमुख अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र का महाप्रबन्धक, जिला परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रभारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी, अनुसूचित जाति, वित्त निगम में जिला अधिकारी, जिला दुग्ध संघ के प्रतिनिधि, कमजोर वर्ग के दो प्रतिनिधि, एक महिला प्रतिनिधि आदि सम्मिलित होते हैं । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का परियोजना निदेशक इसका सदस्य सचिव होता है । प्रशासनिक अधिकारियों की जबावदेहता को निर्धारित करने के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यो एवम् कर्मचारी प्रारूप को देखना समान रूप से महत्वपूर्ण है । इसके छह प्रमुख कार्य हैं :-

1- जिलास्तरीय तथा विकास खण्डस्तरीय अभिकरणों को आधारभूत अंचलों, कार्यक्रम की आवश्यकताओं एवम् उनको सौंपे गये कार्यो के बारे में सूचित करना ।

2– सर्वेक्षण परिप्रेक्ष्य योजना, विकासखण्ड की वार्षिक योजनाओं को कार्यान्वित करना, निगरानी रखना तथा अन्त में जिला योजना तैयार करना ।

3– कार्यक्रम का मूल्यांकन तथा प्रबोधन करना, जिससे इसकी प्रभावोत्मकता सुनिश्चित हो सके ।

4– अंतः क्षेत्र एवम् अंतः विभागीय अधिकरियों को परस्पर सहयोग प्रदान करना ।

5– कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार करना तथा प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों के बारें में जानकारी प्रदान करने के साथ साथ लोगों में इनक बारे में चेतना जागृत करना ।

6– निर्धारित तरीके से राज्य सरकार को ब्यौरा भेजना ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के संगठन का प्रारूप

अध्यक्ष (जिलाधीश/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट)

परियोजना अधिकारी

सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि)	सहायक परियोजना अधिकारी (पशुपालन)	सहायक परियोजना अधिकारी (प्रबोधन)	सहायक परियोजना अधिकारी (महिला)
।	।	।	।
अर्थशास्त्री या सांख्यिकीविद्	साख नियोजन अधिकारी अधिकारी	ग्रामीण उद्योग प्रबन्धक (व्यय)	कार्यालय
।		।	
लेखा स्टाफ		लिपिक स्टाफ	
।		।	
लेखा अधिकारी(1) लेखापाल (3)		प्रधान लिपिक (1) अवर लिपिक (4) आशुलिपिक (1) चालक (1+2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (4)	

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिये कुशल प्रशासन एवम् सक्षम नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । सक्षम प्रशासन तन्त्र का महत्व इस अर्थ में अधिक है कि इनके द्वारा ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उचित रीति से सम्पादन होता है । योजना निर्माण में प्रशासन तन्त्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में आजादी के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास एवम् समाज कल्याण के कार्यो को संचालित किया गया है । पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित किये जाते रहें हैं, परन्तु उपलब्धि सदैव लक्ष्य से कम रही है, जो उपलब्धि लक्ष्य से अधिक अथवा समकक्ष रही है, उसमें आंकड़ों की सहभागिता अधिक है तथा वास्तविकता कम रही है । ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में तो लक्ष्यों की उपलब्धि 20 प्रतिशत रही है । इस बात को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने भी स्वीकार किया था । लक्ष्यों की यथोचित उपलब्धि न होने के कारण सक्षम नेतृत्व एवम् कुशल प्रशासन की भूमिका का अभाव रहा है । भारत के ग्रामीण अंचलों में साहूकार, महाजन एवम् जमींदारी प्रथा ने भी गॉव में कभी कभी उपलब्ध सक्षम नेतृत्व को पंगु बनाये रखने का प्रयास किया है और वे इस प्रयास में सफल रहें हैं । इन जमींदारों ने प्रशासन तन्त्र को अपने वश में कर लिया, जिसके कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास त्वरित गति से नहीं हो पाया है । भारतीय संविधान में व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सामाजिक न्याय एवम् अवसर की समानता आदि

बातों को सम्मिलित किया गया है तथा उपबन्ध कराये जाने की व्यवस्था हैं । संविधान में शोषण विहीन समाज के सृजन की कल्पना की गई है । भारतीय आयोजकों ने उन्हें उपलब्ध कराने हेतु योजना कार्यक्रमों के लक्ष्यों का निर्धारण किया है तथा विकास की रणनीति बनाई है । परन्तु हमारे पास सक्षम नेतृत्व एवम् कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव बना रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के आगे प्रशासन तन्त्र ने घुटने टेक दिये हैं । उत्तरप्रदेश, एवम् मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों एवम् प्रभावशाली वर्ग का वर्तमान् में भी वर्चस्व कायम है। अतः उपर्युक्त कारणों से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवम् उनके निष्पादन के बीच बहुत बड़ा अन्तर रहा है । योजना के लक्ष्यों की पूर्ति बहुत कम रही है । इसके लिये प्रशासन में क्षमता, दक्षता, कुशलता एवम प्रभावशीलता का अभाव ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक रहा है । अतः यह निर्विवाद सत्य है कि निर्धारित किये गये लक्ष्यों की उपलब्धि के लिये साधनों का प्रभावी उपयोग प्रशासन एवम् प्रबन्ध की क्षमता पर निर्भर करता है ।

ग्रामीण विकास का प्रशासनिक ढाँचा

(उत्तरप्रदेश एवम मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में)

देश में ग्रामीण विकास का विभिन्न स्तरों जैसे केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर एवम् विकासखण्ड स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा निम्न प्रकार पाया जाता है :-

1– **केन्द्रीय स्तर :**

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य नीति सिद्धांत संचालन एवम् रणनीति तैयार करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक मन्त्रालय की स्थापना की है । ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग में एक सचिव नियुक्त किया जाता है, जो इस विभाग का प्रशासनिक मुखिया होता है । ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न उपविभागीय कार्यक्रम तैयार कियेजाते हैं। इसमें ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण भूमि सुधार, सिंचाई, एकीकृत ग्राम विकास आदि महत्वपूर्ण पहलुओं को पृथक रूप में संचालित किया जाता है ।

2– **राज्य स्तर :**

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन में प्रशासनिक दोषों को दूर करने के उपाय, राज्य सरकारें अपने अपने ढंग से नीतियों का निर्धारण कर उन्हें लागू करती हैं । राज्य स्तर पर भी स्वतन्त्र ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यरत है। राज्य में ग्रामीण विकास विभाग का गठन किया जाता है और इसमें ग्रामीण विकास आयुक्त इसका प्रमुख होता है । राजनैतिक स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्री भी इसका प्रमुख बनाया जाता रहा है । ग्रामीण विकास सचिव के अतिरिक्त एक संयुक्त सचिव का पद भी सृजित किया गया है, राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है । जो ग्रामीण

विकास कार्यक्रमों के लिये अनेक प्रकार से कार्य करती है । इस समिति में कृषि, पशुपालन,सामाजिक वानिकी, सहकारिता, योजना एवम् वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुखों को सदस्य बनाया जाता है ।

3- **जिला स्तर पर -**

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सही ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से इसके जिला स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है । अतः जिला स्तर पर ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था का गठन किया जाता है। जिला स्तर पर जिला अधिकारी/ जिला परिषद् अध्यक्ष, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बनाया गया है । इस अभिकरण का मुखिया जिलाधीश होता है । परियोजना अधिकारी कृषि भूमि विकास का प्रमुख, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमुख क्षेत्रीय सांसद एवम् विधायक अनुसूचित जाति एवम् जनजाति की महिला प्रतिनिधि इस अभिकरण के सदस्य होते हैं :-

जिला स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा

।

जिलाअधिकारी/जिलापरिषद् अध्यक्ष

।

मुख्य विकास अधिकारी

।

परियोजना निदेशक

।

उप परियोजना अधिकारी

विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा

(उत्तरप्रदेश एवम् मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में)

विकास खण्ड स्तर पर भी कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं तथा वार्षिक विकास योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्यन विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन एवम् क्रियान्वयन विकास खण्ड अधिकारी द्वारा किया जाता है, परन्तु उसे ब्लॉक प्रमुख जो कि ब्लॉक स्तरपर ग्रामीणों का नेतृत्व करता है, के साथ समन्वयात्मक एवम् सामन्जस्य पूर्ण व्यवहार रखना पड़ता है । अतः विकास खण्ड स्तर पर यह दोनों प्रमुख पररपर विचार विमर्श द्वारा गाँव में आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का संचालन करते हैं । यद्यपि ब्लॉकप्रमुख का कार्यक्रमों के संचालन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं रहता है । परन्तु इसके अभाव में ग्रामीण विकास कार्यक्रम निश्चिय ही प्रभावित होते हैं । विकास खण्ड अधिकारी के साथ विभिन्न विभागों की देखरेख के लिये अनेक सहायक खण्ड विकास अधिकारी होते हैं। इसमें कृषि, सहकारिता, पंचायत, सांख्यिकीय एवम् महिला अधिकारी आदि सदस्य रहते हैं । ग्राम समूह स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी नियुक्त होते हैं । ये विकास खण्ड की योजनाओं को गाँवों में परिवार स्तर तक पहुँचाने का कार्य सम्पन्न करते हैं ।

विकासखण्ड स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा

विकास खण्ड अधिकारी

सहा0 विकासअधिकारी (पंचायत) | सहा0 विकासअधिकारी (कृषि) | सहा0विकास अधिकारी (सांख्यिकी)

सहा0विकास अधिकारी (सहकारिता) | ग्रामविकास अधिकारी (प्रत्येक सर्किल में एक) | सहा0 विकास अधिकारी (महिला)

सहा0विकास अधिकारी (प्रत्येक सर्किल में एक) | प्रसार/विशेषज्ञ अधिकारी

मध्यप्रदेश में पंचायती राज एवं ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान

मध्यप्रदेश में प्रारंभ से ही पंचायती राज के ढाँचे में एक पंचायत विभाग रहा है । प्रारम्भ में यह विभाग सामुदायिक विकास एवम् समाजकल्याण मंत्रालय का अंग था, परन्तु वर्तमान् में यह स्वतन्त्र रूप से पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग के नाम से जाना जाता है । इस विभाग का प्रमुख कार्यालय भोपाल में स्थित हैं । मध्यप्रदेश में पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत एवम समाज सेवा संचालनालय का प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग अस्तित्व है ।

संगठन –

म0प्र0 पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग का प्रभारी एक केबिनेट मंत्री होता है । मंत्री की सहायता के लिये राज्य मंत्री की भी नियुक्ति की जाती है । मंत्री होने के नाते इस विभाग के सभी क्रिया कलापों पर उसका नियंत्रण रहता है और वह उनके क्रियान्वयन के लिये भी उत्तरदायी होता है । किसी भी लोकतन्त्र प्रक्रिया में यह एक सुविदित तथ्य है कि विभाग के निर्णय अंतिम रूप से मंत्री द्वारा ही लिये जाते हैं । विभाग का मंत्री यह सुनिश्चित करता है कि, राज्य में पंचायती राज की सभी संस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य करें । पंचायती राज संस्थाओं के सामयिक चुनावों का आयोजन, उनके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, पदाधिकारियों की शिकायतें, उनमें समन्वय, संस्थाओं को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना तथा उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों पर नियंत्रण करना, जो उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। विभाग का मंत्री यह देखता है कि राज्य में कार्यशील पंचायती राज की सभी संस्थाऐं उन उद्देश्यों की पूर्ति में निरन्तर संलग्न रहें जिन उद्देश्यों के लिये उनकी रचना की गई है । मंत्री यह भी सुनिश्चित करता है कि पंचायती राज की संस्थाओं के पदाधिकारी नियमानुसार कार्य करें । ग्रामीण विकास के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये, वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देता है और यह देखता है कि उन निर्देशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं।

विकास आयुक्त –

पंचायत एवम् ग्रामीण विकास मंत्री को विभाग संबंधी प्रशासनिक कार्य को संचालित करने में सहायता प्रदान करने

के लिये अधिकारी ओर कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं । प्रमुख सचिव/ विकास आयुक्त विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इस विभाग के संबंध में मंत्री का प्रमुख सचिव/विकास आयुक्त विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, जो इस विभाग के संबंध में मंत्री का प्रमुख परामर्शदाता होता है । ग्रामीण विकास की नीतियों के निर्धारण और पंचायती राज संस्थाओं में कुशल कार्यकरण के लिये आवश्यक नीतियां बनाने और उनके बारे में मंत्री को परामर्श प्रदान करना उसका प्रमुख कार्य है । विभाग आयुक्त का पद एक ऐसा पद है, जो अन्य प्रशासनिक विभागों की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है । वास्तविकता में राज्य में विकास में विकास के लिये अभिप्रेरित जितने भी प्रशासनिक विभाग राज्य स्तर पर विकास विभाग से संबंध रखना होता हैं । सिंचाई, विद्युत, खाद्यान्न, कृषि, नागरिक आपूर्ति, संचार आदि ऐसे प्रशासनिक विभाग हैं, जिन्हें अपनी विकासात्मक गतिविधियों में किसी न किसी स्तरपर विकास आयुक्त से परामर्श करना होता है । विकास आयुक्त का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है । मध्यप्रदेश में पंचायतें इसी विभाग के अन्तर्गत कार्य करती हैं। इस प्रकार विकास आयुक्त का पद ऐसा पद है, जो ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग के शीर्ष पर सचिवालयीन संगठन का अभिन्न अंग है । पंचायत एवम ग्रामीण विकास की प्रशासनिक संरचना निम्न प्रकार है :-

केबिनेट मंत्री
।
राज्य मंत्री
।
प्रमुख सचिव
।
ग्रामीण विकास पंचायत
।
अपर सचिव
।
ग्रामीण विकास पंचायत
।
विकास आयुक्त
।
ग्रामीण विकास पंचायत
।
आयुक्त पंचायत
।
परियोजना समन्वयक
(इन्दिरागाँधी गरीबी हटाओ योजना)
।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
।
(ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण)
संचालक
।
(राजीवगाँधी जलग्रहण)
कार्यालयीन स्टॉफ
।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

म0प्र0ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ कार्यालय एवम् विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा मुख्य अभियन्ता ग्रामीण सेवा की जानकारी इस प्रकार है :-

ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय संरचना
ग्रामीण विकास विभाग

<u>ग्रामीण यांत्रिकी सेवा</u> :-

पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विकास आयुक्त के अधीन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की स्थापना की गई है । विकास आयुक्त के कार्यालय में एक मुख्य अभियन्ता राज्यस्तर पर जिला सरकार के अन्तर्गत 50 कार्यपालन यंत्री (मनावर जिला धार एवम् जिला झाबुआ में एक-एक अतिरिक्त) एवं कार्यपालन यंत्रियों के सहायक के रूप में उपसंभाग स्तर पर 154 सहायक यंत्री तथा विकास खण्ड स्तर पर 703 उपयंत्री निक्षेप (डिपोजिट) कार्यो एवम् 626 उपयंत्री पंचायत क्षेत्र के कार्यो के लिये नियुक्त किये गये हैं।

इस प्रकार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले आवण्टन से सुदूर अंचलों में विकास से संबंधित निर्माण कार्य कराने के लिये पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी सलाह एवम् मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है । विभाग में तीन लाख से कम राशि के सभी कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से सम्पादित होतें हैं ।

<u>म0प्र0 में ग्रामीण विकास के कार्य</u> :-

म0प्र0 में पंचायत एवम ग्रामीण विकास के कार्यो का अध्ययन दो शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :-

अ- ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य ।

ब– विभाग के पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कार्य ।

अ) ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य

पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य निम्नलिखित हैं :–

1– ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत,जनपद पंचायत, जिला पंचायत से संबंधित विषय जो कि अन्य विभागों को नहीं सौंपे गये हैं, उनका पालन करवाना ।

2– सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये उपेक्षित समस्त कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

3– सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये उपेक्षित समस्त कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

4– ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा का संचालन करना ।

5– ऐसी सभी सेवाओं से संबंधित विषय जिसका इस विभाग से संबंध हो, जैसे नियुक्तियाँ, पद स्थापना, स्थानान्तरण, वेतन, अवकाश, सेवानिवृत्ति,वेतन, पदोन्नतियाँ, भविष्य निधियाँ, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

6– ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवम् आवास की सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

7- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाऐं उपलब्ध कराना ।

8- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिये कार्यवाही करना ।

9- ग्रामीण क्षेत्रों में समूह बीमा योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना ।

10- ग्रामीण क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन सुनिश्चित करवाना ।

11- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्य को समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करवाना ।

12- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वार्षिक कार्य योजना तैयार करवाना ।

ब) **पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कार्य** :-

पंचायत विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवम् नियमन के लिये राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर सचिव पंचायत,अपर सचिव, अवर सचिव, अन्य विभागीय अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय कर्मचारी कार्यरत हैं । यह विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है । संभागीय संयुक्त संचालकों को संभागीय मुख्यालय जिल में पदस्थ किया गया है । जबलपुर एवम् इन्दौर में संभागीय व्यवस्थापक के पद को जिला कार्यालय में एवम् शेष 7 पदों को नवगठित जिलों के जिला कार्यालय प्रमुख के रूप में पद सृजित किये गये हैं । पंचायत विभाग में जिला स्तर पर जिला अंकेक्षक के 38 तथा उप अंकेक्षक के 238 पद

स्वीकृत हैं । ज़ो अपने जिले में ग्राम पंचायतों के प्रतिवर्ष ऑडिट करने के लिये उत्तरदायी हैं । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सहायकों के 4939 पद स्वीकृत हैं, जो वर्तमान् में पंचायत सचिव की हैसियत से पंचायतों में कार्यरत हैं । जिला स्तर पर जिला पंचायत के कार्यालय में कार्यरत हैं ।

विभाग के दायित्व –

म0 प्र0 पंचायत विभाग, भारत के संविधान के 73वें एवम् 74वें संशोधन के अनुरूप प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाना एवम् विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाकर लोकतंत्रीय ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था और जनभागीदारी को सुदृढ़ करना आर्थिक विकास एवम सामाजिक न्याय के लिये संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण (मोनिटरिंग) एवम् प्रबंधन के संबंध में त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन एवम् प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पंचायतों को उनके अधिकार, कर्तव्यों एवम् दायित्वों से अवगत कराकर राज्य में ग्राम स्वराज तेज गति से स्थापित हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना है । इसके साथ ही साथ पंचायती राज से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के क्रियान्वयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवम् प्रबन्धन संबंधी अधिकार और दायित्व सौंपे गये हैं ।

उत्तरप्रदेश में पंचायत राज का ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान

उत्तरप्रदेश में पंचायती राज का ग्रामीण विकास में योगदान का अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है :-

अ- ग्राम पंचायतों को सौंपे गये कार्य ।

ब- क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गये कार्य ।

ग्राम पंचायतों को सौपें गये कार्य :-

उत्तरप्रदेश पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामपंचायतों को ग्रामीण विकास हेतु निम्नलिखित कार्य सौपें गये हैं :-

1- **शिक्षा**:- ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं । प्राथमिक विद्यालय के भवन और ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगें तथा इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में कार्य करेगें । नये विद्यालय या विद्यमान विद्यालय के भवन निर्माण, इनका रख रखाव, पठन पाठन सामग्री तथा अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि शासन द्वारा अब सीधे ग्राम पंचायतों को दी जावेगी।

2- **राजकीय नलकूप** :- राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है । राजकीय नलकूप अब ग्राम पंचायत के स्वामित्व में होगें । इनकी मरम्मत एवम रखरखाव के लिये अब ग्राम पंचायतों को धनराशि दी जावेगी । एक वर्ष के पश्चात् ग्राम पंचायतें

ही राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रख रखाव का कार्य करेंगी और इसके लिये ग्राम पंचायतों को शासन द्वारा अलग से धनराशि दी जावेगी ।

3– हैण्डपम्प :– सभी विद्यमान और नये हेण्डपम्प ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगें और इनकी मरम्मत और रखरखाव के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार धनराशि शासन द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी।

4– युवा कल्याण :– युवा कल्याण, अखाड़ा, व्यायामशाला, युवक मंगलदल , महिला मंगल दल तथा खेलकूछ संबंधी कार्यो का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जावेगा और इनके लिये नियत धनराशि तथा सामग्री शासन द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी ।

5– चिकित्सा एवम स्वास्थ्य :– चिकित्सा, स्वास्थ्य एवम परिवारकल्याण से संबंधित ग्रामस्तरीय सभी कार्य ग्रामपंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जावेगें । ग्राम स्तर पर स्थित " मातृ एवम् शिशु कल्याण केन्द्र" ग्रामपंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये जायेगें । चिकित्सा स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण से संबंधित ग्राम स्तरीय कार्यो के लिये आवश्यक धनराशि तथा दवाईयां एवम अन्य सामग्री सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी ।

6– महिला एवम् बाल विकास के समस्त कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जावेगें । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवम् सहायिकाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है । इनके मानदेय सीध शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को दिये जायेंगे ।

7– पशुधन विभाग – पशुधन विभाग के पशु सेवा केन्द्र तथा ''द'' श्रेणी के पशु चिकित्सालय एवम् इनमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है। तथा आवश्यक धनराशि सीधे ग्रामपंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी ।

8– राशन की दूकान :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारूरूप से चलाने के लिये अब राशन की दुकानों के आवण्टन और निरस्तीकरण का कार्य ग्राम पंचायतों को दिया गया है ।

9– कृषिकार्य :– कृषि से संबंधित समस्त ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम पंचायतों द्वारा किये जावेगें और उसके लिये आवश्यक धनराशि एवम् सामग्री ग्राम पंचायतों को सीधे दी जावेगी ।

10– ग्रामीण विकास :– ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित समस्त ग्रामस्तरीय कार्य अब ग्राम पंचायतों द्वारा किये जावेगें और उसके लिये आवश्यक धनराशि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे दी जावेगी ।

11– पंचायती राज विभाग :– पंचायती राज विभाग से संबंधित समस्त ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम पंचायतों द्वारा किये जावेगें और उसके लिये आवश्यक धनराशि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को शीघ्र दी जावेगी ।

ब– <u>क्षेत्र–पंचायतों को सौपें गये कार्य</u> :–

1– ग्राम्य विकास के कार्यक्रम :– क्षेत्र–पंचायत स्तर से चलाये जाने वाले ग्राम्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन क्षेत्र पंचायतों द्वारा जायेगें । विकास खण्ड स्तरीय ग्राम्य

विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये आवश्यक धनराशि सीधे क्षेत्र–पंचायतों को दी जावेगी ।

2– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :– विकासखण्ड स्तर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र–पंचायतों के स्वामित्व में होंगे । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जावेगा और इनक ार्यो के लिये आवश्यक धनराशि दवाईया तथा अन्य सामग्री क्षेत्रपंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी ।

3– पशु चिकित्सालय :– विकास खण्ड स्तर पर पशु चिकित्सालय क्षेत्रपंचायतों के स्वामित्व में होगें और इनका संचालन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जायेगा । इनसे संबंधित कार्यो के लिये आवश्यक धनराशि, दवाईया एवम् अन्य सामग्री क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।

4– बीज केन्द्र :– विकास खण्ड स्तर पर बीज केन्द्र क्षेत्र पंचायतों के स्वामित्व में होगें बीज केन्द्र का संचालनक्षेत्र पंचायत द्वारा किया जावेगा । इनसे संबंधित कार्यो के लिये अवश्यक धनराशि तथा अन्य सामग्री क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी ।

5– विपणन गोदाम :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु विकास खण्ड स्तर पर स्थित विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का पूर्ण अधिकार क्षेत्र पंचायतों को सौंप दिया गया है ।

6– एक से अधिक ग्रामपंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्य :– ऐसे कार्य जो एक से अधिक ग्रामपंचायतों में किये जाने हैं – क्षेत्रपंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जावेगें । ऐसे

कार्यो को सम्पादित करने के लिये आवश्यक धनराशि शासन द्वारा क्षेत्र पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी ।

7– सम्पत्तियों का रखरखाव :– क्षेत्र समितियों को हस्तान्तरित कार्यो से संबंधित विभागीय परिसम्पत्तियों क्षेत्र पंचायतों को हस्तान्तरित की जावेगी ।

उत्तर प्रदेश एवम् मध्यप्रदेश में शासन द्वारा ग्रामीण विकाय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये ग्रामपंचायतों को अधिकाधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में किसी प्रकार की रूकावट न आये । इसका परिणाम यह हुआ कि झाँसी एवम ग्वालियर जिले में ग्रामीण विकासकार्यक्रमों को तेजी से सम्पादित किया जा रहा है । सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण प्रगति पाई गई है ।

सन्दर्भ :–

1– शर्मा एवम् चतुर्वेदी, लोकप्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार, पृष्ठ 61

2– डॉ0 एस0सी0सक्सैना, व्यवसाय प्रशासन एवं संगठन, पृष्ठ 31

3– ई.एल.ग्लैडन, लोक प्रशासन सिद्धान्त एवम् व्यवहार, पृष्ठ 61

4– शर्मा एवम् चतुर्वेदी, लोकप्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार, पृष्ठ 61

5– शर्मा एवम् चतुर्वेदी, लोकप्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार, पृष्ठ 61

6– डिमोक, लोक प्रशासन सिद्धान्त एवम व्यवहार, पृष्ठ 62

7- ग्रामीण विकास धीमा क्यों ?कुरूक्षेत्र अक्टूबर 1991, पृष्ठ 38

8- विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन, पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल 2006-2007

9- विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन, पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल 2006-2007

==============

==========

=====

अध्याय–6

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज व्यवस्था के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन झांसी एवं ग्वालियर जिलों के पंचायतों के संदर्भ में ।

अध्याय–6

उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश में ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायतीराज व्यवस्था के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन झांसी एवं ग्वालियर जिलों के पंचायतों के संदर्भ में :–

ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास के माध्यम से हुई । 1970 के दशक में ग्रामीण भारत के त्वरित एवम् सम्यक विकास की पृथक रणनीति बनाई गई और उसमें ग्रामीण विकास से संबंधित सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया। देश की विकास योजना और कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं। इसलिये गाँव के लिये विकास कार्यक्रम बनाना देश के राजनायिकों के लिये आवश्यक हो गया । गाँवों को अर्थव्यवस्था की सशक्त इकाई बनाने के लिये प्रयास किये जाने प्रारम्भ हुए । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने पंचवर्षिय योजनाओं के साथ– साथ शहरी और ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं प्रारंभ की । शहरी क्षेत्र में तो उन योजनाओं से लाभ हुआ परन्तु ग्रामीण क्षेत्रो में प्रगति की रफ्तार उपेक्षित रूप में नहीं हो सकी । सरकारी स्तर पर ग्रामीण विकास के लिये विभिन्न मदों में बजट का प्रावधान किया गया । विकास के लिये उत्तरदायी ऐजेन्सियां बनाई गई । कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में सरकारी मशीनरी की व्यवस्था की गई । विभिन्न प्रकार के अनुदान,

सरकारी ऋण, विकास पत्र आदि भी जारी किये गये । समन्वित ग्रामीण विकास योजनाएं तैयार की गई । शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि उद्योग एवम् निर्धनता निवारण के क्षेत्र में भी सुधार एवम् विकास का प्रयास किया गया । परन्तु यह लाभ पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सका। इसका परिणाम यह हुआ कि न तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप ही कायम रह सका और न ही विज्ञान और तकनीकी के उन्नति के इस युग की विकास योजनाओं का पूरा लाभ ही गाँव को प्राप्त हो सका । इस प्रकार से ये योजनाएं सफलता और असफलता के बीच में झूलती रहीं ।

निचले स्तर पर स्वशासन के लिये पंचायती राज प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण है । लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकासात्मक कार्यक्रमों की विकेन्द्रित योजनाऐं बनाने और इनको अमल में लाने के लिये यह आदर्श मंच का कार्य करती हैं । इसलिये गाँवो के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।

संविधान के 73 एवम 74वें संविधान विधेयक, 1992 में तीन स्तरीय पंचायती राज स्वरूप (गाँव पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत) के गठन और ग्राम सभा - गाँववासियों की आमसभा को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया है । पंचायतराज अधिनियम में पंचायतों के लिये नियमित तौर पर प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् चुनाव कराने ओर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये सीटों का

आनुपातिक आरक्षण तथा महिलाओं के लिये कम से कम 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

संविधान में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि आदि जैसे 29 विषयों के लिये पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रावधान किया गया है । इसमें प्रत्येक पाँचवें साल राज्य वित्त आयोगों के गठन का भी प्रावधान किया गया है जो कि पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाले संसाधनों और वित्तीय अधिकारों के बारे में सिफारिश करेंगे । पंचायती राज संस्थाओं को समुचित प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिये जाने के लिये राज्य सरकारों से कहा जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाऐं स्व-प्रशासन की संस्थाओं के रूप में काम कर सकें और नियमित रूप से चुनाव हो सकें ।

भारत सरकार यह चाहती है कि प्रभावी विकेन्द्रीकरण गाँव स्तर तक पहुँचे । ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाऐं निचल स्तर पर जनतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं । विकासात्मक योजनाओं के अमल, विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ।

ग्राम सभा को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची को स्वीकृति देनी चाहिए । इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण आवास, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना आदि के लिये लाभार्थियों का चयन ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे की सूची में से ग्राम

सभा में होता है । जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत गाँव स्तर पर मूलभूत ढाँचे में विकास की कार्ययोजना ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाती है और ग्राम सभा से स्वीकृति दिला दी जाती है ।

गाँव का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, जो कि 18 साल या उससे ज्यादा आयु का हो, ग्रामसभा का सदस्य होता है । ग्राम सभा की नियमित बैठक सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से प्रार्थना की गई है कि वे हर तिमाही में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आवश्यक रूप से करायें और 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को प्राथमिकता आधार पर चुना जा सकता है । ग्राम सभा द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किये जाने के लिये यह जरूरी है कि सभी ग्रामवासी और खासकर ग्रामीण गरीब, महिलाऐं तथा कमजोर वर्गों के लोग ग्राम सभा की बैठकों में हिस्सा लें । निचले स्तर पर जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण तभी संभव हो पायेगा, जबकि ग्राम सभा की बैठकों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में गाँव समुदाय के सभी सदस्य सक्रिय रूप से भाग लें ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने देश के आर्थिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया और सन् 1951–52 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश हुआ । तब से अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 वार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकी है । रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आय एवम् सम्पत्ति के वितरण में विषमता

को कम करने, विकास की दर को तीव्र करने और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिये प्रायः सभी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रयास किये गये । आँचलिक विकास और व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य भी रखे गए, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

स्थानीय नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में ही जिला योजनाओं के उद्भव पर बल दिया । द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में भी जिला स्तर पर योजना अभ्यास को महत्व प्रदान किया गया । पाँचवी योजनाकाल में केन्द्रीय योजना आयोग ने सामाजिक उपभोग के नियोजन के लिये जिले को इकाई बनाने का निर्देश दिया। इस नियोजन के विकेन्द्रीकरण पर अनवरत जोर दिया जा रहा है । लेकिन वस्तुतः बहुस्तरीय नियोजन से संबंधित अभ्यास षष्ठम् योजनाकाल से ही राष्ट्रीय और प्रादेशिक योजनाओं की संरचना में सम्मिलित किया जा सका । यद्यपि उद्देश्य और विचार स्पष्ट थे, किन्तु इसके पूर्व जिला स्तर पर जो योजनाएं बनाई गई, वे जिलों की आवश्यकताओं के आधार पर बनीं और संसाधन का ध्यान में न रखने के कारण केवल मांगों का चार्टर बनकर रह गई और जिला योजनाएं प्रदेश की योजना का अंग नहीं बन पायीं ।[1]

स्थानीय स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को उचित भूमिका प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में वर्ष 1982–83 से विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली को लागू किया गया । विकेन्द्रित नियोजन को प्रारम्भ करने के निर्णय के परिणामस्वरूप 'जिले' को विकेन्द्रित नियोजन की इकाई बनाया गया । जिलों की इकाई बनाने से पुरानी चली आ रही मान्यता, 'अंतराल तथा समस्या अवधारणा में परिवर्तन आया और 'संसाधन तथा आवश्यकता अवधारित अवधारणा का योजना में समावेश हुआ । जिला योजनाएं विकास को सर्वसाधारण तक चले जाने के साधन मात्र नहीं, अपितु वे जनसाधारण के अन्दर से विकास प्रजनित करती हैं । जिला योजनाओं के द्वारा राष्ट्रीय और प्रदेशीय उद्देश्यों को धरती पर लाना अधिक सम्भव हो जाता है । एक ओर जहाँ जिला योजनाएं आंचलिक असंतुलन को दूर करती हैं वही दूसरी ओर व्यक्तिगत आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन करने का प्रयास करती हैं।[2]

केन्द्रीय योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के विषय में प्रसारित उद्देश्यों में विकेन्द्रित नियोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन और कम से कम न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक है । प्रथम चरण में विकेन्द्रित नियोजन को राज्यों से जिला स्तर पर लागू किया गया है। लेकिन अन्ततः विशेषकर निर्धनता निवारण

कार्यक्रमों के प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन हेतु इसक विकास खण्ड स्तर पर लागू किया जाना आवश्यक होगा ।[3]

उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में जिले को विकेन्द्रित नियोजन की इकाई बनाने के निर्णय के साथ समस्त योजनाओं को दो भागों – जिला सेक्टर तथा राज्य सेक्टर में विभक्त किया गया है। विभाजन का आधार यह है कि योजनाऐं जो सामान्य तथा एक जिले को लाभान्वित करती है और जिनके नियोजन, निर्णय एवम् कार्यान्वयन जनपद, पर निहित हैं, वे जिला सेक्टर में रखी गई हैं तथा ऐसी योजनाऐं जो एक से अधिक जिलों को लाभांवित करती हैं वे राज्य सेक्टर में आती है। झांसी एवं ग्वालियर जिले में विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला सेक्टर योजना के लिये विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र एवम् राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये। 18 करोड़ 36 लाख रूपये विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा व्यय किये गये हैं । विकास कार्यक्रमों में समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गो को रोजगार एवम् विकास के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही साथ भूमि उपयोग, पशुधन तथा लघु उद्योगों में वृद्धि करके भूमिहीनों , दलितों एवम् कमजोर वर्ग तथा ग्रामीण उद्यमियों को, अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने पर विशेष जोर दिया गया । इसके अलावा प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य एवम् पेयजल, सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, निर्बल वर्ग आवास आदि राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया ।[4] इनमें से प्रमुख विकास कार्यक्रम एवम योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

1– कृषि विकास कार्यक्रम :–

सघन कृषि कार्यक्रम अधिक उपज किस्म कार्यक्रम तथा हरित क्रान्ति के अभियानों के परिणामस्वरूप ग्वालियर जिले की कृषि अर्थ व्यवस्था में जान आई । कृषि ग्वालियर जिले का प्रमुख व्यवसाय है । यहाँ की भूमि उपजाउ है और कृषि के उन्नत तरीकों के अपनाए जाने के पश्चात खाद्यानों के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त ग्वालियर जिलों में यह भी प्रयास किया जा रहा है, कि खरीफ और रबी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाये । रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होता है । उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करने के लिये कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था है । लघु किसानों, सीमान्त किसानों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को उर्वरक हेतु विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें और उनकी आर्थिक दशा सुधर सके । उर्वरक के क्रया हेतु लघु किसानों को 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान तथा सीमान्त किसानों को 33 1/3 प्रतिशत और अन्य किसानों को 20 प्रतिशत छूट का प्रावधन किया गया है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये 50 प्रतिशात अनुदान की व्यवस्था की गई है । ग्वालियर जिले में दलहनी फसलों के विकास का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है । खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सिंचाई के साधनों का विशेष महत्व है । पंचवर्षीय योजनाओं में ग्वालियर जिले में उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार किया गया । पहले सिंचाई के व्यक्तिगत

साधनों जैसे - कुएं, तालाब सिंचाई के प्रमुख स्त्रोत थे । अब निजी एवम राजकीय नलकूपों, पम्पसेटों तथा नहरों के माध्यम से अधिकतर सिंचाई होती है । कृषि उत्पादन में विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप पंचवर्षीय योजना अवधि में इस जिले में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई ।

ग्वालियर जिले में कृषि पैदावार बढ़ाने के लिये व्यापक कदम उठाये गये हैं । कृषि विभाग द्वारा पिछले लगभग 15 वर्षो में किये गये प्रयासों से कृषि के क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है । जैविक खेती को बढावा मिला है । इस अवधि में 2051 बायो गैस संयंत्र 43,000 से अधिक नाडेप खरीद केन्द्र बनाये गयें हैं । कृषकों को अनुदान पर कृषि उपकरण वितरित किये गये हैं । जिले में कृषक बन्धु किसानों के सहयोगी साबित हो रहे हैं । सोयाबीन के क्षेत्रफल में दो गुने से अधिक की वृद्धि और फसल बीमा योजना, कृषि विकास की कहानी सुना रहे हैं। ग्वालियर जिले के कृषि विकास कार्यक्रमों की प्रगति के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार है :-

1. ग्वालियर जिले 2,98,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। तथा द्विफसली क्षेत्र 157327 हेक्टेयर है। सम्पूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,55,327 हैक्टेयर है।

2. ग्वालियर जिले में सम्पूर्ण फसलों का सिंचित क्षेत्र 1,37,452 हैक्टेयर तथा खरीफ फसलों का क्षेत्रफल

1,45,627 हैक्टेयर है। रवी फसलों का क्षेत्रफल 2,70,120 हेक्टेयर है।

3. ग्वालियर जिले में कृषि पेदावार बढ़ाने के लिये व्यापक कदम उठाये गये हैं। पिछले 15 वर्षो में 20,18,370 हैक्टेयर में खरीफ फसल पैदा की गई। धान की फसल 16,831 हैक्टेयर में, ज्वार की फसल 70,383 हैक्टेयर, मक्का की फसल 1,26,690 हैक्टेयर, मूंग की फलस 70,820 हैक्टेयर, मूंगफली की फसल 16,420 हेक्टेयर, तिल्ली की फसल 20,570 हेक्टेयर, सूर्यमुखी की फसल 2100 हेक्टेयर तथा गन्ने की फसल 17510 हेक्टेयर क्षेत्र में पैदा की गई।

4. ग्वालियर जिले में कुल 40,70,810 हेक्टेयर रवी फसलों का उत्पादन किया गया। इसमें 19,77,435 हेक्टेयर में अनाज, 16,89,690 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन तथा अन्य फसलें 70,490 हेक्टेयर में उत्पादित की गई ।

5. ग्वालियर जिले में पिछले 15 वर्षो में किसानों को खरीब फसलों से 1,56,300 क्विंटल एवं रवि के 1,40,500 क्विंटल के बीज भी प्रदान किये गये।

6. ग्वालियर जिले में खरीफ के लिये 57,600 टन और रवी के 1,12,300 मेट्रिक टन खाद की खपत हुई ।

7. ग्वालियर जिले में विगत 15 वर्षो में 2351 वायोगेस संयत्र और 43000 नाडेप खरीद केन्द्र बनाये गये। नलकूल अनुदान योजना से 2270 और कूप योजना के अन्तर्गत 1563 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।

8. ग्वालियर जिले में पिछले 15 वर्षो में 2183 स्प्रिंकलर सेट, 673 छोटे टेक्टर, 39019 उन्नत कृषि यंत्र भी अनुदान पर उपलब्ध कराये गये।

9. ग्वालियर जिले में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गेंहू सिंचित 17,568 हेक्टेयर फसल का बीमा किया गया। लाभांवितों में अनुसूचित जाति के 1982, जनजाति के 1285 और सामान्य वर्ग के 2853 किसान सम्मिलित है । इसी प्रकार गेंहू के असिंचित 34345 हेक्टेयर का बीमा किया गया जिसमें अनुसूचित जाति के 1125, अनुसूचित जनजाति के 1520, सामान्य के 1722 किसान सम्मिलित हैं।

10. ग्वालियर ज़िले में विगत 15 वर्षो में 14287 हेक्टेयर क्षेत्र में चने की फसल का बीमा किया गया। बीमा कराने वालों में अनुसूचित जाति के 1079, अनुसूचित जनजाति के 1280 एवं समान्य वर्ग के 1863 किसान सम्मिलित हैं।

11. कृषक बन्धु योजनान्र्तगत कुल 92 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 2652 किसान प्रशिक्षित किये गये।

सोयाबीन के क्षेत्रफल में वृद्धि :-

सोयाबीन फसल का क्षेत्रफल बढाने के लिये ग्वालियर जिले में गंभीर प्रयास प्रारम्भ किये गये है । वर्ष 1995-96 में सोयाबीन की फसल का क्षेत्र मात्र 57 हजार हैक्टर जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 1 लाख 83 हजार हैक्टर हो गया । इससे कृषकों को 192000 मैट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हो रहा है। वित्तीय रूप से लगभग 253 करोड़ रूपये की मुद्रा कृषकों को इस नगद फसल से प्राप्त हो रही है।

सूरजधारा एवम् अन्नपूर्णा योजना :-

ग्वालियर जिले में रवी फसलों में पट्टेधारी फसलों को सशक्त बनाने क उद्देश्य से सूरजधारा एवम् अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं । इसमें गेहूँ के 575 क्विंटल तथा चना 427 क्विंटल, मटर 17 क्विंटल तथा अरहर 13 क्विंटल उन्नशील बीजों का वितरण कर 9131 पट्टेधारी कृषकों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 2005-06 में गेहूँ के 1260 क्विंटल चना 892 क्विंटल, मटर 37 क्विंटल एवम अरहर के 39 क्विंटल उन्नशील बीजों का वितरण कर लगभग 13212 पट्टेधारी कृषकों को लाभान्वित किया गया ।

झाँसी जिले में कृषि उत्पादन की स्थिति

तालिका क्रमांक 6–1

(क्विंटल प्रति हेक्टेयर)

क्रमांक	फसल का नाम	2001- 02	2002-03	2003 -04	2004 -05	2005-06
1	चावल	5.59	7.06	11.02	15.56	15.83
2	गेहूँ	25.62	27.80	29.80	26.29	28.31
3	जौ	14.85	16.22	19.14	16.08	17.15
4	ज्वार	1.99	5.73	7.82	9/05	10.35
5	बाजरा	9.37	8.-81	11.46	3.95	5.04
6	मक्का	3.16	6.87	9.28	7.87	2.18
7	महुआ	6.31	7.43	10.02	14.61	13.85
8	सावां	4.62	6.18	8.04	7.37	8.03
9	कोदो	5.18	7.78	9.12	8.71	10.53
10	कुटकी	2.02	3.94	5.19	8.62	9.62
11	उर्द	1.70	3.51	4.06	4.83	5.33
12	मूँग	1.01	2.20	2.16	2.41	3.23
13	मसूर	8.02	8.33	8.46	9.11	10.18
14	चना	8.11	11.23	11.04	12.11	13.15
15	मटर	16.98	15.74	15.17	15.18	17.21
16	अरहर	5.92	15.54	11.28	9.89	10.39
17	मौठ	2.02	2.07	3.12	3.85	4.17

स्रोत– जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झांसी 2005–06

उपरोक्त सारणी क्रमांक 6.1 से स्पष्ट है कि झाँसी जिले में प्रमुख रूप से कृषि उत्पादन की स्थिति को दर्शाया गया है । जिले की प्रमुख फसल, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा,

झांसी जिले में कृषि उत्पादन की प्रगति
चित्र कमांक 6.1
30
25
20
15
10
5
0
चावल
गेहँ
जौ
ज्वार
बाजरा
मक्का
महुआ
सावां
कोदो
कटकी
उर्द
मँग
मसर
चना
मटर
अरहर
मौठ
2001- 02
2002 -03
2003 -04
2004-05
2005-06

कोदों, मसूर, चना, मटर एवम् अरहर है । इसके अलावा जिले में ज्वार, मक्का, सांवा, कुटकी, उर्द, मूँग एवम मौठ भी कुछ मात्रा में पैदा किये जाते है । सर्वाधिक फसल गेहूँ, जौ, चावल, मटर, महुआ एवम् चना की रही है । वर्ष 2005-06 में गेहूँ का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 28.31 क्विंटल, जौ का 17.15, मटर 17.21 चना 13.15, महुआ 13.85, कोदों 10.53 एवम् चना 13.15 क्विंटल प्रति हैक्टेयर रहा ।

इससे तात्पर्य यह है कि जिले में कृषकों द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है जो निरन्तर बढ रहा है ।

पशुपालन–

भारत में पशुधन कृषि का आवशयक और अनिवार्य हिस्सा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

एम0एल0 डार्लिंग के अनुसार, ''पशुओं के बिना खेतों की जुताई नहीं हो पायेगी, गोदाम तथा खलिहान खाली पड़े रह जायेंगे और खान-पान का स्वाद भी अधूरा रह जायेगा, क्योंकि भारत जैसे शाकाहारी देश में दूध, घी, मक्खन आदि न मिलने से अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है।''[5]

शाही श्रम आयोग ने पशुओं का महत्व बताते हुए कहा था कि –''पशुओं के बिना कृषि नहीं की जा सकती है। उनके बिना कृषि उपज को बाजारों तक नहीं पहुँचाया जा सकता है।''[6]

भारतीय कृषि के यंत्रीकरण के पश्चात् भी कृषि प्रणाली की पशुधन निर्भरता एक प्राकृतिक विधान बन चुका है। कृषि से सम्बन्धित अनेक कार्य जैसे– जुताई, बुवाई, सिंचाई, फसल कटाई एवं परिवहन आदि में पशु श्रम का उपयोग किया जाता है। इन कृषि कार्यो का आधार स्तम्भ होने के कारण पशु खेतों के लिये रीढ़ की हड्डी के समान हैं। बैलगाड़ी तथा अन्य भारवाहक पशुओं की सहायता से बहुत अधिक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। भार खींचने वाले तथा भार ढ़ोने वाले पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाये हुये हैं। दूर–दराज के गाँवों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने में पशुओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। खेतों के लिये खाद भी पशुओं द्वारा ही प्राप्त होती है, पशु दुग्ध उत्पादक, माँस, चमड़ा, ऊन उद्योगों की आधारशिला है। पशुओं की खाल से अनेक जीवनोपयोगी वस्तुएं बनायी जाती हैं।

ग्वालियर जिले में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशुधन के बेहतर उपचार के लिये विगत लगभग 15 वर्षो में 23 पशु औषधालय खोले गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के उपचार के लिये गौ सेवकों की नियुक्ति एवं पशु टीकाकरण की व्यवस्था की गयी है। काकरेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिये ग्वालियर जिले में विशेष पहल की गयी है

ग्वालियर जिले में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं पशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विगत 15 वर्षों में व्यापक कदम उठाये गये हैं। ग्वालियर जिले में पिछले 15 वर्षों के दौरान 23 पशु औषद्यालय एवं 7 पशु चिकित्सा कॉम्पलेक्स भवन बनाये गये हैं। जिससे पशुओं के बेहतर स्वास्थय की सुविधा प्राप्त हुई है।

ग्वालियर जिले में गौ-सेवा योजना के अर्न्तगत 298 गौ-सेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। इन गौ-सेवकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा का कार्य प्रांरभ कर दिया है। इससे जहाँ एक ओर ग्रामीण अंचल में पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हुई है वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ 80 और गौ-सेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार प्रशिक्षित गौ-सेवकों की सख्या 378 हो गयी है।

ग्वालियर जिले में पिछले 15 वर्षो में 80705 पशुओं को मुंहखुरी रोग प्रतिबंधात्मक टीके लगाये गये। ग्वालियर जिले में पिछले 5 वर्षो में 6 राज्य स्तरीय चिकित्सकों की सहायता से पशु उपचार शिविरों का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर कामधेनु शिविर भी लगाकर पशुओं की विभिन्न बीमारियों का इलाज किया गया । ग्वालियर जिले में हितग्राही मूलक योजना के अन्तर्गत विनिमय के आधार पर 373 बकरे एवं 107 नर सूअर तथा 980 कुक्कुट इकाईयां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त काकरेल योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को 58212 चूजे एवं गौ एवं भैंस

वंशीय उन्नयन योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत अनुदान पर 313 सांड एवं 189 भैंसे प्रदान किये गये। जिले में जमुनापारी बकरे का प्रदाय एवं काकरेल योजना के क्रियान्वयन की विशेष पहल की गई।

(जिला सांख्यकी पुस्तिका ग्वालियर वर्ष 2005-06)

झाँसी जिले में पशु पालन की स्थिति

तालिका क्रमांक 6.2

	वर्ष/विकास खण्ड	गौ जातीय			
		3वर्ष से अधिक के नर	3 वर्ष से अधिक की मादा	बछड़ा एवम् बछिया	कुल
	1997	1,07,931	1,22,026	1,09,130	3,39,087
	2003	75,834	1,02,782	1,00,548	2,79,164
	विकास खण्डवार 2006				
1	मौठ	5,263	10,203	10,339	25,805
2	चिरगाँव	7,129	11,988	11,468	30,585
3	बमौर	11,243	14,201	12,465	37,909
4	गुरसराय	12,202	14,703	14,201	41,106
5	ब्रंगरा	10,104	11,289	10,992	32,385
6	मऊरानीपुर	9,003	10,382	13,881	33,266
7	बबीना	14,143	14,271	12,966	41,380
8	बड़ागांव	6,432	7,234	8,769	22,435
	कुल	75,703	94,271	95,081	2,54,971

स्रोत - जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झाँसी 2005-06 ।

झांसी जिले में पशु पालन की प्रगति
चित्र कमांक 6.2

<u>मत्स्य पालन</u> –

मत्स्य का कार्य कृषि का एक प्रमुख अंग तथा कम लागत का एक महत्वपूर्ण धन्धा है। यदि आधे से पांच हेक्टर तक के तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जाये तो इस कार्य में कृषि से अधिक आया संभाव है। मत्स्य पालन के लिये मत्स्य विभाग उन्नतिशील प्रजाति की मछलियों का बीज (अंगुलिकाऐं) ग्राम समाजों और निजी मत्स्य पालकों को उचित मूल्य पर प्रदान करता है। यह विभाग मत्स्य पालकों को मत्स्यपालन की आधुनिक विधियों की जानकारी भी प्रदान करता है।

ग्वालियर जिले में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत मत्स्यपालक अधिकरण कार्य कर रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में मत्स्य पालन के कार्य को बढाना इस अभिकरण का प्रमुख उद्देश्य है जिससे इस व्यवसाय के दौरान कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और उनकी निर्धनता का निवारण हो सके ।

वर्ष 2000–2006 तक मत्स्य पालक विकास अधिकरण द्वारा 105 तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को दिया गया । और 217 मत्स्य पालकों के तालाबों का ऋण प्रस्ताव बैंकों की स्वीकृति हेतु भेजा गया । मत्स्य पालन के व्यवसाय का प्रत्यक्ष समक्ष मुख्यतः मछुआरों से है जो प्रायः निर्धनता के शिकार हैं उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये उन्हें संगठित करके जिले में " मत्स्या जीवी सहकारी समितियों " के गठन हेतु सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं । ऐसी 17 सहकारी

समितियों का गठन किया जा चुका है और आगे प्रयास जारी हैं । इन समितियों के द्वारा समिति की वित्तीय सहायता और अन्य संसाधन प्राप्त करने में सुविधा होगी ।

ग्वालियर जिले में पिछले 15 वर्षो 1073 हेक्टर क्षेत्रों में मत्स्य पालन के लिये सहायता प्रदान की गई । ग्वालियर जिले में इस अवधि में 789.7? मै0 टन मत्स्य उत्पादन हुआ । ग्वालियर जिले में वाणिज्यिक बैंकों को मत्स्य पालन के लिये 289.71 लाख रूपये के ऋण प्रकरण स्वीकृति के लिये भेजे गये । वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इनमें से विभिन्न प्रकरणों में 170.83 लाख रूपये के ऋण स्वीकृत किये गये । ग्वालियर जिले में इस अवधि के दौरान मत्स्यपालन के लिये 72 तालाब निजी भूमि में बनवाये गये। इन सभी तालाबों में मत्स्य पालन हो रहा है । पिछले 15 वर्षो में जिले के विभिन्न विभागीय तालाबों में 37.53 मै0टन मत्स्य उत्पादन किया गया ।

(स्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्ष 2005–06)

झाँसी जिले में मत्स्य पालन योजनाओं की स्थिति

तालिका कमांक 6.3

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0 में)	उपलब्धि (लाख रू0 में)
2000-2001	5.84	3.57
2001-2002	8.48	11.71
2002-2003	10.26	11.73
2003-2004	14.29	15.65
2004-2005	16.85	16.10
2005-2006	18.32	17.02

(स्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झाँसी)

झॉसी जिले में मत्सयपालन योजनाओं की स्थित

चित्र कमांक 6.3

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है, कि कृषि एवं ग्रामीण विकास में मत्स्य पालन का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योकि पशु-पालन से लोगों को दूध, दही, मक्खन आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुऐं प्राप्त होती है एवं रोजगार प्राप्त होता है। इसी प्रकार मत्स्य पालन भी ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। वर्ष 2000-2001 में सरकार द्वारा मत्स्य पालन में सरकार द्वारा 5.84 लाख रूपयों के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया । इस वर्ष मत्स्य पालन पर 3.57 लाख रूपयों की राशि व्यय की गई। वर्ष 2001-2002 में मत्स्य पालन के लिये 8.48 लाख रूपये की राशि व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। इस वर्ष सरकार द्वारा मत्स्य पालन पर 6.76 लाख, रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2002-03 में पशुपालन पर सरकार ने मत्स्य पालन पर सरकार ने मत्स्य पालन के लिये 10.26 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन मत्स्य पालन पर 11.73 लाख रूपये व्यय किये गये जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक थे । वर्ष 2003 -04 में मत्स्यपालन के लिये 14.29 लाख रूपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और मत्स्य पालन पर सरकार ने 15.65 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक थे। वर्ष 2004-05 में मत्स्य पालन के लिये 16.85 लाख रूपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और मत्स्य पालन पर सरकार ने 16.10 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कि निर्धारित लक्ष्य से कम व्यय किये गये । वर्ष 2005-06 में मत्स्य पालन के लिये 18.32

लाख रूपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और मत्स्य पालन सरकार ने 17.02 लाख रूपये व्यय किये गये , जो निर्धारित लक्ष्य से कम व्यय किये गये । झांसी जिले में मत्स्य पालन के लिये अध्ययन अवधि में 8.90 लाख बढ़कर 1832 लाख रूपये लक्ष्य निर्धारित किया गया, अध्ययन अवधि में 8.1 लाख रूपये से बढ़ककर 17.02 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कि अध्ययन अवधि में लगभग दो गुने के बराबर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम –

दिसम्बर 1980 से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में आरम्भ किया गया है इस कार्यक्रम के सम्पूर्ण व्यय में 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार और प्रतिशत राज्य सरकार की सहभागिता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल , भवन, पुलिया,खरंजा, पंचायत, भवन, सम्पर्क – मार्ग, पौधाशाला, ग्रामीण गोदाम, हरिजन आवास, नाले आदि परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा रहा है ।

जिलों की विशिष्ट परिस्थितियों, उपलब्ध परिसम्पत्तियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक जिले को इस कार्यक्रम हेतु अपनी स्वयं की परियोजनाएं बनानी चाहिए और इस कार्यक्रम में क्रियान्वयन में यथासम्भव पंचायती राज समितियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यो का चयन तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी शासन ने दिशा–निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार आबंटित धनराशि का 10 प्रतिशत व्यय सामाजिकी वानकी पर और न्यूनतम 25 प्रतिशत व्यय

ऐसे विशिष्ट कार्यो पर होना चाहिए, जिनका सीधा लाभ अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को मिलें ग्वालियर जिले में ग्राामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है –

ग्वालियर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिति

तालिका क्रमांक 6–4

वर्ष	लक्ष्य (लाख रूपयों में)	उपलब्धि (लाख रूपयों में)
2000-01	12.35	12.78
2001-02	13.75	13.92
2002-03	15.61	15.40
2003-04	16.31	16.95
2004-05	19.75	19.81
2005-06	21.75	21.98

(स्रोत– जिला सांख्यिकी पुस्तिका ग्वालियर वर्ष 2006)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है, कि सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं ।

ग्वालियर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिति
चित्र कमांक 6.4

जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हो रही है । वर्ष 2000- 2001 में 12.35लाख रूपये की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया परन्तु लक्ष्य के विरूद्ध 12.78 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गयी, वर्ष 2001-2002 में ग्वालियर जिले में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिये 13.75 लाख की राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। लेकिन लक्ष्य से अधिक 13.92 लाख रूपये ग्रामीण विकास पर खर्च किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2002-03 में ग्वालियर जिले में ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति एवं विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये 15.61 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन इसके विपरीत 15.40 लाख रूपये व्यय किये गये जो कि लक्ष्य से मामूली सा कम रहा । वर्ष 2003-04 में ग्वालियर जिले के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिये 16.31 लाख रूपये की धनराशि व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य निर्धारण के विरूद्ध 16.95 लाख रूपये किये गये जो कि लक्ष्य से अधिक थे । वर्ष 2004-05 में ग्वालियर जिले के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिये 19.75 लाख रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया ओर इस लक्ष्य निर्धारण के विरूद्ध 19.81लाख रूपये व्यय किये गये। जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक थे। वर्ष 2005-06 में ग्वालियर जिले के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिये 21.75 लाख रूपये की धनराशि व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य निर्धारण के विरूद्ध 21.98 लाख रूपये व्यय किये गयें ।

अध्ययन अवधि में ग्वालियर जिले के ग्रामीण विकास के लिये 9.17 लाख रूपये से वृद्धि होकर 19.88 लाख रूप्ये व्यय किये गये जो कि दुगने से अधिक हैं ।

झाँसी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थितिः

तालिका क्रमांक 6-5

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0 में)	उपलब्धि (लाख रू0 में)
2000-01	12.21	12.76
2001-02	13.25	14.54
2002-03	16.60	17.25
2003-04	19.48	20.86
2004-05	22.35	23.89
2005-06	25.50	26.71

(स्रोत -जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झाँसी वर्ष 2005-06)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं । जिससे ग्रामीण

झॉसी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यकमों की स्थिति :

चित्र कमांक 6.5

अर्थ व्यवस्था गतिशील हो रही है । वर्ष 2000–2001 में 12.21 लाख रूपये की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया, परन्तु लक्ष्य के विरूद्ध 12.76 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गई, वर्ष 2001–2002 में झाँसी जिले में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिये 13.25 लाख रूपये की राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया । लेकिन लक्ष्य से अधिक 14.54 लाख रूपये ग्रामीण विकास पर खर्च किये गये । इसी प्रकार वर्ष 2002–03 में झाँसी जिल में ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति एवम् विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये 16.60 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन इसके विपरीत 17.25 लाख रूपये व्यय किये गये जो कि लक्ष्य से अधिक थे । वर्ष 2003–04 में झाँसी जिले के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिये 19.48 लाख रूपये की धनराशि व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य निर्धारण के विरूद्ध 20.86 लाख रूप्ये व्यय किये गये । 2004–2005 में झाँसी जिले के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिये 22.35 लाख रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य निर्धारण के विरूद्ध 23.89 लाख रूप्ये व्यय किये गये । जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक व्यय किये गये । जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक व्यय किय गये । वर्ष 2005–06 में झाँसी जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिये 25.50 लाख रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य निर्धारण के विरूद्ध 26. 71 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कि लगभग ढाई गुनी

से अधिक है। अध्ययन की अवधि में झाँसी जिले के ग्रामीण विकास के लिये लगभग 10.82 लाख रूपये से वृद्धि होकर 26.71 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कि लगभग ढ़ाई गुनी से अधिक है। अध्ययन अवधि में झांसी जिले में प्रत्येक वर्ष लक्ष्य से अधिक व्यय की गयी, जो कि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा जनता की जागरूकता को प्रदर्शित करती है ।

सिंचाई सुविधाएं :-

फसलों को वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। जिस प्रकार बीज, खाद, उर्वरक या श्रम कृषि उत्पादन की महत्वपूर्ण आगत हैं, उसी प्रकार सिंचाई भी एक आगत है। किन्तु सिंचाई की आगत के रूप में यह विशेषता है, कि यह अन्य अगतों की उत्पादकता में विशेष वृद्धि करती है। बिना सिंचाई के कृषि उत्पादन करना असम्भव होता है। भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इस संदर्भ में चार्ल्स ट्रेविलियन का यह कथन पूर्ण सत्य प्रतीत होता है कि, **"भारत में सिंचाई ही सब कुछ और जल भूमि से अधिक महत्वपूर्ण है।"**[8]

भारत वर्ष में सिंचाई के महत्व को स्वीकारते हुए एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि, **"सभी गाँवों में सिंचाई की सुविधाऐं प्रदान करने से अधिक आवश्यक कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंचाई ही वह आधार है, जिस पर कृषि की प्रगति निर्भर करती है।"**[9]

कृषि की सफलता के लिए उचित मात्रा में जल का होना अति आवश्यक है। वर्षा, जल प्राप्त करने का प्राकृतिक साधन है। परन्तु भारत में समय और स्थान की दृष्टि से जल–वृष्टि का वितरण समान नहीं है। अधिकांशतया जुलाई से सितम्बर तक के 3 महीनों में ही वर्षा होती है तथा सर्दियों में थोड़ी सी वर्षा के अतिरिक्त पूरे वर्ष सूखा रहता है । इसी तरह देश के कुछ भागों में अति वर्षा, कुछ में अल्प वर्षा अथवा कुछ में बिलकुल भी वर्षा नहीं होती है । ऐसी स्थिति में सिंचाई के बिना खेती करना व्यवहारिक रूप से असंभव है ।

क्योंकि हमारी देश में वर्षा एक विशेष मौसम में ही होती है अतः दूसरे मौसमों में फसलों को बिना सिंचाई के पैदा करना बहुत कठिन है। इसके अतिरिक्त कुछ फसलों जैसे गन्ना, चावल तथा पटसन आदि के लिये निरन्तर जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा ही पूरी की जा सकती है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मृदाऐं पायी जाती हैं। कुछ स्थानों की मृदा बालुई स्वभाव की है, जिसमें जल धारण करने की शक्ति कम है। ऐसी मृदाओं में सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिये सिंचाई की सुविधाओं का होना आवश्यक है। इसके अलावा बेकार पड़ी हुई नई भूमि को खेती के अर्न्तगत लाने के लिये भी सिंचाई के साधनों की आवश्यकता है।

इस प्रकार भारत वर्ष मे, जहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है, मानसून अनियमित एवं अनिश्चित हैं। विभिन्न

ऋतुओं में अनेक प्रकार की फसलें बोयी जाती हैं, विभिन्न प्रकार की मृदा पायी जाती है तथा कृषि उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाने के लिये नयी भूमियों को खेती के अर्न्तगत लाना है, तो सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता है।

भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार देश के विभिन्न भागों में खेतों की सिंचाई के लिये विभिन्न साधन अपनाए जाते हैं। किसी क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का विकास वहाँ की भौगोलिक स्थिति, मृदा का स्वभाव तथा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले सिंचाई के समस्त साधनों को निम्न पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है– नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब तथा अन्य साधन। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों के तुलनात्मक महत्व का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

क्रमांक	सिंचाई के साधन	कुल सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	नहरें	32.09
2	कुऐ	20.1
3	नलकूप एवम ट्यूबवैल	34.2
4	तालाब	6.5
5	अन्य साधन	6.3
	कुलयोग	100.00

ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये सघन प्रयास किये गये हैं। राष्ट्रीय कृषि

और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से कार्यान्वित 4 मध्यम और 19 लघु सिंचाई परियोजनाओं से 9,160 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है।

ग्वालियर जिले में सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने के कारण अधिकांश कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है । वर्षा की अनियमितता एवम् सिंचाई साधनों के अभाव के कारण ग्वालियर जिले में किसानों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । लघु सिंचाई योजना के रूप में किसान तालाबों एवम् कुओं से फसलों की सिंचाई करते हैं । सरकार ने अध्ययन अवधि में ग्वालियर जिले में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये लगभग 13.35 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की है। ग्वालियर जिले में लगभग 1,73,512 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई वर्षा पर आधारित है । जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा पम्प सेट के लिये ऋण एवम् अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्वालियर जिले में जल दोहन की पर्याप्त संभावनाऐं हैं। जिले में ड्रिप सिंचाई का उपयोग फलदारों वृक्षों, फूलों की खेती, सब्जी आदि में किया जाता है, लेकिन इसका विकास भी लगभग नही के बराबर हुआ है । उद्वहन सिंचाई योजना भी लगभग दम तोड़ती नजर आ रही है । ग्वालियर जिले में सिंचाई साधनों की प्रगति को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है :-

ग्वालियर जिले में सिंचाई सुविधाओं की स्थिति

तालिका क्रमांक 6.6

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0 में)	उपलब्धि (लाख रू0 में)
2000-01	32.73	32.98
2001-02	61.53	63.77
2002-03	63.74	64.51
2003-04	65.61	68.82
2004-05	57.54	69.12
2005-06	87.31	89.12

(स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका, ग्वालियर वर्ष 2006)

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उत्पादन ही जीवन है, यह कहावत मानव के लिए ही नहीं, बल्कि पेड़-पौधों पर भी लागू होती है। सिंचाई द्वारा ही अनाज की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सिंचाई सुविधाओं का जितना विस्तार होगा, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। भारत सरकार ने ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के तहत सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के

ग्वालियर जिले में सिंचाई सुविधाओं की स्थिति

चित्र कमांक 6.6

लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। सरकार खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रही है, क्योंकि एक भारत जैसे विशाल देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष करोड़ों में बढ़ रही है, इसकी आजीविका के लिए खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाना अति आवश्यक है। वर्ष 2000–2001 में सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं के लिये 32.73 लाख रूपये का लक्ष्य रखा और इस निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा 32.98 लाख रूपये व्यय हुए। वर्ष 2001–2002 में 61.53 लाख रू. सिंचाई सुविधाओं के लिये सरकार द्वारा निर्धारित किये, परन्तु इन सुविधाओं पर लक्ष्य से अधिक 63.77 लाख रूपये का व्यय किये गये। वर्ष 2002–03 में सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं के लिये 64.74 लाख रूपये का लक्ष्य रखा गया। लेकिन इस वर्ष भी लक्ष्य के विरूद्ध 64.51 लाख रूपये इन सुविधाओं पर व्यय किये गये। वर्ष 2003–04 में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिये सरकार ने 65.61 लाख रूपये की धन राशि का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सके और सिंचाई सुविधाओं पर 66.82 लाख रू. का व्यय किया गया। वर्ष 2004–2005 में सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं के लिये 67.54 लाख रूपये का लक्ष्य रखा और इस निर्धारित लक्ष्य से 69.12 लाख रूपये व्यय हुए। वर्ष 2005–2006 में सरकार सिंचाई सुविधाओं के लिये 87.31 लाख रूपये का लक्ष्य रखा और इस निर्धारित लक्ष्य से अधिक 89.12 लाख रूपये व्यय हुए । अर्थात् यह कहा जा सकता है कि सरकार प्रतिवर्ष सिंचाई सुविधाओं के लिए अपने लक्ष्य से अधिक व्यय कर रही है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन हेतु

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना आवश्यक है तभी हम खाद्यान्न की पूर्ति कर सकते हैं।

झाँसी जिले में सिंचाई सुविधाओं की स्थिति

तालिका कमांक 6.7

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0 में)	उपलब्धि (लाख रू0 में)
2000-01	26.29	28.05
2001-02	48.68	52.73
2002-03	56.68	57.55
2003-04	56.84	57.85
2004-05	61.92	64.18
2005-06	88.35	92.56

(स्रोत - जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झाँसी 2000-2006)

उर्पयुक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उत्पादन के अभाव में मानव जीवन सम्भव नहीं है और बिना सिंचाई के पर्याप्त मात्रा उत्पादन नहीं हो सकता है। सिंचाई के पर्याप्त संसाधनों के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई सुविधाओं का जितना विस्तार होगा उत्पादन में उतनी ही वृद्धि होगी। सरकार ने झाँसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन क्षमता में

झाँसी जिले में सिंचाई सुविधाओं की स्थिति
चित्र कमांक 6.7
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
लक्ष्य (लाख रू0 में)
उपलब्धि (लाख रू0 में)

वृद्धि करने के अन्र्तगत सिंचाई सुविधाओं का जितना विस्तार होगा उत्पादन खमता में वृद्धि करने के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये अनेक कदम उठाकर विस्तार करने का प्रयास किया है । सरकार खाद्यान्न की मात्र बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहीं है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष करोड़ों में बढ़ रही है, इसकी आजीविका के लिये खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि करना अति आवश्यक है । वर्ष 200-2001 में 26.29 लाख रूपये का लक्ष्य रखा और इस निर्धारित लक्ष्य से अधिक 28.05 लाख रूपये व्यय हुए । वर्ष 2001-2002 48.68 लाख रूपये सिंचाई सुविधाओं के लिये सरकार द्वारा निर्धारित किये, परन्तु इन सुविधाओं पर लक्ष्य से अधिक 52.73 लाख रूपये का व्यय किये गये । वर्ष 2002-2003 में सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं के लिये 56.68 लाख रूपये का लक्ष्य रखा गया । लेकिन इस वर्ष भी लक्ष्य के विरूद्ध 57.55 लाख रूपये इन सुविधाओं पर व्यय किये गये । वर्ष 2003-04 में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिये सरकार ने 56.84 लाख रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सके और सिंचाई सुविधाओं पर 64.18 लाख रूपये का व्यय किया गया, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक था । वर्ष 2004-05 में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिये सरकार ने 61.92 लाख रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक 64.18 लाख रूपये था । वर्ष 2005-06 में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिये सरकार ने 88.35 लाख

रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन को बढाया जा सके और सिंचाई सुविधाओं पर 92.56 लाख रूपये का व्यय किया गया, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक था । अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि सरकार प्रतिवर्ष सिंचाई सुविधाओं के लिये अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक धनराशि व्यय कर रही है । क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना आवश्यक है तभी हम इतनी विशाल जनसंख्या के लिये खाद्यान्न की पूर्ति कर सकते हैं ।

ग्वालियर जिले में आद्योगिक प्रगति :–

कृषि, खनिज एवम् वन साधनों से सम्पन्न यह परिक्षेत्र निरन्तर औद्योगिक सम्पन्नता को निरन्तर प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है । इस परिक्षेत्र की गणना प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र प्रमुखरूप की जाती है । इस क्षेत्र में सिंधिया राजघराने का प्रभाव अधिक रहा हैं जिसमें इस क्षेत्र को औद्योगिक एवम शैक्षणिक दृष्टि में विकसित करने मेंकोई कसर नहीं छोड़ी । प्राचीनकाल से ही ग्वालियर रियासत अपनी भव्य संस्कृति के साथ विनियम व्यवसाय का भी केन्द्र बिन्दु रहा है । ग्वालियर जिले में अनादि काल से ही प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण तथा व्यापार किया जाता था। प्राचीनकाल में व्यापारी देशाटन कर व्यापार किया करते थे, उन्हें ग्वालियर परिक्षेत्र में व्यापार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी और उनकी रक्षा के लिये तत्कालीन रियासतें भी भरपूर सहायता किया करती थी ग्वालियर

परिक्षेत्र की औद्योगिक विकास का क्रम तत्कालीन महाराज स्व0 श्रीमन्त माधवराव सिंधिया के काल से हुआ था । उन्होंने अपने राज्य में नियोजित आर्थिक व्यापारिक एवम् औद्योगिक विकास के लिये अथक प्रयास किये । उनके द्वारा ग्वालियर में अनेक उद्योग स्थापित किये गये।

ग्वालियर में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा औद्योगिक बस्ती के रूप में विकसित किया गया । ग्वालियर जिले में जीवाजीराव कॉटन मिल्स, ग्वालियर रेयन, स्टील फाउण्ड्री सिमको, जे0बी0 मंधाराम फैक्ट्री,ग्वालियर पॉटरीज एवम् मुरार लैदर फैक्ट्री मुख्य थी इसके साथ ही साथ इन उद्योगों को कच्चेमाल एवम् उत्पादों की पूर्ति के लिये अनेक लघु एवम कुटीर उद्योग धन्धे विकसित किये गये । ग्वालियर जिले में लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिये प्रधानमंत्री रोजगार योजनाके अन्तर्गत ऋण प्रदान कर शहरी क्षेत्र में रोजगार स्थापित कराये जा रहें हैं ।

ग्वालियर जिले से सटे हुए मुरैना भिण्ड जिले के अन्तर्गत आने वाल बामोर एवम् मालनपुर को आद्योगिक बस्ती के रूप में विकसित किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से ग्वालियर के आद्योगिक विकास को विकसित करते हैं । प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को विभिन्न उद्योग/व्यवसायों के लिये 52 करोड रूपये के ऋण एवम् अनुदान विकसित किये गये । जिसके परिणामस्वरूप लगभग 3257 औद्योगिक इकाईया स्थापित की गई, जिनसे लगभग 11970 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ । प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्वालियर जिले में 5421

हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिये 48 करोड़ 77 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई । इस राशि द्वारा हितग्राहियों ने लघु उद्योग व सेवा व्यवसाय स्थापित किये ।

ग्वालियर जिले की औद्योगिक स्थिति

तालिका क्रमांक 6.8

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0 में)	उपलब्धि (लाख रू0 में)
2000-01	22.71	23.46
2001-02	24.35	26.21
2002-03	29.41	30.76
2003-04	31.25	32.75
2004-05	34.23	37.28
2005-06	38.28	39.41

(स्रोत -जिला सांख्यिकी पुस्तिका, ग्वालियर)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्वालियर जिला औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी माना जाता है । ग्रामीण क्षेत्र में भी अनेक लघु एवम् कुटीर उद्योग संचालित हो रहे हैं । नवीन उद्योगों की स्थापना एवम् वर्तमान् औद्योगिक इकाईयों की प्रगति के लिये सरकार अपने वित्तीय वर्ष में उद्योगों के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित करती है, जिससे उद्योगों का विकास हो और ग्रामीण युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो । वर्ष 2000-2001 में 22.71 करोड़ रूपये का प्रावधान उद्योगों की स्थापना के लिये किया गया, इस लक्ष्य से अधिक 23.

ग्वालियर जिले कीं औद्योगिक स्थित

चित्र कमांक 6.8

96 करोड़ रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2001-2002 में सरकार ने 24.35 करोड़ रूपये का ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित किया एवम् ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता के मध्य शासन द्वारा 26.21 करोड़ रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2002-2003 में आद्योगिक प्रगति के लिये सरकार ने 29.41 करोड़ रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया जबकि लक्ष्य के विरूद्ध 30.76 करोड़ रूपये व्यय किये । वर्ष 2003-2004 में ग्वालियर को विरासत में प्राप्त हुई औद्योगिक धरोहर को समृद्ध एवम् शक्तिशाली बनाने के लिये सरकार ने 31.35 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र की गरिमा एवम् कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार ने 32.75 करोड़ रूपये की राशि का व्यय कर ग्रामीण युवकों को रोजगार से जोड़कर उनकी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है । वर्ष 2004-05 में आद्योगिक प्रगति के लिये सरकार ने 34.23 करोड़ रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया जबकि लक्ष्य के विरूद्ध 37.28 करोड़ रूपये की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि लक्ष्य के विरूद्ध 37.28 करोड़ रूपये व्यय व्यय किये । वर्ष 2005-06 में सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिये 38.28 करोड़ रूपयेका प्रावधान किया गया । लेकिन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण वास्तविक व्यय अर्थात् उपलब्धियां 39.41 करोड़ की रहीं । ग्रामीण युवा जो रोजगार के लिये शहरों की ओर पलायन करते थे, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार मुहैया कराया जा रहा है । ग्वालियर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग एवम् रेल परिवहन से

जुड़ा हुआ है, इस कारण यहाँ बाहर के उद्यमी भी उद्यम स्थापित करने में रूचि दिखा रहे हैं, जिससे विनियोजित पूँजी की मात्रा एवम् रोजगार की दर में वृद्धि हो रही है ।

झाँसी जिले में आद्योगिक स्थिति

तालिका कमांक 6.9

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0 में)	उपलब्धि (लाख रू0 में)
2000-01	29.71	33.46
2001-02	36.50	39.21
2002-03	47.41	49.76
2003-04	56.27	61.57
2004-05	65.42	66.56
2005-06	68.82	70.92

(स्रोत -जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झाँसी)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है, कि झाँसी जिला औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अनेक लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित हो रहे हैं। नवीन उद्योगों की स्थापना एवं वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की प्रगति के लिए सरकार अपने वित्तिय वर्ष में उद्योगों के विकास के लिये। लक्ष्य निर्धारित करती है, जिससे उद्योगों का समुचित मात्रा में विकास हो सके और ग्रामीण युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके। वर्ष 2000-2001 में 29.71 करोड़ रूपये का प्रावधान उद्योगों की स्थापना के लिये किया गया, इस लक्ष्य

झाँसी जिले में आद्योगिक स्थित

चित्र कमांक 6.9

से अधिक 33.46 करोड़ रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2001–2002 में सरकार ने 36.50 करोड़ रूपये का ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता के बीच सरकार द्वारा 39.21 करोड़ रूपये तय किया। वर्ष 2002–2003 में औद्योगिक प्रगति के लिये सरकार ने 47.41 करोड़ रूपये व्यय की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि लक्ष्य के विरुद्ध 49.76 करोड़ रूपये व्यय किये। वर्ष 2003–2004 में झाँसी को विरासत में प्राप्त हुई औद्योगिक धरोहर को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने के लिये सरकार ने 56.27 करोड़ रूपये की धनराशि का व्यय करने का प्रावधान किया। जबकि 61.57 करोड़ रूपये की राशि का व्यय की गयी। वर्ष 2004–05 में सरकार द्वारा 65.42 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया, जबकि 66.56 करोड़ रूपये की राशि का व्यय की गयी, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी। वर्ष 2005–06 में सरकार द्वारा 68.82 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय का प्रावधान किया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र की गरिमा एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार ने 70.92 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गयी। जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी। झाँसी जिले में ग्रामीण युवकों को रोजगार में जोड़कर उनकी आजीविका का मार्ग प्रशस्त करने का सरकार ने सराहनीय कार्य किया। ग्रामीण युवा जो रोजगार के लिये शहरों की ओर पलायन करते थे, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध कराया

जा रहा है। झाँसी जिले में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ लगभग 145 औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाएं –

झाँसी एवम् ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित विकास योजनाऐं संचालित की जा रही हैं –

1. **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना** :

पूर्व से चल रही जवाहर ग्राम रोजगार योजना का पुर्नगठित सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप है। 1 अप्रैल, 1999 को प्रारम्भ की गई, सितम्बर 2001 से इसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया है। इस योजना का मौलिक उद्देश्य गाँवों में माँग आधारित सामुदायिक अधोसंरचना का सृजन करना है, जिसमें टिकाऊ सामुदायिक एवं सामाजिक परिसम्पत्तियों का सृजन सम्मिलित है। इस प्रकार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिये लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिये मजदूरी आधारित रोजगार अवसरों का सृजन करना भी है। इस योजना को दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़ कर समग्र देश में सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। योजना में व्यय की जाने वाली राशि 75:25 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार वहन करेंगी। केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में सम्पूर्ण खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी। इस योजना को पूर्णतः ग्राम पंचायत स्तर पर

ही लागू किया गया है। योजना के अर्न्तगत मजदूरी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर धनराशि का आवंटन बिना किसी सीमा के किया जायेगा। योजना की 22.5 प्रतिशत धनराशि अनु0जाति/अनु0जनजाति की अलग लाभार्थी योजनाओं के लिये निर्धारित की गयी है। वार्षिक आवंटन का 3 प्रतिशत अपंग लोगों के लिये अधोसंरचना के निर्माण में मजदूरी एवं कच्चे माल का अनुपात 60:40 रखा गया है। ग्राम सभा की मंजूरी से 50,000 रूपये तक के निर्माण कार्यो/योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ग्वालियर जिले में विगत 11 वर्षो में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अर्न्तगत 26,13,39,000 रूपये लागत 5,431 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये इनमें 6,54,134 मानव दिवसों का रोजगार सृजित हुआ है।[10]

झाँसी जिले में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की स्थिति

तालिका - 6.10

क्रमांक	वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (लाखरूपये में)	कुल व्यय (लाख रूपये में)	सृजित रोजगार मानव दिवस (लाखों में)		
				अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य
1-	2000-2001	15.27	16.85	7.33	5.69	3.83
2-	2001-2002	19.76	21.26	10.43	6.21	4.62
3-	2002-2003	24.33	26.70	12.57	7.96	6.17
5-	2003-2004	27.96	32.30	16.27	9.33	6.79
6-	2004-2005	30.92	34.40	18.92	10.43	7.24
7-	2005-2006	34.53	36.80	21.46	12.48	11.02

(स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झाँसी)

झाँसी जिले में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की स्थिति

चित्र कमांक 6.10

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है, कि झाँसी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एक अहम् भूमिका अदा कर रही है। वर्ष 2000-2001 में 15.27 लाख रूपये सरकार द्वारा इस योजना के लिये निर्धारित किये गये, लेकिन इस योजना पर लक्ष्य से अधिक 16.85 लाख रूपये व्यय किये गये। इस व्यय की गयी राशि में 7.33 लाख अनु0 जाति पर व्यय किये, 5.69 लाख अनु0जनजाति पर एवं 3.83 लाख रूपये अन्य जाति के युवाओं पर व्यय किये गये। वर्ष 2001-2002 में 19.76 लाख रूपये की धनराशि सरकार द्वारा इस योजना को समृद्ध बनाने के लिये निर्धारित की गयी, जबकि इस योजना में लक्ष्य से अधिक 21.26 लाखा रूपये व्यय किये गये इस धनराशि में 10.43 लाख रूपये अनुसूचित जाति पर व्यय, 6.21 लाख रूपये अनुसूचित जनजाति पर व्यय एवं 4.62 लाख रूपये अन्य जाति के युवाओं पर व्यय किये गये। वर्ष 2002-03 में सरकार द्वारा 24.33 लाख रूपये का प्रावधान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अर्न्तगत किया गया इस योजना लक्ष्य से अधिक 26.70 लाख रूपये व्यय किये गये, जिसमें से 12.57 लाख रूपये अनुसूचित जाति पर व्यय किये गये, 7.96 लाख रूपये अनु0जनजाति पर एवं 6.17 लाख रूपये अन्य जाति के युवाओं पर व्यय किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में सरकार द्वारा 27.96 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया, इस वित्तिय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 32.39 लाख रूप्ये की उपलब्धि प्राप्त हुई, इसमें से 16.27 लाख

रूपये अनु0जाति पर, 9.33 लाख रूपये अनु.जन जाति पर व्यय किया गया एवं 6.79 लाख रूपये अन्य जाति के युवकों पर व्यय कर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया।

वर्ष 2004-05 में सरकार द्वारा स30.92 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया इस वित्तिय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 34.40 लाख रूपये की उपलब्धि प्राप्त हुई, इसमें से 18.92 लाख रूपये अनु0जाति पर, 10.43 लाख रूपये अनु0जनजाति पर व्यय किया गया एवं 7.24 लाख रूपये अन्य जाति के युवकों पर व्यय कर उन्हें रोजगार से जोडा गया। वर्ष 2005-06 में सरकार द्वारा 34.53 लाख रूपये लक्ष्य निर्धारित किया गया इस वित्तिय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 36.80 लाख रूपये उपलब्धि प्राप्त हुई, इसमें से 21.45 लाख रूपये अनु0जाति पर, 12.48 लाख रूपये अनु0जनजाति पर व्यय किया गया एवं 11.02 लाख रूपये अन्य जाति के युवकों पर व्यय कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार केन्द्र एवं राज्य सरकार ने रोजगार प्रदान करने में अपनी अहम् भूमिका निभाई है । अध्ययन अवधि में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 10.21 लाख रूपये से बढ़कर 36.80 लाख रूपये व्यय किये गये । अध्ययन अवधि में व्यय की गई राशि से बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है ।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

एक सम्मानजनक जिन्दगी जीने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है । गरीबी सम्मानजनक जिन्दगी में बाधा

उत्पन्न करती है । स्वरोजगार निरंतर आय बनाये रखने और गरीबी की जंजीरों को तोड़ने का महत्वपूर्ण कदम है । आई0आर0डी0पी0 जैसे पिछले कार्यक्रम अच्छे थे, परन्तु वे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थे । सरकार ने अब स्वरोजगार का एक प्रभावी कार्यक्रम **"स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना"** शुरू किया है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को स्वरोजगार हासिल करने में सहायता प्रदान की जाती है । वे अपनी गतिविधि या तो अकेले स्वयं या फिर समूह, जिसे स्व-सहायता समूह कहा जाता है के माध्यम से कर सकते हैं। स्वरोजगार की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सही गतिविधि शुरू की जाये । इसके लिये प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकारियों, कर्मचारियोंतथा बैंक के अधिकारियों की सहायता से 4-5 गतिविधियाँ चुनी जाती हैं । इन्हें 'प्रमुख गतिविधि' की संज्ञा प्रदान की जाती है और ये इस प्रकार की होनी चाहिऐ कि बैंक के ऋण की अदायगी के पश्चात् स्वरोजगारी को प्रतिमाह रूपये 2000 की आय हो।

स्वरोजगार में कच्चे माल की प्राप्ति, उत्पादन, उत्पादों का विपणन और वित्तीय मामले शामिल हैं । एक अकेले स्वरोजगारी द्वारा स्वयं यह सब कुछ कर पाना संभव नहीं है । इसलिये स्वरोजगारियों को समूह स्व-सहायता समूह बनाने की सलाह दी जाती है। इस योजना में स्व सहायतासमूहों को बढ़ावा दिया जाता है । स्व सहायता समूह बनन की प्रक्रिया में 3 से 6 महीने तक का कुछ

समय अवश्य लग सकता है, मर ऐसा करना ही उचित है, क्योंकि इसके लाभ दीर्घकाल तक हांसिल होते हैं ।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ऋण-सह-अनुदान कार्यक्रम है । अनुदान देने के पीछे उद्देश्य यह है कि गरीब व्यक्ति स्वरोजगार गतिविधि को आसानी से शुरू कर सके । व्यक्तिगत ऋण के लिये 50,000/-रू. तक और स्व-सहायता समूह के लिये रूपये 3 लाख तक बैंक किसी प्रकार की अमानत भी नहीं रखवाते हैं । अनुदान परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है, लेकिन कुल राशि 7500/-रू. से अधिक नहीं हो सकती । अनुसूचित जाति / जनजाति के लोगों के लिये यह सीमा 50प्रतिशत और 10,000/-रू. है । स्व-सहायता समूहों के लिये अनुदान परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक हो सकती है, बशर्ते कि यह राशि रूपये 1.25 लाख से कम हो । यदि किसी व्यक्ति को पिछली अन्य स्वरोजगार गतिविधि के लिये ऋण प्रदान किया गया था और उस पर 5000/-रू. से अधिक बकाया नहीं है, तो उसे चूककर्ता नहीं माना जायेगा और बैंक को उसे ऋण प्रदान करने होगें, यदि वह बाकी शर्तो को पूरी करता है । पहले के बकायेदार को बकाया ऋण के सात किश्तों में वसूल किया जायगा । स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की प्रगति को निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है:-

ग्वालियर जिले में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थिति

तालिका – 6.11

क्र0	वर्ष	ऋण (लाखमें)	अनुदान (लाख में)	कुल (लाख में)	लाभान्वित हितग्राही			लाभान्वित महिला
					कुल	एस0सी0	एस0टी	
1-	2000-01	285.54	134.36	419.90	1076	397	269	228
2-	2001-02	333.30	201.84	535.14	1160	200	167	212
3-	2002-03	338.58	227.49	566.07	1170	446	180	288
4-	2003-04	342.45	232.23	574.68	1210	510	382	302
5-	2004-05	372.06	228.38	600.44	1621	369	231	311
6-	2005-06	452.29	277.08	739.37	1849	428	343	323

(स्रोतः जिला पंचायत कार्यालय ग्वालियर)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत हितग्राही रोजगार प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं । इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में व्याप्त गरीबी एवम् बेरोजगारी को दूर करना है और उन्हें रोजगार दिलवाना है, यह योजना अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के युवाओं के

ग्वालियर जिले में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थिति

चित्र कमांक 6.11

लिये तैयार की गई है । वर्ष 2000-01में 285.54 लाख रूपये ऋण एवम् 134.36 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया गया । कुल 419.90 रूपये व्यय किये गये, जिसमें 1076 हितग्राही लाभान्वित हुऐ जिसमे 397 अनुसूचित जाति 269 अनुसूचित जनजाति तथा 228 महिलाएं एवम् अन्य वर्गो के हितग्राही सम्मिलित है ।

वर्ष 2001-02 में 333.30 लाख रूपये ऋण एवं 134.36लाख रूपये अनुदान प्रदान किया गया। कुल 535.74 रूपये व्यय किये गये, जिसमें 1100 हितग्राही लाभान्वित हुऐ,जिसमे 200अनुसूचित जाति 167 अनुसूचित जनजाति तथा 212 महिलाएं एवम् अन्य वर्गो के हितग्राही सम्मिलित हैं ।

वर्ष 2002-03 में 338.58 लाख रूपये ऋण एवं 227.49 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया गया । कुल 566.07 रूपये व्यय किये गये, जिसमें 1170 हितग्राही लाभान्वित हुऐ जिसमे 446 अनुसूचित जाति 180 अनुसूचित जनजाति तथा 288 महिलाएं एवम् अन्य वर्गो के हितग्राही सम्मिलित है ।

वर्ष 2003-04में 342.45 लाख रूपये ऋण एवम् 232.23 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया गया । कुल 600.44 रूपये व्यय किये गये, जिसमें 1210 हितग्राही लाभान्वित हुऐ जिसमे 510अनुसूचित जाति 382 अनुसूचित जनजाति तथा 302 महिलाएं एवम् अन्य वर्गो के हितग्राही सम्मिलित हैं ।

वर्ष 2004-05 में 372.06 लाख रूपये ऋण एवं 228.38 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया गया । कुल 600.44 रूपये व्यय किये गये, जिसमें 1621 हितग्राही लाभान्वित हुऐ जिसमे 369 अनुसूचित जाति 231 अनुसूचित जनजाति तथा 311 महिलाएं एवम् अन्य वर्गो के हितग्राही सम्मिलित हैं ।

वर्ष 2005-06 में 462.29 लाख रूपये ऋण एवं 277.08 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया गया । कुल 739.37 रूपये व्यय किये गये, जिसमें 1849 हितग्राही लाभान्वित हुऐ जिसमे 428 अनुसूचित जाति 343 अनुसूचित जनजाति तथा 323 महिलाएं एवम् अन्य वर्गो के हितग्राही सम्मिलित हैं ।

झाँसी जिले में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थिति

तालिका - 6.12

क्र.	वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	लाभान्वित हितग्राही	महिला हितग्राही	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुदान राशि (लाख रू०)	ऋणराशि (लाख रू०)
1-	2000-01	1167	814	121	292	66	50.16	128.42
2-	2001-02	1201	936	179	311	73	92.39	338.37
3-	2002-03	1346	1377	297	432	117	91.21	239.72
5-	2003-04	1519	1583	314	192	54	48.32	341.45
6-	2004-05	1706	1824	83	523	39	101.25	413.71
7-	2005-06	1927	2025	76	609	33	115.76	479.33

(स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका, झाँसी वर्ष 2006)

झाँसी जिले में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थिति

चित्र कमांक 6.12

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि झाँसी जिले में संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत हितग्राही रोजगार प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं । स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है। ग्रामीण युवाओं में व्याप्त गरीबी एवम् बेरोजगारी को समाप्त कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है, यह योजना अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के युवाओं के साथ साथ सभी वर्गो के लिये तैयार की गई है ।

वर्ष 2000-2001 में सरकार द्वारा झाँसी जिले में ग्रामीण क्षेत्र मे संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1167 हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इनमें से 814 हितग्राही ही लाभान्वित हो सके, जिनमें से 121 महिला हितग्राही, 292 अनुसूचित जाति के हितग्राही एवं 66 अनुसूचित जनजाति के तथा शेष अन्य जातियों के हितग्राही शामिल हैं, इन पर 128.42 लाख रूप्ये सरकार ने व्यय किया तथा 50.16 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की गई । वर्ष 2001-2002 में सरकार द्वारा झाँसी जिले में इस योजना में 1167 हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इनमें से 814 हितग्राही ही लाभान्वित हो सके, जिनमें से 121 महिला हितग्राही, 292 अनुसूचित जाति के हितग्राही एवं 66 अनुसूचित जनजाति के तथा शेष अन्य जातियों के हितग्राही

शामिल हैं, इन पर 128.42 लाख रूपये सरकार ने व्यय किया तथा 50.16 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की गई । वर्ष 2002–2003 में सरकार द्वारा झाँसीजिले में इस योजना में 1346 हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इनमें से 1377 हितग्राही ही लाभान्वित हो सके, जिनमें से 297 महिला हितग्राही, 432 अनुसूचित जाति के हितग्राही एवं 117 अनुसूचित जनजाति के तथा शेष अन्य जातियों के हितग्राही शामिल हैं, इन पर 239.72 लाख रूपये सरकार ने व्यय किया तथा 91.21 लाख रूपये की सबसिडी प्रदान की गई। गत वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में कम राशि व्यय की गई। वर्ष 2003–2004 में सरकार द्वारा इस योजना में 1519 युवाओं हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इनमें से 1583 युवाओं को रोजगार दिवाकर सरकार ने सफलता हासिल की, जिनमें से 314 महिला हितग्राही भी लाभान्वित हुई, 192 अनुसूचित जाति के हितग्राही एवं 154 अनुसूचित जनजाति के युवाओं तथा शेष अन्य जातियों के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया । इस पर 341.45 लाख रूपये सरकार ने व्यय किया तथा 48.32 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की गई । वर्ष 2004–2005 में सरकार द्वारा इस योजना में 1706 हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि लक्ष्य से अधिक 1824 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया । जिनमें से 13 महिला हितग्राही, 523 अनुसूचित जाति के हितग्राही बेरोजगारों को रोजगार मिला एवम् 139 अनुसूचित

जनजाति के तथा शेष अन्य जातियों के युवाओं को स्वरोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा गया । इन पर 435.88 लाख रूपये सरकार ने व्यय किया तथा 93.23 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की गई। वर्ष 2005-2006 में सरकार द्वारा इस योजना में 1927 हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करने का सरकार ने प्रावधान रखा किन्तु लक्ष्य से अधिक 2025 हितग्राही ही लाभान्वित हुए, जिनमें से 276 महिला हितग्राही, 609 अनुसूचित जाति के हितग्राही एवं 66 अनुसूचित जनजाति के तथा शेष अन्य जातियों के हितग्राही शामिल हैं, इन पर 479.33 लाख रूपये सरकार ने व्यय किया तथा 115.76 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की गई ।

बेरोजगार आश्वासन योजना :

रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 से ग्रामीणक्षेत्रों के 257 जिलो के 1778 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी, बाद में यह योजना चरबद्ध रूप से देश की शेष पंचायत समितियों में भी लागू की गई और अन्ततः वर्ष 1997-98 में इसे सार्वभौमिक कर देश की सभी 5448 ग्रामीण पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया गया । देश के सभी विकास खण्डोंमें संचालित की जा रही इस योजना का 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठन किया गया है, अब यह देशभर में जिला /विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जाने वाले मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है , जिसमें मजदूरों का पलायन करने से ग्रस्त इलाकों पर

विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जरूरत मन्द प्रत्येक परिवार से अधिकतम दो युवाओं को 100 दिन तक का लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है, योजना का दूसरा गौण उद्देश्य पर्याप्त रोजगार तथा विकास के लिये आर्थिक अधोरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है ।

2- इस योजना का व्यय 75:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है ।

3- योजना में मजदूरी सामग्री के 64:40 अनुपात को बनाए रखना है ।

4- चूँकि रोजगार आश्वासन योजना एक मांग चालित कार्यक्रम है, अतः इसके अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

इस योजना की प्रगति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

ग्वालियर जिले में रोजगार आश्वासन योजना की स्थिति

तालिका - 6.13

क्रमांक	वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (लाख रू0)	उपलब्धियां (लाख रू0)
1-	2000-2001	15.00	16.09
2-	2001-2002	18.00	18.39
3-	2002-2003	29.69	29.92
5-	2003-2004	21.37	22.12
6-	2004-2005	23.38	23.12
7-	2005-2006	29.21	31.26

(स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका, ग्वालियर वर्ष 2006)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना संचालित की है, जो कि मजदूरी आधारित कार्यक्रम है, जिसमें मजदूरों के पलायन को रोकने के प्रयास किये जाते हैं तथा यह योजना गरीब एवम बेसहारा युवाओं को रोजगार प्रदान करती है । सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना रोजगार की एक नवीन किरण बनकर ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रदान कर रही है । वर्ष 2000-2001 में इस योजना के विकास

ग्वालियर जिले में रोजगार आश्वासन योजना की स्थिति

चित्र क्रमांक 6.13

के लिये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र को 15 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की, इस योजना पर 16.09 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कि गत वर्ष की तुलना में अधिक हैं, जिससे लोगों की इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ी है । वर्ष 2002-2003 में 19.69 लाख रूपये इस योजना के तहत स्वीकृत किये गये और 19.92 लाख रूपये की राशि रोजगार आश्वासन योजना पर व्यय की गई । वर्ष 2003-04 में सरकार द्वारा ग्वालियर जिले के ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिये रोजगार आश्वासन योजना के विकास के तहत रूपये 21.37 लाख की धनराशि स्वीकृत की,निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 22.12 लाख रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2004-05 में सरकार द्वारा ग्वालियर जिले के ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिये रोजगार आश्वासन योजना के विकास के तहत 23.12 लाख रूप्ये की धनराशि स्वीकृत की, निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 23.13 लाख रूपये व्यय किये गये । वर्ष 2005-06 में सरकार द्वारा ग्वालियर जिले के ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिये रोजगार आश्वासन योजना के विकास के तहत 29.21लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की, निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 31.26 लाख रूपये व्यय किये गये । ग्वालियर जिले में इस योजना ने आशा के अनुरूप प्रगति की है तथा युवाओं के होने वाल पलायन को काफी सीमा तक रोकने में सफल रही है । ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ तो सम्पूर्ण देश का विकास होगा.

झाँसी जिले में रोजगार आश्वासन योजना की स्थिति

तालिका – 6.14

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0)	उपलब्धियाँ (लाख रू0)
2000-2001	14.32	15.87
2001-2002	15.11	16.89
2002-2003	16.69	17.37
2003-2004	18.92	19.82
2004-2005	19.37	20.21
2005-2006	21.82	22.32

(स्रोत : जिला पंचायत कार्यालय झाँसी)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना संचालित की है, जो कि मजदूरी आधारित कार्यक्रम है, जिसमें मजदूरों के पलायन को रोकने के प्रयास किये जाते हैं तथा यह योजना गरीब एवम् बेसहारा युवाओं को रोजगार प्रदान करती है । सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना रोजगार की एक

झाँसी जिले में रोजगार आश्वासन योजना की स्थिति

चित्र क्रमांक 6.14

25
20
15
10
5
0

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

□ लक्ष्य (लाख रू0) ■ उपलब्धियाँ (लाख रू0)

नवीन किरण बनकर ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रदान कर रही है ।

वर्ष 2000-2001 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2001-2002 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2002-2003 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2003-2004 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2004-2005 मेंइस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2005-2006 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख

झाँसी जिले में रोजगार आश्वासन योजना की स्थिति

चित्र कमांक 6.14

नवीन किरण बनकर ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रदान कर रही है ।

वर्ष 2000-2001 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2001-2002 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2002-2003 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2003-2004 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2004-2005 मेंइस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा । वर्ष 2005-2006 में इस योजना को प्रभावशील बनाने के लिये सरकार ने 12.85 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की । जिसमें से इस योजना पर 13.42 लाख

रूपये ही व्यय हो सका, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :

प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2001 को लालकिले की प्राचीर से की थी, लेकिन इसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितम्बर 2001 को फरह (जिला मथुर) उत्तरप्रदेश से किया गया । इस योजना में रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का विलय कर दिया गया । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली 10 हजार करोड़ रूप्ये वार्षिक की केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवम् सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराना भी है । योजना के संचालन में 7,500 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वाराव्यय किये जायेगें तथा 2,500 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जायेगें । योजनाके अंतर्गत टिकाउ ग्रामीण परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जोयंगे । इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 10000 करोड़ में से 5000 करोड़ रूप्ये मूल्य का 50 टन अनाज केन्द्र सरकारद्वारा राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा । योजना में 100 करोड़ मानव दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । सम्पूर्ण ग्रामीणरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज के साथ अतिरिक्त नकद राशि प्रतिदिन की मजदूरी के बदले प्रदान की जाती है ।

इस कार्यक्रम का व्यय केन्द्र तथा राज्यों में 75 :25 अनुपात के आधार पर बाँटा जाता है । जबकि खाद्यान्न घटक की सम्पूर्ण लागत केन्द्र सरकार वहन करती है । यह कार्यक्रम जिला एवम विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । ग्वालियर जिल में सम्पूर्ण ग्रामीणरोजगार योजना की प्रगति को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है :-

ग्वालियर जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की स्थिति

तालिका - 6.15

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0)	उपलब्धियाँ (लाख रू0)
2000-2001	18.00	16.10
2001-2002	27.12	28.42
2002-2003	29.73	28.98
2003-2004	33.64	32.93
2004-2005	35.88	32.29
2005-2006	38.64	36.25

(स्रोत : जिला पंचायत कार्यालय ग्वालियर)

ग्वालियर जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की स्थिति

चित्र कमांक 6.15

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवम् सुनिश्चितम अवसर उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकअदाकर रही है ।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। यह योजना ग्रामीण क्षत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवं सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान की व्यवस्था भी की जाती है, केन्द्र सरकार पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित कर रही है । इस योजना के माध्यम से रोजगार के अलावा सरकार खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है जिसमें मजदूरी के बदले रूपये के साथ ही साथ अनाज भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2000–2001 में 18लाख रूपये का लक्ष्य इस योजना के अन्तर्गत रखा और ग्रामीणों द्वारा इस योजना का भरपूर लाभ लेने के लिये 16.10 रूपये की उपलब्धि हुई जो लक्ष्य से कम है। इसी प्रकार सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 में 27.12 लाख रूपये का लक्ष्य इस योजना के अन्तर्गत रखा और ग्रामीणों द्वारा इस योजना का भरपूर लाभ लेने के लिये 28.42 लाख रूपये सरकार द्वारा व्यय किये गये। वर्ष 2002–03 में सरकार द्वारा 29.73लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं इस वर्ष सरकार

द्वारा 28.98 लाख रूपये की धनराशि इस सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर व्यय की गई। व्यय की गई धनराशि लक्ष्य से कम रही । वर्ष 2003-2004 में भारत सरकार द्वारा ग्वालियर जिले के ग्रामीण विकास के लिये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अर्न्तगत स्वरोजगार एवं उससे जुडी खाद्यान समस्या से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार ने 33.64 लाख रूपये की धनराशि लक्ष्य निर्धारित किया जिससे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार मिला एवं गरीब बेसहारा मजदूरों को मजदूरी के बदले अनाज प्राप्त हुआ। इस वर्ष भी सरकार द्वारा 32.93 लाख रूपये की राशि व्यय की गई, जो कि निर्धारित लक्ष्य से कम थी। वर्ष 2004-2005 में सरकार द्वारा 35.88 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं इस वर्ष सरकार द्वारा 32.29 लाख रूपये की धनराशि इस सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर व्यय की गई। व्यय की गई धनराशि लक्ष्य से कम रही। वर्ष 2005-06 में सरकार द्वारा 38.64 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं इस वर्ष सरकार द्वारा 36.25 लाख रूपये की धनराशि इस सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर व्यय की गई। इस योजना के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि लक्ष्य से कम रही। ग्वालियर जिले में अध्ययन अवधि में प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्य के आसपास उपलब्धि हांसिल की गई जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिले के निवासी एवं सरकारी अधिकारी सक्रिय है तथा जिले के विकास को गति प्रदान कर रहे है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अधिक जागरूक रहे क्यों कि

जब तक जनता को पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक लक्ष्य को पाना असंभव ही रहेगा।

झाँसी जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की स्थिति

तालिका – 6.16

वर्ष	लक्ष्य (लाख रू0)	उपलब्धियाँ (लाख रू0)
2000–2001	18.00	16.30
2001–2002	22.00	19.60
2002–2003	28.00	24.40
2003–2004	36.00	31.90
2004–2005	42.00	39.80
2005–2006	54.00	52.60

(स्रोतः जिला पंचायत कार्यालय झांसी)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रोंमें रोजगार के अतिरिक्त एवम सुनिश्चितम अवसर उपलब्ध करानेमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदाकर रही है । वर्ष 2000–2001 में इस योजना के तहत 18 लाख रू0 की राशि का लक्ष्य रखा गया और 16.3 लाख रू0 की

झॉसी जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की स्थिति
चित्र कमांक 6.16
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
लक्ष्य (लाख रू0)
उपलब्धियॉ (लाख रू0)

उपलब्धि प्राप्त हो सकी, इसी प्रकार सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 में 22 लाख रू0 का लक्ष्य इस योजना के अर्न्तगत रखा और ग्रामीणों द्वारा इस योजना का भरपूर लाभ लेने के लिये 19.6 लाख रूपये सरकार द्वारा व्यय किये गये। वर्ष 2002–2003 में सरकार द्वारा 28 लाख रू0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया और आशा से बढ़कर परिणाम प्राप्त हुए, इस वर्ष सरकार द्वारा 24.4 लाख रू0 की धनराशि इस सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर व्यय की गयी। वर्ष 2003–2004 में भारत सरकार द्वारा झाँसी जिले के ग्रामीण विकास के लिये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अर्न्तगत स्वरोजगार एवं उससे जुड़ी खाद्यान्न समस्या से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार ने 36 लाख रू0 की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार मिला एवं गरीब बेसहारा मजदूरों को मजदूरी के बदलने अनाज प्राप्त हुआ, इस वर्ष भी सरकार द्वारा 31.9 लाख रू0 की राशि व्यय की गयी। वर्ष 2004–2005 में 42 लाख रू0 का लक्ष्य इस योजना के अर्न्तगत रखा और ग्रामीणों द्वारा इस योजना का भरपूर लाभ लेने के लिये 39.80 लाख रू0 सरकार द्वारा व्यय किये गये। वर्ष 2005–06 में 54 लाख रू0 का लक्ष्य इस योजना के अर्न्तगत रखा और ग्रामीणों द्वारा इस योजना का भरपूर लाभ लेने के लिये 52.60 लाख रू0 सरकार द्वारा व्यय किये गये। झाँसी जिले में अध्ययन अवधि में प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्य में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज हुई है। परंतु उपलब्धि लक्ष्य के आस–पास ही हांसिल हो पायी है, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिले के

निवासी एवं सरकारी अधिकारी सक्रिय हैं, तथा जिले के विकास को गति प्रदान कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं।

इंदिरा आवास योजना:-

इंदिरा आवास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । इसके अन्तर्गत प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत भाग केन्द्र शासन से तथा 25 प्रतिशत भाग राज्य शासन से प्राप्त होता है । प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके सिर पर एक छत हो - जिसे वह अपना कह सके। सरकार ने आवास को मानव की मूलभूत आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है। जिसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवासहीनता को समाप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। ग्रामीण गरीबों जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में सम्मिलित है के लिये दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। मैदानी इलाकों में निवास करने वालों को मकान बनाने के लिये 20,000 रू0 प्रति लाभार्थी तथा पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों में निवास करने वालों को 22,000 रूपये प्रति लाभार्थी तथा प्रदान किये जाते हैं। लाभार्थीयों का चयन ग्रामसभाओं द्वारा किया जाना चाहिए। मकानों का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाना है और इसके लिये ठेकेदार का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मकानों का आबंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम अथवा पति-पत्नि के नाम

संयुक्त रूप से किया जाता है। इन कायक्रमों के अर्न्तगत बने मकानों में स्वच्छ शौचालय एवं धुंआ रहित चूल्हा आवश्यक हिस्से होते हैं।

सरकार उन व्यक्तियों के लिये आवास उपलब्ध कराती है, जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हों। सभी ग्रामीण परिवार जिनकी वार्षिक आय 32,000 रूपये से अधिक नहीं है। ग्रामीण आवास की ऋण सह सब्सिडी योजना के अर्न्तगत सहायता प्राप्त कर सके। यह योजना अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवासीय वित्तिय संसाधनों, आवासीय बोर्डो अथवा डी0आर0डी0ए एवं जिला परिषदों द्वारा लागू की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव का राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक परिवार 40,000 रू0 तक का ऋण और 10,000 रू0 तक कि सब्सिडी सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं कम आय समूह की श्रेणी के व्यक्तियों के लिये हुडको की ऋण आधारित योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

जिला पंचायत द्वारा राशि दो किश्तों में सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। जिसे ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राहियों को प्रदान कर आवास निर्माण कराया जाता है। कुल आवासों के लक्ष्य के 3 प्रतिशत आवास जिला स्तर से उन हितग्राहियों को स्वीकृत किये जाते हैं जिनका नाम ग्राम सभा के अनुमोदन से छूट गया है तथा वे आवासहीन हों।इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा, ग्रहस्थ, अत्याचार से पीड़ित, बंधुआ मजदूर आदि को इस

योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत किये जाते हैं। इनका चयन जिला स्तर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की समिति द्वारा किया जाता है।

ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवसहीनों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत पिछले 15 वर्षो में 23712 आवास उपलब्ध कराये गये। इसमें अनुसूचित जाति के 9312, अनुसूचित जनजाति के 7306 और अन्य वर्गो के 7094 हितग्राही सम्मिलित है। इसी प्रकार झांसी जिले में इस योजना के अन्तर्गत 22680 मकानों का निर्माण किया गया। 8321 मकान अनुसूचित जाति एवं 5903 मकान अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्गो के 8456 हितग्राही सम्मिलित है।

संदर्भ :-

1. सातवीं पचंवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना, 1985-86 मध्यप्रदेश

2. सातवीं पचंवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना, 1985-86 मध्यप्रदेश

3. सातवीं पचंवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना, 1985-86 मध्यप्रदेश

4. जिला ग्वालियर सर्वांगीण विकास की ओर 1999-2000, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी, ग्वालियर

5. डॉ0 आर0पी0सिंह , कृषि अर्थशास्त्र , पृष्ठ क्रमांक 389

6. डॉ0 हररंजन दास, कृषि अर्थशास्त्र, पृष्ठ क्रमांक 32

7. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2006, ग्वालियर

8. डॉ0 आर0पी0सिंह , कृषि अर्थशास्त्र , पृष्ठ क्रमांक 373

9. डॉ0 आर0पी0सिंह , कृषि अर्थशास्त्र , पृष्ठ क्रमांक 373

10. ग्वालियर–विकास का एक दशक, जनसम्पर्क विभाग,म. प्र.शासन भोपाल

===============

============

=======

===

अध्याय-7

निष्कर्ष

समस्याऐं

सुझाव व भावी शोध सम्भावनाऐं

तालिका सूची

चित्र सूची

अध्याय – 7

निष्कर्ष – समस्याऐं, सुझाव व भावी शोध सम्भावनायें

निष्कर्ष –

केन्द्र एवम् राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिये विशेष प्रावधानों की व्यवस्था का निर्णय लेकर, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया गया है । वास्तव में यह एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है । पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये नवीन दायित्व और अधिकारों के साथ साथ इनके भलीभाँति क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कुछ व्यवस्थाएं भी निर्धारित की गई हैं । कोई भी निर्णय लेते समय उनके दूरगामी प्रभावों का आंकलन भलीभाँति करना होगा । इसके अतिरिक्त किये जा रहे प्रावधानों को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने में अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों का समाधान करते हुए, उनका निराकरण भी करना होगा । वर्तमान में पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों का समुचित शिक्षा एवम् प्रशिक्षण व्यवस्था विशेष रूप से महिलाओं,दलितों और पिछड़े वर्गो के जनप्रतिनिधियों में चेतना विकसित करने के लिये विशेष प्रावधान निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनावों को व्यवस्था के साथ साथ अशिक्षित छोटे परिवारों के मानक में विश्वास नहीं रखने वाले धूमिल और भ्रष्ट छबि वाले विवादित और माफियाओं को चुनावों से वंचित करने के लिये प्रावधानों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से अनुभव किया गया है ।

पंचायतों को हस्तान्तरित किये जा रहे सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा। पंचायतों द्वारा किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता और व्ययों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवम् नियंत्रण पंचायतों के कामकाज और कार्यप्रणाली में विभागीय और सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिये भी आवश्यक कदम उठाने होंगे ।

सरकार द्वारा पंचायतों को सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने एवम् सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ साथ अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह भी आवश्यक है कि पंचायतें और उनके पदाधिकारी भी पूर्णरूपेण सहयोग प्रदान करें । उत्तरप्रदेश एवम मध्यप्रदेश में पंचायतों को अधिक शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न परिणामोन्मुखी ओर क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किये गये हैं। नई नई व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। उनसे पंचायतों को न केवल अधिकार प्राप्त हुए हैं । बल्कि वास्तविकता में उन्हें अतिरिक्त दायित्व भी मिले हैं । जिनका निर्वहन करने के लिये इन्हें अपने आपको पारदर्शी, सक्षम एवम् व्यवहारिक बनाना होगा ओर उन्हें एक नई सोच भी विकसित करनी होगी । इसके अतिरिक्त उन्हे पंचायतों को जनसामान्य की आकांक्षाओं , अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उनके सम्पूर्ण विकास के लक्ष्य को अपने समक्ष रखते हुए तर्कयुक्त और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर आम सहमति से सार्वजनिक हित संबंधी निर्णय लेने होंगे। पंचायतों को उपलब्ध होने वाली सरकारी सहायता पर आश्रित न रहते हुए विकास कार्यो को पूर्ण करने के लिये ऐसे रास्ते खोजने होंगे, जिनसे गरीब ग्रामीणों पर आर्थिक

बोझ भी न पड़े । सभी अशिक्षित जन प्रतिनिधियों को अपने आप शिक्षित बनाने, विकास की नई नई नीतियों, विधाओं और तकनीकों को सीखनें के लिये आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये तत्पर रहने, उन्हें सरकार और जनता द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों को नैतिकता, ईमानदारी, और निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिये समपेण भाव से कार्यरत रहना होगा । लोग निष्पक्ष भावना से लोकहितकारी कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं कर सकेंगे, तभी सदियों से उपेक्षित ओर पिछड़े गाँवों और गाँववासियों का कल्याण तथा पंचायती राज और जनता के राज का सपना साकार हो सकेगा ।

पंचायतें हमारे लिये कोई नई संस्थाएं नहीं हैं । चिरकाल से पंचायतें समाज का नेतृत्व करती रहीं हैं । यह बात अलग है कि उस समय ये संस्थाएं ग्रामीण समाज के सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। स्वतन्त्रता के पश्चात् पंचायत को लोकतांत्रिक चरित्र प्रदान करने के लिये इन्हें पंचायती राज कहा गया अर्थात् वह राज जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके । अतीत में पंचायतों का कार्य न्यायिक और सामाजिक था, विकास कार्य उनके ''मेण्डेट'' में नहीं थे । जब देश स्वतन्त्र हुआ, तब ग्रामीण विकास के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन यह टिकाऊ नहीं बन सका, क्योंकि इसमें लोगों की कमी, नौकरशाही की अधिक भागीदारी थी । खैर, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सामुदायिक कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया । बलवन्त राय मेहता समिति ने तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसके

पश्चात् अशोक मेहता कमेटी बनी, उसने भी इस तरह की सिफारिश की । लेकिन कुल मिलाकर पंचायतों को निरन्तरता और समरसता प्राप्त नहीं हो सकी । ग्रामीण विकास करना तो दूर रहा, इन संस्थाओं के लगातार चुनाव तक नहीं हुए । यह सब देखते हुऐ पंचायतों को सशक्त और आम आदमी की इनमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक लाया गया । इस संविधान विधेयक के पश्चात् पंचायतों की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका रही हैं, यदि भूमिका प्रभावशाली नहीं रही है, तो उसके क्या कारण हैं और भूमिका को प्रभावशाली बनाने के लिये क्या करने की आवश्यकता है, जिससे पंचायतें अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें ।

73वें एवम् 74 वें संविधान संशोधन से पहले पंचायतों को सशक्त बनाने के लिये किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालने से पहले यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि संवैधानिक दर्जे का अपना महत्व है । लेकिन यदि राजनीतिक इच्छा-शक्ति हो तो पंचायतों की भूमिका ग्रामीण विकास में कारगर करने के लिये किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है।

अध्ययन के पश्चात् प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य उभरकर शोधार्थी के समक्ष आए :

1– गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की सूची का परीक्षण करने पर पाया गया कि उसमें समाविष्ट समस्त व्यक्ति सही रूप से चयनित थे । ग्राम पंचायत के सदस्यों और चयनित

लाभार्थियों द्वारा भी यही स्वीकार किया गया कि अब गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की सूची सभी के लिये सुलभ है । अतः इस पारदर्शिता के कारण सूची में काफी हद तक केवल वांछित व्यक्तियों के नाम हीं हैं । कुछ ही पंचायतें अध्ययन क्षेत्र में ऐसी पायीं गई जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली सूची में जुड़े हुये थे, परन्तु वे इसके पात्र नहीं थे । नवीन व्यवस्था में ग्रामीण जनों में जागरूकता का संचार हुआ है और वे प्रत्येक प्रकार के मुद्दों को ग्राम सभा अथवा अन्य उपलब्ध मंचों पर उठाकर उन पर खुलकर चर्चा करते हैं ।

2- नवीन पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान् में अब वास्तविक लाभार्थियों का हीं चयन विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहा है और किस व्यक्ति के लिये कौनसी योजना उपयुक्त रहेगी, इस पर विचार विमर्श करने के उपरांत ही योजना का लाभ प्रदान किया जाता है । लाभार्थी भी चयन प्रकिया से पूर्णरूपेण संतुष्ट नजर आए । अध्ययन क्षेत्र में पात्र हितग्राहियां को ही लाभान्वित किया गया ।

3- शोधार्थी ने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि अनेक व्यक्तियों को शासन द्वारा उनके हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ही नही थी । नवीन पंचायतराज व्यवस्था के अन्तर्गत स्थितियों में काफी परिवर्तन अनुभव किया गया । अनेक ग्रामीणों द्वारा

शासन की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए अपनी जानकारी के स्त्रोत के रूप में पंचायत प्रतिनिधियों का नाम लिया गया और ग्रामीण नवीन पंचायती राज व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए ।

4– केन्द्र एवम् राज्य सरकारों द्वारा सहायता राशि का नगद भुगतान अन्य उत्पादक कायों में लगा दिया जाता है । जिससे जनसामान्य आर्थिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके लिये पंचायतों को राशि का हस्तान्तरण पंचायत सचिवों और ग्राम प्रधान/सरपंच के संयुक्त खाते में किया जाने लगा है । जिससे दुरूपयोग होने वाले धन पर काफी सीमा तक अंकुश लगा है।

5– प्रशासनिक अधिकारियों एवम् कार्यक्रमों के कियान्वयन में पात्रता का ध्यान रखे बिना, सहायता प्रदान करने से उनका दुरूपयोग होता है । जिससे जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है वे हितग्राही लाभ से वंचित रह जाते हैं । जिससे वे पिछड़ों की श्रेणी में ही बने रहते हैं ।

6– सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संबंध में क्षेत्रीय जनता अशिक्षित होने के कारण विधिवत् जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती है तथा इसमें प्रचार प्रसार के अभाव के कारण योजनाओं की सही जानकारी सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है तथा अधिकारियों की उदासीनता के कारण भी ग्रामीण जनता लाभ उठाने से वंचित रह जाती है । परम्परावादी एवम् अंधविश्वासी दृष्टिकोणों में

परिवर्तन न होने से विकास के लिये जनसामान्य में मानसिक तैयारी का अभाव पाया गया है । जिसके कारण जनसामान्य शासकीय योजनाओं एवम् कार्यक्रमों का पूर्ण रूपेण लाभ नहीं उठा पाते हैं और विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं।

7– परम्परावादी व अंधविश्वासी दृष्टिकोणों में परिवर्तन न होने से विकास के लिये जनसामान्य मानसिक तैयारी का अभाव पाया गया है जिसके कारण जनसामान्य शासकीय योजनाओं का एवं कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते और विकास की दौड़ में पिछड़ जाते है।

8– शासन द्वारा योजनाएं किसी विशेष क्षेत्र के लिये बनाई जाती हैं । स्थान विशेष की आवश्यकताओं एवम परिस्थितयों को ध्यान मे रखकर योजनाएं नहीं बनाई जातीं । इससे भी हितग्राहियों को उनका पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है ।

9– जिला एवम् विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास के लिये जो भी योजनाएं एवम् कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं उनमें स्थानीय सत्ताधारी नेताओं का हस्तक्षेप होता है । जो निष्पक्ष होकर ईमानदारी से कार्य नहीं करने देतें, जिससे ग्रामीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

10– जिला एवम् विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास के लिये जो भी योजनाएं संचालित होती हैं । उनमें प्रमुख भूमिका ग्राम प्रधान/सरपंच, ग्राम सेवक एवम् विकास

खण्ड अधिकारी की होती है । यदि वह अधिकारी एवम् कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तो जितना धन एक गाँव के लिये आवण्टित किया जाता है, वह बिचौलियों में बंटता हुआ उपर तक पहुँचता है । जिसके परिणाम स्वरुप ग्रामीण विकास नहीं हो पाता है।

11– सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में यदि कर्मचारी एवम् अधिकारी ईमानदारी से योजनाओं का क्रियान्यवयन करना चाहतें हैं तो उन पर अनैतिक दबाव डाला जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है कि वे गलत कार्य कर उसका साथ दें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है अथवा गलत आरोप लगाकर निलम्बित कर दिया जाता हैं ।

12– ग्राम प्रधान / सरपंच सज्जन ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को न चुनकर ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, जो किसी न किसी अपराध में लिप्त, राजनैतिक पार्टी से संबंधित होता है। ऐसे लोग अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं ।

13– ग्रामीण विकास के लिये जो भी कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, उनमें ईमानदारी नहीं होती, अपितु वे कार्यक्रम अधिक से अधिक वोट बॅटोरने के दृष्टिकोण से बनाये एवम् क्रियान्वित किये जाते हैं । परिणामस्वरूप,

जो वास्तविक विकास होना चाहिये, यह नहीं हो पाता है।

उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिये कार्यक्रम एवम् योजनाएं तो बहुआयामी बनीं हैं और निकट भविष्य में बनती रहेंगी, परन्तु उनके उचित क्रियान्वयन न होने के कारण वे अपने उद्देश्य में असफल रही हैं । यदि यह योजनाएं एवम् कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते, जो गाँवों की काया-पलट गई होती ।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के पूर्व और पश्चात्वर्ती स्थितियों का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने पर यह दृष्टिगोचर होता है कि 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् विकास प्रक्रिया में विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन और स्थानीयजनों की सहभागिता के नए अवसर पैदा हुआ है । पंचायतें स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन हेतु एक कारगर निकाय के रूप में उभरकर सामने आई हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्राम सभा के सहयोग को बहुत अधिक महत्व दिया गया है । जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण जैसे कारक पुष्ट हुए हैं। ग्रामीण महिलाएं अब योजनाओं का लाभ उठाकर अधिक स्वावलम्बी,सशक्त और प्रगतिशील बन रही हैं ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से 73वाँ एवम् 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित होने तक पंचायती राज व्यवस्था में कुछ अपवादों को

छोड़कर कोई खास विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के यथोचित क्रियान्वयन द्वारा संभव नहीं हो पाया था। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर पूरी तौर पर शासकीय मशीनरी पर निर्भर था । फलस्वरूप अनेक कार्यक्रम अपने स्वयं में अच्छे होने के बावजूद कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं छोड़ सके । 73वें एवम् 74वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद गाँव के गरीब समाज और महिलाओं में तेजी के साथ जागरूकता का संचार हुआ है और उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं । कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन यह आभास कराता है कि विकास रूपी बीज जब अंकुरित एवम् प्रस्फुटित हो रहे हैं । ग्रामीणजन अब यह महसूस करने लगे हैं कि राष्ट्र के विकास में वे भी एक अहम भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं और सम्पूर्ण विकास की प्रक्रिया में यह निश्चित ही सुखद संकेत कहे जा सकते हैं ।

<u>समस्याऐं</u> :-

गाँवों के चौमुखी विकास के लिये योजनाएं तैयार करते समय ग्राम पंचायतों के, गाँव के व्यक्तियों और उनकी समस्याओं को केन्द्र बिन्दु मानकर चलना चाहिये । शासन के विभिन्न बिभागों से प्राप्त योजनाओं को क्रियान्वित करते समय ग्राम पंचायतों को यह देखना चाहिए कि स्थानीय व्यक्तियों की प्रमुख समस्याऐं क्या हैं और विभिन्न शासकीय योजनाओं से किस प्रकार उन समस्याओं का समाधान हो सकता है । ऐसा करने से ही शासकीय योजनाओं एवम् कार्यक्रमों का पूरा लाभ ग्राम पंचायत के माध्यम से

गाँववासियों को प्राप्त होगा । प्रधान/सरपंच ग्रामीण जनता के जन प्रतिनिधि यह कार्य शासकीय अधिकारियों एवम् कर्मचारियों की तुलना से अधिक अच्छे रूप से कर सकेंगे । बशर्ते की वे अपने गाँव की समस्याओं से परिचित हों । जन प्रतिनिधियों को समस्या के निराकरण के लिये गाँव में क्या संसाधन उपलब्ध है । जैसेः शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, आवास, रोजगार, विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि, जन सहयोग से प्राप्त हो सकने वाली धनराशि अथवा श्रमदान आदि का ज्ञान हो एवम् सर्वोपरि उन समस्याओं को दूर करने के लिये जनप्रतिनिधियों के मन में प्रबल इच्छा होना आवश्यक है । इस सन्दर्भ में महात्मा गाँधी का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि **"हमें इन करोड़ों ग्रामवासियों को जिनका हृदय सोने का है, जिन्हें देश प्रेम हैं, जो सीखना चाहतें हैं और यह इच्छा रहती हैं कि कोई उनका नेतृत्व करे, सही तालीम देने के लिये केवल मामूली से बुद्धिमान और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आश्यकता हैं ।"**

वैसे तो पंचायती राज की स्थापना के पश्चात् उसे सुदृढ़ और प्रभावशील बनाने के निरन्तर प्रयास होते रहें हैं, परन्तु इस व्यवस्था को अपने उद्देश्य प्राप्ति में अभी तक सफलता नही मिली है । संविधान के 73वें एवम् 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर स्थानीय प्रगति के लिये मार्ग प्रशस्त किया गया है । इसी कदम को बढ़ाते हुए राज्य सरकारों ने विकेन्द्रीकण की दिशा में अति महत्वपूर्ण निर्णय लेकर पंचायतों को प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार प्रदान करके विकास कार्यो की योजना बनाने और मॉनिटरिंग में

सहभागिता प्रदान करने के लिये विकास की धुरी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपकर यह सिद्ध भी कर दिया है कि स्थानीय कार्य, स्थानीय जनता द्वारा किये जायेंगे। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निदान और विकास कार्यो में स्थानीय जनता की भागीदारी एवम् निगरानी से पंचायती राज व्यवस्था का अपना एक अस्तित्व कायम होगा और आगे आने वाले दिनों में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, भूमि विकास, कृषि पेयजल, समाज कल्याण, महिला विकास, पशु-पालन, बाल कल्याण आदि विभागों के कार्यो को पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र में सौंपकर राज्य सरकार ने केवल उन्हें अधिकार सम्पन्न ही नहीं बनाया है, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को अमली जामा पहनाने की सर्वोत्कृष्ट कार्य भी किया है।

विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किया गया है । पंचायती राज संस्थाऐं विभिन्न योजनाओं के लिये हितग्राहियों का चयन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ एवं योजनाओं के उद्देश्य के अनुसार नियंत्रण एवं निरीक्षण का कार्य करती हैं। हितग्राहियों का चयन ग्रामसभाओं के माध्यम से होता है। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि, ग्रामसभाओं ने विभिन्न स्थानों पर बहुत बड़ी सूचियाँ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बनाकर अनुमोदित कर दीं। ऐसा होने से जो वास्तविक अथवा अधिक गरीब परिवार हैं, उनका निर्धारण करना जटिल हो जाता है तथा जब किसी योजना विशेष के लिये हितग्राहियों का चयन होता है तो ऐसी व्यवस्था में सर्वाधिक गरीब अथवा अधिक

जरूरतमंद की प्राथमिकता निर्धारित नहीं हो पाती है। यदि संभव हो तो ग्रामसभा के स्तर पर आर्थिक आधार पर बढ़ते हुये क्रम में सूची बनायी जाना चाहिये। ऐसे प्रावधान से वास्तविक एवं अधिक जरूरतमंद को शासकीय योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिल सकेगा, जिसका अभी ग्वालियर एवं झांसी जिलों की पंचायतों में अधिकांश स्थानों पर आभाव दिखाई देता है। पंचायतों की कार्यप्रणाली का यह विश्लेषण स्पष्ट करता है , कि पंचायतें अभी विभिन्न दृष्टिकोणों से अधिक सक्षमता एवं कुशलता से कार्य नहीं कर पा रही हैं । इसका सर्वाधिक बड़ा कारण नवीन पंचायती राज व्यवस्था का शैशवकाल होना है। । इस प्रारंभिक दौर में जहाँ प्रतिकूलताएं दिखाई दे रही हैं वहीं अनेक उत्साहजनक उदाहरण भी प्रस्तुत हुए हैं। समुचित प्रशिक्षण, जागरूकता बढ़ाने एवं उचित प्रयासों से स्थितियों में परिवर्तन लाया जा सकता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् से ही ग्रामीण विकास की दशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत बड़ी राशि का व्यय विविध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामों के बहुस्तरीय विकास पर किया गया है। पिछले 60 वर्षों के विकास की स्थिति से आशा और निराशा दोनों तरह के विचार उभर कर सामने आये हैं। जहाँ हमने कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, वहीं अभी भी कुछ क्षेत्रों में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विकास की इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को देखा जाये, तो स्पष्ट होता है कि गांवो में समय के साथ-साथ सामुदायिक भावना का ह्रास हुआ है । छोटे से छोटे कार्य में सरकार

की और आशा भरी निगाहों से देखना ग्रामीणों की आदत बन गयी है । यदि ग्रामीण संदर्भ में ग्रामीण विकास की आवश्यकता एवं उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं का ईमानदारी से विश्लेषण किया जाये तो अधिकांश छोटी-छोटी समस्याएं गाँव में ऐसी होती हैं । जिनका समाधान गाँव के स्तर पर बिना किसी साधन अथवा बजट के भी संभव है । देश का दुर्भाग्य रहा है, कि स्वतंत्रता के लगभग 60 वर्षो में ग्रामीण स्तर पर कोई राजनीतिक संस्था अपना कोई ठोस आधार नहीं बना सकी । जिनके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास पूर्णरूपेण शासकीय मशीनरी पर आश्रित होता चला गया ।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्र भारत में वैधानिक स्वरूप में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रतिस्थापित हुई है । संविधान में 11 वीं अनुसूची जोड़कर सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के 29 विषय पंचायतों को सौंपे गये हैं। इन 29 विषयों में से अनेक विषय ऐसे है- जिसमें पंचायतों का दायित्व, निरीक्षण , नियंत्रण क्रियान्वयन से संबंधित हैं । इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे भी हैं, जिन पर पंचायतें गांव में रहकर, गांव में विद्यमान सुविधाओं से ही कार्य कर सकती हैं । गांवों में पंचायतों में वित्त के अभाव की बात प्रमुखता से सुनने में आती हैं । जिसके कारण पंचायतों के पास करने के लिये अनेक बार अनेक कार्य होते है। । लेकिन धनाभाव के कारण वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं । ऐसी परिस्थितियों में पंचायत नेतृत्व की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि वे ऐसे कार्यो को पहचानें, जिनको बिना किसी व्यय के आसानी से किया जा

सके और वह गांव के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों । ऐसे कार्यो को श्रमदान अथवा मामूली से चंदे के माध्यम से किया जा सकता हैं । इसके लिये आवश्यक है कि ग्रामीणों को उन कार्यों की महत्ता को समझाना होगा एवं उनसे होने वाले लाभों से अवगत कराना होगा । सामुदायिकता की भावना के जहाँ अनेक प्रत्यक्ष लाभ हैं, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसके अनेक अनुकूल प्रभाव ग्रामीण समाज पर हो सकते हैं ।

यहाँ ऐसे कुछ कार्यो की चर्चा करना प्रासंगिक होगा, जिनकी ग्रामीण विकास के लिये अत्यंत आवश्यकता है । गांवों में अस्वच्छता व्यापकस्तर पर पाई जाती है । इस अस्वच्छता के कारण स्वास्थ्य पर जहाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहाँ ग्रामीण जनता अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाती है । गाँवों में सामान्य तौर पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण मच्छरों एवं अन्य कीड़े-मकोड़ों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है । यदि पंचायतें ग्रामीण जनता को साथ लेकर, कच्ची नालियों के निर्माण का कार्य कर सोखने वाले गड्ढ़ो को उसमें मिला दें, तो बहुत बड़ी समस्या से निजात पाई जा सकती है । वर्तमान में भी अनेक गांव ऐसे हैं, जहाँ खरंजे अथवा मार्गो पर फर्शी नहीं है । जिनके कारण बरसात के दिनों में ग्रामीणों को लगभग नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता हैं । वर्तमान में गांवों के संसाधनों में वृद्धि हुई हैं । जैसे ट्रेक्टर , जीप, लक्जरी, कार, स्कूटर, मोटर साइकिल , बैलगाड़ी आदि । यदि ऐसे मार्गो पर गाँव के लोग श्रमदान

कर मुरम अथवा पत्थर बरसात के समय में डालें, तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है ।

गाँव में शुद्ध पेयजल की समस्या विकराल स्वरूप धारण करती जा रही हैं । शुद्ध पेयजल का अभाव अनेक व्याधियों का कारण है। इसके लिये ग्रामीण स्तर पर पंचायतों द्वारा कुएं एवं हैण्डपंपों को चिन्हित किया जाना चाहिए और शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली क्लोरीन की गोलियों को, उन जल स्रोतों में डाला जाना चाहिए। खुले कुओं में पोटाश भी कीड़ों को मारने के लिये डाला जा सकता है । यदि इस तरह की जागरूकता ग्रामीणों में उत्पन्न हो गयी, तो पीने के पानी में शुद्धता आ जायेगी और ग्रामवासी स्वयं ही इन कार्यो में पंचायत के साथ सहयोग प्रदान करेंगे । गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बड़े स्तर पर अभाव पाया जाता है । गरीब और कमजोर वर्ग के लिये स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग जटिल सपना बन चुकी हैं । यद्यपि शासन ने प्रयास करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त, उप स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले हैं, जिनके माध्यम से सभी गाँवों तक स्वस्थ्य कार्यकर्ता अथवा नर्स व दाई को पहुंचाने का प्रयास किया है लेकिन यथार्थ में यह सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं । गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बी0पी0एल कार्डधारकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । पंचायतें इस विषय में ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं, कि संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाँव में आकर मरीजों को देखे अथवा गाँव में ही किसी निश्चित स्थान पर सप्ताह के निर्धारित दिनों में स्वास्थ्यकार्यकर्ता

मरीजों को दवा एवं उचित परामर्श प्रदान करें । पंचायतों को समय-समय पर शिविर लगाकर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिये टीकाकरण जैसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए । इन सभी कार्यक्रमों के लिये यदि कोई न्यूनतम खर्च हो, तो यह चंदे के रूप में ग्रामवासियों से एकत्रित किया जा सकता है ।

शिक्षा का ग्रामीण परिदृश्य किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता । वर्तमान् व्यवस्था में संपूर्ण विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया हैं । पंचायतों के लिये यह आवश्यक हैं, कि ऐसे बच्चों को पता लगायें, जो विद्यालय जाने की उम्र के हैं, लेकिन विद्यालय नहीं जाते हें । ऐसे बच्चों के पालकों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता हैं । सामान्य तौर पर यह देखा गया है, कि गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चे विद्यालय जाते ही नहीं है, अथवा विद्यालय जल्दी छोड देते है । उनका ऐसा करने में पालकों का भी उनको समर्थन प्राप्त रहता है । ग्रामीणों की यह सोच है कि, बच्चा घर पर रहेगा तो छोटे बच्चों को सम्हालेगा । जिससे वे मजदूरी व अन्य कार्य भलीभाँति कर पायेंगे और थोड़ा बड़ा होने पर वह भी मजदूरी कर परिवार की आय में अपना योगदान दे सकेंगे । इस मानसिकता ने गाँवों में शिक्षा के प्रतिशत को कभी उल्लेखनीय रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया । यहाँ पर पंचायतों तथा पढ़े लिखे ग्रामीणों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस दिशा में कोई ठोस प्रेरणा ऐसे बच्चों और अभिभावकों को प्रदान करें । यदि बच्चों को विद्यालय न भेजने की प्रवृति जारी रही, तो

दशकों पश्चात् भी समाज के दलित, शोषित और कमजोरवर्ग विकास की तीव्र गति में स्वयं को कहीं खड़ा नहीं पायेंगे ।

बढ़ती जनसंख्या ने संसाधनों को इतना अधिक संकुचित कर दिया है कि जीवकोपार्जन वर्तमान् में विकराल समस्या बनती जा रही है । इसके बावजूद ग्रामीण भारत में जो व्यक्ति समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके परिवारों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक रहती है । यहाँ यह प्रासंगिक हो जाता है कि ऐसे परिवारों को सीमित परिवारों के महत्व को समझाया जाये, कि पंचायतें ऐसे परिवारों के व्यक्तियों को परिवार नियोजन के लिये प्रोत्साहित करें और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें, तो समस्या काफी सीमा तक नियंत्रण में आ सकती है । जानकारी का अभाव इस समस्या की विकरालता के प्रमुख कारणों में से एक है । जिसका समाधान पंचायत स्तर पर संभव है । वर्तमान् में गाँव सामाजिक बुराईयों की पकड़ में आ गये हैं – शराब, गांजा, अफीम, चरस, हेरोइन जैसे मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती जा रही है । सट्टे का प्रचलन भी जोर पकड़ता जा रहा है । इस सबसे ग्रामीण समाज बुरी तरह प्रदूषित हो गया है । ऐसी वस्तुओं के सार्वजनिक प्रयोग को पंचायतें ग्रामसभाओं के प्रस्ताव रखकर प्रतिबंधित करने का प्रयास कर सकती है । पंचायतें अवहेलना की स्थिति में अर्थदण्ड लगा सकती है अथवा सामाजिक निष्कासन जैसे प्रावधान भी कर सकती हैं। इससे इस समस्या पर कुछ सीमा तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है ।

ग्राम स्वराज और ग्राम विकास की जिस महत्वपूर्ण परिकल्पना के लिये इस पंचायतों का गठन हुआ है, उनमें सामान्य तौर पर सामुदायिकता और स्व-विकास की भावना का अभाव हो रहा है । यदि हमारा पंचायत नेतृत्व इस सम्पूर्ण अवधारणा को आत्मसात् करते हुए छोटे छोटे विषयों और बिन्दुओं को अपने स्तर पर लेते हुए, इस दिशा में कोई सक्रिय कार्य करने में सफल रहता है, तो ग्रामीण विकास की बहुआयामी गतिविधियों को गति मिलेगी एवम् आने वाले वर्षो में इसके यथेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को ईमानदार एवम् निष्ठावान् अधिकारियों एवम् कर्मचारियों की सहायता से पूरा किया जा सकता है । परन्तु अब तक का अनुभव यह रहा है कि, जिला एवम् विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कार्यरत व्यक्ति या तो पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं करते अथवा उन्हें ग्रामीण परिस्थितियों की सही जानकारी नहीं होती है । कुछ अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों की कठिनाईयों के कारण वहाँ काम करना नहीं चाहते और अपने स्थानान्तरण करवाने पर अधिक ध्यान देते हैं। इसलिये यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के तन्त्र में परिवर्तन करके उसे सुचारू एवम् उत्तरदायी बनाया जाये ।

हमारे गाँवो में शिक्षा सुविधाएं अभी पर्याप्त नहीं हैं । अनेक प्राथमिक एवम् माध्यमिक विद्यालयों की ईमारतें भी नहीं हैं । छात्र-छात्राओं को बैठने के लिये उपयुक्त एवम् पर्याप्त स्थान की कमी रहती है । एक ओर यह दृश्य और

दूसरी ओर महानगरों में फैलते बहु–मंजिली इमारतों और पब्लिक स्कूलों के जाल और ठाट बॉट और अपव्यय का रंगीन परिदृश्य, क्या इस स्थिति में हम आमूल चूल परिवर्तन का साहस कर सकेंगे ? यदि हमारा ऐसा संकल्प है तो साधनों को विकेन्द्रित करना होगा और गाँवों की ओर मोड़ना होगा । हमें गाँवों की ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाना होगा । ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है ? इस प्रश्न का संबंध ग्रामीण विकास प्रशासन की विकेन्द्रित संरचना से है। जहाँ पर व्यक्ति हृदय के अंतःस्थल से कार्य के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं अथवा उन्हें ग्रामीण जनजीवन की अभीष्ट जानकारी नहीं होती है। अधिकांश व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शहरी जीवन की प्रगतिशील प्रवृत्तियों के बहाने अधिक सुविधाजनक स्थान को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाने की चेष्टा करते हैं और कार्य करने में खुद ही बाधक हो जाते हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में हम किस तरह तंत्र को सुचारू एवं उत्तरदायी बना सकते हैं, ताकि जिसके लिए धनराशि खर्च भी की जा रही है, उसको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।

उपर्युक्त सभी स्तरों पर विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा अपने–अपने कार्य क्षेत्र एवं निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार बनती है। योजना बना लेना और बात है, परन्तु वास्तविक विकास एवं जनसामान्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें गहराई से समझकर

क्रियान्वित करना दूसरी बात है । इस दिशा में प्रमुख कठिनाईयाँ अथवा कमियाँ इस प्रकार हैं। –

1– <u>सुयोग्य कार्मिकों की कमी</u> :–

पंचायती राज संस्थाओं में दक्ष और सुयोग्य कार्मिक होने आवश्यक हैं। स्वशासन एजेंसियों को कई विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने होते हैं, जिनके लिए तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इन निकायों की नीतियों और कार्यक्रमों को वे निरंतरता प्रदान करते हैं, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालक समय–समय पर बदलते रहते हैं सक्षम कार्मिक निष्पक्षता और उद्देश्य मूलक निर्णय करने के लिए आवश्यक है। अतः उनकी भर्ती, किसी स्वतंत्र निकाय जैसे लोक सेवा आयोग से होना चाहिए।

2. <u>कार्मिकों की समस्याएँ</u> :–

पंचायती राज में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी काम करते हैं, इसलिए कार्मिकों से संबंधित कई समस्याऐं हैं। उनका चयन भिन्न–भिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है और उनकी सेवा शर्ते और पदोन्नति की श्रृंखला भी भिन्न है। बंधुआ पंचायती राज के लिए उनकी उपयुक्तता पर संदेह प्रकट किया जाता है। कई राज्य स्तर के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं, इसलिए वे ऐसे राही की तरह पंचायती राज के प्रति किसी प्रकार की प्रतिबद्धता के बिना कार्य करते हैं। अधिकारियों को बार–बार स्थानांतरण, कागजी कार्यवाही

में निरंतर वृद्धि, प्रगति एवं पदोन्नति के अपर्याप्त अवसर कुछ ऐसे कारण हैं, जो पंचायती राज के कार्मिकों को प्रभावित कर रहे हैं । इस प्रकार पंचायती राज के स्टाफ में एकीकृत पैटर्न का अभाव, असंतोषजनक सेवा–शर्ते और प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव दिखाई देता है।

3. **वित्त का अभाव** :–

पंचायती राज संस्थाऐं हमेशा वित्तीय अभाव से ग्रस्त रहती है। धन की बुनियादी कारणों में से एक हैं जिसके फलस्वरूप वे विकास कार्य शुरू नहीं कर पाती हैं । यद्यपि उन्हें ग्राम विकास की प्रधान एजेंसी के रूप में समझा जाता है , परन्तु उन्हें पर्याप्त साधन नहीं दिए जाते हैं। प्रायः सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाएँ राज्य के अनुदान पर ही पूरी तरह से आश्रित रहती है राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और आवश्यकताओं के बदले अपने साधनों के आधार पर दी जाती है, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ और सुगम बनाने की आवश्यकता है। तभी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की ये संस्थाएं ग्राम विकास की वास्तविक संस्थाएं बन सकेंगी।

प्रत्येक स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिये विकास योजनायें उस सीमा तक क्रियान्वित नहीं की जा सकी हैं जैसे कि जाना चाहिए थीं। स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात् भी हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

वर्तमान में भी हम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जो बजट व्यवस्था की जाती है, उसको अन्य जगह व्यय कर दिया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यो के लिये धन का अभाव हो जाता है।

4- **समन्वय की कमी** :-

विकास कार्यक्रमों के कुशल प्रशासन के लिये समन्वय अनिवार्य है। दुर्भाग्य से यह उन गंभीर समस्याओं में से एक समस्या है, जिसका पंचायती राज सामना कर रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य-निष्पादन की भूमिका की अपेक्षा नियमों के अनुसरण पर अधिक जोर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप विकास कार्यक्रमों के निष्पादन में विलम्ब हुआ है । नौकरशाही भी जनप्रतिनिधियों के उत्साह को शिथिल कर रही है । किसी भी कार्यक्रम को सफल कार्यान्वयन के लिये पूर्व शर्त यह है कि उसके लिये अधिकारी की अभिवृत्ति उस कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुकूल हो । पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। पंचायती राज और उनके मूल कार्यालय दोनों के बीच उनकी वफादारी विभाजित करती है । इससे भी पंचायती राज के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप अधिकारियों की पहचान करने में बाधा आती है ।

5- **चरणबद्ध कार्यक्रम का अभाव** :-

प्रायः यह देखा गया है, कि विकास एजेंसियों एक समन्वित एवं क्रमबद्ध कार्यक्रम का सहारा नहीं लेती हैं इसके लिये क्षेत्रीय दबाव, राजनैतिक दावपेंच अथवा स्पष्ट नीति की कमी भी हो सकती है। विशेषज्ञ परामर्श एवं योजनाओं और कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित कर बजट व्यवस्था के अनुरूप समाधान खोजना न्याय संगत प्रतीत होती है। मशीनरी अथवा प्रशासनिक तंत्र पर खर्च अधिक एवं योजनाओं पर कम होता है।

6– **<u>अधिकारियों की उदासीनता</u>** :–

विकास के लक्ष्य अपूर्ण रहने के पीछे कभी–कभी उन अधिकारियों की उदासीनता भी रहती हैं, जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है। अधिकांश अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी नियुक्ति अथवा तैनाती को एक प्रकार की सजा समझते हैं। ऐसे में अधिकारी किसी प्रकार तैनाती की अवधि पूर्ण करने की चिंता करते हैं। कार्यक्रमों अथवा योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिकारी उदास मन से अथवा बेगार टालने की तरह लेते हैं और किसी प्रकार कागजी खानापूर्ती करते हैं। यदि अधिकारियों को उचित सुविधाऐं प्रदान की जायें। सेवा शर्तें उदार रखी जायें, उनकी जवाबदेही निश्चित की जाये और प्रशिक्षण आदि के माध्यम से उन्हें विशेषज्ञ परामर्श एवं कुशलता बढ़ाने का अवसर मिले, तो अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है।

7– <u>जल संसाधन संबंधी कठिनाई</u> :–

अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल नहीं मिलता। परम्परागत कुएं या बावड़ियाँ भी सर्वत्र नहीं हैं। कई मील चलकर पानी लाना पड़ता है। सरकार द्वारा सभी गाँव को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना प्रारंभ की गयी है। लेकिन फिर भी कुछ गाँव पेयजल से वंचित रह गये हैं। इसी प्रकार सिंचाई सुविधाओं की भी कमी है। खेती के लिये वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। विकास एजेंसियों ने कुछ राहत अवश्य प्रदान की है। नलकूपों, नहरों एवं अन्य तरीकों का विकास हुआ है परंतु बहुत ही कम मात्रा में समस्या का समाधान हुआ है। वाटरशेड परियोजना भी लागू की गयी है। जल संग्रहण सप्ताह का भी समय–समय पर आयोजन किया गया है परंतु इन सबके बावजूद समस्या जस की तस है।

8– <u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव</u> :–

ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य बीमारियों के इलाज एवं महामारी के समय चिकित्सा व्यवस्था क अभाव है। व्यक्ति घरेलू इलाज करते हैं। नीम-हकीमों के पास जाते हैं वैद्यों की सहायता लेते हैं। यहाँ तक कि अंधविश्वास में उलझकर तंत्र–मंत्र और झाड़–फूक करने वालों के चंगुल में फंस जाते हैं। कहीं–कहीं सरकार अस्पताल व औषधालय लेकिन वहाँ भी पर्याप्त साधन

उपलब्ध नहीं रहते हैं। चिकित्सक गाँव में जाने से कतराते हैं। दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में व समय पर उपलब्ध देख-रेख की व्यवस्था, चिकित्सकों अथवा परिचारिकाओं द्वारा नहीं हो पाती है। वर्तमान में प्रचलित विभिन्न प्रकार के टीके लगाये जाने की व्यवस्था नहीं होती है। जब लोगों की यह दशा है, तो मावेशियों के इलाज की कल्पना कैसे की जा सकती है।

9- **<u>शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन</u>** :-

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था दयनीय है। विद्यालय नहीं है, यदि हैं तो हालत इतनी खराब हे कि न इमारत, न खेल का मैदान, न शिक्षकों की पूरी व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का भी अभाव बना रहता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बिल्कुल नगण्य है। अध्यापक भी गाँवों के स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं। पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। सरकार विद्यालयों को अनुदान प्रदान करती है, मान्यता प्रदान करती है और अपने प्रंबध के अर्न्तगत ले लेती है। परंतु स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार से हमें विकास योजनाओं को उचित परिपेक्ष्य में समझने और सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति सुलभ हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा नहीं के बराबर है। इसलिये लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। खर्चीली शिक्षा

व्यवस्था होने के कारण अधिकांश छात्र-छात्राएं लाभ नहीं उठा पाते और इच्छा एवं योग्यता होते हुये भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

10- **कृषि सम्बन्धी समस्याएं** :-

ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी व्यक्ति खेती के परंपरागत तरीकों पर निर्भर हैं। विज्ञान ने जो नए साधन उपलब्ध कराये हैं। धन के अभाव के कारण उनका लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता है। फसल चक्र को भी नहीं अपनाया जाता है। पर्याप्त उन्नत खाद एवं बीज नहीं मिलते हैं। सिंचाई का लाभ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। कृषि क्षेत्र में विस्तार सम्बन्धी अनुसंधानों का लाभ भी ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णरूपेण नहीं मिल पाता है। बागवानी और फल उत्पादन के सम्बन्ध में भी कठिनाइयाँ विद्यमान हैं। कृषि सहकारी समितियों की भी पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। बैंक कृषि योजनाऐं हों अथवा कृषि विस्तार सेवाएं हों ग्रामीण क्षेत्र उनका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं।

11- **पारस्परिक तालमेल का अभाव** :-

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सबसे अधिक बाधक है, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी। जहाँ किसी कार्य का उत्तरदायित्व विभिन्न एजेंसियों में बंट जाता है और ऐसी संस्थाओं की अधिकता होती है वहां पर एक की जवाबदेही नहीं

होने के कारण कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मामले में भी यही बात लागू होती है। विभिन्न एजेंसियों में अनुदान या बजट राशि बंट जाने से कभी–कभी प्राथमिकता वाली मदों पर पहले खर्च नहीं हो पाता और दुरूपयोग की भी गुंजाइश रहती है। अधिकारियों में भी आपस में तालमेल नही रहता है। जनता के बीच उदासीनता के कारण जागरूकता का अभाव रहता है और सरकारी एजेंसियों को सहयोग नहीं मिल पाता है।

12– **बजट एवं अनुदान का उपयोग** :–

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये नियत की गई पूरी राशि खर्च की जाना चाहिए, किंतु प्राथमिकता तथा अनिवार्यता वाली मदें भी तय की जाना चाहिए। राशि के पूरी तरह और सही रूप में खर्च करने की जिम्मेदारी एजेंसी विशेष और अधिकारी विशेष पर होना चाहिए। बजट प्रावधान से पहले योजनाओं और कार्यक्रमों का पूर्ण एवं सही आंकलन तथा राशि के उपयोग के बाद उपलब्धि और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को संरक्षण, प्रशिक्षण एवम् प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये तथा विशेष सुविधाऐं प्रदान की जाना चाहिए । इसके लिये उन्हें जनता, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य एजेन्सियों का सहयोग भी लेना चाहिए। विकास शिविर आयोजित करके तथा प्रचार प्रसार के माध्यमों से सरकार की सहायता की जा सकती है।

13– **लघु एवम् कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन का अभाव :–**

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग जहाँ रोजगार के अवसर जुटाते हैं, वहीं गांवों की समृद्धि भी उन पर निर्भर है । पुराने समय में तो छोटे छोटे घरेलू उद्योग गाँव में लोगों को आर्थिक आधार प्रदान करते थे । कुम्हार, बढ़ई, राज, तेली, लोहार , चर्मकार, जुलाहे, बुनकर, कृषि मजदूर, मिस्त्री, दर्जी, इमारती कारीगर तथा अन्य कामगार गॉवों में ही काम करके जीवनयापन का साधनखोज लेते थे । अब गॉवो में भी इनका अभाव होता जा रहा है । शहरों का आकर्षण तथा गॉवों का शहरो की ओर रूझान बढ़ गया है । आज कोई भी खुशी से गाँव में रहकर इन छोटे मोटे रोजगारों तक सीमित नहीं रहता । इनसे गुजारा होना भी कठिन है ।

14– **ऊँची जन्म दर :–**

परिवार नियोजन के प्रचार–प्रसार पर अरबों रूपया खर्च होने के बावजूद गाँवों में जनसंख्या वृद्धि में कमी के आसार नजर नहीं आ रहें हैं । शहरों में फिर भी परिवार नियोजन कार्यक्रम में लोगों की रूचि बढ़ी है, लेकिन गॉवों में अज्ञान और अंधविश्वास के चलते लोग परिवार नियोजन नहीं अपना सके । नतीजतन कमाने वाले हाथ उतने ही रहते हैं, खाने वालें मुँह बढ़ जाते हैं। कृषि पर दबाव बढ़ जाता है और जो थोड़ी बहुत आर्थिक सम्पन्नता आती है, वह बढ़ती जनसंख्या की भेंट चढ़ जाती है । माल्थस का सिद्धांत हमारी

ग्रामीण व्यवस्था पर अंशतः लागू होगा है। अतः हमारे विकास में ऊँची जन्म दर बाधक बनी हुई है।

15- **गाँवो का सामाजिक परिवेश** :-

हरित क्रांति के पश्चात् गाँवो की आर्थिक दशा बहुत सुधरी है । बिजली, रेडियो, टेलीविजन, यातायात,संचार सुविधाओं के जरिए वे आधुनिकता की राह पर चल निकले हैं, लेकिन गहराई से देखा जाए तो ग्रामीण संस्कृति शहरों से भी बदतर हो गई है। सादा सरल जीवन जो कभी ग्राम्य जीवन का पर्याय हुआ करता थ, अब कहीं नजर नहीं आता । उसकी जगह, ईर्ष्या, द्वेष, बैर और भौतिक प्रतिस्पर्द्धा ने ले ली है न तो भोले भाले ग्रामीण रह पा रहे हैं न सभ्य सुसंस्कृत पढ़े-लिखे संभ्रान्तजन परिवार । अल्पशिक्षा ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत कर दिया, लेकिन सामाजिक कर्तव्यों का बोध उन्हें नहीं करा पाई । ऐसे में जब विकास की परिभाषा भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमित हो तो ग्रामीण विकास या सामुदायिक विकास की कल्पना करना बैकार है । आज किसान साक्षर जरूर हुए हैं लेकिन उनके संस्कार छूटते जा रहे हैं ।

16- **शहरों की ओर पलायन** :-

ग्रामीण विकास में एक बड़ी बाधा भारी संख्या में नवयुवकों के शहरों की ओर पलायन करने की है । इससे जहाँ शहरों में जनसंख्या का दबाव बढता ही

जाता है वहाँ गाँव काम करने में सक्षम लोगों से खाली होने जा रहे हैं । जिस युवक को पढ़ लिखकर गाँव के उत्थान की ओर ध्यान देना चाहिये वह गाँव से एकदम कट जाता है । जब वहाँ के रहने वाले ही गाँव की उन्नति में रूचि न लें तो सरकार और प्रशासन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं । अतः गाँवों मे संसाधनों में वृद्धि कर नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें, तो शहरों की ओर पलायन पर रोक लग सकती है ।

17– **प्रशासनिक स्तर पर त्रुटियां** :

15 अक्टूबर, 1989 को अलीगढ़ की एक जनसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीवगाँधी ने कहा था कि – " सरकार योजनाओं के लाभ आम आदमी तक नहीं पहुँच पाता है । योजनाओं के कुल मूल्य का केवल 15 प्रतिशत भाग ही वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँच पाता है । शेष राशि लाल फीताशाही के कारण बर्बाद हो जाती है । "प्रशासनिक त्रुटियों की व्याख्या करते हैं । हमारा प्रशासनिक ढ़ाँचा इतना जटिल और केन्द्रकृत है कि योजनाएं लागू करने वाले और लाभार्थियों के बीच एक लम्बी दूरी बन गई है ।

सुझाव :–

पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणसमाज के कमजोर तबकों एवम् महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर उनकी छुपी ऊर्जा को उभारा गया है । इससे शिथिल पड़े

समाज में हलचल आई है । पंचायतों के माध्यम से अनेक महिलाएं जैसे – आन्ध्र प्रदेश से फातिमा बी, गुजरात से सुधा पटेल, मध्यप्रदेश से गुड़िया बाई एवम् उत्तरप्रदेश से रजनी सिंह आदि ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने पंचायत का नेतृत्व सम्भालने के पश्चात् ग्रामीण विकास के अनेक सामाजिक, आर्थिक कार्यो को कार्यान्वित कराया है । अभी हाल में उत्तरप्रदेश में सम्पन्न चुनावों में जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिये 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं । इसका ग्रामीण विकास विशेष रूप से महिला और बाल विकास कार्यक्रमों पर सकारात्मक असर पड़ेगा ।

महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित हुई है । यह वर्ग जिन्हें एकगॉव के शासन में कोई पूछता नहीं था । वर्तमान् में प्रधान/सरपंच बने हुऐ हैं । इससे उनको शासन–प्रशासन के बारें में जानकारी मिल रही है, वे धीरे धीरे शासन करने की कला जान रहे हैं । इससे इस वर्ग की सोच और समझ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और निकट भविष्य में इस वर्ग के लोगों को शोषण का शिकार भी नहीं बनाया जा सकेगा । पंचायतें अधिक प्रभावी ढ़ंग से ग्रामीण विकास कर सकें । इसके लिये पंचायतों को वांछित कार्यात्मक, वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वयत्तता की आवश्यकता है। पंचायतों के समानान्तर जो विभिन्न संस्थाएं कार्यरत

हैं । उनको पंचायतों में विलय करने की आवश्यकता है । इसके लिये जन आन्दोलन चलाया जाना चाहिए।

उत्तरप्रदेश एवम् मध्यप्रदेश की रूढ़ीवादिता, घूंघट–प्रथा और इन सबसे बढ़कर अशिक्षा महिला प्रतिनिधियों के लिये सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रायः लगभग सभी महिला प्रधान/सरपंचों के पति अथवा निकटतम रिश्तेदार पंचायत कार्यो के लिये उनका सहारा बने हुए हैं । पंचायत में प्रतिनिधित्व पाकर तो यह महिलाएं प्रसन्न हैं कि सरकार ने उन्हें कुछ कर दिखाने का अवसर प्रदान किया है । इससे वे अपने आपको गौरवान्वित भी महसूस करती हैं, परन्तु वे अनपढ हैं, इसलिये दायित्वों एवम् अधिकारों को ठीक से समझने के लिये उन्हें शिक्षित करना एवम् सतत् प्रशिक्षण प्रदान करते रहना आवश्यक है । तभी इन महिला प्रतिनिधियों की पंचायतों में सहभागिता सार्थक सिद्ध होगी ।

आज जहाँ लोकसभा चुनाव के सन्दर्भ में भ्रष्टाचार संहिता का पालन करना चर्चा का विषय बनता है । वहाँ प्रायः पंचायत स्तर के चुनावों में आचार संहिता पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । पंचायत चुनावों के दौरान शराब के दुरूपयोग को रोकने की सख्त आवश्यकता है। अपराधी तत्वों के पंचायतों में हावी होने पर रोक लगना चाहिए । पंचायतों के साथ ग्राम स्वराज के सशक्तिकरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता का कागजी स्तर पर तो अनेक बार

दोहराया गया है पर व्यावहारिक रूप में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा अपनी असरदार भूमिका नहीं निभा पाया हैं ।

पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये वेतन एवम् आवश्यक भत्तों की व्यवस्था की जानी चाहिये । जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को निभानें के लिये अधिक समय दे सकें तथा इसके लिये आवश्यक व्यय भी उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिये । पंचायत से जुड़े अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता के लिये हैं, उनकी भूमिका तथा अधिकार ऐसे न हों, कि ये निर्वाचित प्रतिनिधि को स्वतन्त्रता से कार्य करने से रोक सकें, इसके लिये अनुकूल नियमों एवम् कानूनों (जैसे सूचना में जनअधिकारी)की व्यवस्था होना चाहिये ।

अभी भी देश में ग्रामीण विकास के स्वप्न को पूरा करने के लिये यदि सुविचारित योजना तैयार कर उसे निष्ठा और लगन के साथ क्रियान्वित किया जा सके, तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। इस हेतु निम्न सुझावों पर विचार किया जा सकता है:-

1 – पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाते हुए ग्रामीण विकास के समस्त कार्यक्रमों को पूर्ण उत्तरदायित्व उन्हें सौंपना चाहिए। योजनाओं का चयन उनमें लाभार्थियों के चयन से लेकर गाँवों में जन सुविधाओं के विस्तार और अनुरक्षण आदि सभी कुछ पंचायतों की जिम्मेदारी होना चाहिए।

2- राज्य के वार्षिक योजना का कम-से-कम एक तिहाई स्थानीय शासन संस्थाओं के लिए चिन्हित किया जाये।

3- जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने हेतु कठोर कदम उठाने चाहिए। यद्यपि अभी हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 घोषित की गई है लेकिन उसमें किए गए प्रावधान कमजोर हैं उन्हें और भी कठोर किया जाना चाहिए। विशेष रूप से विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों, सभी जन प्रतिनिधियों तथा जन सेवकों पर दो बच्चों तक ही अनिर्वायता तो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

4- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्राप्त होने के छह मास के अंदर राज्य सरकार उन पर निर्णय ले।

5- रोजगार एवं स्वरोजगार सृजन, गरीबी निवारण तथा गाँवों में जन सुविधाओं के विकास हेतु संचालित की जा रहीं विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के स्थान पर इनकी संख्या घटाकर उनके आधार को व्यापक बनाया जाना चाहिए। केवल राजनैतिक स्वार्थवश तथा वाहवाही लूटने के वास्ते नए-नए लुभावने शब्दों वाली योजनाओं की घोषणाओं पर रोक लगानी चाहिए। उदाहरणस्वरूप 1999-2000 में ग्रामीण विकास की 6 योजनाओं को समन्वित करते हुए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार नाम की एकल योजना प्रांरभ की गई और साथ ही साथ वर्ष 2000-2001 के बजट सत्र में प्रधानमंत्री ग्रामोदय तथा जनश्री बीमा योजना के नाम

से दो नई अतिरिक्त योजनाएं संचालित की गई हैं। अतः नई येाजनाएं प्रारंभ करने से पहले उनके विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार–विमर्श कर लेना चाहिए।

6– स्थानीय लोक शासन की संस्थाओं को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए और शक्तियां दी जाएं। भू–राजस्व, उस पर लगा उपकर, बाजार, मत्स्य, तालाब और ग्राम वन से प्राप्त आमदनी सीधे रूप से पंचायतों को दी जायें और विभिन्न स्तरों की पंचायतों के बीच उनका बंटवारा हो।

7– आज हमारे गाँवों में खेती से जुड़े 85 प्रतिशत किसान अब खेती नहीं करते और वे खेतिहर मजदूर का काम करने को विवश हैं। गाँवों में 62 प्रतिशत पुरूष तथा 35 प्रतिशत महिलाऐं मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे हैं। गाँवों में मजदूरी नहीं मिल पाने से ग्रामीण युवकों के गाँवों से शहरों की ओरहो रहे पलायन को रोकने हेतु गाँवों में औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक अधोसंरचना एवं सुविधाओं की समुचित व्यवस्था न केवल इन गाँवों वालों के लिये हितकर होगी, बल्कि शहरी क्षेत्र में गन्दी बस्तियों के फैलाव और वहां बिगड़ते पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से भी आवश्यक होगी।

8– सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जिला पंचायतों की निधि मे शामिल कर दी जाये। जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत प्रकल्पों के लिए जिला

पंचायत निधि में इस धनराशि को जमा कर दिया जाये।

9– गरीबी निवारण की योजनाओं में सस्ता ऋण तथा अनुदान की शर्तो को हटाते हुए ग्रामीणों में स्वरोजगार तथा स्वप्रयास को बढावा देने के लिये आवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिए, जिससे गरीब लोग सरकारी बैसाखियों के सहारे चलने के स्थान पर अपने पैरों पर खड़े होने के लिये अग्रसर हो सकें । स्व सहायता समूह इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं ।

10– केन्द्र एवं राज्य परियोजनाओं के तहत आने वाले लाभार्थियों के चयन का, पंचायत की योजना एवं बजट को पारित करने का तथा पंचायत निधि की उपयोगिता का प्रमाण पत्रदेने का अधिकार ग्राम सभा का है।

11– सभी केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन स्थानीय स्व–शासन की संस्थाओं के माध्यम से किया जाये।

12– सरकार को पूँजी–प्रधान उत्पादन प्रक्रिया को प्रधानता देने के स्थान पर श्रम–प्रधान प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और ऋण प्रदान करने वाली विदेशी संस्थाओं के प्रलोभन तथा दबाव में आकर यदि पश्चिमी मॉडल का अनुकरण करना हमारी विवशता हुई तो इसके परिणाम ग्रामीण विकासके लिये नकारात्मक ही होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रधान लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर वहां के मूल उत्पादों में मूल्य अभिवृद्धि (वैल्यु एडीशन)

करना सम्भव हो जायेगा और इससे वहाँ आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी ।

13– लघु–ऋण के कार्यक्रम जिला योजना के अंग के रूप में कार्यान्वित किये जायें।

14– ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित सरकारी ढाँचे में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा । चूँकि ये सभी कार्यक्रम त्रिस्तरीय राज व्यवस्था के माध्यम से चलाए जाने की व्यवस्थाऐं की जा रही है अतः इनसे जुड़े हुए सरकारी कर्मियों की संख्या में कमी करते हुए सरकारी खर्चे में कटौती करनी होगी और इसप्रकार बचे हुए संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्रों को सभी आवश्यक जन सुविधाओं से आच्छादित करने हेतु प्रयोग में लाना होगा । इसके अतिरिक्त जिन सरकारी कर्मियों को इन योजनाओं से सम्बद्ध किया जाए, वे ग्रामीण वातावरण एवम् समस्याओं से पूर्णतया परिचित तथा ग्रामीण विकास को समर्पित होना चाहिये ।

15– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को समाप्त कर दिया जाये। उसके सभी कार्य स्टाफ/शक्तियाँ ओर सम्पति जिला पंचायत को दे दी जायें।

16– ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे प्रत्येक गाँव का पक्की सड़क से जोड़ना, उपयुक्त विद्युत व्यवस्था, उपयुक्त संचार व्यवस्था, पेयजल की समुचित उपलब्धता, स्वास्थ्य एवम् शिक्षासुविधाओं की उपलब्धता, उपयुक्त बाजार की व्यवस्था आदि को पुनः

आंकलित करना होगा और वर्तमान् आधारभूत ढांचे में आवश्यक परिवर्तन करने के लिये एक दीर्धकालीन योजना बनाकर उस पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित रूप से अमल करना होगा ।

17– सामुदायिक विकास प्रखंड पंचायतों से मिला दिया जाये। प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत का सचिव नामित किया जाये।

18– ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबों का तथा ग्रामीण निवारण कार्यक्रम और रोजगारसृजन योजनाओं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना होगा । अब समय का तकाजा है कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। अब समय का तकाजा है कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं की प्राथमिकता पुनः नऐ सिरे से निर्धारित की जाए और संसाधनों का आबण्टन इस प्रकारसे किया जाए कि सही धनराशि, सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों और सही क्षेत्रों तक पहुँच सके ।

19– स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य विकास परिषद का गठन किया जाये। राज्य कोई भी कार्यक्रम या परियोजना राज्य विकास परिषद की सलाह लेकर ही प्रारंभ किया जाये।

20– ग्रामीण विकास के कुछ विशिष्ट प्रकृति के कार्यक्रमों जैसे जनजातीय विकास, अनौपचारिक एवम् प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार

एवम् इनके समुचित रूप से क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायतों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित और उत्तरदायी स्वयंसेवी संस्थाओं,समाजसेवी संगठनो अथवा नागरिक संस्थाओं (सिविल सोसायटीज) का भी बढ़ चढकर सहयोग प्राप्त किया जाए । तो इससे इन कार्यक्रमों पर आने वाली लागत में भी कमी आ सकेगी और जन सहभागिता एवम जन सहयोग भी अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

25- पर्याप्त संख्या में, पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायें, जो अभी है उन्हेंसक्षम बनाया जाये और उसे सुनिश्चित किया जाये कि चुनाव के एक साल के अंदर सभी नव-निर्वाचित सदस्य प्रशिक्षण पा लें। बीच-बीच में, रिफ्रेशर कोर्सेज किये जायें।

26- विधायिका के लिये ऐसी आचार संहिता बनाई जाये और उसक कडाई से पालनकिया जाये कि ईमानदारी देशभक्त, अच्छे चरित्र एवम् नैतिकता से युक्त व्यक्ति ही चुनकर आ पाये । इसके लिये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगानी होगी ।

27- सूचना-अधिकार को प्रभारी बनाया जाय। यह सुनिश्चित किया जाये कि स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में हो रहे राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्यो बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार रहे।

28- सरकारी कर्मचारियों एवम अधिकारियों में देश प्रेम की भावना जागृत की जाये, जिससे वह भ्रष्टाचार में लिप्त

न हो और अपना काम पूर्ण ईमानदारी एवम् निष्ठा के साथ करें । मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय गान का शुभारम्भ प्रत्येक कार्यालय में किया गया है । जो राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृतकरने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उत्तरप्रदेश में भी इसका अनुसरण किया जा सकता है।

29- निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए राज्य की विस्तृत स्थिति का मूल्यांकन करते हुए उपयुक्त मानदेय एवं भत्ता निर्धारित किया जाये।

30- ऐसे कानून बनाये जायें, कि दूसरे अधिकारीएवम् कर्मचारी,भ्रष्टाचार में लिप्त होने का साहस ही न जुटा सकें । देश में लचर कानून व्यवस्था होने के कारण भ्रष्ट व्यक्तियों को न तो सजा ही मिलती है और ना ही उन्हें पद से हटाया जाता है । इसलिये भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है । भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कारगर कदम उठाने होंगे ।

31- पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महिला विकास संबंधी कार्यक्रमों को पंचायतों के द्वारा लागू किया जाये।

32- ग्रामीण विकास हेतु जो भी कार्ययोजना एवं कार्यक्रम संचालित किये जाएं वे राजनीति से प्रेरित न हों। पंचायत स्तर पर ग्रामीण व्यक्तियों से उनकी आवश्यकतानुसार सुझाव मांगकर योजनाऐं बनायी जायें और क्रियन्वयन में उनका पूर्ण सहयोग लिया जाना चाहिए। जिससे स्वयं के लिये बनी योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीण अधिक रूचि लेंगे।

33– पंचायती राज विधानों के विरोधी केन्द्रयी एवं राज्य कानूनों को संशोधित किया जाये।

34– ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बच्चों के लिये स्कूल, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की पूर्ण व्यावस्था की जाना चाहिए। तभी अधिकारी एवं कर्मचारी वहाँ रहने का अपना मन बनायेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को एक नवीन दिशा मिलेगी।

35– विधायकों, सांसदों तथा नौकरशाहों को पंचायत निधि, कर्मचारियों तथा कार्यो के बारे में जानकारी देने के लिए नियमित अवधि के अंतराल से अभिमुखीकरण कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए।

36– राजनीतिज्ञ ईमानदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यो में हस्तक्षेप न करें। व्यवस्था की जाना चाहिए, ईमानदार कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुरूस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे वे पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा से कार्य कर सकें। पुरस्कृत होने पर वे अधिक अच्छे ढ़ग से कार्य करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास की गति में तीव्रता आयेगी।

37– आवश्यकता इस बात की है कि संस्थाऐं पंचायतों को स्थानीय स्तर पर ही संसाधन जुटाने के रचनात्मक एवं नवीन उपाय सुझा सकें। ये कार्य आसान नहीं है फिर भी यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संस्थाओं को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। गत वर्षो में पंचायत प्रणाली पूर्णतः राजाश्रय पर निर्भर रही है। यहां तक कि

उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन तथा जैवविविधता को आर्थिक रूप से पुर्नजीवित करने का प्रयास तक नहीं किया है। तात्कालिक सरकारों ने भी इन संसाधनों पर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया है।

39– ग्रामीण विकास हेतु जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें ईमानदारी नहीं होती है, अपितु वे कार्यक्रम अधिका से अधिक वोट बटोरने के दृष्टिकोण से बनाए एवं क्रियान्वित किये जाते हैं। यदि इन कार्यक्रमों को वोट बैंक न मानकर व्यावहारिक दृष्टि से क्रियान्वित किया जाये तो ग्रामीण विकास में और अधिक वृद्धि होगी।

40– प्राकृतिक सम्पदा प्रबधंन से होने वाली आमदनी, जोकि 'ग्राम कोष' में डाली जाती है, से गांवों में टिकाऊ विकास की आत्मनिर्भर पद्धति का विकास हुआ है। ऐसे गांव अपनी समस्याओं का समाधान अपने दायरे में अपने ही संसाधनों से खोज रहें हैं जोकि अपने आप में अनुकरणीय है। अतः गाम पंचायतों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन संबंधी अधिकारों का स्थानांतरण आवश्यक है ताकि प्रतिभागी प्रकिया से वे ग्राम कोष विकसित करने की दिशा में पहल कर सकें।

41– लोगों के मन में देश के प्रति उचित सम्मान की भावना का अभाव पाया जाता है। क्योंकि देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण लोगों में देश के प्रति सम्मान की

भावनाओं में कमी आ रही है। ईमानदार एवं कर्त्तव्य निष्ठ कर्मचारियों को ठीक से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। उन पर अनैतिक कार्यों के लिये दवाब डाला जाता है। अतः सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

42- संविधान संशोधन में पंचायतों द्वारा निचले स्तर से प्रतिभागी योजना निरूपण करने का स्पष्टोल्लेख है। अतः देश में माडल स्तर पर संस्थाओं की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन के रचनात्मक कार्यक्रम विकसित किए जाए। उनके लिए समय रहते योजनाबद्ध तरीके से धन उपलब्ध करवाया जाए और उनके परिणामों प्रसारित करने के नीतिगत निर्णय लेने की तैयारी हो। संस्थाओं के दायित्व में यह भी मुख्य रूप से उल्लेखनीय है कि पंचायती राज अधिनियम में जो विरोधाभास या क्लिष्टताएं हैं उन पर लोगों की समझ बनाए या फिर जन सामान्य के विचारों को सरकार के समक्ष सुझावों व सुधारों के लिए प्रस्तुत करें।

43- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु उचित माहौल अभी नहीं बन पाया है। गाँवों में निरक्षरता का बोलबाला है, लोग परम्परावादी हैं, अनेक सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं। सरकारी सहायता को लोग बुरा समझते हैं, विकास के प्रति सचेत नहीं हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों को प्रयासों को बेअसर कर रही है। इसकी वजह से भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में व्यय की जाने वाली धन राशि

का बड़ा भाग अनुत्पादक कार्यो में खर्च किया जा रहा है। परिमाणत्मक उपलब्धियॉ तो काफी हैं, किन्तु गुणात्मक उपलब्धियाँ संतोषजनक नहीं हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिये गाँवों में विकास हेतु उचित माहौल बनाना जरूरी है। शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को विकास कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रेरित करना होगा।

44- परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जब तक कार्यान्वयन पदाधिकारी दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तब तक ग्रामीण गरीबी उन्मूलन महज पानी में कागज की नाव चलाने के समान ही होगा। आज गांव समस्याओं के अम्बार से आच्छादित है। जब तक स्थानीय नेतृत्व ईमानदार उपयुक्त और कारगर नहीं होगा ग्रामीण गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर की ओर नहीं उठाया जा सकता। ग्रामीण जनता को अधिकारों का बोध कराकर जगाना होगा तभी वास्तविक विकास सम्भव होगा और देश खुशहाल होगा।

अब समय आ गया है, कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय की जा रही धनराशि का "लागत-लाभ विश्लेषण" करने का पिछले पाँच दशकों में शुरू की गयी विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन कर कुछ सीमित किन्तु व्यापक योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। जिनमें ग्रामीण जनता की सक्रिय भागीदारी हो तथा व्यय की गई एक-एक पाई का पूरा सदुपयोग हो। सरकार के दृढ़ संकल्प, क्रियान्वयन से जुड़े लोगों की निष्ठा एवं जनता

के पूर्ण सहयोग पर ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता निर्भर है।

इस प्रकार के कुछ व्यावहारिक कदम उठाकर सदियों से उपेक्षित रहे गाँवों में नई स्फूर्ति लाई जा सकती है तथा देश के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अहम् उद्देश्य की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सकता है। अतः सभी स्तरों से पर पूर्ण प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना से इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

<u>भावी शोध संभावनाऐं</u> :-

शोधार्थी ने शोध कार्य के दौरान पंचायती राज व्यवस्था पर अनेक क्षेत्रों में शोध संभावनाऐं अनुभव की , वे निम्न प्रकार है :-

1. पंचायती राज की वित्त व्यवस्था
2. भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन
3. पंचायती राज एवं ग्रामीण रोजगार
4. पंचायती राज एवं लघु कुटीर उद्योगों का विकास
5. पंचायतें, अतीत, वर्तमान, भविष्य
6. पंचायती राज व्यवस्था एवं राजनैतिक दल

संदर्भ ग्रन्थ सूची

क्र0	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
1	पारसनाथ राय	अनुसंधान परिचय	लक्ष्मीनाराण अग्रवाल, आगरा	2005
2	डॉ0आर0एन0त्रिवेदी एवं डॉ0 डी0पी0शुक्ला	रिसर्च मेथ्डोलॉजी	कालेज बुक डिपो, जयपुर	2003
3	डॉ0 बी0एम0जैन	शो ध प्रविधि एवम् क्षेत्रीय तकनीक	रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर	1990
4	डॉ. विजय जरारे	शोध प्रणाली	ए0बी0डी0 पब्लिशर्स जयपुर	1994
5	डॉ0 सत्यदेव	सामाजिक विज्ञानों की शोध पद्धति	हरियाणा साहित्य अकादमी,चण्डीगढ़	1990
6	डॉ0सुरेन्द्रसिंह	सामाजिक अनुसंधान	उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ	1990
7	सी0आर0कोठारी	रिसर्च मैथ्ओलॉजी एण्ड टैक्निक्स	विश्व प्रकाशन, नईदिल्ली	2002
8	डॉ0सी0एम0चौधरी	रिसर्च मैथ्डोलॉजी	आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स, जयपुर	2003
9	पी0सी0त्रिपाठी	रिसर्च मैथ्डोलॉजी इन सोशल साईन्स	सुलतान चन्द एण्ड सन्स, नईदिल्ली	1999
10	डॉ0आर0एन0शर्मा एवं डॉ0आर0के0शर्मा	सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधानकी विधियाँ	एव्लांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नईदिल्ली	1994
11	नीरा देसाई	आधुनिक भारत में नारी	बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स, मुम्बई	1997
12	एम0ए0इन्द्र	प्राचीन भारत मं स्त्रियों की स्थिति	मोती पब्लिशर्स, मुम्बई	1997
13	शर्मा एवम् गौतम	भारतीय समाज	आगरा बुक स्टोर, आगरा	1988
14	डॉ0एस0सी0 सक्सेना	श्रम समस्याऐ एवम् सामाजिक सुरक्षा	रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ	2002
15	आशा बोहरा	भारतीय नारीदशा एवम दिशा	नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नईदिल्ली	2001
16	डॉ0 जास्मिन लारेन्स	महिला श्रमिक सामाजिकस्थिति एवम् समस्याएं	आदित्य पब्लिशर्स, बीना	1994
17	राजकिशोर	स्त्री के लिये जनग	वाणी प्रकाशन,नईदिल्ली	1999
18	डॉ0सी0एम0चौधरी	मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा	कॉलेज बुक डिपो, जयपुर	1994
19	गुप्ता एवं खन्ना	सोशल सिस्टम स्टैटिफिकेशन	मेरठ पब्लिकेशन्स, मेरठ	2001
20	आर.एस. शर्मा	मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम	खेत्रपाल पब्लिकेशन इन्दौर	2001

---2---

क0	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
21	आर.एस. विजयवर्गीय	श्रमिक विधियाँ	दि लायर्स होम , इन्दौर	2002
22	नदीम हसनैन	जनजातीय भारत	जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्स, नई दिल्ली	2004
23	डॉ. डी.आर. सचदेव	भारत में समाज कल्याण प्रशासन	किताब महल इलाहबाद	2003
24	सुनील गोयल	भारतीय समाज में नारी	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
25	प्रतिभा जैन एवं शर्मा	भारतीय स्त्रीः सांस्कृतिक संदर्भ	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
26	अरूण कुमारी सिंह	जनजाति समाज में स्त्रियाँ	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
27	यतिन्द्र सिंह सिसोदिया	पंयात राज एवं अनुसूति जाति महिला नेतृत्व	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
28	आशिष भट्ट	लोक तांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं जनजातिय नेतृत्व	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
29	कैलाश सोडाणी	असंगठित श्रमिक एवं कानून	शुभम प्रकाशन जयपुर	2004
30	प्रकाशचन्द्र मेहता	भारत के आदिवासी	शुभम प्रकाशन जयपुर	2004
31	डॉ0 आर0जी0 सिंह	भारतीय दलित समस्याऐं एवं समाधान	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
32	डॉ0 हीरालाल शुक्ल	आदिवासी अस्मिता और विकास	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
33	तिवारी एवं शर्मा	मध्यप्रदेश की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
34	डॉ. मिनाक्षी पवार	ग्रामीण विकास की विकेन्दीत व्यवस्था पंचायती राज	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
35	डॉ यतीन्द्र सिंह सिसोदिया	मध्यप्रपदेश में पंचायत राज व्यवस्था	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
36	डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा	आदिवासी विकास	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
37	डॉ.हरिशचन्द्र उप्रेती	भारतीय जनजातियाँ	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
38	उपाध्याय एवं पाण्डेय	जनजातिय विकास	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
39	डॉ. शशि किरण नायक	मध्यप्रदेश का अर्थिक विकास	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2004

...3...

क्र0	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
40	डॉ. देवेन्द्र मिश्र	मंचायती राज का संगठन एवं कार्य प्रणाली	क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली	1999
41	जनसम्पर्क विभाग	आगे आये लाभ उठायें	जनसमपर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल	1994
42	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	जन कल्याण के नियोजित कदम	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल	1998
43	अभिषेक खरे	मध्यप्रदेश सामान्य अध्ययन	दिवा प्रकाशन भोपाल	2005
44	मुकेश माहेश्वरी	सम्पूर्ण सामान्य ज्ञान मध्यप्रदेश	एवरेस्ट एण्ड वेल्स पब्लिशिंग कम्पनी इन्दौर	2005

...4...

पत्र पत्रिकाएं

क0	पत्रिका का नाम	प्रकाशन
1	योजना	योजना भवन संसद मार्ग,नई दिल्ली
2	कुरुक्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र एवम् रोजगार मंत्रालय, कृषिभवन नईदिल्ली
3	प्रतियोगिता दर्पण	स्वदेशी बीमा नगर, आगरा
4	मध्यप्रदेश सन्देश	मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
5	पंचायिका	मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
6	ग्रामसभा की स्थाई समितियां	पंचायत एवम् ग्रामीणविकास विभाग म0प्र0शासन भोपाल
7	पंचायतों की भूमिका	मध्यप्रदेश शासन भोपाल
8	ग्रामीण भारत	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद
9	भारत प्रगति की ओर	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतसरकार नईदिल्ली
10	भारत सरकार की जनहितकारी योजनाएं	सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारतसरकार नई दिल्ली
11	मेनस्ट्रीम	नवभारत टाईम्स नई दिल्ली
12	पंचायती राज	इण्डियन एक्सप्रेस बेंगलौर
13	खादीग्रामोद्योग	अमृतबाजार पत्रिका नई दिल्ली
14	पंचायत और इंसान	अखिल भारतीय परिषद् दिल्ली
15	समाज सेवा	पंचायत एवम् समाज सेवा विभाग नईदिल्ली
16	मध्य विचार	ग्वालियर
17	कानिकल	नई दिल्ली
18	दैनिक नवभारत	ग्वालियर संस्करण
19	दैनिक भास्कर	ग्वालियर संस्करण
20	दैनिक नईदुनियां	ग्वालियर संस्करण

संदर्भ ग्रन्थ सूची

क0	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
1	पारसनाथ राय	अनुसंधान परिचय	लक्ष्मीनाराण अग्रवाल, आगरा	2005
2	डॉ0आर0एन0त्रिवेदी एवं डॉ0 डी0पी0शुक्ला	रिसर्च मेथ्डोलॉजी	कालेज बुक डिपो, जयपुर	2003
3	डॉ0 बी0एम0जैन	शो ध प्रविधि एवम् क्षेत्रीय तकनीक	रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर	1990
4	डॉ. विजय जरारे	शोध प्रणाली	ए0बी0डी0 पब्लिशर्स जयपुर	1994
5	डॉ0 सत्यदेव	सामाजिक विज्ञानों की शोध पद्धति	हरियाणा साहित्य अकादमी,चण्डीगढ़	1990
6	डॉ0सुरेन्द्रसिंह	सामाजिक अनुसंधान	उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ	1990
7	सी0आर0कोठारी	रिसर्च मैथ्ओलॉजी एण्ड टैक्निक्स	विश्व प्रकाशन, नईदिल्ली	2002
8	डॉ0सी0एम0चौधरी	रिसर्च मैथ्डोलॉजी	आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स, जयपुर	2003
9	पी0सी0त्रिपाठी	रिसर्च मैथ्डोलॉजी इन सोशल साईन्स	सुलतान चन्द एण्ड सन्स, नईदिल्ली	1999
10	डॉ0आर0एन0शर्मा एवं डॉ0आर0के0शर्मा	सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधानकी विधियाँ	एटलांटिक पब्लिशर्स एण्उ डिस्ट्रीब्यूटर्स नईदिल्ली	1994
11	नीरा देसाई	आधुनिक भारत में नारी	बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स, मुम्बई	1997
12	एम0ए0इन्द्र	प्राचीन भारत मं स्त्रियों की स्थिति	मोती पब्लिशर्स, मुम्बई	1997
13	शर्मा एवम् गौतम	भारतीय समाज	आगरा बुक स्टोर, आगरा	1988
14	डॉ0एस0सी0 सक्सेना	श्रम समस्याऐ एवम् सामाजिक सुरक्षा	रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ	2002
15	आशा बोहरा	भारतीय नारीदशा एवम दिशा	नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नईदिल्ली	2001
16	डॉ0 जास्मिन लारेन्स	महिला श्रमिक सामाजिकस्थिति एवम् समस्याएं	आदित्य पब्लिशर्स, बीना	1994
17	राजकिशोर	स्त्री के लिये जनग	वाणी प्रकाशन,नईदिल्ली	1999
18	डॉ0सी0एम0चौधरी	मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा	कॉलेज बुक डिपो, जयपुर	1994
19	गुप्ता एवं खन्ना	सोशल सिस्टम स्टैटिफिकेशन	मेरठ पब्लिकेशन्स, मेरठ	2001
20	आर.एस. शर्मा	मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम	खेत्रपाल पब्लिकेशन इन्दौर	2001

क0	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
21	आर.एस. विजयवर्गीय	श्रमिक विधियाँ	दि लायर्स होम , इन्दौर	2002
22	नदीम हसनैन	जनजातीय भारत	जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्स, नई दिल्ली	2004
23	डॉ. डी.आर. सचदेव	भारत में समाज कल्याण प्रशासन	किताब महल इलाहबाद	2003
24	सुनील गोयल	भारतीय समाज में नारी	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
25	प्रतिभा जैन एवं शर्मा	भारतीय स्त्रीः सांस्कृतिक संदर्भ	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
26	अरूण कुमारी सिंह	जनजाति समाज में स्त्रियाँ	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
27	यतिन्द्र सिंह सिसोदिया	पंयात राज एवं अनुसूति जाति महिला नेतृत्व	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
28	आशिष भट्ट	लोक तांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं जनजातिय नेतृत्व	रामप्रसाद एण्ड संस,भोपाल	2003
29	कैलाश सोडाणी	असंगठित श्रमिक एवं कानून	शुभम प्रकाशन जयपुर	2004
30	प्रकाशचन्द्र मेहता	भारत के आदिवासी	शुभम प्रकाशन जयपुर	2004
31	डॉ0 आर0जी0 सिंह	भारतीय दलित समस्याऐं एवं समाधान	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
32	डॉ0 हीरालाल शुक्ल	आदिवासी अस्मिता और विकास	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
33	तिवारी एवं शर्मा	मध्यप्रदेश की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
34	डॉ. मिनाक्षी पवार	ग्रामीण विकास की विकेन्दीत व्यवस्था पंचायती राज	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
35	डॉ यतीन्द्र सिंह सिसोदिया	मध्य्रपदेश में पंचायत राज व्यवस्था	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
36	डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा	आदिवासी विकास	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
37	डॉ.हरिशचन्द्र उप्रेती	भारतीय जनजातियाँ	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
38	उपाध्याय एवं पाण्डेय	जनजातिय विकास	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2005
39	डॉ. शशि किरण नायक	मध्यप्रदेश का अर्थिक विकास	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल	2004

क0	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष
40	डॉ. देवेन्द्र मिश्र	मंचायती राज का संगठन एवं कार्य प्रणाली	क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली	1999
41	जनसम्पर्क विभाग	आगे आये लाभ उठायें	जनसमपर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल	1994
42	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	जन कल्याण के नियोजित कदम	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल	1998
43	अभिषेक खरे	मध्यप्रदेश सामान्य अध्ययन	दिवा प्रकाशन भोपाल	2005
44	मुकेश माहेश्वरी	सम्पूर्ण सामान्य ज्ञान मध्यप्रदेश	एवरेस्ट एण्ड वेल्स पब्लिशिंग कम्पनी इन्दौर	2005

पत्र पत्रिकाएं

क्र0	पत्रिका का नाम	प्रकाशन
1	योजना	योजना भवन संसद मार्ग,नई दिल्ली
2	कुरुक्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र एवम् रोजगार मंत्रालय,कृषिभवन नईदिल्ली
3	प्रतियोगिता दर्पण	स्वदेशी बीमा नगर, आगरा
4	मध्यप्रदेश सन्देश	मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
5	पंचायिका	मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
6	ग्रामसभा की स्थाई समितियां	पंचायत एवम् ग्रामीणविकास विभाग म0प्र0शासन भोपाल
7	पंचायतों की भूमिका	मध्यप्रदेश शासन भोपाल
8	ग्रामीण भारत	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद
9	भारत प्रगति की ओर	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतसरकार नईदिल्ली
10	भारत सरकार की जनहितकारी योजनाएं	सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारतसरकार नई दिल्ली
11	मेनस्ट्रीम	नवभारत टाईम्स नई दिल्ली
12	पंचायती राज	इण्डियन एक्सप्रेस बेंगलौर
13	खादीग्रामोद्योग	अमृतबाजार पत्रिका नई दिल्ली
14	पंचायत और इंसान	अखिल भारतीय परिषद् दिल्ली
15	समाज सेवा	पंचायत एवम् समाज सेवा विभाग नईदिल्ली
16	मध्य विचार	ग्वालियर
17	क्रॉनिकल	नई दिल्ली
18	दैनिक नवभारत	ग्वालियर संस्करण
19	दैनिक भास्कर	ग्वालियर संस्करण
20	दैनिक नईदुनियां	ग्वालियर संस्करण